राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पैंतीसवां दिवस [संख्या : 21

मंगलवार,

31 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। राम-राम। नमस्कार।

प्रश्न काल। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर में पेयजल आपूर्ति हेतु कार्ययोजना

212. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पेयजल वितरण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने उच्च जलाशय कहां-कहां बने हुए हैं? किस उच्च जलाशय से किन-किन क्षेत्रों में पेयजल वितरण किया जा रहा है व किन-किन क्षेत्रों में कम दबाव व प्रदूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या है एवं सरकार द्वारा इनके निदान के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने क्षेत्र में अभी भी पेयजल वितरण हेतु पाइपलाइन नहीं डालने के क्या कारण रहे? इस हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं बनायी गयी हैं? उक्त योजनाएं किस स्तर पर लम्बित हैं? लम्बित योजनाओं की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में 34 उच्च जलाशयों के माध्यम से 140 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से एकान्तरे (48 घण्टे के अंतराल से) की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है। क्षेत्र में निर्मित उच्च जलाशयों का स्थान एवं इनसे जुड़े हुए कम दबाव एवं पेयजल प्रदूषण सम्भावित क्षेत्र सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उक्त क्षेत्र के कम दबाव एवं प्रदूषण सम्भावना वाले क्षेत्रों हेतु प्रगतिरत कार्यों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-ब व स पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नव-विकसित मुख्यत: मारवाड़ नगर, महावीर पुरम, विनायक नगर, सुगन विहार, भारत नगर, नाकोड़ा नगर, श्याम नगर का आंशिक भाग एवं विभिन्न निजी अविकसित कालोनियों में विभागीय आधारभूत संरचना एवं पेयजल वितरण तंत्र नहीं होने के कारण ये कालोनियां विभागीय पेयजल योजना से वर्तमान में नहीं जुड़ी हैं।

विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की उक्त वर्णित कालोनियों सहित जोधपुर शहर एवं इसकी नगरीय सीमा के समीप भूभाग में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बाह्य विदेशी संस्था ए.एफ.डी. से वित्त-पोषित पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 को राशि रुपये 740.50 करोड़ की जारी की जा चुकी है। यह योजना माह सितम्बर, 2017 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक। जीजी, बोलो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद व धन्यवाद दे रही हूं। इन्होंने सूरसागर की समस्या को देखते हुए दो जलाशयों की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए ये और सदन की नेता दोनों ही बहुत धन्यवाद की पात्र हैं कि सूरसागर के अन्दर आज तक पानी की इतनी बड़ी समस्या को इन्होंने हल करवाया है। इसलिए मैं इनको बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष: बस, हो गया ना। फिर क्या है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से, सूरसागर क्षेत्र की ईस्ट, वेस्ट पाल रोड की समस्या है। मैं मंत्री महोदया से चाहूंगी कि कई सैकड़ों आवासीय कालोनियां बसी हुई हैं। आपके अधिकारियों ने यहां इतना बड़ा पुलिन्दा दे दिया और सारे नगर लिख दिये; नगर लिख दिये, वह तो ठीक है, लेकिन मुझसे ये नगर कोई छिपे हुए नहीं हैं, क्योंकि मैं रोज कम से कम 40-50 किलोमीटर घूमती हूं और मेरा एरिया देखती हूं।

श्री अध्यक्ष: आज भी?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो मैं मेरी बात भूल जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, नहीं कहता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं मेरी बात भूल जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं 40-50 किलोमीटर आज भी घूम लेती हैं क्या आप? इसलिए कह रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पैदल तो किलोमीटर-दो किलोमीटर घूमती हूं, मगर गाड़ी में जाती हूं, जहां-जहां जाना हो।

श्री अध्यक्ष: अब जवाब दो, भूलो मत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो कालोनियां, वगैरह लिखी हैं, इन्होंने यह नहीं लिखा है कि यहां-यहां पर इस तरीके से पानी जा रहा है। माननीय मंत्री महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सही-सही रिपोर्ट लिखते कि इन कालोनियों के अन्दर इतना पानी दे रहे हैं। कालोनियों के अन्दर कोई पाइपलाइन नहीं है। जो रोड पर लगी हुई हैं, उससे अन्दर पाइप ले जाने में कालोनियों को कितनी तकलीफ होती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं, जिन कालोनियों के अन्दर, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है कि पक्की खेती और पक्के ब्याव; पूर्व सरकार ने योजनाएं बनायीं, मगर वे योजनाएं कागजों में रहीं। अपने को कागजों में नहीं रखकर वास्तव में काम करके इनको बताना है कि अपनी सरकार ने यह काम किया और इस जनता को पानी से वंचित नहीं रखा और पानी मिला। कालोनियों के अन्दर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा पाइपलाइन हों और सबको पानी की व्यवस्था हो। पानी ऐसा है कि हर व्यक्ति को चाहिए, हर झोंपड़ी को चाहिए, बंगलों वालों को चाहिए और महलों वालों को भी चाहिए।

पानी की समस्या के लिए महाराजा उम्मेदसिंहजी थे, उनकी सोच बहुत जोरदार थी, उन्होंने जवाई बांध बनाया कि जोधपुर के अन्दर पानी की तकलीफ नहीं आयेगी, जोधपुर की जनता प्यासी नहीं रहेगी। उन्होंने कई कुएं, बावड़ी बनवाये; बाईजी का तालाब बनाया, गंगलाव तालाब बनवाया, लेकिन वे आज सारे कचरे से भरे हुए हैं। वह इस पिछली सरकार की देन है, क्योंकि सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया और सबसे ज्यादा खराबा ही कांग्रेस ने किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह चाहूंगी कि आप जो सूरसागर क्षेत्र की बात कर रही हो, इनका बड़प्पन है, इनकी मैं प्रशंसा करूंगी, मैंने तो सूरसागर का सवाल उठाया मगर इन्होंने तीन विधान

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सभा क्षेत्रों में स्वीकृतियां देने का वादा किया है अपनी जोधपुर की मीटिंग के अन्दर। इसलिए मैं इनको धन्यवाद दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय, मेरी बात तो पूरी करने दो। मैंने मेरी बात ही पूरी नहीं की। मेरी बात तो पूरी होने दो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी चाहूंगी कि कौन-कौनसी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और कौन-कौनसी योजनाएं आप सूरसागर में देंगी और वे योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी? मैं सारा इनसे आश्वासन चाहती हूं। मैं आश्वासन ही नहीं, यह चाहती हूं, कितने महीने में होंगी? भले ही 4 महीने में हों, 3 महीने में हों, 2 महीने में हों, कभी भी हों, मगर ये सारी योजनाएं पूरी हो जानी चाहिए। पूरी नहीं होंगी, तब तक कुछ नहीं चलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वर्तमान में समस्त जल आपूर्ति राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से होती है। इस नहर में सप्लाई मूल इंदिरा गांधी नहर से होती है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग अप्रैल में इसका क्लोजर लेने जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो 15 दिन तक जोधपुर प्यासा मर जाएगा और जोधपुर को पानी नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यह चाहती हूं, मंत्रीजी, इर्रिगेशन मंत्रीजी के साथ बैठकर बात करके ऐसा करें कि अभी इसका क्लोजर नहीं लें, ताकि जोधपुर की जनता को पानी मिलता रहेगा, नहीं तो 15-20 दिन तक जोधपुर के लोगों को बहुत भारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को एक और कहना चाहती हूं, क्योंकि सदन की नेता हैं, वे भी रामदेव बाबा की पूरी भक्त हैं; आज तक उन्होंने अपनी जो शुरुआत की वह रामदेव बाबा के मंदिर से की और रामदेव के दर्शन करके की। रामदेव जी का जब मेला आता है तो जहां-जहां भी कैम्प लगते हैं, मैं वहां सब जगह कैम्प में जाती हूं; चाहे मेरा एरिया हो, या नहीं हो, मैं सब जगह जाती हूं। इसी तरह एक भम्भौर जगह है, वह मेरे थोड़े नजदीक पड़ता है, 30-35 किलोमीटर ही है। मैं वहां रोज जाती हूं; कैम्प लगता है, मिलकर आती हूं। एक जो संस्था है, वह इतना जबरदस्त कैम्प लगाती है; हजारों क्या, रोज के कम से कम 50 हजार लोग खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब करते हैं, मगर वहां भारी पानी की समस्या है। मैं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आपके माध्यम से आज मंत्री महोदया से यह निवेदन करूंगी कि वहां भी पानी का एक एस आर कर दें, या कोई भी ऐसी व्यवस्था करें, वे सेवा करते हैं, मगर अपन पानी से सेवा कर दें। वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के दर्शनार्थी पानी से तो वंचित न रहें, कम से कम ऐसी व्यवस्था करें। मैं मंत्री महोदया से आपके माध्यम से यह चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर से आने वाली हमारी वरिष्ठ सदस्या ने बहुत सारी बातें पूछी हैं, एक-एक करके उनका जवाब देती हूं। उन्होंने सबसे पहले यह पूछा कि जोधपुर शहर में पीने के पानी के लिए क्या-क्या योजनाएं सरकार की चल रही हैं। आपके माध्यम से मैं सदन को यह जानकारी देना चाहती हूं कि जोधपुर शहर में जो वृहद् पेयजल योजना है, वह ए.एफ.डी. योजना है, जो फ्रांस की कम्पनी के द्वारा फंडेड योजना है। लगभग यह योजना 750 करोड़ की योजना है। इस योजना में पूरे शहर में आग्मेंटेशन का काम है, पूरे शहर की पुरानी पाइपलाइन है उसको बदलने का काम है, कुछ नई कालोनियों के अन्दर पाइपलाइन डालने का है। यह एक योजना है जिस योजना में टोटल 21 पैकेजेज हैं, उनमें से 3 पैकेज कंसलटेंसी के हैं, जिसमें हम लोगों की इंजीनियरिंग कंसलटेंसी व ओ एन एम कंसलटेंसी है, जिसका काम प्रगति पर चल रहा है। मैं मानती हूं कि बहुत धीमी गति से चल रहा है। क्योंकि पिछली जो सरकार थी, उन्होंने स्वीकृत करके उसमें किसी तरह की मानिटरिंग नहीं की, जिसके कारण ये सारी योजनाएं खटाई में पड़ी हुई थीं। लेकिन हमारी वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने इसमें पूरा इंटरेस्ट लेकर, इन योजनाओं को समय पर पूरा होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने समय-समय पर रिव्यू मीटिंग भी कीं। उन रिव्यू मीटिंग्स का नतीजा है कि अब लोग उस पर आये हैं कि यह कार्य अब थोड़ा प्रगति पर आया है। प्रगति पर आने पर, मैं यह जानकारी देना चाहती हूं कि ये 18 पैकेजेज, 3 तो कंसलटेंसी के हुए, रेस्ट जो 18 पैकेजेज हैं उन 18 पैकेजेज में से 2 पैकेज के टेण्डर हो चुके हैं और रेस्ट जो 16 पैकेजेज हैं उनके भी बहुत शीघ्र हम लोग टेण्डर करवाने की प्रक्रिया में उसको ले आएंगे और उसको करवाने की पूरे तरीके से मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करती हूं।

इसके अलावा जो दूसरी योजना जोधपुर शहर में चल रही है, वह चल रही है, हमारी एक कंपोजिट योजना जो बनायी गयी थी, वह 73.26 करोड़ की

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

योजना है, जिसमें पूरे शहर के अन्दर पेयजल को और सुचारु रूप से करना, जो वाटर लोसेज हैं उन लोसेज को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, उन सब के सन्दर्भ में यह योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में 33 पैकेजेज हैं और सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्या के क्षेत्र के उसमें 10 पैकेजेज हैं। चूंकि यह सूरसागर से सम्बन्धित है, इसलिए मैं उनके 10 पैकेजेज की प्रगति बता देती हूं। इसमें इनके 6 पैकेजेज का काम कम्प्लीट हो चुका है और जो 4 पैकेजेज हैं उनमें जो काम होना है उसका विवरण आपके सामने रखना चाहती हूं। इसमें मसूरिया हिल पर जी एस आर बनाना है, प्रताप नगर में एक उच्च जलाशय बनाना है और 52 किलोमीटर की पाइपलाइन नये क्षेत्रों में लगानी है। जो नये क्षेत्र हैं उनमें चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, अरिहंत नगर, भट्टे की बावड़ी, मीरा नगर, करणी नगर, मिल्कमैन कालोनी और रूप नगर हैं और इन सबके अन्दर पाइपलाइन...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): गायत्री नगर इसमें नहीं लिया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): गायत्री नगर, इसको भी जोड़ देंगे। यह 15 करोड़ की योजना है और 52 किलोमीटर की पाइपलाइन इसमें डलनी है। इस काम को हम 12.1.2016 तक पूरा करेंगे, यह प्रस्तावित है।

इसके अलावा माननीय सदस्या ने जो पूछा है, उसमें आई जी एन पी के क्लोजर के बारे में कहा कि अगर क्लोजर हो जाता है तो फिर शहर में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हमने डब्ल्यू.आर.डी. से बात करके तय कर दिया है कि इसका क्लोजर नहीं लेंगे जिससे इनको पानी की किसी तरीके की वहां पर तकलीफ नहीं आयेगी।

तीसरी बात, आपने रामदेव बाबा के वहां पर भम्भोर क्षेत्र में एक एस.आर. की डिमांड रखी है। मैं मानती हूं कि वास्तव में बाबा रामदेव के मन्दिर में दर्शनार्थी काफी संख्या में जाते हैं और उस क्षेत्र में अगर पानी की टंकी बन जाती है तो वहां पर उन दर्शनार्थियों को सुविधा होगी। वरिष्ठ माननीय सदस्या ने यह मांग जनता की परेशानी को देखते हुए की है, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हुए इसके टेण्डर्स काल करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न करेंगी क्या?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह चाहूंगी कि आपने यह कहा है एस.आर.

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बनाएंगे, तो यह कब बनना शुरू हो जायेगा। क्योंकि अधिकारी लोग काम करने में लापरवाही बरतते है। हालांकि आपकी मीटिंग होने के बाद अधिकारी लोग हरकत में आ गये और काम देखना शुरू कर दिया, मगर 15-20 दिन, महीना बता दो कि इतने दिन में यह काम शुरू हो जाएगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, इसमें एस.आर. की डिमांड में माननीय सदस्य ने बात कही थी और उस समय मैंने यह घोषणा की थी, जो दो एस.आर. की इन्होंने डिमाण्ड की थी उन दोनों एस.आर. की स्वीकृति उस समय दी थी। अब उसके एस्टिमेट्स बनना और टेण्डर होना, इस सारी प्रक्रिया में जो समय लगेगा, उसमें जितना मिनिमम से मिनिमम समय में होगा, उतने में हम काम करवा देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके अधिकारियों को जगह बता दूंगी तो उसी जगह पर करायें।

श्री अध्यक्ष: वह आप बता देना।

श्री कैलाश भंसाली। पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): धन्यवाद अध्यक्षजी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो योजना बनाई है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसके लिए हमारी मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने पहले से ही कह रखा था, तो मैं बहुत-बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, परन्तु आज सुबह तक की बात कह रहा हूं कि जोधपुर के 9 स्थानों पर गन्दा पानी आ रहा है जो पीने लायक नहीं है। इससे कई लोगों को पीलिया हो गया है। इसकी कल्पना एम जी एच और एम डी एम हास्पिटल के रजिस्टर से की जा सकती है कि कितनी बीमारी फैल रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि गन्दा पानी आ रहा है। इस गन्दे पानी की समस्या का मैंने सुबह भी आपसे निवेदन किया था, तब कहा था कि हमारे पास सूचना नहीं है; फिर कलक्टर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि कुछ जगह है, पर मैं उसकी पूरी रिपोर्ट भेज दूंगा। मेरा निवेदन है कि इस गन्दे पानी की सप्लाई को रोका जाए। पानी नहीं दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग कुएं, बावड़ी, कहीं से लाकर पीने की व्यवस्था कर लेंगे, या आजकल जो बिसलरी, वगैरह आती हैं उससे काम चला लेंगे, परन्तु गन्दे पानी से बहुत रोग फैल रहा है, इसलिए इसकी रोकथाम जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदया जवाब दें।

उसके साथ में 750 करोड़ वाली में और 73.26 करोड़ वाली में

(श्री कैलाश भंसाली)
जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के लिए कितना खर्च किया जाएगा, इसकी जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जोधपुर शहर से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, उसमें पहली बात तो गन्दे पानी को लेकर है और उन्होंने चिन्ता जताई कि जोधपुर शहर में गन्दा पानी सप्लाई होने की बात आई है। उसमें आज सुबह मेरी जानकारी में इन्होंने दिया था। तो उसके बाद में मैंने मेरे डिपार्टमेंट से, सी एम एच ओ से और कलक्टर, जोधपुर से, तीनों से बातचीत की और गन्दे पानी का कारण जानने की कोशिश की। उसमें जो बात आई है, वह यह आई है कि कायलाना डैम है वहां पर पानी का जल स्तर बहुत नीचे हो गया है जिससे अब काई का पानी आ रहा है, उससे यह पानी सप्लाई हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि कुछ सीवरेज लाइन्स जो जोधपुर शहर में डली हुई हैं, वे वर्षों पुरानी डली हुई हैं और पानी की पाइपलाइन्स उससे भी पहले की डली हुई हैं। तो पानी की पाइपलाइन के पास में ही सीवर लाइन डली हुई है और सीवर लाइन की टूट-फूट की वजह से कभी-कभी पानी की पाइपलाइन से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से यह गन्दा पानी कहीं-कहीं शहर में हो जाता है। लेकिन उस समस्या के निराकरण के लिए, पूर्व में मैं जोधपुर गई थी, तब मैंने पूरा एक इस तरीके से मास्टर प्लान बनवाया, एक प्रोजेक्ट बनवाया जिसमें ऐसी जहां-जहां पर भी बार-बार यह समस्या आती है कि पाइपलाइन टूट जाती है, सीवर के साथ में जुड़ जाती है, तो उसके लिए हमने नगर निगम, जोधपुर को भी निवेदन किया कि जो ऐसी सीवर की पाइपलाइन टूटी-फूटी हैं, उनको तुरन्त रिपेयर करिये या चेंज करिये।

दूसरा, जहां तक पी एच ई डी का काम है, पी एच ई डी ने भी उसमें 4 करोड़ रुपये उसी कैम्प में स्वीकृत किये थे जिससे जितनी भी ऐसी पाइप, जो सीवर के साथ में जुड़ जाने से गन्दा पानी हमारी पाइपलाइन में आ जाता है, तो वहां पर उन स्पाट्स को आइडेंटिफाई करिये और आइडेंटिफाई करके उन्हें तुरन्त रिपेयर करने के निर्देश दे चुके हैं, जिसका काम भी प्रगति पर शुरू हो रहा है। उसके भी टेण्डर्स वगैरह हो चुके हैं और वह काम भी होगा। जहां पर भी पुरानी हैं, उसके 4 करोड़ रुपये इन सारी योजनाओं के अतिरिक्त दिये जिससे तुरन्त काम ठीक करके पाइपलाइन्स को ठीक करना है।

दूसरी बात आपने कही कि जो 73.26 करोड़ की कम्पोजिट योजना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

चल रही है उसमें जोधपुर शहर के अन्दर हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो उसमें मैं जानकारी देना चाहती हूं कि 9 पैकेजेज आपके जोधपुर शहर के क्षेत्र में दिये जा रहे हैं जो 9 करोड़ की लागत के हैं। इनमें से 4 पैकेजेज कम्प्लीट हो गये हैं और 5 पैकेजेज 12.1.2016 तक पूर्ण होने के लिए प्रस्तावित हैं।

श्री अध्यक्ष: रामहेत सिंह। सूरसागर से सम्बन्धित है?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): एन.सी.आर. से सम्बन्धित है, साहब। पेयजल का पैसा आया हुआ है एन.सी.आर. में। राम भी रूठ रहा है, रोज ओले पड़ रहे हैं। तो कम से कम राज तो नहीं रूठे, इसलिए पेयजल की व्यवस्था तो करा दो। जो पैसा आया हुआ है एन.सी.आर. में...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। श्री जोगाराम पटेल। आप मिल लीजिए। आप मिल लीजिए। पैसा आया हुआ है तो आप मिल लीजिए। मना कौन कर रहा है? आपका अलवर नेशनल कैपिटल रीजन में आ गया है, आप मिल लीजिए। श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीया मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा पहला प्रश्न यह है कि....

श्री अध्यक्ष: पहला ही करो। पूरक प्रश्न, केवल एक।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, मिक्स करके एक।

श्री अध्यक्ष: मिक्स करके क्या? एक सवाल में 20 मिनट हो गये। एक मिनट में।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट में ही। पहला प्रश्न यह है कि जोधपुर में दूषित पानी पेयजल के लिए उपलब्ध कराने की समस्या लम्बे समय से है। यह एक दिन की समस्या नहीं है, यह लम्बे समय की समस्या है। तो क्या ऐसा कोई पक्का प्लान या कोई कार्ययोजना जिससे पेयजल की पाइपलाइन अलग हो जाए और गटर लाइन की पाइप लाइन अलग हो जाए, जिससे हमेशा, हर साल यह दूषित पानी सप्लाई होने की समस्या है। इसके निराकरण की कोई कार्ययोजना क्या बनी, कब बनी, कितने की बनी और कब तक पूर्ण होगी?

श्री अध्यक्ष: बस, विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसके साथ ही पूछ रहा हूं, आपने खण्ड 2 में जवाब यह दिया है कि ''विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की उक्त वर्णित कालोनियों सहित जोधपुर शहर व इसकी नगरीय सीमा के समीप भू-भाग...'', तो नगरीय सीमा के समीप के जो भू-भाग है, उसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र भी नगरीय सीमा से चारों तरफ लगा हुआ है और आपके शहर खण्ड से पेयजल योजना से लाभान्वित हो रहा है। तो उसमें मेरे क्षेत्र की कितनी योजना इससे लाभान्वित होंगी?

श्री अध्यक्ष: विराजो। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, उसमें उनका कहना है कि पानी की क्वालिटी को कैसे हम लोग इम्प्रूव करें, इसकी क्या योजना हम बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कर लिया आपने। नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जो सीवरेज लाइन्स जो डली हुई हैं शहर में, मैंने पहले भी यह कहा कि सीवर लाइन्स को चेंज करने का एक प्रोजेक्ट अलग बनना चाहिए और पेयजल की पाइपलाइन को चेंज करने का एक अलग प्रोजेक्ट बनना चाहिए। पेयजल की पाइपलाइन को चेंज करने का आलरैडी हम प्रोजेक्ट बना चुके हैं, 740.50 करोड़ की ए एफ डी की योजना है, जिसमें शहर के अन्दर सभी जो पाइपलाइन्स हैं उनको बदलना और कुछ नई कालोनीज में पाइपलाइन ले करना, इसकी योजना है। इसके अलावा जो कम्पोजिट प्लान बनाया है वह 73.26 करोड़ का है, जिसमें भी हम लोगों ने अलग और जो कालोनियां छूट गई हैं वे भी ले ली हैं। प्लस, 4 करोड़ रुपये हमने इस बात के लिए दिये कि जहां-जहां पर पाइपलाइन टूटी हैं, सीवर के साथ में जुड़ रहा है...

श्री अध्यक्ष: वह तो बता चुकी हैं आप, 4 करोड़ रुपये दे दिये हैं, वह बता चुकी हैं। रिपीट मत कीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उसका दे दिया है। दूसरा, जो आपका सवाल था...

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पानी 8-10 दिन से खराब आ रहा है। मंत्री जी, इसका क्या करोगे आप? (व्यवधान) एक मिनट, इंदिरा गांधी नहर का पानी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बैठिये। यह सूरसागर से सम्बन्धित है, आपका इससे सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान) आप प्रश्न पूछ चुके हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है, जो चार योजनाएं हैं, वे पूरी की गई हैं। उनमें से दो में पानी...

श्री अध्यक्षः यह आप पूछ चुके।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीया मंत्रीजी ने जवाब पूरा नहीं दिया।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र सिंह यादव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीजी। श्री राजेन्द्रसिंह की जगह, श्रीमती शुकन्तला रावत।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जो जवाब, दूसरा सवाल था उनका, उसमें उन्होंने कहा कि जो आसपास के भूभाग के अन्दर शहर से जुड़ी हुई कालोनीज हैं, या जो ऐसे गांव हैं जो जुड़े हुए हैं, पेरिफेरी एरिया के जो गांव हैं, उनको भी हमने लिया है और उनकी डिटेल मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगी।

श्री अध्यक्षः दे देना। हां, शकुन्तला रावत। नहीं, बिलकुल नहीं। यह सूरसागर से सम्बन्धित था।

प्रदेश में संचालित बालिका छात्रावासों का पंजीकरण

213. **श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर) (श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) के स्थान पर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किस-किस जिले में कितने बालिका गृह/गर्ल्स हास्टल सरकारी एवं निजी तौर पर संचालित किये जा रहे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में संचालित किये जाने वाले गर्ल्स हास्टेल एवं बालिका गृहों के लिए पंजीकरण व्यवस्था एवं निगरानी समितियां गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) प्रदेश में कुल सात सम्भाग स्तर पर राजकीय बालिका गृह संचालित हैं एवं 14 गैर-राजकीय बालिका गृह संचालित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

इसी प्रकार प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सभी जिलों में राजकीय विद्यालय स्तर/महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। छह जिलों में विभाग से अनुदान प्राप्त कर अनुदानित बालिका छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा इनके पंजीकरण एवं निगरानी समितियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	विवरण
1.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 34 के अन्तर्गत बालक/बालिका गृहों का विभाग द्वारा पंजीयन किया जाता है।
2.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य/जिला स्तर पर बालिका गृहों में निगरानी समितियों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर : 1. राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी; व 2. राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति। जिला स्तर पर : 1. जिला बाल संरक्षण इकाई; 2. जिला किशोर न्याय बोर्ड; 3. जिला बाल कल्याण समिति; व 4. जिला स्तरीय निरीक्षण समिति।

सरकार द्वारा प्रदेश में राजकीय बालिका छात्रावास विभागीय स्तर एवं विभाग से अनुदान प्राप्त कर बालिका छात्रावास संचालित करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा बालिका छात्रावासों के लिए पंजीकरण व्यवस्था एवं निगरानी समितियां गठित करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक, शकुन्तलाजी करेंगी। पूरक प्रश्न पूछिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हां, जी। जी, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये कमेटियां गठित की गई हैं राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति, तो इनकी कब-कब तो मीटिंग हुई और जो मीटिंग हुई, उनका रिजल्ट क्या आया? कहीं गलती पाई गई, या नहीं पाई गई, कमेटीज की मीटिंग में? यह बताने का कष्ट करें मंत्री महोदय। दूसरा है, इनमें रिक्त पद पड़े हुए हैं, तो उनको कब तक भरने की मंशा रखते हैं?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी अलग-अलग मीटिंग्स की तारीखें तो, क्योंकि प्रश्न में यह सीधा-सीधा नहीं था, मैं बाद में माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दूंगा। बाकी स्टेट लेवल की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसका टर्म पूरा हुआ है और उसको दुबारा बनाने की प्रक्रिया जारी है और जैसे ही वह पूरा करते हैं, उसकी घोषणा हम करेंगे। कुछ जिलों की समितियों का भी टर्म पूरा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनकी समय-सीमा को बढ़ाने का तय किया है। स्टेट लेवल की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जब बन जायेगी, तभी जिलों की समितियों को बनाने की प्रक्रिया पूरी होगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। आप बैठिये। सुखरामजी, बैठिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदयजी से पूछना चाहती हूं, जो इनके सुपरिंटेंडेंट हैं, उन्हीं की ड्यूटी सभी जगह लगाई जाती है। ना उन्हें कोई यात्रा भत्ता दिया जाता है। उनका वेतन भी काफी कम है। क्या उसको बढ़ाने की मंशा रखते हैं, या नहीं रखते हैं?

दूसरा, जिन हास्टल्स में सरकारी बिल्डिंग नहीं हैं, कई हास्टल्स ऐसे खण्डहर जगहों पर चलते हैं, तो उनकी जगह नया बनाने की मंशा रखते हैं तो कब तक?

और हास्टल में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है, वह है कि उनमें बेड पूरे नहीं हैं। तो बच्चों को नीचे जमीन पर सोने को मजबूर होना पड़ता है।

जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्हें अक्टूबर-नवम्बर से वेतन नहीं मिल रहा है।

जिले के छात्रावासों की संख्या इसके अन्दर दी गई है, इनमें चार से पांच छात्रावास अधिकतर जिलों में हैं और अलवर जिले में भी अलवर, किशनगढ़ बास, मुण्डावर में हैं। यह देवनारायण योजना का छात्रावास है और एक देवनारायण महाविद्यालय स्त्री/कन्या छात्रावास, जिनमें 75 की संख्या के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लिए दिया गया है और 75 ही रिक्त हैं, और वह रिक्त ही है अभी तक। एक भी छात्रा का एडमिशन उसके अन्दर नहीं हुआ है। कब तक भरने की मंशा है? लेंगे, या नहीं लेंगे? किसलिए यह खोलकर रखा हुआ है? आज तक यह शून्य पर दिया हुआ है।

जो संविदा कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह कई दिनों से नहीं मिली है। तो कब तक देंगे?

छात्रावासों में सिर्फ 40-50 सीटें हैं। तो क्या इनको बढ़ाने की भी मंशा रखते हैं, या नहीं?

जो पिछली सरकार की, हमारी सरकार की ई बी सी की योजना थी, इकोनोमिकली बैकवर्ड कास्टस; जिन परिवारों की आय दो लाख रुपये से कम थी, उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाती थी। अब बंद कर दी है। तो क्या देने की मंशा रखते हैं? नहीं रखते हैं, तो क्यों? और छात्रों को परेशान होना पड़ता है, साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। विराजिये। विराजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने पांच-छह प्रश्न एक साथ किये हैं। मैं प्रयास करूंगा...

श्री अध्यक्ष: अवसर मिलता है तो कर लेते हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हां, वह ठीक है, अवसर पूरा मिला है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि छात्रावासों में, हमने पहले भी इस बात को कहा है कि हमारे यहां पद काफी कम हैं, लगभग कोई 52 प्रतिशत पद भरे हुए हैं और 48 प्रतिशत पद खाली हैं, और उनको भरने की प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। इनकी रिक्विजिशन आर पी एस सी को हमने भेजी है और भेजकर उनको भरने की प्रक्रिया चालू की है। साथ ही, टाइम-बीईंग हमने इसकी व्यवस्था की है कि कुछेक हास्टल के वार्डन को हमने दूसरे और हास्टल्स का काम भी साथ में दे रखा है।

तीसरा, कहीं कुछ जगहों पर हमने रिटायर्ड टीचर्स की पोस्ट एडवर्टाइज करके उनसे एप्लिकेशन्स इन्वाइट की हैं और उनमें से लेकर कुछ हास्टल्स में सुपरिंटेंडेंट की व्यवस्था उनके आधार पर करके इस व्यवस्था को ठीक करने का हमने प्रयास किया है।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

जहां तक कुछ छात्रावासों में कमियों की बात है, चाहे वह बेड्स की बात हो, हालांकि अब बेड्स की व्यवस्था तो पूरी की है और शायद ही कोई ऐसा छात्रावास होगा जहां पलंग की व्यवस्था नहीं है और नीचे जमीन पर सोना पड़ता है। कोई है, तो मैं माननीय सदस्या को कहूंगा कि मुझे जानकारी दें, उसको हम ठीक करेंगे। बाकी सारे राजस्थान में हमने बिस्तरों की और पलंग की व्यवस्था पूरी की है।

उसके बाद भी हमारे पास बार-बार एक शिकायत आती थी, छात्रावासों में कमियों के बारे में आता था। मैं खुद गया तो मैंने स्वयं ने तब भी देखा और जहां-जहां लगातार शिकायतें आती थीं, माननीय सदस्य भी बताते थे, समाचार-पत्रों में मिलता था, और उसको दूर करने के लिए हमने एक प्रदेश स्तर पर 200 पाइंट बनाकर सब हास्टल्स में हमने कमेटीज भेजीं। हमने नियम तय किया कि प्रत्येक माह प्रदेश स्तर के अधिकारियों की एक टीम बनाकर, वे डेजिग्नेटेड जिलों में जायेंगे और जाकर वहां हास्टल्स की व्यवस्था को देखेंगे। उससे भी कुछ सुधार की चीज बननी शुरू हुई है। दूसरा, एक 200 पाइंट बनाये हैं, उन 200 पाइंटों में हमने कमियां आइडेंटिफाई की हैं कि कौन-कौनसी कमियां उनमें निकलकर आती हैं और धीरे-धीरे हमने कुछ बजट का भी प्रावधान करके आगे आने वाले समय में उन कमियों को दूर करने का अभियान हम चलाने वाले हैं जिससे कि इस व्यवस्था को हम ठीक कर सकें।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न। श्री मदन राठौड़। नहीं, दो हो गये, आप बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया कि स्वयंसेवी संस्थाओं को तो मान्यता प्रदान की जाती है लेकिन जो सरकारी बालिका छात्रावास विभागीय स्तर पर, तो उनका पंजीकरण कैसे नहीं करते हैं? कौन करता है पंजीकरण? एक तो यह बतायें।

दूसरा, राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास, सुमेरपुर, क्योंकि यह इसमें है, खण्ड-ब में इन्होंने दिया है, सुमेरपुर का नाम भी दिया है; जो 2004-05 से ही वह किराये पर चल रहा है। तो वहां भवन निर्माण कब तक करवा देंगे? उसका क्या विचार है? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। मैं

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दो चीजें हैं, एक तो बालिका गृह और बालिका छात्रावास, बालिका गृह के पंजीकरण की व्यवस्था है। इसको आई सी पी एस के माध्यम से, बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से, इनके पंजीकरण की औपचारिकता पूरी होती है और उसके बाद ही इसको चालू कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावास चलाये जाते हैं और जो सरकारी स्तर पर भी हैं और गैर-सरकारी स्तर पर भी हैं, इनकी मान्यता देने का प्रावधान है। इनके पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

जहां तक आपने सुमेरपुर के छात्रावास के किराये पर चलने का विषय उठाया है, जैसे-जैसे बजट की उपलब्धता हमारे पास होती है, हम एक-एक करके जो किराये पर छात्रावास चल रहे हैं, उनको भी धीरे-धीरे सरकारी भवनों में शिफ्ट कर रहे हैं। बनाकर, पास करके, शिफ्ट करने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्षः श्री रामलाल शर्मा। आप विराजिये। रामलाल शर्मा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 2011-12 का तो आपने कर दिया है, ये 2004-05 का है, ये क्यों नहीं किया? ना, ना, 2011-12 का तो कर दिया।

श्री अध्यक्षः आप मिल लो। मिल लो, पूछ लो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उदयपुरिया में एक बालिका छात्रावास का भवन बनना शुरू हुआ था और दो साल से उस छात्रावास का काम बंद पड़ा है। तो उस भवन को कब तक आप पूरा करने का मन रखते हैं?

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में पांच छात्रावास चलते हैं और इनमें तीन तो जयपुर शहर में हैं और एक शाहपुरा में है, जिसमें नम्बर पूरे नहीं होने के कारण से उसको हम चालू नहीं कर पाये क्योंकि उसमें बच्चे पूरे नहीं मिले हैं, और पांचवां, देवनारायण का जयपुर में बन रहा है। चौमूं का जो आपने बताया है, मैं उसकी जानकारी करके, वह किसी कारण से कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उसको, बजट का जैसे ही प्रावधान होगा, पूरा कराकर चालू करेंगे।

श्री अध्यक्षः तीसरा पूरक प्रश्न। श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जालौर

(श्री सुखराम विश्नोई)

में तीन छात्रावास हैं और तीनों में शून्य है, कोई प्रवेश नहीं है। पूरे जिले में जो रिक्तियां हैं, उनको कब तक आप भरेंगे?

मेरा निवेदन यह है, 14 प्राइवेट छात्रावास हैं, इनकी मानिटरिंग की आपके पास क्या व्यवस्था है? आपने जिले में तो कमेटी बनाई नहीं है। फिर ये जो 14 प्राइवेट छात्रावास हैं, इनकी मानिटरिंग कैसे होती है? एक तो यह और इसके साथ ही ये रिक्तियां आप कब तक भर देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में छात्रावास के नाते से रिक्तियों का जहां तक विषय है, हम अपने यहां सबके एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही हम छात्रावासों में चयन करते हैं। छात्रावासों में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया, एक निर्धारित समयावधि, दिनांक तक करने का रहता है। 25.7.2014 पिछली बार थी। उसका सेट प्रोसीजर है जिसके तहत हम 50 परसेंट से अधिक जिनके होंगे, 50 या 50 से अधिक छात्र वाले हैं, उनकी लेंगे। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद एप्लिकेशंस आती हैं, उसकी एक कमेटी है और कमेटी पूरा करने के बाद उनको प्रवेश देती है। हमारे विज्ञापन निकालने के बाद भी अगर कोई विद्यार्थी नहीं आता, तो उसमें हमारी व्यवस्था है कि हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते।

जहां तक आपने यह विषय यहां रखा, जहां इनके निरीक्षण का विषय है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैं, वे बाल गृहों का इंस्पेक्शन करती रहती हैं और समय-समय पर इनकी रिपोर्ट देती हैं। इसके साथ-साथ ही इंस्पेक्शन के नाते से डी.जे. लेवल पर और सी.जे.एम. के स्तर पर भी इनके इंस्पेक्शन चलते रहते हैं।

छात्रावासों का जो विषय है, छात्रावासों के लिए छात्रावास अधीक्षक और जिले का डी.एल.ओ. और साथ ही मैंने बताया कि हमने प्रदेश स्तर पर भी अधिकारियों को अलग-अलग जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। वे जिले में जाकर के और कुछ पाइंट तय किये हैं, उन छात्रावासों की मानिटरिंग करें, प्रदेश में अपनी रिपोर्ट दें और उसके आधार पर इम्प्रूवमेंट शुरू भी हुआ है, और इम्प्रूवमेंट उसके माध्यम से करें। इसकी व्यवस्था कर रहे हैं हम।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री निर्मल कुमावत।

जयपुर शहर में राशन की दुकानों से खराब गेहूं वितरण की शिकायतें

214. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में जयपुर शहर में राशन की दुकानों में मिलने वाले गेहूं की खराब क्वालिटी के सम्बन्ध में कोई प्रकरण सरकार के समक्ष आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा भविष्य में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी नहीं। वर्ष 2013-14 में जयपुर शहर में राशन की दुकानों में मिलने वाले गेहूं की खराब क्वालिटी के सम्बन्ध में कोई भी प्रकरण सरकार के समक्ष नहीं आया है।

(2) जब कोई प्रकरण ही नहीं आया है, तो कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर अच्छी किस्म के गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को निर्देशित किया गया है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, जैसा आपने इस कार्य अवधि में बताया कि कोई प्रकरण नहीं आया, हो सकता है इस अवधि के पहले और इस अवधि के बाद में कोई प्रकरण आया हो, तो आपने उस पर उचित कार्यवाही भी की होगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि डीलर पर तो हम कार्रवाई तुरन्त करते हैं और करनी भी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए, परन्तु क्या यह सही है, विभिन्न समाचारों के माध्यम से यह मिला है कि कभी गेहूं सड़ा तो उसको कुएं में फेंक दिया आपके अलवर में, कभी, ग़रीबों का गेहूं चूहे खा रहे हैं, कभी खुले में पड़ा हुआ राशन का गेहूं सड़ रहा है? तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या गेहूं भण्डारण की व्यवस्था राज्य की एजेसिंयों के पास है, या केन्द्र की एजेंसियों के पास है? यह जो राशन की दुकानों पर गेहूं मिलता है, अध्यक्ष महोदय, बहुत

(श्री निर्मल कुमावत)

ही गरीब आदमी, बी.पी.एल. वाले, गरीब आदमी उस गेहूं को लेते हैं और बहुत ही गरीब बच्चे उनके होते हैं, कुपोषण का शिकार भी होते हैं। तो क्या, हम बाध्य हैं क्या, जो एफ सी आई या केन्द्र की एजेंसियां जिस प्रकार का भी गेहूं सब-स्टैण्डर्ड का गेहूं हमें देंगी, हम वह ही बांटेंगे? तो हमारी कोई ऐसी योजना है या वर्तमान में कोई व्यवस्था है कि हम उसकी जांच करते हैं, वह खाने लायक है या नहीं है, तब हम उसको डीलर तक भेजते हैं? या फिर हम सीधा जो गेहूं मिलता है, अलाट होता है, उसी को भेज देते हैं? मंत्रीजी स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वह वाजिब है, लेकिन हमारा विभाग समय-समय पर अच्छी गुणवत्ता का गेहूं खरीदने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए खाद्य निगम द्वारा नियम बनाये हुए हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किए गेहूं की गुणवत्ता की प्रक्रिया, भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद किए गए गेहूँ को चार बृहद् श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी। उक्त चारों श्रेणियों में से श्रेणी-ए और श्रेणी-बी के गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ही वितरण किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। श्रेणी-बी का गेहूं उपलब्ध नहीं हो तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए श्रेणी-ए का गेहूं भी आवंटित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये एफ सी आई से गेहूं उठाव से लेकर और उसकी पहुंच पी डी एस तक जाए, इसकी जवाबदेही विभाग की है और उस पर समय-समय पर इनकी मानिटरिंग होती है और एफ सी आई द्वारा भी उठाए गए कदम हैं, जिसमें गेहूं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मात्र कैटेगिरी-ए तथा कैटेगिरी-बी की श्रेणी में आने वाले गेहूं का पी डी एस के माध्यम से किया जाता है।

गेहूं खाद्यान्न में कैटेगरी का निर्धारण गेहूं के दानों को कीड़े द्वारा किए गए क्षतिग्रस्त मात्रा के आधार पर किया जाता है, जिसका प्रतिशत निम्नांकित है: कैटेगिरी ए-01 प्रतिशत, कैटेगरी बी-01 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक अधिकतम, और इसकी गुणवत्ता के लिए तकनीकी सहायक (टी.ए.) द्वारा खाद्यान्न का पाक्षिक अंतराल पर शत-प्रतिशत निरीक्षण होता है। प्रबंधक, गुण-

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

नियंत्रण द्वारा उक्त खाद्यान्न का मासिक अंतराल पर 33 प्रतिशत निरीक्षण होता है और सहायक महाप्रबंधक, गुण-नियंत्रण द्वारा उक्त खाद्यान्न का त्रैमासिक अंतराल पर 10 प्रतिशत निरीक्षण होता है। राज्य सरकार को खाद्यान्न उठाव से पूर्व खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच एवं संतुष्टि हेतु संयुक्त नमूना निकालकर नमूनों की प्रति राज्य सरकार के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराई जाती है।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने काफी बात बताई, मैं केवल इतनी-सी बात जानना चाहता हूं, आपने बताया कि गोदाम से बाहर निकलने के बाद वितरण तक की व्यवस्था राज्य सरकार की है, मैं आपकी बात से सहमत हूं; हो सकता है, वह समयावधि बहुत ही छोटी हो, परन्तु जो एफ सी आई के गोदाम में आपने रूटीन सैंपल की बात भी बताई है और आपने कहा कि संयुक्त हम सैंपल भी लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारा गेहूं सड़ रहा है, हमारे राज्य का हमारी धरती पर गेहूं सड़ता है, वह समय पर नहीं बंटता है; कोई भी एजेंसी, चाहे केन्द्र की एजेंसी हो, चाहे राज्य की एजेंसी हो, तो हम इसके ऊपर किस प्रकार से लगाम रख सकते हैं कि यह अनाज सड़े नहीं? उस गरीब के साथ तो हम मजाक करते ही करते हैं, अध्यक्ष महोदय, मगर जिसने इसको पैदा किया, उसके साथ भी मजाक यह है। तो क्या उसके लिए हम ठोस कार्रवाई कुछ करेंगे कि भविष्य में ये चूहे नहीं खायें और कुएं में तो नहीं फेंका जाए कम से कम? आपके यहां अलवर में हुआ है, आपको भी प्रकरण पता होगा कि कुएं में हज़ारों बोरियां फेंक दी थीं।

इसके अलावा, जो गेहूं बांटा जा रहा है, उसकी गुणवत्ता हमारे विभाग के द्वारा सुनिश्चित कैसे की जाती है और आगे कैसे की जाएगी, यह बता दें मुझे। इतना-सा स्पेसिफिक बता दें।

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़ा गेहूं कुएं में फेंकने की जो समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय सदस्य ने बताया, उसकी हमने जांच कराई। जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से हमको जानकारी मिली और उसका अतारांकित प्रश्न हमारे शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल द्वारा भी लगाया हुआ है, उसका भी हमने जवाब भेज दिया है, तो इसमें जांच कराने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक क्रम में समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार ''गेहूं सड़ा तो कुएं में फेंक दिया गया, अलवर में एफ सी आई गोदाम का मामला'', के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, अलवर से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जाकर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।'

उसके बाद हमने जो जांच कराई, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 2014-15 में केवल भरतपुर से खरीदा गया गेहूं ही स्टाक में है। जबकि जो वहां पर कट्टे मिले उस पर हरियाणा एवं पंजाब से खरीदा गया गेहूं भारतीय खाद्य निगम के स्टाक में मौजूद नहीं था। तीसरा, जो हमने सभी संयुक्त जांच कराई है, हमारे विभाग के ई.आई. ने जांच की है; उसके बाद रामबाबू मीणा, क्षेत्रीय प्रबंधक ने जांच की है निगम से। उसके बाद यहां पर सारे इनके बयान लिये। वह गेहूं जो एफ सी आई में मिला था, वह हमारा गेहूं नहीं था। वह किसका गेहूं था, कहां था, इसको हमको जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। मैं पूछ रहा था कि हम क्या बाध्य हैं कि जो गेहूं हमें जैसा मिलेगा, सरकार वैसा गेहूं ही उठाये? गुणवत्ता कैसे नियंत्रण करेंगे आगे उसकी? क्या कार्ययोजना है?

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा। नहीं, नहीं, पहला पूरक प्रश्न। आप कर चुके हैं, दूसरों का भी नम्बर आने दीजिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम द्वारा जारी आदेश है उसमें कहा है कि खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत गेहूं का उठाव प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित ब्लाक स्टाक के गेँहूँ की गुणवत्ता की भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से जांच किया जाना सुनिश्चित है। गेहूं प्राप्त करते समय भारतीय खाद्य निगम अधिकारी तथा आपके द्वारा संयुक्त रूप से सैंपल लिए जाएं तथा आपके द्वारा सैंपल को सील किया जाकर एक सैंपल भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में तथा एक सैंपल आपके स्वयं के कार्यालय में रखा जाए। प्राप्त किए गए सैंपल के अनुरूप उचित मूल्य दुकानदार द्वारा भी राशन कार्ड जारी उपभोक्ताओं के लिए प्रति दर्शित करने हेतु एक सैंपल उचित मूल्य की दुकान में भी रखा जाए। परिवहन एवं भण्डारण के दौरान वितरण प्रक्रिया के

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

अन्तर्गत खाद्यान्न की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो, इसका ध्यान रखा जावे एवं सम्बन्धित को इस हेतु निर्देशित किया जाता है। अत: यह ध्यान रखा जाए कि किन्हीं भी परिस्थितियों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खराब गेंहूँ आपूर्ति नहीं की जावे तथा उपरोक्तानुसार प्रति माह आप द्वारा की गई कार्यवाही से निम्न मुख्यालयों को अवगत करायें। उसके बाद जब पी डी एस की दुकान में पहुंचता है तो शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता, उपभोक्ता-दो और सेवानिवृत्त अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, उपभोक्ता, सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक, सेवानिवृत अधिकारी, उपभोक्ता और पंच की उपस्थिति में वह गेहूं उतरता है।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि राज्य में बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को राशन निश्चित समयावधि में उपभोक्ता सप्ताह के तहत बांटा जाता है। इस कारण कई उपभोक्ता समय पर राशन सामग्री लेने से वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार उपभोक्ता सप्ताह अवधि को बढ़ाने का विचार रखती है?

श्री सभापति: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित प्रश्न तो नहीं है लेकिन मैं जवाब दे देता हूं कि उपभोक्ता पखवाड़ा हमारा 10 तारीख से और 24 तारीख तक है और जो उसमें पात्र व्यक्ति हैं, बी पी एल को 5 किलो प्रति व्यक्ति, अंत्योदय को 35 किलो प्रति यूनिट और अन्य पात्र व्यक्तियों को समान रूप से बांटा जाता है।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण मीणा। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह जानकारी चाहूंगा कि जिन राशन डीलरों को निलम्बित किया गया है और आज तक वे निलम्बित चल रहे हैं और उनकी जगह दूसरे पड़ोसी डीलरों को उसका राशन दिया गया है। उनके पास खुद के पास ही वक्त नहीं है। वे दूसरी पंचायतों में जाकर क्या राशन बांटेंगे? तो क्या आज तक उनकी कार्यवाही नहीं हुई, और कार्यवाही अगर हुई तो क्या कार्यवाही की गई? इसके बारे में थोड़ा-सा मंत्री महोदय बतायें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन डीलर की नियुक्ति एक कमेटी तय करती है उसके बाद राशन डीलर नियुक्त होता है और राशन डीलर की कोई भी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग उसके खिलाफ कार्यवाही करता है और नब्बे दिन की समय-सीमा है, उस समय-सीमा में या तो उसको डिस्पोजल करे या उसका चालान करे। नब्बे दिन तक, जिस तरह वहां की व्यवस्था के लिए सम्बन्धित, या तो जी एस एस प्राथमिकता है, उसके बाद जो सम्बन्धित पड़ोसी डीलर होगा, उसको देकर के उसका आबंटन कराने की व्यवस्था की जाती है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह। तीसरा पूरक प्रश्न। आपको नहीं करना क्या? आपने बटन तो दबाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जवाब आ गया, साहब।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, जवाब आ गया। तीसरा पूरक प्रश्न। श्री किशनाराम।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीलरों की अब नई नियुक्तियां होंगी, उसमें यह प्रक्रिया तय की गई है कि बी.ए. पास होना चाहिए। तो कई गांवों में, देहात में बी.ए. पास नहीं मिलते हैं। इसलिए उनके लिए आप क्या व्यवस्था करोगे, मंत्री महोदय? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया के कारण कई लोग वंचित नहीं रह जाएं। बी.ए. पास कई गांवों में मिलते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे जो डीलर नियुक्त किये जाएंगे, जिसकी विज्ञप्ति हमने 4,226 की, पूरे राजस्थान में जहां आवश्यकता है, उसकी निकाली है। उसके बाकायदा विभाग ने ला डिपार्टमेंट से भी और सबसे सम्पर्क करके अपने नियम बनाये हैं, उसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखी है, कम्प्यूटराइज्ड होना चाहिए, उसमें डिप्लोमा होना चाहिए, आदि-आदि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, वह विभाग के नियम की व्यवस्था है वह तो।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री प्रताप सिंह की जगह श्री कंवर लाल पूछेंगे। श्री कंवर लाल।

बारां जिले में बारां से अकलेरा के मध्य नेशनल हाइवे नं. 90 पर चल रहे कार्य

215. **श्री कंवर लाल** (मनोहरथाना) (श्री प्रतापसिंह (छबड़ा) के स्थान पर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बारां जिले में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 90 पर बारां से अकलेरा के मध्य वर्तमान में क्या-क्या कार्य चल रहे हैं एवं क्या-क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 90 पर बारां से अकलेरा के मध्य वर्तमान में राशि रुपये 149.35 करोड़ के 4 कार्य चल रहे हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है, एवं राशि रुपये 70.00 करोड़ के 4 कार्य प्रस्तावित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-1 ।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा पहला पूरक प्रश्न है। यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग 90 पर रोड बन रही है उस बीच में दो बड़ी पुलिया पड़ती हैं, एक तो ल्हासी नदी जिससे छबड़ा दो भागों में बंट जाता है, एक परवन नदी पर बहुत बड़ी पुलिया बनना आवश्यक है। दोनों पुलिया, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वे कब तक बनाने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एन एच का कार्य है और इसके जो भी प्रस्ताव हमारे पास आते हैं हम भारत सरकार को भेज देते हैं। प्रथम चरण का काम चल रहा है। द्वितीय चरण की स्वीकृतियां कल ही हमें मिली हैं। माननीय सदस्य ने आज दो प्रस्तावों की और बात कही है। इनके प्रस्ताव बनाकर के भी केन्द्र सरकार को हम भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न करेंगे?

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): हां।

श्री अध्यक्ष: कीजिये।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, एन एच 90

(श्री कंवर लाल)

का जो यह रोड बन रहा है, इसमें तीन-चार किलोमीटर फोरेस्ट की अनुमति के बिना यह रोड चालू कर दिया है। अभी तक वह रोड वहां पर अधूरा बना पड़ा है। उसके साथ-साथ बाइपास छीपाबड़ौद, कवाई, अकलेरा में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है, तो कब तक पूरी करेंगे? इसके बारे में भी जवाब देने की मंशा रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि तीन किलोमीटर फोरेस्ट की लैंड थी, उसमें वैसे काम तो कर दिया लेकिन तीन किलोमीटर का काम बाकी है क्योंकि वन विभाग ने इस कार्य को रुकवा दिया, लेकिन अभी हमें प्रारम्भिक अनुमति मिल गई है, इसको भी शीघ्र कर देंगे।

तीन बाइपास हैं, उनकी लैंड एक्वीजिशन का काम चल रहा है और उनकी स्वीकृति हमें मिली भी है। तो ज्यों लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही पूरी हो जाएगी, तो इस कार्य को जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न। श्री ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि अकलेरा एन एच 90 की तरह ही बारां जिले से एन एच 27...

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। आप इससे सम्बन्धित पूछिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां जिले का ही है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः नो, नो। अगला सवाल। सुश्री कीर्ति कुमारी।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): 90 और 27 एन एच, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः नहीं, बिलकुल नहीं। विराजिये। सवाल बिलकुल साफ है। आप विराजिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): एन एच 90 भी बारां से ही गुजरता है।

श्री अध्यक्षः अगला सवाल। सुश्री कीर्ति कुमारी।

प्रश्न संख्या-216

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

अगला सवाल। श्री प्रहलाद गुंजल।

प्रदेश में श्रमिकों के क्षतिपूर्ति के दर्ज प्रकरण

217. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत वर्ष 2005 से 31 जनवरी, 2015 तक कुल कितने श्रमिकों के मामले दर्ज किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितने श्रमिकों को मृत्यु होने के उपरांत तथा कितने श्रमिकों को स्थायी व अस्थायी रूप से अपंग होने पर राशि उपलब्ध करवाई गई? जिलेवार एवं वर्षवार मुआवजा राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में अब तक कितनी मुआवजा राशि नियोजकों से वसूल कर श्रमिकों को वितरित की गई? वर्षवार व जिलेवार वसूली गई राशि व वितरित की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दुर्घटना प्रकरणों के निस्तारण के लिए कितने आयुक्तों की नियुक्ति की गई है तथा इनके द्वारा कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया है? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त आयुक्तों के पास वर्तमान में कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत 2005 से 31 जनवरी, 2015 तक कुल 20,065 श्रमिकों के मामले दर्ज किये गये। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मृत्यु होने के उपरांत तथा स्थाई व अस्थायी रूप से अपंग होने के पश्चात् राशि प्राप्त करने वाले श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर तथा उन्हें उपलब्ध करवाई गई राशि का जिलेवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरण में नियोजकों से वसूली गई व श्रमिकों को वितरण की गई राशि का वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) उक्त दुर्घटना प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में श्रम विभाग के अधिकारी क्षतिपूर्ति आयुक्त नियुक्त हैं। नियुक्त आयुक्तों तथा उनके द्वारा निस्तारण किये गये प्रकरणों का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)
परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है। परिशिष्ट 'द' पर अंकित श्रम विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 सितम्बर, 2014 से जिला दौसा, झुंझुनूं, बून्दी, बारां, झालावाड़, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमन्द, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों एवं ब्यावर उपखण्ड के क्षेत्राधिकार में घटित दुर्घटनाओं के दावों का निस्तारण करने के लिए सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश) श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों को क्षतिपूर्ति आयुक्त नियुक्त किया गया है। अत: इन जिलों में विचाराधीन क्षतिपूर्ति दावों को सम्बन्धित माननीय न्यायालय को स्थानान्तरण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) आयुक्तों के पास विचाराधीन मामलों का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-1 ।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने परिशिष्ट 'अ' पर जवाब में यह स्वीकार किया है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत 2005 से 31 जनवरी, 2015 तक दर्ज कुल मामले 20,065 हैं। मुझे बहुत लम्बे-चौड़े सवाल नहीं करने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो सवाल पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: शार्ट में कर लीजिये आप। एक पहले, एक बाद में।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ये जो 20,065 मामले लम्बित हैं, इन 20,065 मामलों के अनुसंधान और चालान पेश करने का दायित्व श्रम निरीक्षक पर होता है। राजस्थान में 196 श्रम निरीक्षकों के पद स्वीकृत हैं और 157 रिक्त हैं। 197 स्वीकृत हैं और 157 रिक्त हैं। आप कैसे इस पेंडेंसी में इंवेस्टिगेशन करायेंगे? कैसे उनमें चालान होंगे? और कैसे ट्रायल होगी? आप इस अधिनियम के तहत प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित गति से न्याय मिले, इसके लिए ये रिक्तियां भरने का काम कब तक पूरा करने वाले हैं? और ये केवल श्रम निरीक्षक नहीं, श्रम कल्याण अधिकारी 33 में से 23 पद रिक्त हैं, सहायक श्रम आयुक्त 24 में से 17 पद रिक्त।

इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, जिनका दोनों का जवाब आ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो लिमिटेड संख्या है, ये अनुसंधान करके चालान देते हैं लेकिन चालान देने के बाद जब लेबर कोर्ट में ये मामले

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जाते हैं, आप हाई कोर्ट से डेपुटेशन पर लेबर कोर्ट में जज मांग लेते हो और हाई कोर्ट आपको जज दे भी देती है डेपुटेशन पर, लेकिन वे जज तब तक काम नहीं करते, जब तक राजस्थान सरकार अधिसूचना जारी करके काम करने की शक्तियां लेबर कोर्ट के जज को नहीं देती। यह अधिसूचना जारी होने में कई-कई बार प्रतिनियुक्ति के एक-एक साल तक का समय बीत जाता है। क्या आप ऐसी स्थायी व्यवस्था कायम करने वाले हैं; क्या हाई कोर्ट से आपने जज की प्रतिनियुक्ति पर लेबर कोर्ट में जज मांग और जोइनिंग के साथ उसको शक्तियां मिल जायं, ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था कायम करने वाले हैं? इसके बिना हम यह 20,065 मामलों में हजारों लोगों को न्याय नहीं दिला पायेंगे। और ये रिक्तियां भरने के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे केवल इतना पूछना है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो केसेज पेंडिंग बताये हैं, ये पेंडिंग नहीं हैं। 2005-15 तक कुल 20,065 प्रकरण हमारे दर्ज हुए और इसमें से 12,657 हमने निस्तारण कर दिये। पेंडेंसी केवल 7,408 की है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। दूसरा पूरक प्रश्न कर लेना।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): 7,408 प्रकरण हमारे बकाया हैं और उसमें भी 50 परसेंट केसेज तो एक साल की अवधि के ही हैं और 36 परसेंट दो साल के अन्दर-अन्दर के हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी जिले हैं उन जिलों में सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति आयुक्त की जो शक्तियां दी जाती हैं और उनको हम जिलों में लगाते हैं। वर्तमान में 21 विभागीय कमिश्नरों को हमने क्षतिपूर्ति आयुक्त की शक्तियां दी हुई हैं। जहां यह क्षतिपूर्ति आयुक्त का पांच साल का अनुभव नहीं होता और जिस जिले में ये उपलब्ध नहीं होते, वहां हम न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां देते हैं। 16 जिलों में अभी ये न्यायाधीश लगे हुए हैं। सब जिलों में हमारे न्यायाधीश और क्षतिपूर्ति आयुक्त लगे हुए हैं। हमारी जो निस्तारण की प्रक्रिया है, इसमें इनको जल्दी निपटाने के निर्देश भी दे दिये हैं।

यह सही है कि विभाग के पास अभी काफी कर्मचारियों की कमी है। आर पी एस सी के माध्यम से इनको भरने के लिये हमारे पास अधिसूचना आ गई है। 151 पद, हमारी प्रशासनिक सेवा की जो इस बार परीक्षा होगी, उसमें हमें ये 151 मिलेंगे लेकिन तब तक हमने विभागीय स्तर पर सब जिलों में अभी नियुक्ति कर रखी है और अभी तक मात्र 7,408 प्रकरण बकाया हैं। यह

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

थोड़े इसलिए बकाया हो जाते हैं कि कई बार क्षतिपूर्ति में हमारा दावा निवेशक के साथ सेटलमेंट हो जाता है, उसमें कौन आदमी उसका वारिस होगा, कई दफा यह तय करने में समय लग जाता है। लेकिन अभी तक सब जिलों में पूर्ण रूप से व्यवस्था है और जो पेंडेंसी है इसको भी हम समय-समय पर मीटिंगों में इंस्पेक्शन भी करते हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि इस पेंडेंसी को हम जल्दी खतम कर दें।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? वैसे तो विस्तार से जवाब आ गया।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बिलकुल। अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो टोटल पेंडेंसी हैं, वह माननीय मंत्री महोदय को गलत फैक्टस दिये गये हैं, 15,148 पेंडेंसी है जिसमें से 9,242 वे लोग हैं जो या तो मर गये हैं, अपाहिज हो गये हैं। यह इतनी पेंडेंसी, पिछले 20 साल में लगातार पेंडिंग चली आ रही है, यह आज तक की पेंडेंसी है। ये आंकड़े गलत हैं। विभाग की वेबसाइट पर जो डिटेल है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

दूसरा मुझे यह कहना है, मैंने पिछली बार भी कहा था, लेबर कोर्ट में जो आप डेपुटेशन पर जज मांगते हैं, जोइनिंग के साथ ही उनको काम करने की शक्तियां मिल जाएं, इसके लिये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर सकते क्या आप? आप अधिसूचना जारी करके, 6 महीने-साल भर तक तो आप उसको फोकट में तनख्वाह देते हो, बैठाये रखते हो, वह आपकी अधिसूचना के बिना काम ही नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सरकार की तरफ से हम नोटिफाई करते हैं कि इस कमिश्नर को और इस जज को हमने नियुक्त किया है, तो धारा 20 के तहत ये शक्तियां उसके पास चली जाती हैं और फिर वे उसका निस्तारण उसके हिसाब से करते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है, मुझे जो आंकड़े उपलब्ध कराये गये हैं, इसमें जिलेवार जो संख्या बताई गई है, उसके हिसाब से 7,408 ही पेंडिंग हैं, लेकिन अगर वेबसाइट पर आंकडों की कोई गलती होगी तो मैं इसको दिखवा लूंगा और अगर आंकड़ा गलत दिया गया है तो निश्चित तौर पर उसको दिखवाकर मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न। गोरधन प्रधान।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत सीकर जिले में अब तक कितने श्रमिकों को मृत्यु होने पर अथवा अपंग होने पर राशि उपलब्ध कराई गई है तथा अब तक कितने प्रकरण सीकर जिले में बकाया हैं और इनका कब तक निस्तारण करवा दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में 453 केस पेंडिंग हैं जिनमें 105 तो इसी साल के हैं और 131 को एक साल हो गया और 185 दो साल के ऊपर के हैं। कुल 453 पेंडेंसी सीकर जिले की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में...(व्यवधान) जो आंकड़े मेरे पास हैं इसके हिसाब से। मैं इनको भिजवा दूंगा क्योंकि सीकर जिले का पर्टिकुलर इसमें नहीं दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। दूसरा पूरक प्रश्न। श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया। वह ही जुडिशरी को शक्ति देने की बात थी, वह मंत्री महोदय ने बता दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में श्रमिकों के लिये बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जो श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हुए, या मर गये, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में उनको फायदा मिला है, या नहीं मिला? इन्होंने जो इंडेक्स दिया है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, या मौत हुई; उस ठेकेदार से पैसे लिये और दिये; सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का फायदा उस परिवार को मिला, या नहीं मिला?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ई एस आई एक्ट 1948 में जिन पर बीमे का प्रावधान लागू नहीं होता, उनके अलावा जितने भी दावे आते हैं, उन सारे दावों में हम अवार्ड जारी करते हैं। एक महीने में निवेशक अपनी राशि जमा करा देता है और जो राशि जमा होती है उसका 100 परसेंट केसेज में हम निस्तारण करते हैं। आज तक कुल 306.90 करोड़ राशि हमने वसूल की है और इसमें 280.58 करोड़ श्रमिकों को दावे के रूप में हमने दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपने क्या दिया?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): यह तो हमारा काम होता है, निवेशक को बुलाकर, उसको अवार्ड जारी करके, वह राशि...(व्यवधान) निवेशक से हमने 306.90 करोड़ राशि वसूली है और उसमें से 280.58 करोड़ हमने दावों के अन्दर वितरित किये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं की भवन व गोदाम-रहित ग्राम सेवा सहकारी समितियां

218. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां खुली हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में तथा क्या उन सभी के भवन व गोदाम उपलब्ध हैं? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौनसी ग्राम सेवा समितियां हैं जिनके पास भवन व गोदाम उपलब्ध नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौमूं में 37 ग्राम पंचायतों में से 23 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां खुली हुई हैं। इन 23 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 21 के पास भवन व गोदाम उपलब्ध हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां, गुढलिया व घिनौई के पास भवन व गोदाम उपलब्ध नहीं हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखे)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो शेष ग्राम पंचायतें रही हैं, वहां पर भी क्या जी एस एस खोलने का विचार रखते हैं?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके चौमूं में अभी 14 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। एक फतेहपुरा बांसा की प्रक्रियाधीन है, जल्दी से खुल जायेगी और 13 के भी नार्म्स पूरे होते ही उन पर भी खुलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का श्रम करेंगे कि जो जी एस एस के ऊपर गोदाम बने हुए हैं वहां भी आपने अतिरिक्त गोदाम स्वीकृत किये हैं? और अगर स्वीकृत किये हैं तो ऐसी कौनसी ग्राम पंचायत सहकारी समितियां हैं जहां पर अतिरिक्त गोदाम आपने स्वीकृत किये हैं?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, जो यह गोदाम स्वीकृत करने का था, इसके लिए चौमूं में अभी सिर्फ चीथवाड़ी में किया गया है और वह भी स्वीकृति अभी जारी हुई है। उसका निर्माण अभी चालू नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से..., आज आप तीनों में एक-पर बोलेंगे; श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शुभलक्ष्मी योजना का लाभ अस्पताल आते समय रास्ते में अथवा घर पर प्रसव होने वाली महिलाओं को भी देने के सम्बन्ध में;

2. श्री श्रवण कुमार एवं तीन..., यह बड़ा ध्यान से सुनना, यह बड़ा इम्पोर्टेंट है स्थगन प्रस्ताव; श्री श्रवण कुमार एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से झुन्झुनूं की पंचायत समिति बुहाणा के ग्राम भैसावता खुर्द में मातु राम नामक व्यक्ति द्वारा मुर्गी-पालन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

3. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

4. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से जिला परिषद जोधपुर द्वारा वर्ष 2013 में थर्ड ग्रेड टीचर्स के 1,317 पदों पर भर्ती हेतु निकाली गई विज्ञप्ति के पूर्ण पदों पर अध्यापकों की भर्ती की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में;

5. श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में डोडा-पोस्त का अवैध कारोबार और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से फिल्म की शूटिंग के लिए प्रदेश में जगह की अनुमति शीघ्र देकर राज्य में रोजगार एवं राजस्व में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में; एवं

7. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से रणथम्भौर नेशनल पार्क से बाघों के लापता होने का क्रम जारी रहने से ट्रैकिंग सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य म. रणधीर सिंह भीण्डर एवं डा. किरोड़ी लाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री भीमा भाई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

2. श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत के चिकित्सालयों में संसाधनों की कमी एवं चिकित्सक नर्सिंग एवं पैरा-मेडिकल के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बायतू में कवास से बायतू रेलवे स्टेशन के बीच पांच रेलवे समपार स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती अनिता कटारा, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के सागवाड़ा व आसपुर क्षेत्र को फ्लोराइडमुक्त पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

5. श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर के ओ पी डी में चिकित्सकों के नदारद रहने से मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

6. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से राजस्थान शहरी क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

विकास विनियोजन कार्यक्रम (R.U.S.D.I.P) के तृतीय चरण में उपखण्ड किशनगढ़ (अजमेर) को शामिल करने के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती राजकुमारी, सदस्या की ओर से हिण्डौन सरस डेयरी प्लांट को सवाई माधोपुर संघ से अलग कर दौसा संघ में जुड़वाने अथवा करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अलग से गठन करने के सम्बन्ध में।

8. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से जिला झुन्झुनूं में खेल विश्वविद्यालय की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

9. श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से आसीन्द स्थित सवाई भोज मंदिर में स्थापित हो रहे गौ अभयारण्य के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्या की ओर से कोटा के एम.बी.एस. चिकित्सालय में पी पी पी योजनान्तर्गत स्थापित सीटी स्कैन सेंटर द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने से मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

11. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में मार्च, 2012 से सितम्बर, 2013 के बीच ए.पी.एल. परिवारों को फोर्टिफाइड आटे की आपूर्ति में हुई अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में।

12. श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दौसा में पशु चिकित्सालय का नवीन भवन बनाने, कतिपय पशु उप केन्द्रों की स्थापना करने एवं पशु नस्ल सुधारने की ओर विशेष ध्यान देने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को शून्यकाल में बोलने हेतु 43 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं :-

1. माननीय सुखराम विश्नोई-प्रदेश में अलग-अलग तरह की फसल बोने वाले किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में;
2. श्री अर्जुन लाल जीनगर-हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़

(श्री अध्यक्ष)

के निजी गोसूंडा बांध की भराव क्षमता बढ़ाये जाने से हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में;

3. श्रीमती अलका सिंह-विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में; एवं

4. श्री फूलसिंह मीणा-विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। अभी बैठिए आप।

श्री रमेश (सपोटरा): स्थगन प्रस्ताव आपकी मर्जी, आपके सारे आदेश (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। यह नहीं। रोज यह नहीं हो सकता। एक-दो सदस्यों को दूंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): विधायक के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्हें बोलने का अवसर दिया...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): आप कह रहे हैं, स्थगन की क्या परिभाषा है? वह मुझे बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह आप देख लीजिए 50...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इतना बड़ा महत्व का विषय है।

श्री अध्यक्ष: 50 देख लीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने पढ़ रखा है, उस नियम को पढ़ रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 50 देख लीजिए। 50, प्रक्रिया का नियम 50 देख लीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): अफीम डोडा, नशे की लत के कारण...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां। नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: ये जितने बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई भी मेरी बिना अनुमति के इधर से बोलें, एक शब्द अंकित नहीं किया जाए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: इनकी आदत ही पड़ गई है। (व्यवधान) व्यवस्था का उल्लंघन करने की आदत ही पड़ गई है कुछ लोगों को। अंकित नहीं हो।

माननीय रणधीर सिंहजी भीण्डर, आप बोलिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में फिल्म-शूटिंग की अनुमति का सरलीकरण कर रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व में सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पूरे विश्व में जहां-जहां फिल्में बनती

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

हैं और जो फिल्म स्टार उनमें भाग लेते हैं, लोग उनके दीवाने होते हैं। जिस तरह हालीवुड प्रसिद्ध है, उसी तरह हमारा बालीवुड भी बहुत प्रसिद्ध है।

श्री अध्यक्ष: आपके हेरिटेज होटल में भी आये होंगे, डिनर में।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): किसी जमाने में देवानंद, राजकपूर और दिलीप कुमार के लोग दीवाने थे। फिर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के दीवाने हुए। (व्यवधान) मैं बताता हूं अभी।

श्री अध्यक्ष: समय का खयाल रखना।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): उसके बाद शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के अब दीवाने हो गये। लोग न केवल फिल्म स्टार्स की नकल करने लगे, बल्कि उनके जैसे कपड़े, परिधान भी पहनने लगे। महिलाओं में भी बहुत-सी स्टार थीं जिनको भी महिलाएं कापी करती हैं। (व्यवधान) मैं कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, आप विराजिए।

श्री अध्यक्ष: हलके में मत लीजिए। बहुत गम्भीर सवाल है।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में कई फोरैन फिल्मों की शूटिंग हुई जिनमें लाइफ आफ पाई, जेम्सबांड की ओक्टोपसी, फार पैवेलियंस, गाइड, लीडर, मेरा गांव मेरा देश, कच्चे हीरे, खोटे सिक्के, वगैरह की शूटिंग राजस्थान में हुई। महोदय, जिस जगह शूटिंग होती है वहां पर लोगों के हुजूम-के-हुजूम इकट्ठे हो जाते हैं, फिल्म की लोकप्रियता बढ़ती है। उससे आस पास के लोगों को रोजगार मिलता है।

यही नहीं, शूटिंग होने के बाद जब फिल्म रिलीज होती है तो उन दृश्यों को देखने के लिए भी लोग उन पर टूट पड़ते हैं। मुझे ध्यान है कि देवानंद ने उदयपुर के सिटी पैलेस में गाइड की शूटिंग की थी। तो सिटी पैलेस में आने वाला पर्यटक है, वह यह पूछता है कि देवानन्द ने कहां खड़े होकर उस मयूर के पास यह डायलाग बोला था, या सामोद इसलिए मशहूर हो गया कि फार पैवेलियंस की पूरी शूटिंग वहां पर हुई। आज भी लोग मेरे यहां होटल में जब आते हैं तो पूछते हैं, साहब, where is that place where shooting of Far Pavilions took place? और जब हम बताते हैं कि सामोद, तो वे कहते हैं कि मेरे को एक नाइट वहां की बुक करवा दो आप। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, अपने खींवसर में भी खूब शूटिंग हुई है। वह भी इसीलिए प्रसिद्ध हुआ। मेरे खुद के हेरिटेज होटल में सेलेब्रिटी, बिग ब्रदर की सेलेब्रिटी, जो जीत कर आई थी,

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

एक टी.एल.सी. की डाक्यूमेंट्री बनी, जिसमें एक शारलोट, जो उसकी हीरोइन थी, वह आई थी। तो मेरे होटल में जो लोग ठहरते हैं, वे कहते हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अपने नियमों में एवं प्रक्रिया में लिखा है, कोई भी माननीय सदस्य, नियम और प्रक्रिया में यह लिखा हुआ है कि कोई भी माननीय सदस्य अपने व्यवसाय के बारे में सदन में जिक्र नहीं करेगा, न उसके प्रोत्साहन के लिए करेगा, न उसके दूसरे विषय में करेगा।

श्री अध्यक्ष: यह रेफरेंस में आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, तो अपनी होटल का जिक्र कर रहे हैं ये।

श्री अध्यक्ष: यह रेफरेंस में आया है। इन्होंने अपनी होटल को प्रोपेगेट नहीं किया, रेफरेंस में आया है। इसलिए...(व्यवधान)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): रेफरेंस में बता रहा हूं। ये जो होटल में ठहरते हैं...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक इन्होंने किसी अभिनेत्री का नाम नहीं लिया, तब तक वे सुनते रहे। जब इन्होंने कहा कि अभिनेत्री मेरे यहां रुकी थी, इनको आब्जेक्शन हो गया।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, जिस कमरे में वह अभिनेत्री रुकी थी...

श्री अध्यक्ष: अब आप...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इतनी देर तो संसदीय कार्य मंत्री को हुआ है। अब जिस कमरे में अभिनेत्री रुकी, उसका वर्णन किया, तो खुद अध्यक्ष महोदय को एतराज हो जाएगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी तो जांच होनी चाहिए, किस कमरे में रुकी, क्यों रुकी, कितने दिन रुकी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अब आप खतम करो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इसकी जांच माननीय जोगारामजी से करवा ली जाये। ये बहुत अच्छी जांच करेंगे।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): पूरे वृत्तांत का हवाला दो। वर्णन करो आप तो।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, उससे क्या है कि उस जगह का क्रेज बढ़ जाता है।

राजस्थान में हम ज्यादा से ज्यादा शूटिंग को आमंत्रित करें, इसके लिए हमको प्रयास करने चाहिए। पिछली सरकार ने एक अध्यादेश निकाला था और एकल खिड़की योजना चालू की थी, टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था कि यहां एप्लाई करो, उसके बाद आपको एकमुश्त लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन निर्माता को करना यह पड़ता है कि कलक्टर के यहां एप्लाई करना पड़ता है, फिर आपके विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। पुलिस के एस.पी. से ले करके, एडिशनल एस.पी. से लेकर, थाने तक उसे जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये अब।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट नहीं। (व्यवधान)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन करोड़ रुपये...(व्यवधान) उनके वहां पर जो शूटिंग करते हैं उनको तीन करोड़ रुपये देते हैं।

श्री अध्यक्ष: बस तो आप...(व्यवधान) बस, अब विराजिये आप।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): उनके यहां के जो कलाकार काम करते हैं, उनको 25 लाख रुपये देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये। विराजिये। डा. किरोड़ी लालजी।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): हमारे को यह प्रोत्साहन करना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, और इसके लिए हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि एकल खिड़की योजना क्रियान्वित हो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वे विराज रहे हैं। डाक्टर किरोड़ी लालजी। विराज रहे हैं वे।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का...(व्यवधान) और यहां सदन का उसका सदुपयोग किया है। हम कह रहे हैं, किसानों के ओलावृष्टि हो गई चूरू जिले में। उस बात को अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। नहीं होगा अंकित।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बिलकुल अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: यह पक्षपात का...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: निकाल देंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: यह हालत है आपके इसकी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये. I will name you. (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको नाम लेकर बोलूंगा। (व्यवधान) मैं आपको नाम लेकर पुकारुंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

सदस्य का निष्कासन

रमेश, श्री, सदस्य का निष्कासन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, मैं नाम लेकर पुकारता हूं, रमेश को। उसको निकलने के लिए आदेश देता हूं, बाहर जाएं।

आधा घण्टे के लिये हाउस एडजोर्न किया जाता है।

मार्शल, इनको बाहर ले जाओ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.15 बजे, 12.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.45 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

आसन द्वारा किसी सदस्य को नाम से पुकारे जाने का प्रभाव

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा दायित्व है कि यह विधान सभा का सत्र ठीक ढंग से चले, विधान सभा की सीटिंग्स ठीक ढंग से चलें, मर्यादा में चलें और सभी सदस्य समान रुप से इस किताब में जो लिखा है, जिस तरह की मर्यादा है, उन मर्यादाओं का पालन करें।

मुझे मालूम है, शायद आपको लगा होगा कि मैं आज गुस्सा हुआ। गुस्सा आना स्वाभाविक है, जिस तरह का व्यवहार किया गया। पहले तो मेरे से पूछा गया कि 50 की परिभाषा बताओ, नियम 50 की। स्थगन प्रस्ताव की परिभाषा पूछी जा रही थी मेरे से। स्थगन प्रस्ताव की परिभाषा इसमें है और आज मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि अब स्थगन प्रस्ताव देने वाला प्रत्येक सदस्य इस रूल-50 को पढ़कर देगा तो उस पर मैं विचार करूंगा; बाकी, उसको फिर मुझे अस्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा।

माननीय सदस्यगण, ऐसे अवसर कई बार आते हैं। हमारी लोक सभा है, लोक सभा में तो ऐसे लोगों के लिए आटोमेटिक सस्पेंशन का प्रावधान किया गया। मैं आपको यह इसलिए सुनाना चाहता हूं कि कोई यह नहीं समझ लें कि आसन कुछ नहीं कर सकता। जहां तक विधान सभा चलाने का सवाल है और जहां तक इस सदन में कार्यवाही का सवाल है, हमारी जो परम्पराएं और हमारे जो नियम, उप-नियम बने हुए हैं, वे सब स्पीकर को सबसे

(श्री अध्यक्ष)

शक्तिशाली और सबसे ज्यादा अधिकार दिये हुए हैं और इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इस विधान सभा को चौराहे का मंच नहीं बनने दूंगा।

कुछ लोगों की आदत-सी पड़ गयी है चौराहे का मंच बनाने की, जब चाहे तब बोल लें, जैसे चाहे वैसे बोल लें, और कहें कि आप क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा कि भाई, बैठ जाओ। 'क्या कर सकते हो?' तो भाई, मैंने आज इनको बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। यह आप सबके ध्यान में रहना चाहिए; आइंदा इस तरह की बात उठे तो सबके ध्यान में रहना चाहिए।

मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का, लोक सभा का एक नियम पढ़कर सुना रहा हूं, वह आप ध्यान रखें। आटोमैटिक सस्पेंशन आफ ए मेम्बर, लोक सभा की नियमावली का है- 374 (ए) Automatical suspension of a Member. 374(A). Notwithstanding anything contained in Rules 373 and 374, in the event of grave disorder occasioned by a Member coming into the well of the House or abusing the Rules of the House, persistently and wilfully obstructing its business by shouting slogans or otherwise, such a Member shall, on being named by the Speaker, stand automatically suspended…" 'stand automatically suspended.' "…from the services of the House for 5 consecutive sittings or the remainder of the session, whichever is less:

Provided that the House may at any time, on a motion being made, resolve that such suspension be terminated."

यह मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ा है कि लोक सभा में भी ऐसे लोग पहुंच जाते हैं और जब पहुंचते हैं तो वहां जब कुछ करते हैं, तो वहां पर धीरे-धीरे यह 374 (ए) जोड़ा गया है। आखिर कुछ तो इलाज हो न। सो नेम करते ही आटोमेटिक सस्पेंशन है और उसके बाद मार्शल उठाकर बाहर फेंक देता है। तो यह स्थिति हमारे यहां पर नहीं आए, यह मैं चाहूंगा।

मुझे अफसोस है कि आज यह स्थिति आई लेकिन जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह से मैंने कहा कि बैठ जाओ, 'नहीं, बैठता हूं, जाओ, क्या कर लोगे?' तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, क्या कर लूंगा। है न इसमें करने का। और इसलिए सब इस बात की चेतावनी लें कि इस सदन को चौराहा का मंच नहीं बनने दूंगा। कुछ लोगों की आदत-सी पड़ गयी है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मर्यादा से काम करें, ठीक ढंग से काम करें और हमारी विधान सभा की अगली कार्यवाही कराएं।

माननीय श्री...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय।

सदस्य का निष्कासन

रमेश, श्री सदस्य का निष्कासन

श्री अध्यक्ष: आप बोलेंगे? हां।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ हुआ, बहुत खेदजनक हुआ। काफी लोग यहां पर ओलावृष्टि, अपने जो हाउस का ब्रेक था, उस दौरान जो ओलावृष्टि हुई है, पहले भी नुकसान हुआ था और पुन: नुकसान हुआ है, कुछ लोग इस मामले को उठा रहे थे। ओलावृष्टि से किसानों की फसल बहुत की क्षति हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, यह नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? बिना मेरी परमिशन के हर कोई बोल लेगा क्या? आप सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, ओलावृष्टि हुई तो उसके तरीके हैं। केवल ओलावृष्टि का नाम लेकर आप इनडिसिप्लिन पैदा करना चाहते हैं। यह विषय नहीं है। विषय यह है कि आप अपने मेम्बर के कंडक्ट के बारे में कहिये, क्या कहना है, अगर कहना चाहते हैं तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं बिलकुल कह रहा हूं, श्रीमान्। मैं बिलकुल कह रहा हूं। आप चिन्ता न करें। मैं आपके मन की बात कहूंगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: मिठाई खिलाओगे? लड्डू खिलाओगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आज आपकी हमारे ऊपर कृपा कुछ कम है, मैं यह कहूंगा। प्रतिपक्ष के प्रति आपकी आज कृपा नहीं है। और यह भी मैं, अध्यक्ष महोदय, गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं कि प्रतिपक्ष को आसन का प्रोटेक्शन चाहिये। अब बिना आसन के प्रोटेक्शन के प्रतिपक्ष अपना दायित्व भली-भांति निर्वहन नहीं कर सकेगा। यह भी निश्चित है। कभी-कभी आपको लीनियेंसी भी बरतनी पड़ेगी।

ये दो मुद्दे ऐसे उठे थे यहां पर, मैंने पहले ही कहा कि बहुत खेदजनक है, मैं खुद इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे ईमानदारी की बात कह रहा हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कई अवसर ऐसे आते हैं जहां पर ये अहम मुद्दे होते हैं, ये फिर स्थगन प्रस्ताव के जरिये तुरन्त उठाना चाहते हैं। एक सदन की परम्परा पड़ी है कि स्थगन रद्द होने के बावजूद भी आप दो मिनट का मौका देते हैं। दो मिनट की जगह कई दफा तीन मिनट बोल लेते हैं, चार मिनट बोल लेते हैं।

यहां पर कुछ सदस्य ओलावृष्टि की भी बात कर रहे थे; डोडा-पोस्त

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की बढ़ी हुई कीमतों की बात कर रहे थे कि डोडा-पोस्त की कीमत सरकार ने तय की है, उससे छह गुने ज्यादा पर डोडा-पोस्त बिक रहा है। उसका लोगों के ऊपर उलटा असर पड़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, ये जो मुद्दे उठे, वे स्थगन के जरिये उठाये थे, लेकिन आपने अलाउ नहीं किया।

मेरा तो आपसे नम्र निवेदन है, विद फोल्डेड हैण्ड्स मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष के प्रति कृपया आप, श्रीमान्...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप फोल्डेड हैण्ड्स, तो मैं भी फोल्डेड हैण्ड्स कर लेता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्रतिपक्ष के प्रति आपका उदार रवैया रहना चाहिये, यह मेरी आपसे अपील है, यह मेरी आपसे दरख्वास्त है।

श्री अध्यक्ष: आसन अपमानित हो, वह भी बरदाश्त करना चाहिये? इस पर भी जवाब दे दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 307 की ओर दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने अभी बात तो पूरी की ही नहीं। मैंने अपनी बात पूरी की नहीं है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किताब पढ़ रहे हैं। किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखिये, श्रीमान् जी, हाउस में कुछ परम्पराएं पड़ी हैं जब इन किताब से अलग हटकर, परे हटकर, क्योंकि इस सदन के अन्दर अध्यक्ष के अधिकार असीमित हैं, he can relax the rules also. मैं उस रिलेक्सेशन की बात कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय आपसे, आप रूल्स को रिलेक्स भी कर सकते हैं। ऐसी विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं, तब आप रिलेक्स भी कर सकते हैं और आपका उदार रवैया भी रहता है।

मैं तो आपसे पुन: अपील करूंगा, कृपया अपनी उदारता को, आसन की उदारता को, गरिमा को हम भी कायम रखना चाहते हैं, और आप हमारे प्रति उदार रवैया रखें जिससे हम जन हित के मुद्दे, और अब सदन ही सात-आठ दिन का रह गया है, हम जन हित के मुद्दे उठा सकें। यही मेरा आपसे निवेदन है। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, यह हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग रहेगा, आपके आदेशों की पालना होगी, लेकिन साथ-साथ आपका रवैया प्रतिपक्ष के प्रति उदार रहे, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने वह सारी बात कह दी, जिसके लिए नियम और प्रक्रियाओं के नियम 307 में आपको असीमित अधिकार दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ''संसदीय पद्धति और प्रक्रिया'' कौल एण्ड शकधर, उसके पृष्ठ 140 की तरफ दिलाना चाहूंगा। उसमें लिखा है ''मूल प्रस्ताव के सिवाय अध्यक्ष के विनिर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती।'' जो सदस्य अध्यक्ष के विनिर्णय का विरोध प्रकट करता है, वह सभा और अध्यक्ष की अवमानना का दोषी है। अध्यक्ष का निर्णय बराबर बाध्यकारी है, चाहे वह सभा में दिया गया हो और चाहे वेश्म में दिया गया हो।

अध्यक्ष महोदय, ''अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों'' में पृष्ठ 907, ''जिस स्थगन पर अध्यक्ष ने अपनी सहमति न दी हो, उसके बारे में कुछ भी चर्चा इस सदन में नहीं की जा सकती।''

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार और भी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर आपके संरक्षण में यह विधान सभा और यह सदन चल रहा है। हम सबका कर्तव्य है कि हम आसन के निर्णय को शिरोधार्य करें। पर, अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार माननीय सदस्य अपनी उस परिधि, अपनी उस सीमा से बाहर चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुद बुरा लग रहा था, जब वे आसन की तरफ अंगुली करके यह कह रहे थे कि वेश्म में आओ। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं हो तो अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष को सत्ता पक्ष की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पहली बार हुआ है, प्रतिपक्ष ने कार्य सलाहकार समिति में जो बातें उठाईं, हमने अक्षरश: माना। आपने निर्देश दिये कि पिछले कई वर्षों से बिजली पर चर्चा नहीं हुई। बिजली पर, अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग मोशंस से, 50 के स्थगन से, पर्ची से, कई बार माननीय मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं। परन्तु हम कुछ चीज छुपाना नहीं चाहते; जो स्थिति है, राजस्थान के अवाम को इस सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं। आपने खुद ने कहा था कि कई वर्षों से प्राइवेट मेम्बर्स डे नहीं हुआ; आपने कल प्राइवेट मेम्बर्स डे के अन्दर पांच संकल्प लिस्ट कर रखे हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आपका निर्णय शिरोधार्य है और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आओ, हम सब मिलकर चर्चा करें। हमारे एक बहुत बड़े समाचार पत्र ने कल-परसों ही उसकी बहुत बड़ी न्यूज लगाई फ्रंट पेज पर कि इस बार राजस्थान विधान सभा बड़ी लय में चली, अच्छी चली, तर्कों के आधार पर चली। मैं समझता हूं, वही उसी प्रकार का वातावरण बना रहे।

और अध्यक्ष महोदय, निर्णय आपका है और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने माननीय सदस्य को प्रताड़ित करें और हमारी तरफ से भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई भी माननीय सदस्य भावुकता में कोई बात कहेगा, हम उसको कहेंगे कि इस प्रकार से उस अधिकार की परिधि को लांघने की चेष्टा नहीं करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बहस है, अगर प्रतिपक्ष अनुमति दे, आसन अनुमति दे, तो इसको आगे बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्षः श्री किरोड़ीलाल मीणा। आप बैठिये। किरोड़ी लाल मीणा बोलेंगे स्थगन प्रस्ताव पर।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न था, अगर आपकी अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्षः बोलिये, क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगाकर, आपसे अनुमति चाहते हुए, निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजाखेड़ा से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से निवेदन किया कि हम पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी लोग हमारी बात रखने के लिए यहां आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले हमारे क्षेत्र में गोली मारकर जो घटना हुई, उसको रखना चाहा, उसके लिए आसन से हमें अनुमति नहीं हुई। पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से हमने निवेदन करना चाहा, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से निवेदन करना चाहा, अनुमति नहीं हुई। आज हमारे विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, किसानों...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नहीं, बैठिये आप।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उसके लिए अनुमति नहीं दी। उसके बाद शिक्षा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप कृपा करके विराजिए। आप कृपा करके विराजिए। आप पाइंट आफ आर्डर के आधार पर इस तरह विषय नहीं रख सकते। बैठिये आप। यह पाइंट आफ आर्डर, there is no point of order. डा. किरोड़ी लाल मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रणथम्भौर नेशनल पार्क से बाघों के लापता होने का जारी क्रम

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, रणथम्भौर का नेशनल पार्क बहुत बड़ा नेशनल पार्क है और अपने आप में विश्व प्रसिद्ध स्थान है। उसके, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टाइगर्स हैं, वे बराबर लापता हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(12.58 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, चिन्ता का विषय यह है कि पिछले पांच-छह महीने में पांच बाघ गायब हो गये और इसमें जो इनका ट्रैकिंग सिस्टम है, वह सवालों के घेरे में है। सम्बन्धित अफसर कुछ माह पहले तो इन टाइगर्स के पगमार्क मिलने की बात कहते थे, लेकिन अब स्वीकार करते हैं कि लम्बे समय से ये टाइगर हैं नहीं। और टाइगर कौन-कौनसे हैं, टी-47, जो मोहन नाम से चर्चित है; टी-48-फीमेल; टी-55-मेल; टी-64-मेल; टी-65-मेल, टी-67 व टी-68, टी-41-मादा एडल्ट, ये गायब हैं।

लापता होने की वजह, माननीय सभापति महोदय, जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों का सोचना ऐसा है कि इनकी मानिटरिंग सवाई माधोपुर के बजाय जयपुर मुख्यालय पर एक अलग सैल बनाकर करनी चाहिए और वह मानिटरिंग भी रेगुलर होनी चाहिए, जो मानिटरिंग रेगुलर नहीं हो रही। बाघों

(13.00 बजे)

की कमजोर मानिटरिंग, वन विभाग के बड़े अफसरों की रणथम्भौर व बाघों पर कमजोर पकड़, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाघों के साथ अनहोनी के पुराने मामलों में कोई कार्यवाही नहीं। जो पहले पोचिंग हुई, बड़ी संख्या में मारे गये, उसमें कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण, हो सकता है, कहीं इनका शिकार किया जा रहा हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: डाक्टर साहब, इन लोगों को निर्भय किसने बनाया?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पार्डन?

श्री सभापति: इन पर कार्यवाही नहीं हो, निर्भय किसने बनाया?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): निर्भय?

सरकारी स्तर पर रणथम्भौर से अलग बाघों की मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सम्बन्धित अफसरों का ट्यूरिज्म पर ही ज्यादा फोकस है। बढ़े हुए नये बाघों को पार्क में जगह की कमी, ऐसे कुछ आठ-दस पाइंट हैं जिनके कारण इनके लापता होने की घटनाएं ज्यादा घटती जा रही हैं।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, यह मामला बहुत गम्भीर है कि पांच-पांच, छह-छह टाइगर गायब हो जाएं और सरकार मौन रहे, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करे। यह चिंताजनक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आखिर में ये पांच टाइगर हैं कहां? इनकी लोकेशन वन विभाग के पास है नहीं। वन विभाग के अधिकारी यह कह रहे हैं कि रि-एडजस्टमेंट के चक्कर में ये इधर-उधर गये हुए हैं। मध्य प्रदेश गये, कहां गये? कहीं जाने का कोई अता-पता अधिकारियों को नहीं है। इसलिए यह गम्भीर प्रकरण है और इस गम्भीर प्रकरण की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाघों की लोकेशन ली जाए, कहां हैं, गायब हो गये, या पोचिंग हो गयी? स्थिति क्लीयर की जाए।

श्री सभापति: मंत्रीजी, रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): हां।

श्री सभापति: करिये।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने रणथम्भौर में जो पांच बाघ लापता होने की चिंता प्रकट की है...

श्री सभापति: सदस्यगणों को सम्बोधित नहीं किया जाता है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय सभापतिजी, अभी जो पांच बाघों के लापता होने की चिंता प्रकट की है वह वास्तव में महत्वपूर्ण बात है। आज हमारे लिए रणथम्भौर बहुत ही गौरव का विषय है कि आज इतिहास में अगर सबसे ज्यादा बाघों की स्थिति है तो वह पहली बार रणथम्भौर में है।

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व का जो भी गणना का, ट्रैकिंग का सिस्टम है, यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, देहरादून के पथ-प्रदर्शन में, दिशा-निर्देशन में होता है और उसमें कैमरा ट्रैप पद्धति ज्यादा चलती है। अभी मई-जून, 2014 में हमारी सरकार आने के बाद में हमने उसकी गणना करवायी थी, उसमें 21 फिमेल और 22 मेल टाइगर्स गणना में आये थे और उसमें 16 छोटे शावक थे। उसमें

(श्री राज कुमार रिणवां)
एक शावक पीछे में बाघों की आपसी लड़ाई में खतम हो गया था। उसकी भी तत्काल सूचना आ गयी थी, पूरी जानकारी हमने ली।

सम्माननीय, अभयारण्य का मतलब अभी आप बता रहे थे कि इनको अभय किसने किया? तो इसका मतलब ही अभय पक्षी आरण्य है, मतलब जहां बिना भय जंगल में कहीं घूम सकें, उसको अभयारण्य कहते हैं। तो ये वन्य जीव हैं ये कहीं भी जा सकते हैं। अब आप बताइये कि 1700 स्क्वायर किलोमीटर का रणथम्भौर का क्षेत्र है। तो इनके अलग-अलग हैबिटेट्स होते हैं रहने के लिए। कई बार आपस की प्रतिद्वंदिता से, संघर्ष से यह चेंज भी होते हैं। एक-दो बार मध्य प्रदेश भी चले गये हैं। अभी हमारी जानकारी में आया है कि दो बाघ हैं वे कैला देवी के यहां भी उस वन के अन्दर गये। पूरी रिपोर्ट तो नहीं मिली है, एक के पद चिन्ह हैं, बाकी कुछ ग्रामीणों ने बताया इस तरह का। तो हम उसकी पूरी मानिटरिंग कर रहे हैं।

हमारे लिए तो यह सबसे बड़ी बात है कि यह शौर्य का, शक्ति का प्रतीक होता है। हम तो यह भी मानते हैं कि यह भगवती का स्वरूप भी होता है। अगर यह लापता होता है...

श्री सभापति: बाघ नहीं होता, शेर होता है, माननीय मंत्रीजी। शेर होता है, बाघ नहीं होता है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): शेर, बाघ एक ही मानते हैं इसको।

श्री सभापति: नहीं, एक नहीं है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अच्छा।

मई-जून में दो महीने कम से कम इसकी गणना करने में लगते हैं। कितने ही पेड़ों के कैमरे लगाने पड़ते हैं, ट्रैकिंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा स्टाफ को लेना पड़ता है, तब दो महीने में जाकर होता है। पिछली बार भी हमने जो बाघ संरक्षण कार्यालय है देहरादून में, उसमें उसकी सूचना दे दी थी 21 और 22 की और 16 शावकों की। अभी मई-जून के लिए तो तैयारी हो ही रही है।

सम्माननीय सदस्य ने हमें कहा है कि इसकी मानिटरिंग जो रणथम्भौर में अधिकारी बैठे हैं वे कम कर रहे हैं, यहां जयपुर से होनी चाहिए। तो हम जयपुर के अन्दर इसकी व्यवस्था करवाएंगे। यह भी ठीक है।

रणथम्भौर जो हमारा एक गौरवपूर्ण स्थान है, आज लाखों पर्यटक वहां आते हैं और वहां पर इतना ज्यादा वज़न बढ़ गया है पर्यटकों का। तो उसके

(श्री राज कुमार रिणवां)

लिए आमली में एक दूसरी बाघ परियोजना बना रहे हैं ताकि कुछ उसका वज़न उधर जा सके।

निश्चित रूप से बाघ हमारे लिए बहुत गौरव का, शौर्य और शक्ति का प्रतीक है। तो हम निश्चित रूप से पूरी चेष्टा करेंगे कि वे कहां गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी को सुनें।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): उसके लिए एक मानिटरिंग टीम बनाकर और हम जल्दी से जल्दी उन बाघों का पता लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। मई-जून में तो वैसे भी दो महीने पूरी चेष्टा होती है, तब उसका होता है। तो जल्दी से जल्दी उनका पता करके, कोई पग-मार्क मिलें, और मिलें, बाकी गये हैं। कई बार उनका इतिहास देखते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश गये हैं, कभी बूंदी चले गये, कभी कैला देवी आ जाते हैं और जगह भी बदली जाती है। 1,700 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसमें एकदम तुरन्त ही पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम इसकी जल्दी से जल्दी जानकारी करके आपको बताएंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने मुझे यह भी कहा था कि किरोड़ी लालजी को यह कहें कि बाघों की समझाइश के लिए, अगर आप उनसे जाकर यह कहें कि वे इधर-उधर नहीं जाएं, यही रहें। तो आप समझाइश कर सकते हैं। क्योंकि आपका वहां बड़ा निकट का सम्बन्ध है उन बाघों से।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, फिर तो टाइगर भी घास ही खायेगा, या दाल-बाटी खायेगा, और कुछ नहीं करेगा।

श्री सभापति: धन्यवाद आप सब को।

आज बिजली पर भी चर्चा है और वह भी है। तो प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, अगर सदन का आदेश हो तो उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: हां, साहब, मान लो।

श्री सभापति: पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

पर्ची के माध्यम से। श्री सुखरामजी विश्नोई।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे में भेद

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति जी, पिछले दिनों में बे-मौसमी बरसात से पूरे प्रदेश में फसलें खराब हुई हैं। मैं आपके मार्फत माननीय आपदा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेषकर जहां जीरे, इसबग़ोल की खेती होती है उन जिलों में और उन काश्तकारों में, उदाहरण के लिए एक किसान ने दो हैक्टेयर जीरा बोया और दो हैक्टेयर इसबग़ोल बोया और 50 परसेंट से ज्यादा वह खराब हो गया, उनका खराबा लिस्ट में नाम डाल दिया गया और जिन किसानों के पांच हैक्टेयर जमीन थी, एक हेक्टेयर में गेहूं बोये, एक हैक्टेयर में रायड़ा बोया, एक हैक्टेयर में अरंडी की खेती की, एक में जीरे की खेती की और एक में इसबग़ोल की खेती की और जीरा और इसबग़ोल 70 परसेंट खराबा हो गया परन्तु गेहूं, रायड़ा, अरंडी में पांच-पांच, दस-दस परसेंट खराबा हुआ, एग्रीगेट खराबा 50 से कम आया, इसलिए, माननीय मंत्रीजी, उस किसान का उस खराबे की लिस्ट में नाम नहीं डाला।

मेरे सांचौर विधान सभा क्षेत्र से जो लिस्ट तहसीलदार ने तैयार की है, मैं आपको दिखाऊं कि पंचायत, तहसील के अन्दर जो 50 परसेंट से कम खराबे के गांव हैं उन गांवों को दर्शाया गया है। वे 50 परसेंट से कम इसलिए आ गये कि किसान ने जीरे की खेती दो हैक्टेयर में की और अरंडी की, रायड़े की खेती दस हैक्टेयर में की, परन्तु पास के किसान ने पांच हैक्टेयर में जीरा बोया और अरंडी और गेहूं की खेती नहीं की, उसका जीरा 60 परसेंट खराब हो गया। उस पास के खेत के किसान का भी 60 परसेंट जीरा खराब हो गया परन्तु उस किसान ने साथ में अरंडी, गेहूं और रायड़ा की खेती की, उसमें खराबा कम हुआ। इसलिए एग्रीगेट औसत खराबा कम दर्ज होने से वे गांव 50 परसेंट से कम खराबे में आ गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में जिस तरह से सर्वे किया गया है वह ही सर्वे का आधार पूरे राजस्थान में रहा है। पूरे सांचौर उपखण्ड के अन्दर केवल-मात्र 311 किसानों को चयनित किया गया है। 311 किसानों को चयनित करने का जो आधार रखा है, वह आधार मैं एक पर्टिकुलर गांव की बात करूंगा। जैसे सीमांत काश्तकार है, सीमांत काश्तकार पूरे तहसील में 178, लघु कृषक 72 और अन्य

(श्री सुखराम विश्नोई)

कृषक 61; 311 ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो मापदण्ड रखा गया है सर्वे का...

श्री सभापति: इस बार ऊंट को तो अपन ने बहुत बड़ी राहत दे दी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): साहब, कौनसी?

श्री सभापति: ऊंट का बिल पास करके बहुत बड़ी राहत दी अपन ने ऊंट को। आपने ऊंट के मुंह में जीरा बताया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले भी सदन में माननीय आपदा मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि हम एक खेत को यूनिट मानेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपदा मंत्री नहीं हैं, वे आपदा राहत मंत्री हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह से आश्वासन दिया था कि एक खेत को यूनिट मानेंगे, खेत को यूनिट मानकर के हम किसानों को राहत प्रदान करेंगे, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उस सर्वे रिपोर्ट में केवल मात्र मेरी 2 तहसीलों में, 2 उपखण्डों में सांचौर में 311 और 210, कुल सवा-500 किसानों को ही आपदा राहत के तहत 16 लाख रुपये दिये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि कल फिर बरसात हो गयी, कल फिर ओले पड़े। यह बार-बार आपदा आ रही है। जो खेत की यूनिट मानी जा रही है, उसको यूनिट माना जाकर के, किसी किसान ने चाहे 1 हैक्टेयर में जीरा बोया है, 1 बीघे में जीरा बोया है, चाहे इसबग़ोल बोयी है, उसका 80 परसेंट खराबा हुआ है। पास के किसान ने केवल मात्र इसबग़ोल और जीरे की खेती की है, उसको जो अनुदान मिल रहा है, उसको जो आपदा प्रबंधन से मिल रहा है, कम से कम 1 हैक्टेयर के किसान को भी अनुदान मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि दोबारा सर्वे रिपोर्ट मंगाई जाये ताकि जिन किसानों के जीरा और रायड़ा, चाहे आधा बीघा ही खराबा हुआ है, चाहे 1 हैक्टेयर खराबा हुआ हो, उनको भी उनके अनुपात में मुआवजा दिया जाये। धन्यवाद।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, एक सैकण्ड, बस। एक मिनट। एक मिनट।

श्री सभापति: आप सुनो तो सही।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां।

श्री सभापति: मंत्रीजी के बोलने के बाद आप एक-दो...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वह इसी में इनक्लूड हो जायेगा। कल बहुत जबरदस्त ओले पड़े हैं। हमारे बहरोड़ में सारी फसलें चौपट हो गयी हैं। इतनी बारिश हुई है कि किसी तरह की कोई फसल बची नहीं है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, मेरा भी पर्ची के माध्यम से यही विषय है। अगर मैं भी बोल दूं तो एक साथ जवाब दे दें मंत्रीजी।

श्री सभापति: दो एक साथ नहीं बोलते। आप विराजें।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मेरा भी पर्ची के माध्यम से यही इश्यू है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं माननीय आपदा राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक तो आपके पास पुरानी रिपोर्ट थी। अब कल इतने जबरदस्त ओले पड़े हैं अलवर जिले में, बहरोड़ में तो खासकर कुछ भी नहीं बचा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से यही कह रहा था कि अलवर जिले में...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): फसल इतनी बरबाद हो गयी है कि...(व्यवधान) 6 महीने का बिल माफ किया जाये।

श्री सभापति: दो माननीय सदस्य एक साथ नहीं बोलते। (व्यवधान) आप बैठिये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): टोटल दुबारा तुरन्त प्रभाव से सर्वे अलवर जिले का कराया जाये। बहरोड़ में तो कुछ बचा ही नहीं है। यह आपसे निवेदन है मेरा।

श्री सभापति: एक मिनट। माननीय सदस्य, एक मिनट। आप एक बार सब विराज जाएं। देखिये, माननीय सदस्य जो चिंता प्रकट कर रहे हैं अपने-अपने क्षेत्र की और यह बिलकुल ठीक बात है, लेकिन नियम यह है कि पर्ची से इन्होंने प्रश्न उठाया है, माननीय मंत्रीजी जवाब दे देते हैं। जवाब के बाद में आपको कोई क्वेरी करनी हो एक-दो, तो प्रश्न पूछने के लिए मैं अलाउ कर दूंगा। अब इसको जनरल डिबेट का विषय नहीं बनायें। इसलिए पहले मंत्री जी अपना जवाब दे दें, उसके बाद में इनको दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या की भी इसी विषय पर पर्ची निकली है। अब एक साथ ही जवाब आ जाएगा।

श्री सभापति: आप बोलिए। वह साथ आ जायेगा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): धन्यवाद, सभापति महोदय।

कल शाम को 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में अंधड़ और भारी बारिश हुई है और नींबू के आकार के ओले गिरे हैं। किसान बड़े आराम से था कि एक बार ओलावृष्टि हो गयी है तो शायद प्रकृति की मार दुबारा नहीं होगी लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि पूर्वी क्षेत्र में बहुत बड़े-बड़े ओले गिरे हैं। जो फसल काटकर किसान ने रख रखी थी खेत पर, वह पूरी नष्ट हो गई है। फसल पककर तैयार थी, उसको काटना था, वह पूरी नष्ट हो गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव बड़ियाल, बेदाड़ी, नूरपुर, राजाहेड़ा, गुढा आशिकपुरा, लीलौच और अलवर से सटा हुआ जो क्षेत्र है, वहां किसान की फसल बिलकुल बरबाद हो चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपदा राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि अभी जो केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जा रही है इस खराबे के सम्बन्ध में, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो खराबा हुआ है, उसको भी इनक्लूड कर लिया जाए। तब तक जो राज्य सरकार ने पैकेज घोषित किया है आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए, वह पैकेज भी इन पंचायतों में दिया जाए, क्योंकि किसान पूरी तरह से बरबाद हो चुका है, फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं टेबल भी करूंगी। जिस आकार के ओले वहां गिरे हैं, किसान के पास कुछ भी नहीं बचा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपदा राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और तुरन्त कोई पैकेज घोषित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मलिंगाजी। एक-एक मिनट केवल अपने क्षेत्र की बात कहेंगे। सबका साथ दे दो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, जैसे कि कल और परसों के दिन, दो दिन से प्रदेश के अन्दर रोजाना कहीं न कहीं बारिश हो रही है।

एक माननीय सदस्य: आप अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पूरे प्रदेश की बात करेंगे। केवल एक विधान सभा से ही आये हैं क्या? आपसे पूछकर के ही बात करेंगे कि हम कहां की बात करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि कल रात को करीबन 8 बजे के आसपास बारिश आई, ओले भी गिरे, बिजली भी गिरी। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सेपऊ तहसील में एक व्यक्ति की मौत भी बिजली से हो गई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की मौत हुई, उसके लिए 5-6 लाख की घोषणा करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी करें हाथों-हाथ।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सर्वे हुआ, उसको दुबारा वापस पूरे प्रदेश के अन्दर कराया जाए। कहीं ओले कल गिरे हैं, कहीं परसों गिरे हैं, आये दिन रोजाना। अभी पेपर में भी दिया है कि मौसम विभाग के अनुसार अभी 36 घंटे बारिश होने की सम्भावना है। इसको हम केन्द्रीय सरकार को तभी भिजवायें, जब एक बार पूरे प्रदेश की दुबारा से गिरदावरी सर्किल करायी जाये। जो आपके पटवारी कर रहे हैं, जो आपके तहसीलदार कर रहे हैं, वह सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। वे एक खेत की कर लेते हैं। दूसरे को छोड़ देते हैं कि एक हैक्टेयर नहीं है इसमें, एक गिरदावरी सर्किल नहीं है। एक खेत किसी का यहां पर आयेगा, एक खेत किसी का दूसरी जगह पर आ गया है। एक साथ में खेत कहां से इकट्ठे लेकर आयेंगे? जिसका एक खेत है, उसको एक खेत का मुआवजा मिले; जिसके चार खेत गिरे, उसको चार खेत का मुआवजा मिले।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के ऐसे कोई पाप उजागर हो रहे हैं कि इन्द्र देव भी इनसे रूठ रहे हैं। भगवान भी देख रहा है कि यह कैसे कर्म कर रहे हैं; भगवान भी देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं।

श्री सभापति: विराजें। श्री ज्ञानदेवजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बार संकल्प लिया हुआ था कि मैं इस सत्र में नहीं बोलूंगा, परन्तु मजबूर हुआ हूं। अलवर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में और जिस कालोनी 'अपना घर शालीमार' में मैं रहता हूं, भाई जयराम जाटव, एमएलए भी रहते हैं, वहां इतना ओलों का असर हुआ है कि पाव-पाव भर के ओले गिरे हैं। स्कार्पियो जैसी गाड़ी, सफारी जैसी गाड़ी, फोर्च्यूनर तक में डेंट हो गये; सब शीशे टूट गये। इतना बड़ा असर हुआ है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

माननीय सभापति महोदय, यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, किशनगढ़, तिजारा ग्रामीण और बहरोड़, इन 4-5 विधान सभा क्षेत्रों में पाव-पाव भर तक के ओले, नींबू से भी बड़े, गिरे हैं। शाम 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक ओलावृष्टि हुई है। सर्वे की जरूरत नहीं है। जैसा हमारे भाई डा. जसवन्त यादव ने कहा, अब सर्वे की जरूरत नहीं है, 100 प्रतिशत नुकसान है। बिना सर्वे के भी रिपोर्ट भेजी जाये। यह मैं राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तीन-तीन बार ओले पड़े हैं, तीन-तीन बार रुक-रुककर के ओले पड़े हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर्वे की आवश्यकता नहीं है, पूरा 100 प्रतिशत नुकसान है। उस नुकसान की भरपाई करें। कैसे करें, केन्द्र की योजना से करें, चाहे प्रांत की योजना से करें लेकिन उसकी भरपाई करें।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी बोल लें, उसके बाद पूछ लेना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कल रात्रि में और कुछ जगह परसों भी, कुछ जगह ओलावृष्टि हुई, फसलों को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका आंकलन करने के लिए जिला कलक्टरों से और बाकी सारे अधिकारियों से बात हो चुकी है और वे अपनी गिरदावरी करके उसकी रिपोर्ट देंगे। मोटे रूप में जहां नुकसान हुआ है उनमें जयपुर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, बीकानेर है, सीकर है, भरतपुर है, अलवर है, करौली है, चूरू है, झुंझुनूं है। मोटे रूप में जहां इस प्रकार की ओलावृष्टि हुई है, उसकी प्रारम्भिक जानकारी तो हमने टेलीफोन के आधार पर ली है; कितने-कितने गांवों में नुकसान हुआ है, वह भी उन्होंने थोड़ा-बहुत दिया है, लेकिन यह आधी-अधूरी सूचना है। इसके आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना तो सम्भव नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि पिछली फरवरी 28 को और 1 मार्च को और 2 तारीख को जो ओलावृष्टि हुई, उसकी हमने तुरन्त गिरदावरी कराने के आदेश दिये और 15 दिन में उनकी गिरदावरी हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि 14, 15 और 16 में भी बारिश और ओलावृष्टि हुई। उसके आधार पर भी हमने तुरन्त 28 तक उसकी सारी गिरदावरी करके रिपोर्ट मंगाने का प्रयास किया।

यही नहीं, सरकार ने दिल्ली में भी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को भी सूचना की। उनके एक स्टेट मिनिस्टर आकर के हमारे साथ दौरा करके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
गये। वित्त मंत्री अरूण जेटलीजी आये, उन्होंने भी दौरा किया। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जाकर क्षेत्र का दौरा किया। आप सब विधान सभा के माननीय सदस्यों ने दो दिन का अवकाश किया, जो कभी आज तक नहीं हुआ; रविवार के दिन कभी सदन नहीं चला, फिर भी सदन चलाकर उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया। मैं स्वयं और कृषि मंत्रीजी, स्वयं मौके पर जाकर के देखकर आये हैं।

यही नहीं, मैं आज यह कह सकता हूं कि मैंने जैसी घोषणा की कि इतनी तारीख तक आपकी गिरदावरी की रिपोर्ट आ जाएगी, मुझे सदन में यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कल तक हमने सारे के सारे, जितने भी जिलों की, जितने भी गांवों की गिरदावरी थी, वह सारी की सारी कल तक कलेक्ट कर ली। उसे छोड़कर जो अभी कल बारिश हुई है, हमने 28-29 तक का जितना आंकड़ा था, वह सारा का सारा, जितना था, उतना इकट्ठा करके रिपोर्ट बना ली और आज दोपहर तक हम इसका नोट बनाकर केन्द्र सरकार को भी भेज देंगे।

यहां हमने केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के साथ बैठकर, इसमें कहां-कहां लेकुना है, जिसके कारण से हम किसान को चाहते हुए भी नहीं दे सकते हैं; जिन सीमाओं में हमें बांधा हुआ है कि 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होगा तो 50 का हो सकता है, तो 49 वाले का क्या होगा? 40 वाले का क्या होगा? उनको हमने कहा कि इसमें आप जितने परसेंटेज खराबा होता है, उसके आधार पर पेमेंट करने का आधार बना लो तो जिसको 70 परसेंट होता है, उसको 70 के हिसाब से मिले और जिसको 30 परसेंट हुआ, उसको 30 परसेंट के हिसाब से मिले, लेकिन उसको लाभ मिले। यह प्रस्ताव हमने उनके सामने रखा है।

हमने जानवरों की डैथ के बारे में भी उनको कहा है कि इसको आप संख्या में मत बांधिए; जो आपने हमको आपदा राहत फंड दिया है उसमें आप हमको छूट दीजिए कि स्टेट अपने अनुसार निर्णय करके उस पैसे में से राहत दे सके। हमने हमारी तरफ से जितना जो कुछ भी प्रयास हो सकता है, जानवरों के लिए भी हमने, क्योंकि 90 दिन जहां पूरे हो गये, उसके बाद, 90 दिन के बाद उनको हम चला नहीं सकते, वहां हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी आग्रह कर रखा है कि अगर 90 दिन जहां पूरे हो गये, उसके बाद भी हमको चलाना है, केन्द्र सरकार को भी हमने भेजा है कि जहां 90 दिन से अधिक पशु शिविर लग चुके हैं उनको कैसे राहत दी जाए। तो एक अप्रैल से हम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वापस, जहां 90 दिन हो चुके हैं, उन पशु शिविरों को फिर से अपनी तरफ से अनुदान देने के लिए, चाहे केन्द्र से पैसा मिलेगा और अगर केन्द्र से पैसा नहीं भी मिला, तो राज्य सरकार अपने फंड से देकर भी उस पशु को बचाने का प्रयास करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि जितनी मुस्तैदी से, यह है कि प्रकृति पर तो किसी का वश नहीं चलता, वह क्या करते हैं और क्या नहीं करते, लेकिन जो हम मनुष्य के नाते और जिम्मेदार पद पर रहने के नाते हम कर सकते हैं, वह हमने करने का प्रयास किया है। मैं आपको कह सकता हूं कि वास्तव में विभाग के सारे लोगों ने मिलकर, नीचे तक, जिस प्रकार की मेहनत करके इतने कम समय में आपकी सारी की सारी, जितनी भी गांवों की रिपोर्टें हैं, वे आ गईं।

माननीय सदस्य, जालौर के जिनके बारे में कहा, वे चाहते हैं इंडिविजुअल, एक-एक खेत का नहीं, हमारे यहां जो यूनिट है वह किसान यूनिट है, किसान का खराबा 50 परसेंट; हमारा खेत यूनिट नहीं है, किसान यूनिट है, उसमें अगर 50 परसेंट का खराबा होता है तो हम जरूर उसको सहायता करते हैं। लेकिन एक किसान के चार खेत हैं, चारों को अलग-अलग करके हम उसको आपदा राहत में मदद करने की स्थिति में नहीं रहते हैं।

आपके जितने नोर्म्स बने हैं, जिनमें हमको रिलेक्सेशन चाहिए, हमने सरकार की तरफ से आज मेमोरेंडम बनाकर, आज शाम तक हम मेमोरेंडम केन्द्र सरकार को भी भेज देंगे और जैसा केन्द्रीय मंत्रीजी का यहां आना हुआ और जो कुछ हमसे बात हुई, हमें जरूर सहायता मिलेगी; हमारा जो राहत कोष का जो पैसा है उससे एक्स्ट्रा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा, जितना हम किसान को दे सकते हैं इस आपदा में उतना हम करने का प्रयास करेंगे।

मैं सोचता हूं, आप चाहेंगे तो एक-एक के बारे में वर्णन करूंगा। तो आपके गिरदावरी भी 15 दिन में होकर के आज, आपके कारण से मैं गिरदावरी की जो रिपोर्ट, मेरी अब तक की जो आ गई है और जो मुझे केन्द्र सरकार को भेजनी है, उसको मैं नहीं रोकूंगा। जो बचे हुए गांव, जो कल और पिछली बारिश में नुकसान जहां हुआ है, उनका फिर 15 दिन में गिरदावरी बनाकर, उनको जोड़कर जो भी राहत पहुंचाई जा सकती है, वह निश्चित रूप से पहुंचाएंगे।

श्री सभापतिः धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई। आ गया इसमें, सारा आ गया इसमें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, आपने जो विस्तार से बताया, आपकी इन्टेशन बहुत अच्छी है; वित्त मंत्री भी आये यहां पर, बहुत खुशी की बात है, उन्होंने आकर देखा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या आपको कोई आश्वासन दिया केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने नोर्म्स को बदलने के बारे में? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट आफ इण्डिया का। नम्बर एक।

कल से, एक तारीख से हजार करोड़ रुपया आपके पास और आ जाएगा, कैलेमिटी रिलीफ फंड का। पिछले साल का बचा हुआ है आपके पास, करीब छह-सात सौ करोड़। करीब सोलह-सत्रह सौ करोड़ रुपया तो राज्य सरकार के पास, माननीय सभापति महोदय, इस समय है। कल से एड हो जाएगा, यह मानकर चलिए आप, हजार करोड़ रुपया कल से है। क्या राज्य सरकार अपने फंडस में से, जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम अपनी तरफ से देंगे, पशुओं के बारे में तो उस प्रकार के कई रिलेक्सेशन्स नोर्म्स में देकर राज्य सरकार कुछ अपने बजट में से भी, अपने संसाधनों से भी राहत देने का प्रयास करने का विचार कर रही है। इसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: बार-बार चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। (व्यवधान) नहीं, नहीं, जवाब आ गया एक बार।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सरकार के पास जितना भी पैसा था...(व्यवधान) कल तीस तारीख तक केवल तीन करोड़ हमारे यहां बैलेंस था। बाकी सारा पैसा हम कलक्टर्स को ट्रांसफर कर चुके हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही एक तारीख, हण्डरेड परसेंट, ...(व्यवधान) सभी जिला कलक्टर्स को हमने उनकी मांग के अनुसार आनलाइन उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया। केवल हमारे पास तीन करोड़ रुपया शेष है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उन्होंने बांटा नहीं है अभी तक।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उनको बांटने की इजाजत दे दी। हमने तो यहां तक कह दिया कि जिले की सारी गिरदावरी न आए तो भी चिन्ता नहीं; जिस गांव की गिरदावरी आ गई, जिस किसान की गिरदावरी आपके पास आ गई और आपको यह पचास परसेंट से अधिक खराबा हो गया, तो आपके आपदा राहत में नोर्म्स बने हुए हैं उनके अनुसार आप उनको पैसा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

देना शुरू कर दीजिए। आप पर कोई रोक नहीं है, हमारे इन नियमों के तहत रहकर। तो उन्होंने बांटना शुरू भी कर दिया, कई चीजें दे दी।

रहा सवाल यह कि इस साल की जो किश्त आने वाली है, वह दो टुकड़ों में आती है लेकिन हमने केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी से कहा कि जो 1,100 करोड़ रुपया हमारा जो सालाना बनता है, वह आप हमें फर्स्ट वीक में ही दे दो ताकि हम इस पैसे का भी उपयोग करें और आपकी जो अतिरिक्त राशि है, वह भी आप अपना जिस प्रकार से भी निर्णय करना है, वह करने के बाद हमें यहां भेज दो।

तो हमने अपनी तरफ से और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने तो स्वयं अपनी तरफ से, और मैंने भी कहा कि नब्बे दिन से अधिक यह जो पशु शिविर हैं, उनका पैसा इस आपदा राहत में उपलब्ध नहीं है नियमों के तहत। जो कैम्प 90 दिन के लग चुके हैं, जैसे बाड़मेर और जैसलमेर में, अब उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा हमने कहा है, हम कोशिश करेंगे कि वहां से मिले, और नहीं भी मिलेगा तो हम राज्य सरकार से भी एक अप्रैल से वापस उन कैम्पों को आर्थिक दृष्टि से मदद करेंगे। इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई प्रश्न नहीं होगा। (व्यवधान) चर्चा समाप्त। (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई।

श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में सड़क निर्माण कार्य

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका मिला, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें बहुत कुछ विकास हो चुका है मगर रोडें, अभी भी बहुत जगह लिंक रोड बाकी हैं। जैसे छोटी उन्दरी से खरपीणा, राजमार्ग 8 तक; चान्दनी से कृष्णपुरा तक; बारां से शुरू राड़ीला फलां तक; बारां से चणावता-आइला तक; सुरूज से डरबनफला वाया आइला कुई तक;

(श्री फूलसिंह मीणा)

खजूरी से कुम्हारिया खेड़ा तक; पोपल्टी से आइड तक; रायता से पीपल्या तक; करणाली से डोडावली वाया रावथल तक; करणाली से पहाड़ी घाटी तक...

श्री सभापति: यह लिस्ट आप वैसे दे दें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, उबेश्वरजी से मजावतका, यह रोड एक ऐसा रोड है, हमारा तीर्थ स्थान है हमारा उबेश्वर भगवान का, वहां कम से कम तो भी बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं, गोगुन्दा से भी, और यह सिर्फ आठ किलोमीटर दूरी है और इस आठ किलोमीटर दूरी की मार्फत सत्तर किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इस रोड से गोगुन्दा के मात्र 8 किलोमीटर को पार करने से, सत्तर किलोमीटर की बचत के लिए दस-पन्द्रह गांवों का पूरा का पूरा लिंक रोड जुड़ा हुआ है।

यह उबेश्वर भगवान हमारी आस्था का केन्द्र है। जब मुगल सेना ने यहां हमारे मेवाड़ के ऊपर हमला किया था, हमारे महाराणा प्रताप उसमें आस्था रखते थे, और जब वहां वे आये और उस उबेश्वर भगवान के लिंग के ऊपर तलवार का वार किया, आज भी उसके अन्दर दरार है, और वहां से मधुमक्खियां निकल कर उस मुगल सेना को उलटे पांव दौड़ाई, ऐसा हमारा उबेश्वर भगवान का मन्दिर है।

इस आठ किलोमीटर का रोड अगर जोड़ देंगे तो हमारा हाइवे इधर गोगुन्दा से उदयपुर जा रहा है और यह फोर-लेन बनी हुई है, इससे बिलकुल लिंक रोड है। मंत्री महोदय को गोगुन्दा के विधायक महोदय व मैंने इसका एस्टिमेट बनाकर भी दे रखा है।

माननीय सभापति महोदय, एक रोड सलूम्बर से है, जो डाकनकोटड़ा पंचायत है...

श्री सभापति: सारी रोडों पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, ज्यादा नहीं है; मैं दो रोड की ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा।

मेन रोड से हड्डी फैक्टरी तक आरियापला है, वहां पर अवैध खनन हो रहा है, वर्षों से खनन हो रहा है। आपको बताना चाहता हूं, अभी सुर्खियों में आ रहा है, पूर्व सरकार ने इस खनन के मार्फत 40-40, 50-50 टन के पत्थर भरकर हमारी यू आई टी द्वारा बनायी गयी रोड उसको बिलकुल तोड़ दिया। डाकनकोटड़ा की हमारी प्राइमरी स्कूल में बरसात के दिनों में एक-एक फुट के

(श्री फूलसिंह मीणा)

गड्ढे हो गये और बच्चे स्कूल जाने से वंचित रहे। यही नहीं, वहां पर गांव वालों ने उस रोड को जाम किया और अवैध खनन करने वाले डम्परों के खिलाफ कार्यवाही भी की, उनके खिलाफ चालान भी बनाया, मगर उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन खानों को मंत्री के रिश्तेदारों के मार्फत गत सरकार ने चलाया था, उसको बंद करवाया, उसके लिए तो धन्यवाद लेकिन, सभापति महोदय, आपकी मार्फत कहना चाहूंगा कि छोटे बच्चे कीचड़ में बरसात में जा ही नहीं सकते, स्कूल से वंचित रहते हैं। उनका भविष्य अंधकारमय है। एक-एक फुट के गड्ढे, दूसरा रास्ता है नहीं जो उस रास्ते से चले जायं।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं एक ऐसी रोड के बारे में बताना चाहता हूं कि...

श्री सभापति: सब रोडों की चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। नहीं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं आंकड़ों की मार्फत बता रहा हूं, आप मुझे 5 मिनट का समय देना। ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति: इतना समय नहीं मिलेगा। आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं पूर्व सरकार के टाइम का आंकड़ा बता रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं।

इस बाइपास के अन्दर तीन थाने पड़ते हैं, इन तीन थानों के अन्दर 5 साल के अन्दर 939 एक्सिडेंट हुए हैं। उनमें 426 निर्दोष आम नागरिकों की बलि चढ़ी है और 771 आदमी घायल हुए हैं। यही नहीं, एक साल का आंकड़ा भी बता रहा हूं, हमारी सरकार आने के बाद; जनवरी, 2014 से 2015 तक 258 एक्सिडेंट हुए हैं जिनमें 88 मौतें हुई हैं, 245 व्यक्ति घायल हुए हैं। यही नहीं, यहां पर बरसात के दिनों के गड्ढे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मैं आपकी मार्फत बताना चाहता हूं, लम्बा-चौड़ा है, मगर आप कह रहे हो तो मैं टेबल कर दूंगा।

एक दु:खद घटना और है। हमारे यहां पर पूर्व सरकार ने, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड कार्यालय-प्रथम, उदयपुर के अन्तर्गत गिर्वा ब्लाक आता था, परन्तु खण्ड कार्यालय को खैरवाड़ा स्थानान्तरित कर दिया गया।

श्री सभापति: कार्यसूची आज बहुत लम्बी है, माननीय सदस्य। बहुत लम्बी कार्यसूची है, आप संक्षिप्त करें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री फूलसिंह मीणा)

इतना ही कहूंगा कि खैरवाड़ा जो हमारा खण्ड कार्यालय पूर्व सरकार ले गयी है, हमारी ये रोड्स क्यों बाकी रही हैं, यह बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने, उनके मंत्री के कहने से खैरवाड़ा ले गये हैं और हमारे विकास का काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे गिर्वा ब्लाक को उदयपुर से जोड़ा जाय। खैरवाड़ा में दो एक्स ईएन हैं, वहां से लाएं, आप उदयपुर खण्ड से जोड़ दें।

हमारे यहां बरसात के दिनों में जो टूटी हुई पुलिया थी, सड़कें थीं, मंत्री महोदय के आशीर्वाद से एक दफे तो रास्ता कर दिया, मगर आपदा प्रबंधन से हमें धन मिला, इसलिए पैचवर्क भी बाकी है।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मंत्री महोदय को यही कहना चाहता हूं कि इस ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी एरिया के लिए विशेष रूप से बजट आबंटन करें और हमारी भोलीभाली, आदिवासी और आम जनता को राहत दें। विशेषकर बाइपास का काम तुरन्त प्रभाव से कराएं।

सभापति महोदय, हमारी सरकार में वसुन्धरा राजे सिंधिया जी थीं तब भुवाना से चालू किया था, लेकिन आगे तक यह सरकार नहीं लेकर प्रताप नगर...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप ये सारे मामले डिमाण्ड पर बहस के समय बोल चुके हैं। एक बार सदन में उठाये मामले को बार-बार नहीं उठाते हैं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: आपने अगर जवाब दे दिया हो डिमाण्ड के टाइम पर, तो संक्षिप्त जवाब दे दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा, संक्षिप्त ही है।

अभी माननीय सदस्य ने जिन-जिन सड़कों की चर्चा की है, उनमें कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो नान-पैचेबल थीं। उन सड़कों की तो हमने लगभग 22 किलोमीटर की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं और उनका काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। मैं भी जैसा कि आपने निर्देश दिया, नाम नहीं पढ़ूंगा, लगभग 2.73 करोड़ रुपये की 22 किलोमीटर की सड़कें हैं; लगभग 5 सड़कें ऐसी हैं जो आपने हमें गौरव पथ में दी हैं उनके भी काम शुरू हो गये। एक हमने इनके सड़क है बाचर की, उसका भी काम शुरू करा दिया। इनके लगभग 45 काम अभी ऐसे हैं गिर्वा के, जो हमने पी एम जी एस वाई में प्रस्तावित कर रखे हैं, जिनकी लगभग 58 करोड़ रुपये की लागत से ये सड़कें बनेंगी।

(श्री युनुस खान)

आपने विशेष रूप से उबेश्वर भगवान का मंदिर है उस सड़क की बात की है। इसमें गोगुन्दा व उदयपुर ग्रामीण के दो विधायक पड़ते हैं। अभी हम मिसिंग लिंक देंगे। ये 8 किलोमीटर बता रहे हैं, 4 किलोमीटर ये लिख दें, 4 किलोमीटर गोगुन्दा विधायक लिख दें, बना देंगे। फिर मधुमक्खियां किसी को काटेंगी नहीं। आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि जब हमारा कोई संवेदक जाए, अधिकारी, कर्मचारी जाए तो मधुमक्खियां नहीं काटे, उसकी व्यवस्था हमारे विधायक महोदय कर दें।

श्री सभापति: धन्यवाद, नहीं काटेंगे आपको।

श्री अर्जुनलालजी जीनगर।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के घोसुंडा निजी बांध की भराव क्षमता बढ़ाने से समस्या

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, चंदेरिया द्वारा घोसुन्डा डैम बनाया गया। यह घोसुन्डा डैम जब बनाया गया, उस समय कई किसानों की जमीनों को अवाप्त किया गया, बस्तियां अवाप्त हुईं, उनको अन्यत्र बसाया गया। 2011 में इसकी भराव क्षमता 421.5 मीटर लेवल तक पानी भरने की रखी गयी, लेकिन वर्ष 2011-12 में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा दुर्भावनावश उस डैम को वर्षा ऋतु में 423 मीटर लेवल तक भराया गया जिससे वहां के आसपास के खेतों में पानी भर गया, खेती की जमीनें डूब गयीं, बस्तियां डूब गईं, ट्यूबवेल, बोर, मकान, सब डूब गये। जब इस बात की जानकारी जिला कलक्टर महोदय को हुई तो जिला कलक्टर महोदय ने तुरत-फुरत उस पानी को डैम के गेट खोलकर छुड़ाया और पानी का लेवल नीचे किया। लेकिन जिन खेतों में पानी भर गया, वे फसलें नष्ट हो गयीं। जो मकान ढह गये उनको मुआवजा देने के लिए जिला कलक्टर महोदय ने राजस्व डिपार्टमेंट से सर्वे करवाया। लेकिन हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने आज तक उन काश्तकारों को एक रुपया भी उनकी फसलों का मुआवजा नहीं दिया। मैंने भी कई बार लिखा, वहां की पूर्व जिला प्रमुख ने लिखा, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भी कई बार आग्रह किया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया।

श्री सभापति: पूर्व जिला प्रमुख और आपने एक ही विषय पर लिखा?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): नहीं, अलग-अलग हैं।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

किसानों की खेती नष्ट हो गई। कई बार जब भराव अधिक हो जाता है, मुआवजा तो उन्होंने दिया, लेकिन कई किसानों के खेत पर जाने के रास्ते डूब गये। यदि खेत में जाने का रास्ता ही डूब गया और वह किसान 3 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाए, तो खेती कैसे होगी? हमने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को जिला कलक्टर के माध्यम से कहा, जिन खेतों पर ये नहीं जा सकते हैं, उन रास्तों को दुरुस्त कराने के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को आप कहो, सी एस आर मद से या अन्य किसी भी मद से उन रास्तों के लिए आप कहें, लेकिन हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधिकारियों ने एक भी नहीं सुनी और आज भी किसान अपने खेतों पर जाने के लिए मोहताज हैं और वे खेत खेती से वीरान पड़े हैं। मैंने आग्रह किया कि जो-जो खेत खेती के योग्य हैं लेकिन खेती नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी किसानों को या तो रास्ते उपलब्ध करवाये जाएं या उनकी जमीन को अवाप्त करके हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड अधिग्रहित कर ले ताकि हम उनको पैसा दिला सकें।

अभी भराव क्षमता अधिक होने के कारण डैम के आसपास के गांव रूपाखेड़ी, रूपपुरा, मोहम्मदपुरा, होड़ा, पंचदेवला, हाजाखेड़ी, हजूरपुरा के किसान आज भी परेशान हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो डूब में आई हुई बस्तियां हैं उनको अन्यत्र बसाया भी गया, बस्तियां तो बसा दीं, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी लेकिन वे व्यवस्थाएं नहीं कीं। न तो वहां पर पक्की सड़कें बनायीं, न पेयजल के पानी उपलब्ध कराया, न उनके लिए विद्यालय भवन बनाया, न सामुदायिक भवन बनाये। यहां तक कि श्मशान घाट और कब्रिस्तान के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे हालात हमारे क्षेत्र में बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सी एस आर मद से कई बार कहा, जिला कलक्टर के साथ मेरी, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और किसानों की मीटिंग भी हुई, वे कहते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन वर्षो हो गये पर वे करना नहीं चाहते।

इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार इसमें कोई न कोई इंटरफीयर करे और उन किसानों को मुआवजा दिलाये।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन मिनट और चाहिए मुझे। ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं तो।

श्री सभापति: हां, लीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, दूसरा निवेदन

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

यह कहना चाह रहा हूं भूमि अधिग्रहण का बिल आ रहा है, कानून बन रहा है लेकिन मुझे यह अफसोस है कि जिन काश्तकारों की जमीनें कम्पनियां ले लेती हैं चाहे उन पर इण्डस्ट्रीज लगें, चाहे बांध बनें, लेकिन वह किसान तो उजड़ जाता है। उस किसान का परिवार जो उस खेती पर निर्भर करता है, उसका परिवार अन्न पैदा करके अपने परिवार को पालता है, लेकिन जब अधिग्रहण हो जाए, थोड़ा-सा मुआवजा उसको मिल जाए तो जो समझदार होता है वह तो उस राशि का उपयोग कर लेता है और जो किसान समझदार नहीं होता, पढ़ा-लिखा नहीं होता है, तो वह किसान उन रुपयों को बरबाद कर देता है और वह परिवार नष्ट हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ऐसी कोई न कोई प्रक्रिया अपनाई जाए कि जब-जब भी किसानों की भूमि अवाप्त हो, तो उस परिवार के व्यक्तियों को रोजगार उस कम्पनी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सारी व्यवस्था हो जाए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे दो-तीन बिन्दु हैं, क्षमता से अधिक पानी जब भरा गया और जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको अविलम्ब मुआवजा दिलाया जाए। अवाप्त की गई खातेदारी भूमि, जिनको अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला है, न तो फसलों का मिला और न जमीन का मिला है, तो उनको मुआवजा दिलाया जाए। तीसरा, जिन खेतों में जाने के रास्ते बन्द हो गये हैं, उन किसानों की जमीन या तो अवाप्त की जाए, या उन रास्तों को ठीक कराया जाए।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सागवाड़िया, कंथरिया और दोतड़ी, जिन किसानों की खातेदारी जमीन है, एस.सी., एस.टी. के लोगों की जमीन है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। उसमें एक एस टी का आदमी गमेर भील है, एक एस सी की महिला खेमी बाई/भगवान जी रैगर है, एक मोहम्मडन है अब्दुल मोहम्मद निवासी सागवाड़िया, इनकी फसलें भी नष्ट हो गईं, सारा कुछ बरबाद हो गया, खेत बरबाद हो गये, लेकिन हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कोर्ट के माध्यम से इस मैटर को उलझाये रखता है। कई बार हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और किसानों के अन्दर झड़पें हुई हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): और केस बने हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को लाभ मिले और उनको मुआवजा मिले। फसलें जो चौपट हो गई हैं उनका मुआवजा आज तक उन्होंने नहीं दिया। तो हर साल का मुआवजा दिया जाए।

श्री सभापति: बार-बार रिपीट नहीं करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इन्हीं शब्दों के साथ, आपके माध्यम से चाहूंगा कि किसानों को राहत प्रदान की जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं साहब।

श्री सभापति: दे रहे हैं? हां, हां, दीजिए। मंत्रीजी दे रहे हैं तो कौन रोकता है?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सभापति महोदय, अभी कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो घोसुण्डा बांध हिन्दुस्तान जिंक के अन्तर्गत लिया और जिस समय इन्होंने लिया था, उस समय घोसुण्डा बांध 421.5 एम.एस.एल. पानी का भराव रहा था लेकिन इसके बांध में पूर्ववर्ती सरकार के समय 2011-12 के अन्दर यह 423 एम.एस.एल. पानी भर गया, जिससे जिन किसानों ने खेती की थी, जो किसान बसे हुए थे वो बरबाद हुए। माननीय सदस्य ने जो बिन्दु बताये हैं, ये पूर्ववर्ती सरकार को तुरन्त ही इन पर कार्यवाही करनी थी, लेकिन मैं बिन्दुवार उन प्रकरणों की जांच कराकर, किसानों के साथ में पूरा न्याय करेंगे और वाजिब जांच कराकर उनको मुआवजा दिलाने का भी पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): कब तक दिला देंगे, मुझे इतना आश्वस्त कर दें। दो महीने में, चार महीने में, कितने में?

श्री सभापति: वाजिब जांच कराकर।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आपने आज पर्ची के जरिये यहां विधान सभा में उठाया है, पहले कोई पत्र दिया नहीं, मेरे ध्यान में आज आप लाये हो। तो हम जल्दी से जल्दी इसका प्रयास करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): समय तो बताओ, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): समय सीमा कोई नहीं बता सकता।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपके समय में यह परिपाटी पड़ गई। इसी का नतीजा है। वरना कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री सभापति: श्री हीरालाल नागर। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा विश्वविद्यालय में अनियमितताओं की ACB द्वारा निष्पक्ष जांच

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा

(श्री हीरालाल नागर)
कार्य संचालन नियम 131 के तहत कोटा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में कुलपति प्रोफेसर मधुसूदन शर्मा के द्वारा की गई धांधलियों के प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं, यह बोलिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मधुसूदन शर्मा द्वारा शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर अपने रिश्तेदारों को गलत तरीके से नियुक्ति देना, कुलपति के पुत्र डाक्टर विपुल शर्मा को विकलांग पात्रता में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और कानून की अवहेलना करने के आरोप के सम्बन्ध में परिवादी श्री जितेन्द्र चौधरी पुत्र श्री उत्तम चन्द निवासी हाथीखेड़ा, कोटा द्वारा विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), कोटा में दिनांक 12.3.2013 को उक्त परिवाद पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को 156 (3) सी.आर.पी.सी. के तहत इस्तगासा संख्या 4/2013 जांच हेतु भेजा गया। इस पर ब्यूरो द्वारा प्राथमिक जांच संख्या 95/2013 दिनांक 03.06.2013 दर्ज किया जाकर जांच श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को दी गई।

जांच अधिकारी ने जांच के दौरान परिवादी श्री जितेन्द्र चौधरी को तलब कर उसके बयान लेखबद्ध किये। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर की गई नियुक्तियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, चाही गई शैक्षणिक योग्यता, अनुभव सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां व जांच में आवश्यक अन्य दस्तावेज प्राप्त किए जाकर परीक्षण किया गया। आरोपीगण के स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये और रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से शिकायत के बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा नि:शक्तजन कोटे में दिए गए आरक्षण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर; आयुक्त, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर से राय प्राप्त की गई।

शिकायत में लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में मुख्यत: निम्न तथ्य सामने आये:-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कोटा विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञापन संख्या 1/2012 दिनांक 20.04.2012 जरिये विभिन्न 16 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसके बिन्दु संख्या 6 में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी., फिजिकली हैंडिकैप्ड, महिला उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार, विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार आरक्षण लागू होने का तथ्य अंकित किया गया था।

उक्त विज्ञापित पदों के विरुद्ध 723 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एम.एस. शर्मा द्वारा पत्र दिनांक 31.12.2012 के द्वारा महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, कोटा विश्वविद्यालय, राज भवन, जयपुर को उनके पुत्र के उप कुलसचिव पद के लिए अभ्यर्थी होने की सूचना एवं चयन समिति में उनके स्थान पर अन्य को चयन समिति का अध्यक्ष बनाए जाने का अनुरोध किया गया। उक्त संदर्भ में राज भवन से प्राप्त पत्र दिनांक 17.01.2013 के द्वारा उप कुलसचिव पद हेतु चयन समिति में प्रोफेजर आर.पी. यादव, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उप कुलसचिव पद हेतु राजभवन से प्राप्त उक्त निर्देशों के क्रम में चयन प्रक्रिया सम्बन्धित विभिन्न कार्य प्रोफेसर आर.पी. यादव, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के निर्देशन से सम्पन्न किये गये।

शिकायत में उल्लिखित प्रोफेसर मधुसूदन शर्मा के पुत्र और अभ्यर्थी डा. विपुल शर्मा को सर्टिफिकेट आफ परमानेंट डिस्एबिलिटी एम.बी. जनरल हास्पिटल, उदयपुर के द्वारा दिनांक 04.03.2003, मतलब, आज का बना हुआ नहीं, 04.03.2003 को जारी किया गया था, उसमें डाक्टर विपुल शर्मा की दोनों आंखों से अधिक विकलांगता दर्शायी गई थी।

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों पर चयन के लिए पदवार चयन समिति का गठन किया गया। चयन समिति द्वारा प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की छंटनी कर नियमानुसार साक्षात्कार आयोजित किये गये, जिसमें मेरिट और साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन से जांच अधिकारी ने पाया कि डाक्टर विपुल शर्मा का चयन राजस्थान राजपत्र 26 जुलाई, 1911, गजट के भाग 4 (ख) में प्रकाशित नियम 3637 में निःशक्त जनों के आरक्षण सम्बन्धी नियमों के तहत किया गया। जांच अधिकारी ने प्राथमिक जांच में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं की।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

परिवादी जितेन्द्र ने उक्त अधिकारी की जांच से संतुष्ट नहीं होने के कारण दिनांक 29.09.2014 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। ब्यूरो मुख्यालय से परिवादी के प्रार्थना-पत्र पर परीक्षण कर अग्रिम जांच हेतु दुबारा 14.11.2014 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को, विशेष अनुसंधान इकाई को, यह पत्रावली सुपुर्द की है।

एक बार जांच हो गई, उस जांच से संतुष्ट नहीं थे। हमने उसके लिए दुबारा फिर जांच के लिए जांच अधिकारी बना करके दिया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में हमारा जो ए.सी.बी. डिपार्टमेंट है, वह अपना कोई फाइनल जो भी निर्णय होगा, वह दे सकेगा।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः प्रश्न पूछिये। नियम यह है, सुन लें आप, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद में हम प्रश्न पूछते हैं। आप मंत्रीजी से प्रश्न पूछिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा 2011, 2012-13 में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एसिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था? विज्ञापन के उत्तर में पदवार कितने-कितने आवेदन अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए थे। माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में निःशक्त जन के बारे में जो बताया है, क्या उसके लिए विज्ञापन में निःशक्त जन हेतु कोई विज्ञापन समाचार पत्रों में विज्ञापित किया गया था? जिस पद के लिए विपुल शर्मा को नियुक्ति दी गई, उस पद पर किसी तरह का निःशक्त जन हेतु विज्ञापन था क्या? माननीय मंत्री महोदय, यह स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मेरे विभाग के पास जितनी जानकारी है, कुछ तो शिक्षा विभाग के पास होगी, 16 पद थे और 16 पदों पर 723 अभ्यर्थियों ने अपने प्रार्थना-पत्र दिये थे। जो विकलांगता सर्टिफिकेट, मैंने कह दिया कि उदयपुर हास्पिटल से...(व्यवधान)

श्री सभापतिः वह 2003 का है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह 2003 का है। अभी कोई लेटेस्ट 2012 की भर्ती पर वह नया बना है, ऐसा नहीं था। जो पुराना उसका सर्टिफिकेट था, वह सर्टिफिकेट इसमें लगाया। डी.ओ.पी. के रुल्स के अनुसार भी उसको देखने की कोशिश की कि विकलांगता में नम्बर 1 और 34, ऐसा कुछ एक आदेश निकला है कि नम्बर 1 पर विकलांग, वापस नम्बर 34 पर विकलांग, फिर उसके बाद 66 नम्बर पर विकलांग। ऐसी कोई एक लिस्ट बनी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रहती है जिसके आधार पर है। पहले यह विकलांग का नम्बर 33 और 34 पर था, नम्बर वन। समस्या यह आई थी कि 33 नम्बर पर कभी कोई खाली होता ही नहीं है और बार-बार जब-जब भी इंटरव्यू होता है तो विकलांग कभी लग ही नहीं सकता है। इसके कारण से नियम को बदलते हुए विकलांग को नम्बर-एक पर रखा और उसके आधार पर वह नम्बर-एक पर गया।

उसके बाद भी विशेष जानकारी है तो शिक्षा विभाग इसके बारे में, और जो जानकारी होगी, क्योंकि मेरे पास जितनी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास जो शिकायत आई और जिसकी हमने जांच की, मैंने वह आपके सामने रखने का प्रयास किया।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, शिक्षा मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, अभी इंवेस्टिगेशन चल रहा है, तो क्या यहां पर चर्चा उस इंवेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करेगी?

फिर दूसरा सवाल, माननीय सभापति महोदय, यह मामला कोर्ट के जरिये आया है। कोर्ट के जरिये है तो एक तरह से टेक्निकली...(व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये। मैं इसको कह रहा हूं, आपको जो करना है, करें। इस्तगासे के जरिये आया है, कोर्ट के जरिये आया है।

श्री सभापति: कोर्ट को प्रभावित नहीं करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कोर्ट को प्रभावित करेगा, जांच को प्रभावित करेगा, यहां पर अगर इस पर चर्चा होगी। मेरा आपसे अनुरोध यह है, सभापति महोदय, इस जांच, क्योंकि पूर्व में भी कई दफा माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यहां पर जांच प्रभावित न हो, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय भी और माननीय सदस्य भी यह ध्यान रखें कि इस प्रकार से कहें कि जिससे जांच प्रभावित नहीं हो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अब मैं बोल लूं?

श्री सभापति: हां, बोलिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, वह तो जो कुलपति थे, उनके पुत्र के मामले में अनियमितता हुई, उसके बारे में दिया है, पर मेरे पास अपने हीरालालजी

(श्री कालीचरण सराफ)
नागर जो सांगोद के विधायक हैं और कोटा उत्तर के जो विधायक हैं, प्रहलादजी गुंजल, ये 15-20 दिन पहले मेरे से मिले थे। उन्होंने बताया कि जितनी भी नियुक्तियां हुईं, भर्तियां हुईं, उन सब में अनियमितताएं हुई हैं।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में वर्ष 2012 से 2014 के मध्य शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर की गई भर्तियों के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने शिकायत की, यह शिकायत प्राप्त होने पर 19 मार्च, 2015 को सम्भागीय आयुक्त, जयपुर एवं कार्यवाहक कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है एवं कमेटी को निर्देशित किया गया है कि उक्त अवधि में हुई भर्तियों की विस्तृत जांच कर पन्द्रह दिवस में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तद्नुरूप आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

माननीय सदस्य के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा भी कुछ अन्य अनियमितताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

अतः उठाये गये सभी बिन्दुओं की जांच भी उपर्युक्त समिति द्वारा करवाई जाएगी और इस हेतु समिति का कार्यकाल एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

श्री सभापति: धन्यवाद। चर्चा समाप्त।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): एक मिनट। एक मिनट। पूरी बात सुन लें, साहब। मैंने जो कार्यवाही की है, वह बता रहा हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। मैं दो सवाल पूछूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): एक मिनट। जांच प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व भर्तियों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नहीं करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को लम्बित लिफाफे नहीं खोलने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया द्वारा भर्ती किये गये कार्मिकों के स्थायीकरण के जारी आदेशों को भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री सभापति: सारे काम हो गये हैं। माननीय सदस्य...(व्यवधान) आप पूछिये। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): मेरे को एक दूसरा प्रश्न...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हीरालालजी, एक मिनट।

श्री सभापति: आपको भी दूंगा। ये पूछ रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं।

श्री सभापति: मंत्रीजी कह रहे हैं, कार्यवाही रोक दी आगे की, उनको स्थिर करने से रोक दिया और जांच कमेटी बना दी। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो पूछिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उप कुलसचिव, शोध, जिस पद पर वाइस-चांसलर के बेटे का चयन हुआ, यह पद इंटरव्यू से पहले न तो राज्य सरकार से स्वीकृत हुआ, न विज्ञापित था। फिर इस पर एकदम नियुक्ति कैसे हो गई?

श्री सभापति: मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इस पर नियुक्ति का आधार विकलांगता बताया, जो माननीय गृह मंत्रीजी कह रहे थे, तो इसी क्वालिफिकेशन में सुश्री निशा राठौड़, जो विकलांग थी, जिन्होंने आवेदन किया हुआ था....(व्यवधान)

श्री सभापति: यह चर्चा यहां नहीं होगी, माननीय सदस्य। (व्यवधान) यह ऐसे चर्चा, व्यक्तियों की चर्चा नहीं हो सकती। व्यक्तियों की चर्चा नहीं होगी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): नहीं, जो पद ही विज्ञापित नहीं है, उस पर पोस्टिंग दे दो।

श्री सभापति: मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, यह कोटा विश्वविद्यालय का एक गम्भीर मामला है और इन नियुक्तियों को ले करके वहां पर काफी राजनीतिक रूप से दबाव रहा। उस समय सरगर्मियां रहीं। मैं आपको बताऊं, समय-समय पर इतने, मतलब, वह पहले से पत्र-पत्रिकाओं में आता रहा कि इसमें लिफ़ाफ़ा खुलेगा और इसमें बोर्ड के मेम्बर और कुलपति के बेटे-बहु निकलेंगे। (व्यवधान) यह सब पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से पहले से लोगों को जानकारियां दी गयीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: जवाब आ गया, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): और वही हुआ जो पहले से समाचार पत्रों में जानकारी दी गई।

श्री सभापति: जवाब आ गया है, सरकार कार्यवाही कर रही है।

(14.00 बजे)

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): इसमें माननीय गृह मंत्रीजी ने अभी हाल ही में इसी सदन में आश्वासन दिया था कि किसी भी ऐसे जांच के प्रकरण में जो अधिकारी होगा, उससे एक पद बड़े अधिकारी से जांच कराई जायेगी। इसमें जो जांच कराने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने समिति की घोषणा की है, कुलपति के विरुद्ध में उससे उच्च अधिकारी से और सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच की जानी चाहिये।

इसमें जो बताने वाले हैं, पूरा वहां एक भ्रष्टाचार का आलम है। उस विश्वविद्यालय में चाहे रजिस्ट्रार हो या वहां के कर्मचारी हों, सभी इस भ्रष्टाचार को ढकना चाहते हैं, माननीय सभापति महोदय, कोई उजागर नहीं करना चाहता। इसलिए न तो ए सी बी को सही जानकारियां दी गईं और न ये आने वाले समय में जो समिति गठित की जा रही है, उसको सही जानकारियां देंगे, इसलिए मुझे आशंका है।

इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाये और सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश से इसकी जांच होनी चाहिये, तभी जाकर ये घोटाले सामने आयेंगे। बहुत बड़े घोटाले हुए हैं।

फर्नीचर के मामले में मैं बताऊं, वहां पर विश्वविद्यालय के कमरे भरे हुए हैं...

श्री सभापति: यहां फर्नीचर का सवाल नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट तक केन्द्रित रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जनरल पर नहीं बोलें।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): ...कोरिडोर भरे हुए हैं। जनरल भ्रष्टाचार हुआ है, माननीय सभापति महोदय, और उस भ्रष्टाचार में उन पदोन्नतियों के साथ-साथ लोगों के, प्रोफेसर्स के प्रोबेशन पीरियड बढ़ाये गये हैं। उन प्रोफेसर्स ने इस काम में, इस कुकृत्य में शामिल होकर उस कुलपति का सहयोग किया है। तो निश्चित रूप से जब तक इसकी पूरी जांच नहीं होगी, तब तक ये कृत्य सामने नहीं आयेंगे।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, इसकी उच्चस्तरीय जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाये; हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद। मंत्रीजी, जवाब देंगे?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री सभापति: आप अध्यक्ष बोलेंगे तो भी सभापति लिखा जायेगा, चिंता मत करो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं सभापति महोदय ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: लिखा वही जायेगा, जो लिखा हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हमने सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जो अभी कार्यवाहक कुलपति भी हैं, आई ए एस आफिसर हैं, हनुमान सिंहजी भाटी, उनकी अध्यक्षता में तीन लोगों की कमेटी बनाई है। उसमें एक जे.पी. सिंघल जो प्रोफेसर हैं, उनको रखा है; एक चारण साहब हैं जो कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय में हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बिलकुल निष्पक्षता से जांच की जायेगी; दूध का दूध और पानी का पानी होगा; किसी प्रकार का पक्षपात कतई नहीं होगा। इसीलिए हमने उनके परमानेंट करने पर भी रोक लगा दी और जो बाकी लिफाफे थे, उनको खोलने पर भी रोक लगा दी। इसलिए आप विश्वास करिये, निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होगी।

श्री सभापति: धन्यवाद, मंत्रीजी। देखो, मंत्रीजी तो हंस का काम कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी तो हंस करता है।

माननीय सदस्य, सदन की मेज पर रखने वाले पत्रादि। श्री अमरारामजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उपनिवेशन विभाग

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या : प.3(9)उप/2007 दिनांक 29.09.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या : प.3(9)उप/2007 दिनांक 29.9.2014 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या : प.10(1)उप/2014 दिनांक 21.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राज. अधिनियम संख्या 27) की धारा-27 के अन्तर्गत अनुसूची में

(श्री अमराराम)

उलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए नवीन उपनिवेशन तहसील भादरा, जिला-हनुमानगढ़ का सृजन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या : प.4(10)उप/2007 दिनांक 26.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 के उप नियम (1) के खण्ड 'घ' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों को जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसीलों के लिये आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या : प.3(37)उप/1988 दिनांक 26.11.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या : प.3(20)उप/2013 दिनांक 1.12.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या : प.3(20)उप/2013 दिनांक 1.12.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है; एवं

8. अधिसूचना संख्या : प.3(20)उप/2013 दिनांक 1.12.2014, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-4 के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के (अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र को) वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है।

श्री सभापतिः श्री राजपाल सिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13) एवं 10वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 2013

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2013-14)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री गोतम कुमार।

याचिका

बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में ए डी जे कैम्प कोर्ट का स्थायी कोर्ट में परिवर्तन

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ में ए डी जे कैम्प कोर्ट को स्थायी कोर्ट में परिवर्तित करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नलिखित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना

(1) किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत, एवं

राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर) में सीटी स्कैन मशीन की उपलब्धता

(2) राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर) में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर ग्राम पंचायत (झालावाड़) का नगरपालिका में क्रमोन्नयन

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत खानपुर को नगरपालिका बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री कंवर लाल।

अकलेरा (मनोहरथाना) में माडल स्कूल प्रारम्भ किया जाना

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा में माडल स्कूल को तुरन्त प्रारम्भ कराने एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ''क'' (2014-2015) का प्रतिवेदन (क्र. सं. 2)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्राक्कलन समिति ''क'' 2011-2012 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाई विषयक प्राक्कलन समिति ''क'' 2014-2015 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 । श्री कालीचरण सराफ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015. श्री राजपाल सिंहजी।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 । श्रीमती अनिता भदेल, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री सभापति: राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार। श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय...

श्री सभापति: आप बैठिये एक बार, माननीय मंत्रीजी। क्या है? नहीं, कैसे खड़े हुए आप?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा एक आधा घंटे की चर्चा का है।

श्री सभापति: नहीं, कैसे खड़े हुए आप?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी आज्ञा से।

श्री सभापति: हां, हां, बोलो ना। बोलो ना। व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहे हैं ना। हां, पूछिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं। जी, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, आपकी आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति: हां, हां, बोलिये, बोलिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आधा घंटे की चर्चा का प्रस्ताव रखा है बिजली पर। चर्चा प्रारम्भ होने के बाद में मंत्री महोदय जवाब देंगे। फिर यह आठवें नम्बर पर मेरा प्रस्ताव रखा गया है। अध्यक्ष महोदय से बात यह हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था को बदल देंगे और आपका प्रस्ताव पहले ले लेंगे, आधा घंटे की चर्चा वाला। आपसे निवेदन है कि वह ले लें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हमारे यहां परम्परा और नियम हैं कि आधा घंटे की चर्चा कार्यसूची में जो निर्धारित कार्य है, वह पूरा होने के बाद आधा घंटे की चर्चा आती है। इसलिए आपकी चर्चा इस बिजली की स्थिति पर विचार के बाद आयेगी।

माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, अध्यक्ष महोदय ने कहा था।

श्री सभापति: मैं तो इस समय वही काम कर रहा हूं जो नियमों में है। अध्यक्ष महोदय की अगर पर्ची आ जायेगी तो आपकी बात मान लूंगा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, ये अपनी बात कहकर भागना चाहते हैं।

श्री सभापति: ऐसी रात के जन्मे हुए नहीं हैं हम लोग।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री सभापति: अच्छा, हम बिजली की स्थिति पर विचार शुरू करें। कौन, किधर से शुरू कर रहे हैं? श्री लादूरामजी विश्नोई। बिजली पर शुरू कर रहे हैं? आप तो बिजली में रहे हुए हैं ना, तो आप बिजली पर शुरू करिये।

श्री लादूराम (गुढामालानी): आदरणीय सभापति महोदय, आपने बिजली पर चर्चा के लिए मुझे इन्वाइट किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: इन्वाइट नहीं किया, मैंने आपको बोलने के लिए कहा है, अनुमति दी है।

श्री लादूराम (गुढामालानी): बोलने के लिए आपने परमिशन दी है, उसके लिए धन्यवाद।

मैं सदन को यह सूचित कर रहा हूं कि अपने स्टेट का कृषि का कंजम्प्शन है, जनवरी-फरवरी का करीब-करीब 2,200 एल ओ यू के आसपास मैक्सीमम कंजम्पशन रहता है, परन्तु मार्च महीने की मैंने जो डिटेल ली, उसके अनुसार पूरे मार्च महीने की जो डिटेल है, वह 1,500 से लगाकर 1,700 एल ओ यू के आसपास रहा। इसका कारण है कि बरसात और अन्य कारण से ये कंजम्प्शन कम आया।

इस बारे में आपको यह अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से ऊर्जा राज्य मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि अपने जालौर और बाड़मेर जिले और मारवाड़ का अधिकतर भाग वहां पर उनाळू बाजरी होती है और इधर अपने बीकानेर, नागौर और फलौदी, इस बेल्ट में मूंगफली की सीजन होती है और जैसलमेर भी इसमें शामिल है। इन सब जगह बिजली का पीक कंजम्प्शन होली के बाद में शुरू हो जाता है। मैं आदरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री से निवेदन करूगा कि होली के बाद अगले तीन महीने में जून तक बिजली की सप्लाई रेगुलर और अनइन्टरप्टेड मेंटेन करनी जरूरी है। आगे क्या लू चलेगी और लू में क्या है कि हर तीसरे-चौथे दिन पानी बाजरा और मूंगफली में देना जरूरी है। इसलिए ऊर्जा मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप अप्रैल, मई और जून, ये तीन महीने बड़े क्रूशयल हैं, इनमें आप बिजली की सप्लाई बढ़िया ढंग से मेंटेन करे और मूंगफली के सीजन में तो नवम्बर तक पानी की जरूरत पड़ेगी। यह आपसे विशेषकर मेरा निवेदन है।

(श्री लादूराम)

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि ड्रिप इर्रिगेशन के जितने भी एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं उन पर पहले रोक लगी हुई थी और मार्च, 2014 तक इसमें कनेक्शन खुले थे। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने जो 26 मार्च को घोषणा की है, उसके अनुसार ड्रिप इर्रिगेशन के जितने भी कनेक्शन हैं, 2015-16 में वापस रिलीज किये हैं; उनकी एप्लिकेशंस जो हैं वे मार्च, 2015 तक की उन्होंने अलाऊ की हैं। इसलिए मैं ऊर्जा राज्य मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि जब 26 मार्च और 31 मार्च में कोई टाइम

(14.12 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

पीरियड ही नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेहरबानी करके किसानों की जो अर्जियां लेने का काम है यह आप कम से कम 31 मई तक ड्रिप इर्रिगेशन एप्लिकेशन की अर्जियां जमा कराने की किसानों को छूट दें। यह इसलिए जरूरी है कि ड्रिप इर्रिगेशन की टैरिफ है 2 रुपया 15 पैसा और ड्रिप इर्रिगेशन की जो भी बूंद-बूंद सिंचाई योजना है उसके तहत किसानों को एक बड़ा भारी, चाहे डार्क ज़ोन हो, चाहे पूरी स्टेट में हो, उसको एक रिलीफ मिलेगा इमिजिएट प्रायोरिटी से कनेक्शन लेने का। अभी आपका 2009 का नार्मल कैटेगिरी का चल रहा है और यह ड्रिप इर्रिगेशन के कारण उनको स्पेशल कैटेगिरी में यह कनेक्शन मिल जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके उन एप्लिकेशनों का पीरियड़ जो है, अभी जो पांच दिन का गैप है, यह बहुत कम है। आदरणीया मुख्य मंत्री ने 31 मार्च की जो डेट दी है उसकी जगह एप्लिकेशंस 2015 तक एंटरटेन करें। यह मेरा विशेषकर आपसे निवेदन है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने 9 मार्च को जो बजट पेश किया था, उसमें आइटम नम्बर-46 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 816 करोड़ रुपये जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर जिलों के लिए डोमेस्टिक लाइट के कनेक्शन, बी पी एल कनेक्शन और ढाणियों के विद्युतीकरण के लिए उन्होंने विशेषकर यह बजट अलाट किया था। इसके तहत मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो जोधपुर डिस्काम है उससे जो मैंने फिगर्स कलेक्ट किये हैं, उनके अनुसार बाड़मेर जिले को 413 करोड़ रुपये ढाणियों के विद्युतीकरण के लिए, बीपीएल कनेक्शन के लिए, यह पैसा अलाट हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस राज में इस बारे में बिलकुल ही बाड़मेर जिला पिछले डेढ़-दो साल से खाली रहा है। अत: मैं, सभापति

(श्री लादूराम)
महोदय, आपके माध्यम से ऊर्जा राज्य मंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि बी पी एल कनेक्शन, ढाणियों के विद्युतीकरण और डोमेस्टिक कनेक्शन के जो 413 करोड़ बाड़मेर जिले को मिले हैं, इनको विद्युतीकरण के लिए जोधपुर डिस्काम के अधिकारियों को आप विशेष निर्देश दें।

दूसरा निवेदन यह है कि जोधपुर डिस्काम में एम डी की पोस्ट है, वह भी दो महीने से रिक्त चल रही है। तो आप मेहरबानी करके वहां डिस्काम के एम डी को भी नियुक्त करने का कष्ट करें।

इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैंने फील्ड से पता लगाया है, आदरणीय ऊर्जा राज्य मंत्रीजी नोट करें, अभी फील्ड में कल आपके जोधपुर डिस्काम के टैक्निकल डायरेक्टर से मैंने बात की, आपके चीफ इंजीनियर से बात की, इन सबसे मैंने निवेदन किया कि डी एल कनेक्शन और बी पी एल कनेक्शन का जब भरपूर बजट आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने दे दिया है, 413 करोड़ का बाड़मेर जिले को मिला है, तो नई अर्जियां लेने के लिए आप उनको आदेश दें। नई अर्जियां वे अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो बी पी एल और डोमेस्टिक कनेक्शन में नई अर्जियां लेने के लिए आप आदेश दें ताकि यह 413 करोड़ का जो बजट आया है, उसका बाड़मेर जिले में पूरा यूज हो सके। मैंने अधिकारियों से पूछा तो वे कह रहे हैं कि ऐसा ऊपर से आदेश नहीं है। जब बजट आपने दे दिया तो फिर ऊपर से आदेश किसका चाहिए? आप जोधपुर डिस्काम के अधिकारियों को विशेषकर निर्देश देवें।

आदरणीया मुख्य मंत्रीजी के आदेशानुसार 72 आवर्स में बर्न्ट ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि किसान का जब भी ट्रांसफार्मर जलता है, पहले तो किसान बर्न्ट ट्रांसफार्मर को सब-डिविजन हैडक्वार्टर पर अपनी गाड़ी में लाता है और उस वक्त रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं रहता है। तो आप, मेहरबानी करके, बर्न्ट ट्रांसफार्मर जब 72 ऑवर्स में रिप्लेस करना है, और किसान अगर वह ट्रांसफार्मर जमा करा देता है तो आप इस तरह के निर्देश दें कि 72 आवर्स में वह ट्रांसफार्मर बदल दिया जाए।

एक मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि 2008 तक जो है, जितने भी डोमेस्टिक कनेक्शन, एन डी एस कनेक्शन, एग्रीकल्चर कनेक्शन, इन सबके फील्ड में सारे काम उपभोक्ता करते आये हैं, इस काम में कभी ठेकेदारी पद्धति थी नहीं, परन्तु 2009 से लेकर 2013 तक कांग्रेस के राज में यह ठेका पद्धति

(श्री लादूराम)

शुरू हुई है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ठेका पद्धति में ए ईएन और एक्स ईएन के यहां बिल तो बन रहे हैं परन्तु वास्तव में अभी भी काम उपभोक्ता ही अपने ख़र्चे से कर रहा है। जब वह उपभोक्ता ही अपने ख़र्चे से काम कर रहा है तो फिर यह ठेका पद्धति कांग्रेस राज में क्यों लागू की गई? और उसके कारण इन कम्पनियों को घाटे में क्यों डाला जा रहा है? इसकी आप विस्तृत जांच करायें। मैं जो कह रहा हूं, इस बारे में आप चर्चा कर लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। पूरे राजस्थान में 2008 से पहले कभी ठेका पद्धति थी ही नहीं और 2009 से 2013 में ठेका पद्धति, पता नहीं, कहां से आ गई। इसमें सारा काम बिलों का फर्जी होता है। आप इसकी जांच करा लें और जांच कराकर के इसमें जो भी आप एक्शन लेना चाहें, वह एक्शन लें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक आपने और आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है, सोलर एनर्जी के लिए 25 हजार मेगावाट का उत्पादन करने का आपने निर्णय लिया है। इसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन चारों ज़िलों में पड़त जमीन, सरकारी जमीन हज़ारों बीघाओं में उपलब्ध है आज की तारीख में। तो आप यह ध्यान रख लें कि आप इधर एम ओ यू करो प्राइवेट कम्पनियों से और इधर जो है इस सरकारी जमीन पर लोग कब्जा नहीं कर ले, कब्जा करेंगे तो आपका यह जो उत्पादन का प्रोग्राम है वह डिले होगा। इसलिए वो हजारों बीघा जमीन है उस पर आप बाउंडरी करा दें तो आपका सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, पच्चीस हजार मेगावाट का मतलब है पांच हजार एल यू और पांच हजार एल यू का मतलब है, राजस्थान में अभी मैक्सिमम कंजम्प्शन 2,200 एल यू है, मतलब, अपन सरप्लस स्टेट में घोषित होते हैं और सीधा अपन दूसरे स्टेट को बिजली बेचेंगे; अगर यह लैंड जो सरकारी लैंड है और सरकारी लेंड पर जनरली कब्जा करने की आदत है, तो वे कब्जा नहीं करें और इस पर आप प्रोडक्शन शुरू करो उससे पहले आप बाउंडरी करा दें तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। ये आपको निवेदन कर रहा था।

एक सिविल लायबिलिटीज बिल, 2012 के बारे में वापस निवेदन करना चाहता हूं, मैं पहले भी बोला हूं। कांग्रेस के राज में सिविल लायबिलिटीज बिल, 2012 इंट्रोड्यूस किया गया और उसके तहत एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स, एक किसान से करीब एक हार्स पावर पर 70-80 हजार रुपये का जुर्माना लेते हैं। आदरणीय सभापतिजी, किसान कोई करोड़पति तो है नहीं जो उससे एक हार्स

(श्री लादूराम)

पावर पर 70-80 हजार रुपये जुर्माना लिया जाए। ये मेरे पड़ोस में शुभकरण जी बैठे हैं ये झुन्झुनूं के हैं; आप नागौर की पोजिशन ले लें; आप जैसलमेर की ले लें; आप बाड़मेर की ले लें। मेरे यहां एक सुरजाराम कलबी है उसके 6 लाख की पेनल्टी विजिलेंस चैकिंग में लगाई है और उसकी पेनल्टी बिलकुल झूठी लगाई है, वह 16 महीने फ्लैट रेट में चला। आप बताइये, आपके फ्लैट रेट के नियमानुसार फ्लैट रेट में मीटरिंग होती ही नहीं है। फिर आपने उसकी चैकिंग कैसे की? और चैकिंग करके 6 लाख का जुर्माना लगा दिया। अब यह बात मैंने आपको ज्ञापन द्वारा समझाई थी। आदरणीय राणावत साहब, मैंने आपको निवेदन किया था कि इस उपभोक्ता के गलत बिलिंग की है, गलत चैकिंग हुई है। 16 महीने यह जब फ्लैट रेट में चला है तो इसकी विजिलेंस चैकिंग कैसे की? और ट्रांसफार्मर हटा लिया। ट्रांसफार्मर हटाये आज सवा महीना हो गया। खारवा गांव है। अब सवा महीने से एक किसान का ट्रांसफार्मर बिना वजह आपने हटा दिया। मतलब, आपके अधिकारियों की गलती है, वे तो उस पर कोई कार्यवाही ही नहीं कर रहे हैं और वह ट्रांसफार्मर अभी भी हटा पड़ा है। अब उस किसान की क्या हालत है।

इसी प्रकार कल और परसों भी मैं बाड़मेर के ट्यूर में था। किसी के ढाई लाख, किसी के तीन लाख, ये सारे जुर्माने आप लगा रहे हो। तो आप मेहरबानी करके और यह जो इस प्रकार का जुर्माना है, वह आप आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने अभी डिक्लेयर किया है कि सिविल लायबिलिटीज बिल, 2012 की जो भी हैं मैं नियामक आयोग के पास भेजूंगी तो इस नियामक आयोग को भेजने की फाइल को आप तत्परता से लागू करें, ताकि किसानों को फालतू पेनल्टी जो लग रही है उस पेनल्टी को तुरन्त बंद किया जाए। मेरी यह आपसे रिक्वेस्ट है कि नियामक आयोग को यह पत्रावली तुरन्त भेजें।

एक आपके बिजली और पानी का आप देख लो, पिछले 50-60 साल से मैं बिजली में ए ईएन रहा, एक्स ईएन रहा, एस ई रहा और चीफ इंजीनियर तक मैंने यह पद लिया और बिजली और पानी का हमेशा लड़ाई-झंझट रहा। पानी वाले कहते हैं कि साहब, बिजली नहीं मिल रही है; बिजली वाले कह रहे हैं कि हम लगातार बिजली दे रहे हैं। अब आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने और श्रीमती किरण माहेश्वरीजी ने यह तय कर दिया कि सौर ऊर्जा के पम्प तुरंत लगाये जाएं तो सौर ऊर्जा के पम्प लगते ही पानी और बिजली के लड़ाई-झगड़े बंद हो जाएंगे, पानी और बिजली का लड़ाई-झगड़ा नहीं रहेगा, तो उस केस में मेरा यह निवेदन है कि सौर ऊर्जा के पानी के चीफ इंजीनियर

(श्री लादूराम)

(रूरल) हैं मि. धींगड़ा, धींगड़ा साहब से भी मैंने बात की, परसों मैंने बात की बाड़मेर जिले से ही। मैंने कहा कि आप सौर ऊर्जा के पम्प का मैटर जब विधान सभा में तय हो गया तो आप इसको टाप प्रायोरिटी पर सौर ऊर्जा के पम्प लगाने शुरू कर दें, ताकि बिजली का फाल्ट वाला मामला या बिजली में अनआथोराइज्ड कनेक्शन जो हो रहे हैं, उन अनआथोराइज्ड कनेक्शंस के कारण वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, ये सारे मसले सोल्व हो जाते हैं। तो मैं पी एच ई डी के मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो सौर ऊर्जा पम्प आपने घोषित किया है विधान सभा के पटल पर उसको तुरन्त लागू किया जाए, ताकि यह जो अभी समर चल रहा है इस समर में पानी की सप्लाई की दिक्कत नहीं आये।

एक अभी आदरणीया वसुन्धराजी ने जनता जल योजना के लिए 139 करोड़ रुपये अलाट किये हैं। अब पूरे राजस्थान में पूरा-पूरा मारवाड़, पूरा बीकानेर, मैं जहां भी रहा हूं, जनता जल योजना बिलकुल फेल्योर है। जनता जल योजना के कारण पब्लिक को पानी मिलता नहीं है। सरपंच का कोई कंट्रोल नहीं है। तो 139 करोड़ रुपये जो आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने अलाट किये हैं, उसके तहत श्रीमती किरण माहेश्वरीजी, मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जनता जल योजना के तहत आने वाले समर में आप पानी की सप्लाई इम्प्रूव करें। आपके रूरल एरिया में 70 एल पी सी डी वाटर का प्रोविजन है। आज बाड़मेर जिले में पशुधन भी बहुत है और वहां 70 एल पी सी डी की जगह दो-दो महीने पानी मिल नहीं रहा है। आप बताइये, इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है? मतलब, दो-दो महीने बाड़मेर जिले में पानी नहीं मिल रहा है। गांवों में आप जाकर देखो तो सही। बीच में आप पधारी थीं, उस वक्त हमारा आपका साथ नहीं हुआ वरना हम आपको बताते। आपको अब टाइम मिले तो दुबारा पधारो। हालांकि आपके एक्स ईएन, एस ई से मैं परसों भी मीटिंग लेकर आया हूं सर्किट हाउस, बाड़मेर में और उनको मैंने सुझाव भी दिया, उनको अच्छी-अच्छी बातें भी बताईं। आप मेहरबानी करके पानी की सप्लाई इम्प्रूव करें क्योंकि लोग प्यासे मर रहे हैं, पानी बिलकुल नहीं मिल रहा है और बिजली की शिकायत अब कर नहीं सकते क्योंकि सोलर पम्प आपने नया आविष्कार कर लिया है तो मेहरबानी करके पानी की जो सप्लाई है, वह इस आने वाले समर में आप इम्प्रूव करें।

आपने, सभापतिजी, मेरे को बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): धन्यवाद, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, आज सदन में एक बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। बिजली मात्र किसान की नहीं, बिजली देश में रहने वाले एक-एक व्यक्ति की बहुत बड़ी जरूरत है, चाहे वह आम जन हो, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे वह नौकरीपेशा आदमी हो। जब से विद्युत का काम शुरू हुआ है तब से ही सरकारें आईं, गईं, कई बार चिन्ताएं हुईं। सब लोगों ने अपने-अपने अनुसार इसको सुधारने का काम भी किया। किससे कहां-कहां गलती हुई, यह तो मैं नहीं जानता पर उनके सुधार में यह किसान बार-बार सभापति महोदय, जब भी कोई सुधार का या नया आविष्कार इन लोगों ने किया, सरकारों ने किया, तो किसान हरेक बार पीसा गया।

सरकार ने एफ आर पी का काम चालू किया। सभापति महोदय, एफ आर पी के काम से पहले ट्रांसफार्मर्स की गुणवत्ता आप देखें, तो मैं आपको बताऊं, उससे डेढ़ गुना कैपेसिटी पर अगर लोड डाल दिया जाता तो ट्रांसफार्मर जलता नहीं था। इंजीनियर्स ने सरकार को समझाया, यह बिजली की चोरी इसलिए हो रही है कि 60 के वी ए के ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, वे पांच-पांच किसान एक साथ कनेक्शन लेते हैं, जिम्मा किसी का रहता नहीं, इसलिए आप दो ट्रांसफार्मर लगाइये। एक ट्रांसफार्मर पर मात्र दो किसानों को आप कनेक्शन दीजिये। 25 के वी ए का ट्रांसफार्मर तो आपने दिया पर उसको लगाने का ठेका आपने किसी ऐसे ठेकेदार को दिया जो जान-बूझकर या तो उनसे सीमा का झगड़ा करवाएगा, या किसी एक किसान के खेत में ले जाकर लगाएगा, ताकि किसान रात-दिन लड़ता रहेगा। बिजली की चोरी कोई रुकेगी नहीं।

वो ट्रांसफार्मर, चलो, यह तो हुआ सो हुआ, सभापति महोदय, हो सकता है, उन्होंने ठीक किया होगा, किसान तो उसको अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, पर मैं इस सदन के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वह 60 के वी ए का ट्रांसफार्मर जो पहले किसान के खेत में लगा हुआ था, वह गया कहां? मैं जानना चाहता हूं, वह तो सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया कि इन कम्पनियों की आडिट की जाएगी, पर, सभापति महोदय, जो पुराने एफ आर पी से पहले बिजली के पोल खड़े थे, लाइनें खड़ी थीं, 60-60 के वी ए के, 100-100 के वी ए के ट्रांसफार्मर लगे थे, सारे के सारे बंदरबांट में गये। ठेकेदारों ने उनको उतार-उतार कर बेचा है। इस राजस्थान की सरकार के खाते में उसका पैसा जमा नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं।

बार-बार बातें उठाई जाती हैं, हिन्दुस्तान में रिकार्ड टूटा, राजस्थान में सबसे महंगी बिजली, 8.66 रुपये प्रति यूनिट। जब बिजली की चर्चा पहले हुई

(श्री शुभकरण चौधरी)

थी, तब आडिट की बात आई। तो जब बजट पेश किया गया, जब आर्थिक समीक्षाएं की गईं तो सामने आया कि इस देश में सबसे महंगी बिजली का उत्पादन मात्र राजस्थान में होता है। कहां जायेगा किसान? कहां जायेगा औद्योगिक इकाइयां लगाने वाला आदमी, कहां जायेंगे वे लोग जो यहां इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं? चार, साढ़े चार, पौने पांच रुपये की औसतन रेट उत्पादन में पूरे देश में और राजस्थान में आठ रुपये, साढे आठ रुपये। ऐसा क्यों? सभापति महोदय, अगर सरकार इस काम में कुछ करना चाहती है और किसान को या इंडस्ट्री को कोई फायदा पहुंचाना चाहती है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा; जो बिजली का उत्पादन होता है उसकी रेट को कम करना पड़ेगा। वह कम करने के बाद, इस प्रकार की टीम गठित करनी पड़ेगी, ऐसे विशेषज्ञ आपको बुलाने पड़ेगे, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजना बनाएं और एक ऐसी टीम गठित करें जो हमें यह सजेशन दे सके कि विद्युत का उत्पादन कम दर पर कैसे किया जा सकता है।

आपने अगर उत्पादकता की दर को घटा लिया, तो उसके बाद बिजली के महकमे में आज जो सबसे ज्वलंत समस्या है, वह है विद्युत सामान की सप्लाई। सभापति महोदय, तार, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, पोल, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके एफ आर पी प्रोग्राम से पहले जो सामान आपके यहां सप्लाई होता था, मैं नहीं जानता कि दरें कितनी बढ़ गईं पर उनकी गुणवत्ता 50 प्रतिशत भी नहीं बची। अब तो हालात यह है कि 5 के वी के ट्रांसफार्मर पर किसान ने, मैं इस बात को मानता हूं, स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि किसान यह काम करता है और इसलिए कि हम करवाते हैं उससे। आज आप मुझसे बिजली का डिमांड नोटिस जमा करते हैं, तीन-तीन महीने तक कनेक्शन का ठिकाना नहीं रहता। किसान जायेगा कहां? किसान का बच्चा पढ़ना चाहता है, किसान उजाले में रहना चाहता है, किसान भी कीट-कांटे से बचना चाहता है। वह भी चाहता है मेरी गाय-भैंस को करंट न लग जाये, मेरे बच्चे पढ़ाई करें, कोई सांप-बिच्छू मुझे काट न जाये। इसलिए वह भी बिजली का एक बल्ब जलाना चाहता है। पर उसकी तो ऐसी हालत कर दी कि अगर किसी ने एक तार डाल लिया तो उसको तो आप फांस कर दो, बी सी आर का ऐसा डंडा आप मारते हो और उसको कनेक्शन देते नहीं। सभापति महोदय, आखिर वह जाये तो जाये कहां?

सभापति महोदय, ऐसा काला कानून पिछली सरकार ने बनाया

(श्री शुभकरण चौधरी)

जिसका नाम है सिविल लायबिलिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों को अंग्रेजों के समय में जब काले पानी की सज़ा दी जाती थी, वह इतनी बुरी नहीं थी जितना इस सिविल लायबिलिटी कानून में है। एक किसान अगर थोडी-सी चोरी कर ले और अगर वह नान-कंज्यूमर है तो, सभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं, लाख-लाख, दो-दो लाख रुपये में भी वह छूटता नहीं और पैसा जमा नहीं कराये तो जेल जाना पड़ता है। प्रजातंत्र में इस प्रकार का कानून, जिसको कोई जानता नहीं; कोई है ऐसा किसान का बेटा जो आकर मुझे समझाये तो सही, यह सिविल लायबिलिटी है क्या चीज? सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं किस चीज का नाम हैं, सिविल लायबिलिटी? कौनसे कानून का नाम है? किसान बिजली चोरी करता है, आप जितनी पेनल्टी लगाना चाहते हैं, लगा दें। अगर उसकी मोटर की कैपेसिटी बढ़ गई, आप जितनी कम्पाउंडिंग राशि उससे लेना चाहते हैं, ले लें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को, उन्होंने कल-परसों अनाउंस किया कि अब कम्पाउंडिंग राशि को 2 हजार से घटाकर 1 हजार रुपये कर दिया जायेगा। वैसे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हजार रुपये वाला जमाना चला गया। भूजल स्तर 800-800 फीट नीचे चला गया। इस राजस्थान में कहीं, एक दो जगह की तो मैं कहता नहीं, हाड़ौती में कहीं पानी ऊपर मिलता हो तो; मैं जहां से आया हूं, जहां हम बचपन में कुएं से बाल्टी से पानी निकालते थे, उस शेखावाटी में आज के दिन 800 फीट से अगर कहीं पानी मिलता नहीं और अगर 800 फीट गहराई से पानी लाना है तो 15 एच पी से कम की मोटर कहीं चलती नहीं। इसलिए हजार रुपये वाली बात को मैं नहीं मानता, पर 1,500 रुपये ही सही, कम्पाउंडिंग राशि तो हमारी सरकार के समझ में आई, पर यह सिविल लायबिलिटी का काला कानून आज तक किसी के समझ में नहीं आया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सिविल लायबिलिटी का कानून, जिस दिन देश में बिजली का उत्पादन शुरू हुआ, जिस दिन आपने किसान को बिजली देना शुरू किया, उससे लेकर आज तक कोई ऐसा नाम नहीं सुना। पता नहीं, पिछली सरकार में किसानों के बेटे कहां से यह कानून लेकर आये। मैं सदन से और हमारी सरकार से आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन करूंगा कि यह सिविल लायबिलिटी नाम का काला कानून बिलकुल समाप्त किया जाये। यह किसानों को कतई बरदाश्त नहीं है।

सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंस किया कि बूंद-बूंद

(श्री शुभकरण चौधरी)

सिंचाई योजना के कनेक्शन दिये जायेंगे, पर एक समस्या जो क्षेत्र में आ रही है, हमारा बूंद बूंद सिंचाई योजना में, सभापति महोदय, नियम यह बना हुआ है, 30 दिन या 60 दिन में कनेक्शन करना है। पैसा जमा कराने के बाद, फाइल की स्वीकृति के बाद, जिस दिन डिमांड राशि जमा कराने जाते हैं, उस दिन एक चिट्ठी सामने लिखी जाती है, प्रमाण-पत्र लाओ कि आपने कुआं डार्क जोन घोषित होने से पहले बनाया था। यह कानून खतम करना चाहिये। यह किसानों के साथ लूटपाट है। किसानों के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। जब आपने बूंद- बूंद सिंचाई योजना स्वीकार ही कर दी, जब आप कनेक्शन ही देना चाहते हैं, तो फिर वह डार्क जोन से पहले बना या बाद में बना, यह प्रमाण-पत्र आप हमसे क्यों चाहते हैं? सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाये, इसमें सरलीकरण किया जाये और किसानों को प्रोत्साहित किया जाये। अगर आप बूंद-बूंद सिंचाई करना चाहते हो और हमारा पानी बचाना चाहते हो, तो कुआं आपने चाहे कभी भी किया हो, उसको कनेक्शन दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, बी सी आर का आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चारों तरफ अखबारों में भरा पड़ा है। मैं तो अपनी सच्चाई बता सकता हूं कि मैं क्षेत्र में जाने से कतरा रहा हूं, जाना नहीं चाहता। मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या हो रहा है? साहब बिजली की चोरी; मैंने कहा कि बिलकुल ठीक बात है। किसान ने एक बल्ब लगा लिया वह बिजली की चोरी है, औद्योगिक इकाइयों में लाखों यूनिट की चोरी की जाये, वह चोरी नहीं! और चोरी है भी तो इसका जिम्मेदार कौन है, कोई ऐसी व्यवस्था करो कि किसान को चोरी नहीं करनी पड़े। सभापति महोदय, किसान चोर नहीं है, किसान पैसा देना चाहता है पर आपकी हठधर्मिता, आपके कानून, आपके इस प्रकार के नियम कि आपके पांच पोल, आपके तीन पोल, आपकी ग्रुप स्कीम में..., मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्रुप स्कीम जो आपने शुरू की, आपने 5 के वी का ट्रांसफार्मर लगा दिया, 5 लोगों को कह दिया कि गैर-आबादी में आपको कनेक्शन देंगे। उन पांचों के बीच में एक गरीब आदमी खेत में बैठा है, और जहां भी सिंचित क्षेत्र हैं वहां लोग खेतों में जाकर बसेंगे क्योंकि चारों तरफ आवारा पशु उनकी फसल को खा जाते हैं और बहुत-सी समस्याएं है; जब वह उनके बीच में बसा हुआ है, तो सरकार का कुछ नहीं लगता, उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी आप 5 के वी के बजाय 7 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, किसान आपको बिजली का बिल देगा, किसान लगने वाले पोल का पैसा देगा और आपकी चोरी नहीं करेगा।

(श्री शुभकरण चौधरी)

आप इस छीजत को अगर रोक लेंगे, आपकी प्रोडेक्शन की रेट जो बढ़ रही है उसको अगर रोक लेंगे और अपने मेंटीनेंस को रोक लेंगे..., सभापति महोदय, पिछली सरकार जब 2008 में थी उससे पहले, ठीक कह रहे थे लादूरामजी, कभी भी ठेका प्रथा रखरखाव की नहीं रही। आपके कनेक्शन ठेकेदार देगा। सभापति महोदय, लूट मच रही है। मुझे कनेक्शन चाहिये, मेरा नम्बर आ गया, हजार रुपये देने पड़ेगे, पांच हजार देने पड़ेंगे, दस हजार दूंगा तब कनेक्शन मिलेगा। आप इसको रोक दीजिए। आप छीजत को रोक दें, आप मेंटीनेंस पर कंट्रोल करें, आप प्रोडेक्शन पर कंट्रोल करें। तार झूल रहे हैं, जमीन पर लटके पड़े हैं। सभापति महोदय, आप आंकड़ा देखिए, राजस्थान में किसान को मृत्यु के उपरांत मिलने वाली मुआवजा राशि का आप मूल्यांकन कीजिए। स्थिति यह है कि किसान के साथ न्याय नहीं हो रहा, उसको पूरा मुआवजा मिलता नहीं। अगर पूरे मुआवजे की सूचना यहां मंगायें और पूरे की गिनती करें, तो इतना पैसा होता है। मात्र इनकी मेंटीनेंस की वजह से, अगर उस मेंटीनेंस को ठीक कर लिया जाये, झूलते हुए तारों को ठीक कर दिया जाये, टेढ़े-मेढ़े पोलों को ठीक कर दिया जाये, छीजत पर कंट्रोल कर लिया जाये, मेंटीनेंस को अगर कंट्रोल कर लिया जाये और प्रोडक्शन की रेट कम कर दी जाये, तो राजस्थान की सरकार को बिजली का एक भी पैसा कभी बढाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसलिए इन चीजों पर कंट्रोल किया जाये। नुकसान हो गया, कीमत बढ़ गई, इसलिए किसान को फांसी कर दो, या किसी इंडस्ट्री वाले के पैसे बढ़ा दो, इन चीजों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, अभी लादूरामजी कह रहे थे, सरकार चाहे पूर्ववर्ती हो या हमारी हो, बाकायदा तय किया था कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिये जायेंगे। सभापति महोदय, यह चीज सच्चाई से कोसों दूर है। 72 घंटे तो दूर, किसान के ट्रांसफार्मर को चोर चोरी करता है, मेरे आपके या किसी के घर में चोरी होती है तो एफ आई आर लाज होती है, पुलिस उसी टाइम जांच करना शुरू करती है, पर वह गरीब किसान क्या करे? वह तो जाकर अधिकारी को सूचना दे सकता है कि मेरे खेत का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। कुछ दिन पहले तक तो यह नियम बना हुआ था, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, अब यह नियम बना दिया गया है, अजमेर में जहां आपका कंट्रोलिंग आफिस है वहां एफ आई आर के बाद जब तक अजमेर वाले उसकी परमिशन नहीं देते, किसान की फसल चाहे तबाह हो जाये, चाहे

(श्री शुभकरण चौधरी)

उसका सब कुछ सत्यानाश हो जाये, ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। यह काला कानून, मंत्री महोदय, यह राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान बरदाश्त नहीं करने वाले। इसलिए तय कर दिया जाये, 72 घंटे भी बहुत ज्यादा हैं, 48-50 घंटों में, चाहे वह ट्रांसफार्मर चोरी हुआ हो और किसी ने भी किया हो, किसान चोरों को कहां से पकड़कर लायेगा? लूट मची है, चारों तरफ डाकू हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों की तो बहुत बुरी हालत है। थोड़े दिन पहले मैं मेवात की तरफ गया, तो एक-एक गांव में एक रात में आठ-आठ ट्रांसफार्मर चोरी हो गये। मेरे यहां एक रात में 4 ट्रांसफार्मर चोरी हो गये। सभापति महोदय, बताइए चोरी चोर करता है और भुगतना किसान को पड़ता है, यह चीज कतई बरदाश्त नहीं की जायेगी।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें जब हुईं तो उसकी वेदना देखकर मैंने दो लाइनें लिखी थीं, आपको सुनाऊंगा जरूर कि-

इंसाफ जब जालिमों की हिमायत में जाएगा...

हालात ये रहेंगे तो मंत्री महोदय किसान कहां जाएगा?

हालात ये रहेंगे तो किसान कहां जाएगा?

इंसाफ जब जालिमों की हिमायत में जाएगा...

आप यह बताओ, 'जब ठोकरें हम यूं लगाएंगे कानून की, तो अदालत में कौन जाएगा?

नश्तर नोच-नोचकर खा चुके हैं ये लोग,

नश्तर नोच-नोचकर खा चुके हैं ये लोग, किसानों,

अब यह सर बचा है, यह भी क्या शराफत में जाएगा?

किसान की शराफत का इम्तहान नहीं लिया जाए, उसको राहत दी जाए।

कांग्रेस की सरकार के समय किसानों ने जब-जब बिजली की मांग की, उदयपुरवाटी इस बात का गवाह है, सैकड़ों किसानों पर रास्ता रोकने के मुकदमे लगाये गये। बिजली मांग रहे थे, डण्डे बरसाये गये। सभापति महोदय, मैं मेरी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के किसानों पर लगे हुए मुकदमे सरकार वापस लें। उन्होंने बिजली मांगी थी, अन्याय नहीं किया। किसी को लूटा नहीं। आप उन ट्रांसफार्मर वालों को फांसी करो ना; जो ट्रांसफार्मर की, लाइनों की चोरी करते हैं उन पर कुछ करो। किसान ने बिजली मांगी, उस पर आपने डण्डे बरसाये और आपने उस पर मुकदमे लगाये। लगाने वालों ने तो लगा दिये लेकिन वे मुकदमें वापस लिये जाएं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री शुभकरण चौधरी)

सभापति महोदय, ट्रांसफार्मर के ऊपर एफ आई आर हमारी जरूरत हो सकती है, निगम की जरूरत हो सकती है, पर किसान की जरूरत तो बिजली है। उसे तो दो दिन के अन्दर वापस ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी किया जाए।

गैर-आबादी क्षेत्रों में, मैंने आपसे कहा, पांच-पांच की स्कीम वाली जो स्कीम हमने बनाई है, उस पर आप ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा दें। कैपेसिटी बढ़ाते ही, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जो चोरी का मामला है, एकाध घरों का है; पांच घर के साथ थोड़ी-सी कैपेसिटी बढ़ाकर एक घर या दो घर को कनेक्शन दे दोगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। रेवेन्यू आयेगी, छीजत रुकेगी, चोरी रुकेगी और हमारा पैसा बढ़ेगा, क्योंकि बिजली तो वैसे भी जल रही है।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। पहले गैर-आबादी क्षेत्रों में दो-तीन पोल की, अगर कोई कनेक्शन किसान लेना चाहता था तो उसके लिए छूट थी, उस छूट को वापस चालू किया जाए। आज तो हालत यह है कि बी पी एल के कनेक्शन के लिए भी हमें समस्या है। केबल कनेक्शन लेना है तो लो, पोल नहीं दे सकते। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे राजस्थान के किसानों को जो गैर-आबादी क्षेत्र में बसे हुए हैं, उनको केबल नहीं एक-दो-तीन पोल का फ्री में कनेक्शन दिया जाए।

पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है, जो मात्र कुछ जिलों के लिए है, वह 6 जिलों के लिए शुरू की, 816 करोड़ रुपये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह योजना पूरे राजस्थान में चालू की जाए ताकि शेखावाटी के लोग जो गांव-ढाणी में बसे हुए हैं, जिनको आपने वंचित किया है, मंत्री महोदय, उनको भी बिजली मिल सके। इस प्रकार का निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस वक्त मार्च में हरेक कोई करता है, हरेक विभाग अपना रेवेन्यू का टारगेट प्राप्त करने के लिए भागदौड़ कर रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व के टारगेट की पूर्ति को वी सी आर के माध्यम से नहीं किया जाए। किसान कहता है, त्राहि-त्राहि मचाता है, फसल काट रहा हूं, कोई चोरी नहीं कर रहा; अधिकारी कहते हैं, विधायकजी, टारगेट का मामला है, क्या करें? मंत्री महोदय, टारगेट किसानों के गले काटने के लिए नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ जगह ऐसा हो रहा है। किसान के घर में अगर चक्की पड़ी है, आपके घर

(श्री शुभकरण चौधरी)

में चक्की पड़ी है तो आप जरूर चलाते होंगे; आपके हीटर पड़ा है तो आप जरूर चलाते होंगे; आपके घर में ए सी पड़ा है तो जरूर चलाते होंगे। मंत्री महोदय, इस प्रकार की वी सी आर भी भरी जा रही है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे घर में ए सी पड़ा है, इसलिए मैं उसको चलाता ही हूं और मेरे पास विद्युत कनेक्शन नहीं है इसलिए वी सी आर भरी जाएगी, यह बात उचित नहीं है। इसको ठीक किया जाना चाहिए। आपको इस पर कंट्रोल करना चाहिए।

वोल्टेज रेग्यूलेशन बढ़ाने के लिए आपको लाइनों को थोड़ा छोटा करना चाहिए। आज की तारीख में जी एस एस से 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर लाइनें हैं। यह पुराना मामला था जब आपके तार थोड़ी अच्छी क्वालिटी के थे। मैंने पहले भी कहा ट्रांसफार्मर ठीक थे, अब आपकी क्वालिटी उस सामान की है, जब तक कंट्रोल नहीं करोगे काम नहीं चल पाएगा। सभापति महोदय, 5-5 बार एक-एक गांव-ढाणी के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं।

मैं जानना चाह रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, विद्युत कम्पनियों में, निगमों में अगर कोई घाटा है तो मात्र घटिया सामान की सप्लाई है। किसान की चोरी घाटे का कारण नहीं है। बार-बार किसान को बदनाम किया जाता है कि किसान चोरी करते हैं, इसलिए घाटा हो रहा है। घाटा यह नहीं है, घाटा है घटिया सामग्री। घाटा है घटिया रखरखाव घाटा है आपकी ठेकेदारी प्रथा घाटा है आपकी छीजत और घाटा है आपकी प्रोडक्शन कास्ट। इन चीजों को जिस दिन ठीक कर लोगे, राजस्थान के अन्दर चाहे कोई इंडस्ट्री लगाए, चाहे किसान अपनी खेती करें, किसी को कोई घाटा नहीं होगा, किसी का कोई पैसा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते इन चीजों को देख लेंगे तो ये चीजें ठीक होगी। बार-बार 77 हजार करोड़ का आता है, हम 15 हजार करोड़ छोड़कर गये थे, अब और कोई आगे ना बढ़ जाए, सबके सब लोग इस विद्युत निगम से बचें। इस बात पर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं, क्योंकि ठेका प्रथा आने के बाद वाकई बहुत बुरी हालत है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कस्बों और शहरों में जितना हो सके, आप अण्डरग्राउण्ड केबल के बारे में सोचें। आप अगर अण्डरग्राउण्ड केबल्स की स्कीम लाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी मेंटीनेंस की भी कमी आयेगी और हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। एक बार

(श्री शुभकरण चौधरी)

थोड़ा-सा पैसा ज्यादा लग सकता है लेकिन उसके बाद वहां की सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी, आइंदा मेंटीनेंस का पैसा नहीं लगेगा।

सभापति महोदय, मैं बोल सकता हूं ना? क्योंकि मेरे क्षेत्र की इम्पोर्टेंट बातें बाकी हैं।

सभापति महोदय, किसान अगर बिजली के हादसे में मर जाता है, हाथ-पैर कट जाते हैं तो यह बात सही है कि निगम उसको मुआवजा देता है, पर कानून इतने कठोर हैं, किसान लाता तो है, उसे पांच लाख रुपये तो मिलते हैं पर पांच लाख रुपये लेने के लिए उसको इतना प्रताड़ित होना पड़ता है, इतने नियमों के माध्यम से गुजरना पड़ता है कि हमें भी कई बार शर्म आती है। आपको पता है, बिजली का जे ईएन आता है, ए ईएन आता है, एक्स ईएन आता है, जिस दिन बिजली का हादसा होता है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, प्रशासन आता है। सारे लोग जिनसे चर्चा करनी है, चाहे वह पुलिस हो, या प्रशासन हो, या विभाग के अधिकारी हों, उस दिन उसकी अंत्येष्टि में सब लोग आते हैं। उस हादसे के बाद जब सब लोग आते हैं तो फिर एक-एक साल तक किस बात के नियम। सभापति महोदय, दो-दो साल लग जाते हैं। जब केस बहुत पुराना हो जाता है तो कई बार तो यह होता है, पता नहीं, उन एक्स ईएन का ट्रांसफर हो गया, वह थानेदारजी भी चले गये, विधायक महोदय, मैं तो कह नहीं सकता, हो सकता है, यह बात कोई पुरानी है, हुआ भी या नहीं हुआ। कई बार तो जमीर में ऐसी आग लगती है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूं, कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत से सच कहो तो बहुत बुरा मान जाते हैं लोग; हिम्मत से सच कहो तो लोग बुरा मान जाते हैं, पर रो-रोकर चुप रहना और घुट-घुटकर मरना, हमें भी आता नहीं है। इसलिए सच्चाई को उजागर करे बिना तो रह नहीं सकते। इसमें सरलीकरण करना ही चाहिए। जब आपको पैसा देना है तो उस किसान का, जिसका इंसान चला गया, उसको मान-सम्मान के साथ, कोई समय सीमा तय होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी संवेदनशील सरकार को कि 15 दिन में ऐतिहासिक फैसला कर दिया, किसान की फसल का मुआवजा दिया। इसमें भी कोई समय सीमा तय होनी चाहिए कि बिजली के माध्यम से अगर किसान के साथ कोई हादसा हो गया तो 15, 20, 25, 30 दिन के अन्दर-अन्दर उसको पैसा मिलना ही चाहिए, ताकि उसको थोड़ी राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा में अगर समस्या है तो मैं

(श्री शुभकरण चौधरी)

समझता हूं कि पूरे राजस्थान में भी होगी। 33 के वी जी एस एस, जब हमारी सरकार पिछली बार थी तब घोषित जी एस एस जिन पर काम चालू हो गये थे, पोल खड़े हो गये थे, बाउण्डरी बन गई थी, जमीन का अलाटमेंट हो गया था, पट्टे बन गये थे; सभापति महोदय, विडम्बना देखिए, उस वोल्टेज रेग्यूलेशन को बढ़ाने के लिए, किसान की सप्लाई को दुरुस्त रखने के लिए, हमारी सरकार का मतलब यह हो गया कि 2008 में हम जो काम शुरू करके गये थे, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वह जी एस एस चालू नहीं हुए, उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिले। उनके काम शुरू नहीं हुए। (व्यवधान) श्रवणजी, ताली तो बाद में बजाना, पांच साल का हिसाब दो पहले। ऐसे ही ताली किस पर बजा रहे हो? श्रवणजी को पता है कि आगे जो नाम बोलूंगा तो हालात ये आएंगे कि ताली बजाने लायक नहीं बचेंगे। एक-एक की स्थिति जब बताऊंगा तो पता लगेगा कि पांच साल लगातार तो जमीनों के झगड़े ही चलाते रहे। आपने गलत जगह कैसे कर दिया? ताली मत बजाओ पहले बात सुन लो।

सभापति महोदय, यह सच्चाई है कि इतने लम्बे समय तक किसान का वोल्टेज रेग्यूलेशन, जिसके लिए सारे एस्टिमेट बने, जिसके लिए टेक्निकल सैंक्शन हुई, टेक्निकल स्टाफ की टीम ने सारी योजना तैयार की, अगर 10-10 साल तक उन जी एस एस की योजना ही बनती रहेगी तो फिर काम कब होगा? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार के बंद पड़े जी एस एस, चाहे ट्रांसफार्मर की कमी हो, चाहे लाइनों की कमी हो, चाहे कोई और कारण हो, पर उनको तुरन्त चालू किया जाए ताकि किसान को बिजली की सप्लाई ठीक से मिल सके।

आडिट आपने शुरू कर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, ये जितनी चर्चाएं मैं आपके सामने कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ अगर आडिट होगी तो आपको बताना चाहता हूं, आज इस सदन में बोल रहा हूं, एक-एक बात खुलकर सामने आयेगी, यह सारा एफ आर पी का काम आपके सामने आयेगा; यह घटिया सप्लाई का सामान आपके सामने आयेगा। पिछले दिनों चर्चा हो रही थी, कौनसी टयूबलाइट दे दीं, ये घटिया चीजें जो इन्होंने दे दीं और जिन्होंने सप्लाई ले ली, यह सारा का सारा खेल आपके सामने आयेगा। प्रोडक्शन की कास्ट ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मेरी तीन-चार बातें रह गईं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम, अच्छा हाउस नहीं है। वर्षों से वहां 132 केवी जी एस एस के प्रस्ताव

(श्री शुभकरण चौधरी)

तैयार पड़े हैं। मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि वहां जल्दी से जल्दी बनवाएं ताकि क्षेत्र के किसानों को अच्छी सप्लाई मिल जाए और उसके ऊपर एक ए ईएन आफिस और बन जाए। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने एक ए.ईएन. आफिस खोला गुढा और पोख में...(व्यवधान) बाद में कर लेंगे अपन बात। गुढा और पोख में, न वहां पर कोई अधिकारी का आफिस है और न कोई मकान है और न कोई भवन है। कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं, मंत्री महोदय, उसको आप वापस, वह राजनीतिक द्वेषता की वजह से वहां गया था। वहां न कोई किसान है। वह पहाड़ी क्षेत्र है। उस ए.ईएन. आफिस को चवरा-मोरिंडा में स्थापित करें जहां पर जी.एस.एस. भी बना हुआ है और जहां पर हजारों बीघा जमीन किसानों की है, जहां पर काफी कनेक्शंस हैं। उसको वहां पर ट्रांसफर कर देंगे तो सबके फायदे की चीज रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत सप्लाई में मेरे उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में पांच ए.ईएन. आफिस हैं, एक बड़ा गांव में है, एक उदयपुर गुढा में है, एक उदयपुरवाटी में, एक पोख में है, एक छावसरी के पास में है। पांच ए.ईएन. आफिस और पचास हजार कनेक्शन होने के बाद भी वहां पर एक्स.ईएन. का आफिस नहीं है। आप गुढा-गौडजी में अगर एक्स.ईएन. का आफिस खोलेंगे तो प्रशासनिक दृष्टि से भी सारा कंट्रोल होगा, आपकी मेंटीनेंस में भी कमी आयेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सारा ठीक-ठाक चलेगा और पूरा कंट्रोल रहेगा। किसानों को भी आने-जाने में सुविधा रहेगी। हमारी फाइलें वहां पर ही स्वीकृत हो जाएंगी। तो एक गुढा के अन्दर आप एक्स.ईएन. आफिस खोलेंगे तो मैं समझता हूं कि वहां बहुत ज्यादा फायदा उस क्षेत्र को होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, जितने ए.ईएन. आफिस खोले गये हैं, उनके पास टेक्निकल हेल्पर्स की बहुत ज्यादा कमी है। वैसे तो अपन ने यह ठेका प्रथा शुरू कर दी, इसलिए इसकी जरूरत कम पड़ रही थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ठेका प्रथा से काम चलने वाला नहीं है, इस अकेली ठेका प्रथा से काम चलने वाला नहीं है। जब तक डिपार्टमेंट के खुद के आदमी होंगे नहीं और जहां पर पचास-पचास, साठ-साठ हजार कनेक्शन एक छोटे से एरिये में हों, वहां पर इस प्रकार की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए कुछ टेक्निकल हेल्पर्स की भर्ती करें और चाहे आप कहीं से शिफ्ट करके हमारे क्षेत्र में थोड़े से और दिलवाएं ताकि वहां की मेंटीनेंस आराम से हो सके, कनेक्शंस मार्च के महीने में टाइम पर हो सकें।

(श्री शुभकरण चौधरी)

मैंने आपसे निवेदन किया है, एक समस्या और है, माननीया सभापति महोदय, आजकल एक समस्या जो हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने कही भी थी कि हम कम्पाउंडिंग राशि को कम करेंगे। हम कम्पाउंडिंग राशि को तो कम करेंगे पर समस्या यह है कि मैं आज शाम को एक सर्टिफाइड कम्पनी की एक मोटर खरीद कर लाता हूं, माननीय सभापति महोदय, सुबह मेरे कुएं में लगाता हूं। फिर एक ए.ईएन. आता है और उस मोटर को चैक करता है तो वह कहता है कि आपकी मोटर तो 12.5 एच.पी. की है। 10 की रात को लगाता हूं, चाहे वह किलोस्कर की हो, चाहे क्राम्पटन की हो, चाहे किसी भी सर्टिफाइड कम्पनी की हो, जिसकी हमारी सरकार मान्यता देती है, जो आई.एस.ओ. मार्क्ड है और वह मोटर मेरे कुएं के अन्दर जाते ही ढाई एच.पी. की वापस बढ़ जाती है, माननीय सभापति महोदय, उसकी कम्पाउंडिंग राशि, उसका जुर्माना और उसका बिल, यह किसान के बस की बात नहीं है।

इसलिए यह तय किया जाए कि या तो उस कम्पनी को जो सर्टिफिकेट आपने आई.एस.ओ. 9001, 9002, क्या-क्या दे रखा है, उसको निरस्त करो, या फिर मुझे बताओ। उस कम्पनी के पास जाता हूं तो इतना टेक्निकल स्टाफ उसके पास भी है, नाप करने के मापदंड बने हुए हैं, सारे यंत्र उसके पास हैं, उसके यंत्र यह कहते हैं कि मोटर 10 एच.पी. की है और मेरे निगम के अधिकारियों के यंत्र कहते हैं कि मोटर साढ़े बारह एच.पी. की है। माननीय सभापति महोदय, यह बिलकुल गलत बात है। इसलिए इस चीज के बारे में भी कोई फैसला होना चाहिए। किसान जब रात को खरीद रहा है, कुएं में मैं क्या करूं? पानी मैंने तो नीचा नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, यह तो प्रकृति का नियम है। अभी हमारे आपदा राहत मंत्री कह रहे थे कि प्रकृति पर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है; प्रकृति तो मेरे हाथ में भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, पानी कभी 20 फीट नीचे था, आज हजार फीट नीचे है। तो अगर हजार फीट नीचे से पानी लाने के लिए मोटर की कैपेसिटी बढ़ती है तो आप कम्पनियों से कहो कि ऐसी मोटर बनाएं, पर हमें संतुष्ट जरूर करें। हमारे हमने साढ़े सात एच.पी. की मोटर खरीदी, हमने दस एच.पी. की मोटर खरीदी, आपने जाकर यह कह दिया कि आपकी मोटर साढ़े बारह एच.पी. की है। क्यों नहीं आप पर दो हजार रुपया जुर्माना लगाया जाए? क्यों नहीं आपके बिल को बढ़ाया जाए?

यह एक मेरी ही नहीं, पूरे राजस्थान की समस्या है। माननीय

(श्री शुभकरण चौधरी)
सभापति महोदय, इसको भी आप ठीक करवाएंगे तो मैं समझूंगा कि किसान के हित में एक बहुत बड़ा फैसला हम लोग करेंगे।

मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये छोटी-छोटी बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, माननीय सभापति महोदय, अगर हम लोग इन पर ध्यान देंगे और इन चीजों पर थोड़ा-सा भी अगर मंत्री महोदय और हमारी सरकार ध्यान रखकर थोड़ा काम करेगी तो जो काले कानून पिछली सरकार ने बनाये उन पर भी अंकुश लगेगा और जो किसानों के हितों की बात करने वाले बेलगाम होकर इन कम्पनियों को छोड़ गये, उस पर भी थोड़ा-सा कंट्रोल होगा।

आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया और समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम, साहब।

श्री सभापतिः श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, बिजली जैसे गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। मैं पिछली बार जब रामगंजमण्डी से निर्वाचित होकर आया था और तब सदन में बिजली की चर्चा के समय मैंने अपने मन की एक पीड़ा बताई थी। मैं जहां से आता हूं, खेत की मेंड़ पर किसान बोरिंग लगाता है और मेंड़ के इस हिस्से पर जहां कोटा स्टोन की दो-चार हजार फैक्टरियां हैं, कोई कोटा-स्टोन का उद्योग लगाता है, और दफ्तर में दोनों साथ जाते हैं। जिस पत्रावली पर उद्योग लिखा है, उसका निस्तारण दस दिन में कनेक्शन का होता है और जिस पत्रावली पर कृषि कनेक्शन लिखा है, दस साल में भी उसका निस्तारण हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस दर्द को केवल आज नहीं, यह दर्द इतिहास बन गया कि कभी इस राजस्थान में किसान कनेक्शन मांगेगा, 'आओ और पाओ' यह दिन कभी इस राजस्थान के किसान को देखने को मिलेंगे, ऐसा लगता है कि यह कल्पना का विषय बन गया।

लेकिन, आज मैं कोटा उत्तर से निर्वाचित होकर आया हूं, पहले अपनी बात कहूंगा। कोटा एजुकेशन का हब बन गया, दो से तीन लाख लोग घरों में किराये से रहते हैं, बिजली का कंजम्प्शन बढ़ गया और आज इस कारण से कोटा में 132 के.वी. के दो जी.एस.एस. की डिमांड बढ़ गयी। ऐसा नहीं है कि यह राज परिवर्तित होते ही पहले यह डिमांड आई है। पिछले 20 सालों में कोटा में यह कोचिंग के कारण विद्युत कंजम्प्शन बढ़ा है और डिमांड बढ़ी है। पिछले पांच साल से वहां के अधिकारियों ने नयापुरा और दादाबाड़ी में 132

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के.वी. के जी.एस.एस. बनाने के पूरे पैरामीटर्स तय करके सरकार को प्रस्ताव भेजे। मैं तकलीफ के साथ कह रहा हूं। कहने को बहुत पावर-फुल मंत्री हुआ करते थे कोटा के। आज तो सब ठीक है। चार दिन बाद गर्मी बढ़ेगी। शहरों में विद्युत का कंजम्प्शन बढेगा और इस राजधानी के बाद सबसे तीव्र गति से बढ़ता हुआ मेरा कोटा शहर अघोषित बिजली कटौती का शिकार बनेगा इसीलिए मैं आज माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर अघोषित बिजली कटौती का शिकार नहीं बने, गांव का किसान जो पीड़ा वर्षों से झेल रहा है, वह पीड़ा मेरे कोटा शहर को नहीं झेलनी पड़े इसलिए कोटा शहर को शीघ्र 132 के.वी. के दो जी.एस.एस. वहां की मांग को देखते हुए निश्चित रूप से स्वीकृत किये जाने चाहिए। 33 के.वी. की भी डिमांड है सप्लाई सिस्टम ठीक करने के लिए।

(14.59 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहने के बाद उस चर्चा पर आना चाहता हूं जो लगातार पिछले कई वर्षों से होती रही है। अब तो बिजली कम्पनियों का घाटा इस राजस्थान में रिकार्ड कायम कर गया। कभी 1998 से 2003 के बीच में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विघटन हुआ, 300 करोड़ के घाटे के बाद, तब तत्कालीन सरकार ने यह कल्पना की कि हम इस घाटे को रोकेंगे; राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पर सैकड़ों करोड़ का घाटा आने वाले

(15.00 बजे)

समय के लिए चुनौती बन सकता है, हम बिजली कम्पनियां बनाएंगे और बिजली कम्पनियां बनाकर इस घाटे पर नियन्त्रण का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस राजस्थान का है, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बिजली बोर्ड का विघटन करके कम्पनियां बनाईं और आज वे कम्पनियां या उनकी कार्य-शैली इस राजस्थान की बिजली क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गयी।

पूरे राजस्थान में जोर-जोर से कहा जाता है, 77 हजार करोड़ रुपये का घाटा बिजली कम्पनियों का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य की मुख्य मंत्रीजी को, पहली बार उन्होंने अभी पिछले दिनों यह घोषणा की कि मैं बिजली कम्पनियों की आडिट कराऊंगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, माननीय सभापति महोदय, अगर बिजली कम्पनियों की आडिट हुई तो यह

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सच्चाई सामने आ जाएगी। 2008 के बाद लगातार बिजली कम्पनियों का घाटा बढ़ता चला गया। जब हम उस आडिट में जाएंगे तो उसके कारण सामने आएंगे। रीजजंस आफ फाइनेंशल लोसेज। मार्च, 2007 से जुलाई, 2010 तक उत्पादन इकाई कोटा, सूरतगढ़ और छबड़ा समय से चालू करने की बात थी, किन्हीं कारणों से समय पर चालू नहीं हो पाईं और समय पर चालू नहीं होने के कारण जो हमें बिजली की आवश्यकता पड़ी, हमने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग को इसकी सूचना दिये बगैर महंगी कीमतों पर बिजली खरीदी। आंशिक गलती 2008 में हमारी सरकार से हुई लेकिन उसको तीव्र गति से 2008 से 2014 में इस प्रकार बढ़ाया गया कि 15 हजार करोड़ का घाटा बढ़कर 77 हजार करोड़ हो गया। सभापति महोदय, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

राजस्थान में जो उद्योग संचालित हैं, मैं चर्चा करना चाहता हूं, एक तरफ तो हम बिजली कम्पनियों के घाटे की बात करते हैं; डी.सी.एम., मंगलम, जिनके अपने पावर प्रोजेक्ट हैं, कम्पनियों के साथ एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ बिजली हमसे लेते हैं, कुछ बिजली हमको देते हैं और जिनके पावर प्रोजेक्ट हैं, वे लोग जब हमसे बिजली खरीदते हैं तो हम उन्हें चार से साढ़े चार रुपये पर-यूनिट में बिजली देते हैं और जब उनके पावर प्रोजेक्ट से हम बिजली खरीदते हैं तो 8 से 16 रुपये पर यूनिट हम उन उद्योगों से बिजली खरीदते हैं। यह कौनसी व्यवस्था है, माननीय सभापति महोदय? हम जब उद्योग को अगर बिजली देंगे, डी.सी.एम. को बिजली देंगे, मंगलम को बिजली देंगे, तो साढ़े चार रुपये यूनिट में देंगे और जब हम डी.सी.एम. से बिजली खरीदेंगे, मंगलम से बिजली खरीदेंगे, तो कोई लिमिट नहीं; 8 रुपये से 16 रुपये के बीच में, जो भी कम्पनी और फैक्टरी के बीच में एग्रीमेंट हो जाए।

लगातार इतनी बढ़ी हुई कीमतों पर पिछले 6-7 सालों में राजस्थान में जो बिजली खरीदी गयी, उसने बिजली कम्पनियों की कमर तोड़ दी और बिजली कम्पनियों की कमर टूटी, उसका असर इस राजस्थान के आम उपभोक्ता पर आया। आम उपभोक्ता पर आया; राजस्थान के किसान पर आया।

अभी माननीय शुभकरण सिंहजी चौधरी, उदयपुरवाटी से आते हैं, चर्चा कर रहे थे किसान की पीड़ा की। मैं, माननीय सभापति महोदय, बहुत ईमानदारी के साथ आज आपसे कहना चाहता हूं, आज भी इस राजस्थान में 3

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लाख 50 हजार कृषि कनेक्शन पेंडिंग हैं। मुख्य मंत्रीजी ने 40 हजार कनेक्शन पर-यीअर देने का इस विधान सभा में अनाउंसमेंट किया है, अगर हम 40 हजार पर-यीअर देंगे तो भी इस पेंडेंसी को क्लीयर करने में 8 से 10 साल लगेंगे। क्या न्याय करना चाहते हैं हम उस किसान के साथ?

मैं पिछले 30 सालों से इस राजनीतिक व्यवस्था को समझ रहा हूं, मुझे कोई चुनाव याद नहीं आता जिसमें किसी भी राजनीतिक दल ने यह कमिटमेंट नहीं किया हो, हम किसान को 8 घंटे पूरी बिजली देंगे। मैं तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, सरकार चाहे विरोधी दल की हो, चाहे हमारी हो, इस राजस्थान के किसान के साथ वे दिन कब आएंगे जब हम राजस्थान के किसान को कहें, हम 24 घंटे भरपूर बिजली आपको देंगे? और आज बिजली केवल लग्जरी नहीं बची है। माननीय सभापति महोदय, बिजली आज आवश्यकता बन गयी है।

शुभकरणजी चौधरी, उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोटा का पता नहीं, हमारे यहां पर 800-800, 700-700 फीट पर पानी आता है। डार्क जोन घोषित हो गया। आज पूरे राजस्थान के 95 प्रतिशत सब-डिविजन डार्क जोन घोषित हो चुके हैं। आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। 90 से 95 प्रतिशत उपखण्ड डार्क जोन घोषित हो चुके हैं। कोटा की यह स्थिति है कि वहां भी कभी कोटा के पास के भांडाहेडा गांव में आज से 10 साल पहले पांच ट्यूबवेल हुआ करते थे, आज उस गांव में 700 ट्यूबवेल हैं।

हम उस किसान को गुनहगार नहीं बता सकते। यह अपराध नहीं किया उसने। उसके मन में भी है आगे बढ़ने की। अधिक उत्पादन करके, अच्छा जीवन जीने की उसके मन में भी इच्छा शक्ति है और अगर यह सब कुछ कर रहा है तो उसको गुनहगार बताने के बजाय सरकार को उसमें सहभागी बनना चाहिए, सरकार को उसमें मदद करनी चाहिए कि वह अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और सरकारी संसाधनों की सहायता से आत्म-निर्भरता के इस रास्ते पर बढ़े। मैं समझता हूं, ये दिन राजस्थान में लाने के लिए गम्भीरतापूर्वक आत्म-चिंतन करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं, अभी तीन-चार योजनाएं चल रही हैं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, आर ए पी डी आर पी योजना, आई टी प्रोजेक्ट, क्या हाल हुए इनके? पिछले पांच

(श्री प्रहलाद गुंजल)

साल में हम राजस्थान की 250 की ढाणी को नहीं जोड़ पाये और अब ढाणियां नहीं बची हैं, अब ढाणियां छितरा गयीं। गांवों में आबादी की जमीन नहीं है। विस्तार पर आदमी खेत पर जा रहा है, झोंपड़ी बना रहा है। अब हमें 250 की ढाणी नहीं, छितराये हुए व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने की योजना बनानी पड़ेगी।

आज उस राजीव गांधी विद्युत योजना का हाल क्या हुआ? 2013 में जो स्वीकृत स्कीम का कार्य प्रारम्भ होना था, वह तो दूर, विभाग अभी भी टेंडर फाइनल नहीं कर पाया और अधिकारी अभी इस दुविधा में बैठे हैं, माननीय सभापति महोदय, कि यह कार्य सी एल आर सी से, इससे सर्कल लेवल रेट कांट्रेक्ट पर करायें, या किस आधार पर करायें। आप सोचते रहें, राजस्थान सरकार की योजनाएं प्रभावित होती रहें और प्रभावित होने के साथ-साथ इनका जो फायदा आज राजस्थान के आम उपभोक्ता को मिलना चाहिए था, उपभोक्ता उससे वंचित रहे। हमें आडिट कराते समय यह भी तय करना पड़ेगा कि जिस राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में 90 प्रतिशत भारत सरकार का पैसा, जो सब्सिडी के रूप में मिलता है, उस पैसे का समय रहते हुए उपयोग क्यों नहीं कर पाये, कौन एजेन्सी, कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं। यह जब तक लायविलिटी फिक्स नहीं करेंगे, बिजली कम्पनियों की मोनोपोली नहीं रुकेगी।

मैं इसके साथ दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आर ए पी डी आर पी स्कीम के लिए 465.43 स्वीकृत हुए। आज शहरों की हालत क्या है? एक मीटर नीचे डीप में विद्युत लासेज रोकने के लिए अंडर-ग्राउंड केबल का काम हुआ। अकेले कोटा में 250 करोड़ रुपये का काम। सारे नोर्म्स तोड़ दिये। एक-एक फुट सड़क खोदकर लाइनें डाल दी गयीं। आप उस छीजत को रोकने के लिए, इस ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन आपकी एजेन्सियां और ठेकेदार मिलकर जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जो एक-एक फुट पर लगातार पिछले पांच सालों से खोद-खोदकर उधेड़कर शहरों की सड़कें उखाड़कर रख दीं, उन कम्पनियों के कारण इतनी बड़ी समस्याएं पैदा होने वाली हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। बहुत लम्बी लिस्ट है आज। आपके दल के 27 आदमियों की लिस्ट है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इसको शीघ्र समाप्त करें आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इसकी भी मानिटरिंग होनी चाहिए, इस पर भी तय होना चाहिए कि आखिर किन नोर्म्स के आधार पर उन्हें काम करना था और किन नोर्म्स के आधार पर काम कर रहे हैं। कोटा की आज हालत खराब है। सड़कें उधेड़ कर रख दी गयीं; जगह-जगह वायर खुले पड़े हैं, एक फुट पर डाल दिये गये और लगातार अखबारों में छपने के कारण समूची सरकार की बदनामी हो रही है।

यह आई.टी. प्रोजेक्ट जिसमें तय किया गया था हम इस प्रोजेक्ट में कन्ज़्यूमर इंडेक्सिंग, मीटर रीडिंग, डी.टी. मानिटरिंग, विद्युत बिल, रीडिंग लेना, स्पाट बिलिंग, सब-कुछ कम्प्यूटराइज करेंगे और भारत सरकार ने इसके लिए हंड्रेड परसेंट सब्सिडी दी, कहां है यह योजना? आज भी हम इस योजना को पूरा नहीं कर पाये।

हम केवल इस बात पर लगातार प्रयास करते रहते हैं, राजस्थान में बिजली चोरी हो रही है और बिजली चोरी किसान कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम जब तक इंटरनल मामलों में नहीं जाएंगे, आखिर बिजली खरीद में किस प्रकार की धांधली हो रही है, किस प्रकार से सरकारी योजनाओं में धन का अपव्यय हो रहा है। यह समाचार पढ़िये आप, अफसर बोले, चोरों ने एंगल काटे। तूफान से गिर गये टावर, बूंदी जिले के खेतों में 765 के.वी. के भारी-भरकम टावर गिर गये, 765 के.वी. के और 765 के.वी. के टावर इस राजस्थान के इतिहास में पिछले 30 साल में तो मैंने कहीं चोरों के द्वारा काट कर गिरा दिये गये हों, इस प्रकार की स्थितियां नहीं देखीं। काम की क्वालिटी इतनी रफ हुई है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अधिकारी केवल यह कह कर बचना चाहें और हम उन पर किसी प्रकार की लायबिलिटी तय नहीं करें और हम तो केवल एक डंडा लेकर चलते रहें कि बिजली की चोरी किसान करता है; माननीय सभापति महोदय, किसान इस राजस्थान की बिजली का 42 प्रतिशत कंजम्प्शन का उपभोक्ता है, इंडस्ट्री से बड़ा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पोपा बाई का राज है, पोपा बाई का।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 42 प्रतिशत।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। प्लीज। प्लीज।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं आपके माध्यम से इस सदन में जानना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसको हम हमेशा चर्चा में चोर साबित करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में कितनी छीजत होती है और किसानों के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बिजली सप्लाई में कितनी छीजत होती है, कभी यह जानने का प्रयास किया गया? जो इस राजस्थान का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, अगर हम ईमानदारी से उसके साथ न्याय करें तो न-केवल बिजली देने के लिए हम उसके साथ इंसाफ कर पाते, उसके जीवन में एक आत्मनिर्भरता लाने के लिए भी हम निश्चित रूप से न्याय कर पाते। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

अभी पिछले दिनों जो लगातार वी.सी.आर. भरी जा रही हैं, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान का किसान दुखी है। लोगों के मीटर उतारकर ले जा रहे हैं, लोगों के ट्रांसफार्मर उतारकर ले जा रहे हैं। यह परम्परा रोकी जानी चाहिए। अगर ईमानदारी से बिजली कम्पनियों के घाटे को रोकना है तो आप तय करो। आप छोड़ दीजिए किसान को, जो कहते हैं कि हम डेढ़ लाख रुपये किसान के कनेक्शन पर खर्च करते हैं। आप ट्रांसफार्मर लाने की लायबिलिटी किसान पर डाल दो, पुनर्भरण कर दो। जिस ट्रांसफार्मर को आप 75 हजार में लगाते हो, वह ट्रांसफार्मर किसान 25 हजार में खरीद कर लेकर आता है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। श्री सुखरामजी विश्नोई।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): जिस प्रकार की मोनोपोली चल रही है, जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं चल रही हैं...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज अब आप समाप्त करें। प्लीज।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं समझता हूं, हमें इस विषय में भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा और जब तक हम कम्पनियों की इस प्रकार की मोनोपोली पर नियंत्रण नहीं करेंगे और केवल उपभोक्ता और किसान को दोषी ठहराते रहेंगे, बिजली कम्पनियों का घाटा अबाध रूप से बढ़ता रहेगा। इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। अगर इस पर वास्तविक अर्थों में नियंत्रण करना है तो फिर हमको तय करना पड़ेगा, सरकारी विभागों पर कितना बकाया है, पी.एच.ई.डी. पर कितना बकाया है...

श्री सभापति: प्लीज। सुखरामजी, आरम्भ करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ...कई सारे विभागों पर। मैं समझता हूं कि इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी।

श्री सभापति: धन्यवाद। थैंक यू। आई एम सारी। आज मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है, 35-36 आदमियों की लिस्ट है। समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। आपकी तरफ के भी छह सदस्यों के नाम हैं कांग्रेस दल के, कुछ

(श्री सभापति)

निर्दलियों के नाम हैं। इसलिए आप समय सीमा में टू-द-पाइंट अपनी बात कह लें, कृपया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि भा.ज.पा. ने जब चुनाव प्रचार में सुराज संकल्प यात्रा निकाली, अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट वादा किया था कि बचे हुए जो साढ़े तीन लाख कृषि कनेक्शन हैं उनको हम आने वाले साल-दो साल में दे देंगे, जो ढाई लाख घरेलू कनेक्शन हैं वे हम जारी कर देंगे, परन्तु सवा साल में आज तक केवल-मात्र बूंद-बूंद सिंचाई योजना की घोषणा की गयी और अभी तक धरातल पर एक की भी डिमाण्ड जारी नहीं हुई है। केवल मात्र कागजी घोषणा की गयी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य बजट में बिजली की घोषणा की बड़ी तारीफ कर रहे थे, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने आज से काफी साल पहले केवल मात्र, हरिदेव जोशीजी मुख्य मंत्री थे, दो परसेंट बिजली की बढ़ोतरी की थी, तब पूरे राजस्थान में जन संघ ने बंद किया था। आज 17 से 19 परसेंट बिजली की बढ़ोतरी की है। कृषि कनेक्शन जो 90 पैसे पर-यूनिट थी, माननीय मंत्रीजी, आज उस पर 1 रुपया 47 पैसा खर्च आयेगा। खेती के अलावा घरेलू कनेक्शन में दो महीने के अन्दर जो 100 यूनिट बिजली जलाता है उसकी जो ढाई रुपये रेट थी वह डबल हो जाएगी। इसके बाद में जो एन.डी.एस. बिजली लेते हैं, जो साढ़े पांच रुपये पर-यूनिट रेट थी, वह भी डबल हो जाएगी। उद्योगों में चाहे सूक्ष्म उद्योग हो, चाहे मध्यम हों, चाहे लघु उद्योग हों, उनकी रेट में भी बढ़ोतरी हो गयी है।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो बे-मौसमी बरसात ने फसलें तबाह कर दीं और दूसरी तरफ बिजली की जिस तरह से बढ़ोतरी की गयी है, ऐसी बढ़ोतरी पिछले कई सालों में नहीं की गयी, जिस तरह से पहला पूरा बिल बनता है, पूरा का पूरा बिल बढ़ोतरी का बिल बनेगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि केवल मात्र जनवरी, फरवरी के मीटर के आधार पर बढ़ोतरी की जा रही है, मीटर में तारीख अंकित नहीं है। कुल मिलाकर जो मीटर चैकर जाता है, किसान का चैक करने जाता नहीं है और जो बिल आयेगा वह बिलकुल ही ज्यादा बिल आयेगा। माननीय मंत्रीजी जब जवाब पेश करें, जो बिजली के बिल बढ़ाये हैं,

(श्री सुखराम विश्नोई)

उन बिलों में बढ़ने के स्थान पर बिल की जो रेट है उस रेट को कम किया जाए ताकि किसान को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मेरा निवेदन है कि जो राजस्थान विद्युत मण्डल निगम था, उस निगम की जगह पांच कम्पनियां स्थापित की गयीं। पांच में से जयपुर, जोधपुर, अजमेर; उत्पादन, प्रसारण और वितरण, यह तीन तरह का सिस्टम तैयार किया गया, उसमें कुल पांच कम्पनियां स्थापित की गयीं और पांचों कम्पनियां स्थापित करने के बाद में जो लोड कम करने की बात थी, वह लोड कम नहीं होकर के बिजली का उत्पादन जिस तरह से बढ़ना चाहिए था, उस तरह से नहीं बढ़ा; बिजली का उत्पादन बाकायदा कम हुआ।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मेरा निवेदन है कि आज जोधपुर में ये हालात हैं कि न तो एम.डी. की पोस्टिंग है, न सी.एम.डी. की पोस्ट है। सी.एम.डी. तीन जो इकाइयां हैं, निगम हैं, तीनों में सिर्फ एक है और जयपुर में कार्यरत है और वह भी टेक्निकल हैंड न होकर के एक आई.ए.एस. को लगाया गया है जिसको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। एम.डी., चाहे सी.एम.डी., कोई भी बनायें, बाकायदा टेक्निकल हैंड आदमी होना चाहिए ताकि उस विद्युत उत्पादन में, प्रसारण में और वितरण में बाकायदा कंट्रोल रह सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि बी.जे.पी. राज में सन् 2003 से 2008 तक जो सरकार रही, उस वक्त एक फीडर सुधार कार्यक्रम चलाया गया जिसको एफ.आर.पी. कहते हैं और फीडर सुधार कार्यक्रम उस ठेकेदार के हवाले किया गया, ट्रांसफार्मर उसको लगाना, पूरा सिस्टम उसको तैयार करना और जो एफ.आर.पी. कार्यक्रम चलाया गया उस कार्यक्रम की शर्त यह थी कि 95 परसेंट, 100 परसेंट माल जब पहुंच जाएगा, लाइन खड़ी हो जाएगी, उसके बाद में भुगतान करना पड़ेगा, परन्तु, माननीय सभापति महोदय, आपको इस बात को जानकर के हैरानी होगी कि उस एफ.आर.पी. कार्यक्रम का केवल मात्र 50 परसेंट ही काम हुआ, बाकी 50 परसेंट काम हुआ ही नहीं। कई ऐसे ट्रांसफार्मर स्टेशन थे उपभोक्ताओं के, लाइनें खड़ी कर दीं और उसका सब-स्टेशन तैयार कर दिया, ट्रांसफार्मर भी नहीं लगाया। एक केवल मात्र पैसा वसूल करने के लिए, मैं उदाहरण देता हूं, मान लो, जालौर जिले में सामान लाकर उतार दिया और कह दिया कि यह मेरा सामान है, 95 परसेंट, 90 परसेंट उसने भुगतान ले लिया और वह ही सामान

(श्री सुखराम विश्नोई)

वापस तहसील हैडक्वार्टर पर और एस.डी.एम. हैडक्वार्टर पर गया और वहां भी दिखा दिया और ठेकेदार ने पूरे पैसे वसूल कर दिये।

अब, माननीय सभापति महोदय, जब बी.जे.पी. सत्ता में आयी तो एफ.एम.पी. प्रोग्राम चलाया गया, मेंटीनेंस प्रोग्राम चलाया गया। उस मेंटीनेंस प्रोग्राम के अन्दर इन्होंने यह घोषणा की थी कि हम ढीले तारों को दुरुस्त करेंगे, जहां तारों की लम्बाई के बीच है वहां बीच में खम्भा लगायेंगे, या मान लो जो भी पेड़ हैं वह काटेंगे। कुल मिलाकर एक दुरुस्त लाइन तैयार करेंगे। सवा साल हो गये इस घोषणा को किये हुए, लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि सवा साल में केवल 10 परसेंट ही काम पूरे राजस्थान में इस एफ एम पी प्रोग्राम के तहत हुआ है। किसी तरह की इस कार्यक्रम में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो कार्यक्रम एफ एम पी चलाया जा रहा है, यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलाया जाये। क्योंकि जो पुरानी लाइनें हैं, वह पुरानी लाइनें पतली हो गयी हैं। वे जगह-जगह टूट रही हैं, पशु-पक्षियों के ऊपर पड़ रही हैं। उससे नुकसान हो रहा है। इसको युद्ध स्तर पर कराया जाकर के जो लाइनें ढीली हैं, जहां खम्भे खड़े करने हैं, जो भी दुरुस्त करना है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मेरा निवेदन है कि सबसे बड़ा जो घोटाला होता है वह खरीद में होता है। जो जोधपुर, अजमेर और जयपुर की कम्पनियां बनी हुई हैं, वह चाहे उत्पादन की कम्पनी हो, चाहे वितरण हों, चाहे प्रसारण की कम्पनी हो, जो मेटेरियल खरीदा जाता है, उसमें चाहे खम्भे खरीदे जाते हों, चाहे तार खरीदे जा रहे हों, इंसुलेटर खरीदे जा रहे हों, उसका सिस्टम तैयार करने के लिए, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एंगलें खरीदी जा रही हों, किसी तरह का भी सामान खरीदा जा रहा हो, वह सामान खरीदने में कमीशन की प्रथा बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, एक निगम, मान लो, उदाहरण के लिए, जोधपुर है, उसमें सालाना कम से कम 5-6 हजार करोड़ की खरीददारी करता है। उस 5 हजार करोड़ की खरीददारी में सी एम डी का हिस्सा तय होता है कि मेरा 1 परसेंट हिस्सा है। एम डी का हिस्सा तय होता है। वह हिस्सा तय होने में 500 करोड़ में एक परसेंट से, दो परसेंट से कितनी रिश्वत की राशि उनके खाते में जाती है। तभी जाकर के ये राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। केवल मात्र इसीलिए ही नियुक्तियां ली जाती हैं कि अगर हम 2 साल एम डी रह गए, 2 साल सी एम डी रह गए तो हम तो निहाल हो जाएंगे।

(श्री सुखराम विश्नोई)

मानननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि वह सामान खरीदकर के एस डी एम हैड क्वार्टर पर जाता है, या मान लो, जिले स्तर पर जाता है, जब जे ईएन, ए ईएन जो उपभोक्ताओं को अपने बेरे के कनेक्शन के लिए, घर के कनेक्शन के लिए सामान मुहैया कराते हैं, तो बाकायदा वहां भी रिश्वत ली जाती है। एक कनेक्शन के 2 हजार रुपये लगेंगे; घर कनेक्शन के इतने पैसे लगेंगे। दोनों तरफ से लूट हो रही है। सामान खरीदते वक्त भी कमीशन लिया जा रहा है और जब किसानों को सामान दिया जा रहा है, उस वक्त भी किसानों से पैसे लिये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की जो लूट हो रही है, यह बंद की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो पत्रावलियां जमा होती हैं, पत्रावलियां जमा होने में भी किसान भटकता है, मान लो डार्क जोन है और उसके अन्दर कोई फाइल जमा कराने के लिए जायेगा तो वह फाइल नहीं ली जायेगी। एक तरफ तो बूंद-बूंद सिंचाई की छूट दी जा रही है, दूसरी तरफ डार्क जोन घोषित किया जा रहा है। कम से कम आज यह घोषणा होनी चाहिए कि जो बूंद-बूंद सिंचाई के तहत किसान कृषि कनेक्शन लेना चाहता है, उसे डार्क जोन में न माना जाकर के, उस किसान की पत्रावली जमा होनी चाहिए। उस किसान को कनेक्शन मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि आजकल बी पी एल सर्वे चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है। बी पी एल सर्वे के मार्फत उन किसान परिवारों को, उपभोक्ताओं को, जो गांव छोड़कर के ढाणियों में चले गये हैं, जो छितरी हुई ढाणियां हैं, चाहे 100 की आबादी से ज्यादा की ढाणी हो, उन ढाणियों में कनेक्शन देने के लिए बी पी एल के मार्फत मेरे जालौर जिले में, बाड़मेर जिले में बाकायदा सर्वे चल रहा है। वह सर्वे करने वाली कम्पनी मनमाने तरीके से सर्वे कर रही है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां बिलकुल पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने परिवार के लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को तवज्जोह देने के लिए, उनका नाम उन बी पी एल की सूची में डालते हैं; बाकी लोगों का नहीं डालते हैं। एक निष्पक्ष तरीके से बी पी एल सर्वे होना चाहिए, ताकि उन ढाणियों में बैठे हुए किसान को भी बिजली का कनेक्शन मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि ट्रांसफार्मर

(श्री सुखराम विश्नोई)

जो दिये जा रहे हैं, जले हुए ट्रांसफार्मरों के लिए हम खुद टेलीफोन करते हैं। कई बार तो जब किसान ज्यादा आ जाते हैं, तो खुद मौके पर जाकर के उनसे कहते हैं कि 10-15 दिन हो गये, 15 दिनों में जो जीरे की फसल होती है, अरंडी की फसल होती है, उसमें हर चौथे-पांचवें दिन पानी देना पड़ता है। चौथे-पांचवें दिन पानी की जगह 15 दिन अगर पानी नहीं मिले तो उस किसान की क्या हालत होती होगी। कम से कम यह 72 घंटे में ट्रांसफार्मर देने की जो आपने घोषणा की है, उस घोषणा की धरातलीय स्तर पर पालना होनी चाहिये ताकि किसान महसूस करे कि वाकई में मेरी फसल बच सकेगी। वरना जो 10-15 दिन से ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, उससे कभी भी किसानों की खेती नहीं बच सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि मेरे सांचौर के अन्दर एक भादरणा उपखण्ड बना दिया है और तहसील हैडक्वार्टर चितलाना बना हुआ है। तहसील हैडक्वार्टर है, एस डी एम हैडक्वार्टर है। तहसील और एस डी एम हैडक्वार्टर होते हुए भी बिजली बोर्ड के बिल जमा कराने के लिए, फाइलें जमा करने के लिए, वहां से 40 किलोमीटर इंटीरियर में जाना पड़ता है। न तो वहां कोई गाड़ी की व्यवस्था है, न वहां कोई आने-जाने के साधन की व्यवस्था है। मैंने माननीय मंत्रीजी को लिखकर के भी दिया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उस ए ईएन आफिस को ट्रांसफर करके एस डी एम हैडक्वार्टर पर कर दिया जायेगा।

श्री सभापति: समय का ध्यान रखें माननीय सदस्य।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): दो मिनट। दो मिनट।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि 2007-08 के अन्दर कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा, झालावाड़, भरतपुर इन सम्भाग के अन्दर कंज्यूमर इंडेक्सिंग लोड सर्वे डैटा अपडेट के लिए, डैटा जन पावर सिस्टम को एक टेंडर दिया था कि आप इनकी सर्वे कर लो। यह जो सर्वे किया गया, उसमें साढ़े 8 करोड़ रुपये उस कम्पनी को भुगतान कर दिया गया। जब आई टी विंग ने इस बात की सर्वे की तो सर्वे के अन्दर यह रिजल्ट सामने आया कि उन सम्भाग के अन्दर सवाई माधोपुर, कोटा, दौसा, झालावाड़ और भरतपुर में इस सर्वे की कोई जरूरत नहीं थी। केवल मात्र फर्जी पैसे दिये गये। साढ़े 8 करोड़ रुपये बिना वजह दिये गये। इस योजना की कोई जरूरत नहीं थी। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन है कि इस तरह

(श्री सुखराम विश्नोई)
का जो गलत भुगतान किया गया है, उस गलत भुगतान के लिए अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाये। उस कम्पनी को जो आपने पैसे दिये, आपकी आई टी विंग ने खुद ही आडिट रिपोर्ट दी है कि गलत सर्वे की गई, गलत भुगतान किया गया, उसकी रिकवरी की जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि प्रांत के अन्दर यह जो बिजली का काम दिया जा रहा है उत्पादन कम्पनियों को, वह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय पर वह अपना काम पूरा करें, परन्तु मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि छबड़ा थर्मल पावर, काली सिंध थर्मल और राजगढ़ गैस परियोजना, इन तीनों प्लांटों में टेंडर दिये गये और उसके बाद में निश्चित समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ। कार्य पूरा नहीं होने के बाद में इसी राज्य सरकार ने उन तीनों कंपनियों की तीनों परियोजनाओं को वापस मंजूरी दी। इससे कास्ट बढ़ जाने से, उसकी मंजूरी देने से कम से कम 37 अरब रुपये का राज्य सरकार को घाटा हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। अब विराजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों परियोजनाओं के अन्दर जिन्होंने गड़बड़ी की है, कार्य लेट क्यों हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाये।

आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री गौतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली की चर्चा पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें, बस। मुझे कहना न पड़े। बहुत लम्बी लिस्ट है आज।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): बस छोटा सा ही है। छोटा-सा ही है।

श्री सभापति: प्लीज। कैरी आन।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): बिजली आम आदमी, किसान और हर

(श्री गोतम कुमार)

वर्ग के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज प्रदेश में जिस प्रकार से बिजली की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है, जो दशा हो गयी है, पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से इसमें निर्णय लिये, उन निर्णयों से आज इन बिजली कम्पनियों की यह स्थिति हुई है। इसमें सरकार ने जिस तरह से आडिट का निर्णय लिया है, यह एक प्रशंसनीय कदम हमारी सरकार ने उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से किसानों के लिए, अभी उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसके बारे में बताया था कि किस तरह से अभी किसानों को 11-11 हजार रुपये प्रति हार्स पावर सिविल लायबिलिटी के रूप में देने पड़ेंगे। आप अगर देखें तो कोई 5 की मोटर, 10 की मोटर कोई किसान चलायेगा तो उसकी जो वी सी आर हो रही हैं, वह 2-2 लाख रुपये, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की वी सी आर आ रही है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह है कि जिस प्रकार से आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रति हार्स पावर जो पेनल्टी थी, उसमें 2 हजार को 1 हजार में कम्पाउंड किया, उसी तरह से यह जो सिविल लायबिलिटी है, उसमें भी आप रियायत करके आम आदमी और किसानों को राहत देने का काम करें। किसान की मजबूरी है, चूंकि हम विद्युत कनेक्शन उनको नहीं दे पा रहे हैं और उनको उत्पादन के लिए कनेक्शन लेना पड़ रहा है, या कहीं न कहीं से वह इस विद्युत आपूर्ति का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन पर सिविल लायबिलिटी में, इस तरह से अगर 11-11 हजार रुपये प्रति हार्स पावर उनसे लिये गये तो यह किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वे कोशिश करके किसानों पर जो भार पड़ रहा है, इसको रोकने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में कम से कम 50-60 किलोमीटर का बोर्डर पड़ता है। वहां का किसान जब देखता है कि अस्थायी कनेक्शन उनको मिल रहा है, तो उसी तरह से हमारे क्षेत्र के लोग भी मांग करते हैं। इस तरह से अगर अस्थायी कनेक्शन भी हमारे यहां पर भी मिल जाएं, चूंकि वर्ष भर तो उनको जरूरत रहती नहीं है, लेकिन अस्थायी कनेक्शन, चूंकि वह उपयोग भी कर रहा है, अगर उनको अपन अस्थायी कनेक्शन दे दें तो सरकार पर न तो कोई भार पड़ेगा, चूंकि वह काम में ले रहा

(श्री गोतम कुमार)

है बिजली को, तो अगर उनको अस्थायी कनेक्शन देकर सुविधा देने का काम करेंगे तो यह भी किसानों के लिए एक राहत का काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जीरो डिग्री के आसपास टेम्प्रेचर होता है दिसम्बर और जनवरी में, तब अपन घर पर रज़ाई ओढ़कर; रज़ाई ही नहीं, कमरे को भी पैक करके रज़ाई ओढ़कर अपन सोते हैं। ऐसे में किसान को रात को दस बजे से चार बजे का जो फीडर मिलता है, उसमें वह कैसे पिलाई करेगा? आप खड़े नहीं रह सकते पानी में। तो मेरा आपसे आग्रह है कि सबसे पहले, सबसे पहले चूंकि नुकसान तो अपने लाखों-करोड़ों रुपयों का हो रहा है लेकिन दिन में अधिक बिजली खरीद करके कैसे अपन उनको राहत दे सकें, इस पर विचार करना चाहिए। यह तीन महीने का ही काम है। उसमें अपन को राहत देने का काम करना चाहिए। क्योंकि अपन उन दिनों उन क्षेत्रों में ही नहीं जा सकते; जब कहीं अगर रात का फीडर चल रहा है तो अगर वहां के हाल पूछें, अपन दिन में भी वहां खड़े नहीं रह सकते, ऐसे में उनको रात में पिलाई करनी पड़ती है। मेरा आपसे आग्रह है कि उनको दिसम्बर, जनवरी, फरवरी के लिए किसानों को रात को बिजली नहीं देकर दिन में दी जाए। उद्योगों को कम देकर, या कुछ भी करके, उसका एडजस्टमेंट बिठाकर उनको राहत देने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में ही क्या, सभी जगह लगता है मुझको, बीस-बीस साल, पच्चीस-पच्चीस साल पहले 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन तैयार किये गये थे। तब वहां 33 केवी के एक या दो ग्रिड सब-स्टेशन थे। आज सत्रह-सत्रह, अठारह-अठारह 33 केवी के ग्रिड सब-स्टेशन हो गये। तब वहां एक 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन पर शायद 3.15 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता था, अब उनकी जगह 5 का एक लगा हुआ होता है, 3.15 का अलग लगा हुआ होता है। मतलब, एक जी एस एस पर 8 मेगावाट का होता है और ऐसे सत्रह-सत्रह जी एस एस एक-एक 132 पर लगे हुए हैं। तो उससे आपको नुकसान भी हो रहा है। हमारे यहां तो आये दिन 33 केवी के तार गिर जाते हैं। अभी पिछले साल तो एक डैथ भी हो गई, अभी दो-चार-छह महीने पहले। खैर, सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक सुनकर उसको दस लाख का मुआवजा भी दिया। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस साल पुराने 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाये हैं, उनको अपग्रेड करके, और दूसरे भी

(श्री गोतम कुमार)

बनाये हैं, हमारे यहां का उदाहरण है, मंगलवाड़ा में 1990 में ग्रिड सब- स्टेशन बना था, 24 साल हो गये उसको बने हुए, तब दो जी एस एस थे और आज 33 केवी के 17 जी एस एस हो गये; तो उसको थोड़ा-सा डूमला के लिए भी सहानुभूतिपूर्वक सुनकर के अगर 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन नया खुलवाएंगे तो आपकी महत्ती कृपा होगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एरिया में 33 केवी के वैसे काफी ग्रिड सब-स्टेशन हैं, दो-चार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वहां की डिस्टेंसेज बहुत ज्यादा होती हैं और मेंटीनेंस चूंकि अपने पास तकनीकी कर्मचारी भी कम हैं तो उनको मेन्टेन नहीं कर पाते हैं। तो तीन-चार अगर जी एस एस भी अगर नए बन जाएं 33 केवी के, तो भी कृपा होगी। एक बड़ी सादड़ी में अमीरामा-बदेसर तहसील में; चित्तौड़गढ़ जिले में बदेसर तहसील में एक आकोला में; प्रतापगढ़ तहसील है वह भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में है, उसमें खोरिया; चित्तौड़गढ़ में डूमला में, गुमानपुरा में, ये तीन-चार जगह अगर 33 केवी के जी एस एस अगर खुल जाएं तो निश्चित रूप से बहुत-बहुत वहां की जनता आपकी आभारी रहेगी।

अजमेर विद्युत वितरण निगम में तकनीकी कर्मचारियों की बहुत कमी है। हमारे वहां 71 तो फीडर हैं और कर्मचारी हैं कुल 35, तकनीकी हेल्पर। कैसे वे चलाएंगे? उसमें 15 जी एस एस हैं, एक-एक खण्ड में पन्द्रह तो जी एस एस हैं और 35 हेल्पर कुल हैं। कैसे वे 33 केवी के जी एस एस चलाएंगे, या फीडर सुधार करेंगे? तो ऐसे में टेक्निकल हेल्पर के जो भी रिक्त पद हैं, उनको जल्दी भरें। चूंकि यह हर जगह से आ रही थी समस्या कि रात को कहीं तार टूट गया तो रात को कोई रिपेयर करने वाला नहीं है। ठेके पर चल रहे हैं बहुत सारे जी एस एस, रोज कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टेक्निकल हैल्पर के पद जल्दी से जल्दी भर कर राहत प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे फीडर सुधार के बारे में बात हो रही थी, आप अभी बात कर रहे थे; आप जांच करवाकर उनको, निश्चित रूप से पांच साल तक आपकी सरकार थी, कम्पनियों की कोई जांच नहीं की। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि पांचों कम्पनियों ने इतना भारी घोटाला किया है, पांच-पांच सौ करोड़ रुपये का घोटाला किया होगा, मुझे ऐसा लगता

(श्री गोतम कुमार)

है। चूंकि बहुत सामान आज दिन तक चल रहा है, बाजार में ट्रांसफार्मर, तो उनकी जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं इतना ही कहकर, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का उस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हम बिजली की बात करते हैं तो हम कहीं न कहीं एनर्जी की बात करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में किसी भी प्रदेश या देश के विकास का जो पैमाना है, वह उस पर निर्भर करता है कि वहां उस प्रदेश की या उस देश की एनर्जी सैक्टा में क्या पोजिशन है। दुर्भाग्य यह है कि इंडस्ट्रीज और कारपोरेट वर्ल्ड को जहां एनर्जी की या पावर की निरन्तर सप्लाई की आवश्यकता होती है, वहां अभी भी यह देश एग्रेरियन सोसायटी के रूप में, एक एग्रेरियन इकोनोमी के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। हमारी भौगोलिक परिस्थिति में राजस्थान इस परिस्थिति का प्रकृति से सामना करता है कि सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी, अगर पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो 13 से 14 परसेंट से ऊपर नहीं है और वह भी अगर टेल एण्ड को आप हटा दो तो 5 परसेंट पर आकर सिमटता है। जो कुछ भी ड्रा हो रहा है, अण्डरग्राउण्ड वाटर हो रहा है, वह ड्रा करने के लिए जिस सोर्स की आवश्यकता होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं, जिसको हम इलैक्ट्रिसिटी के रूप में मानते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस परिस्थिति पर हम आये कैसे? हम जब यह कहते हैं कि हमें वाटर ड्रा करना है तो हमें बिजली चाहिए?

(15.37 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं इस बात से वाकिफ होंगे कि एक जमाना वह था जब हम काश्तकार के घर जाकर बिजली की मोटर लेने के लिए उससे निवेदन करते थे। 1968 के बाद से लेकर 1976 तक का है। किसी जमाने में अपने आप को उस तहसील के या उस सम्भाग के नेता मानते थे, वे नेता इस बात के लिए ज्यादा आग्रह करते थे कि काश्तकार को डीजल पम्प की जगह हम मोटर दें और वह बिजली की मोटर लगाए जिससे उसका

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उत्पादन बढ़े और जिससे वह और जमीन को सिंचित कर सके। उस जमाने से हमने बिजली को सब्सिडाइज करने की बात कही।

यह जमाना दो चीजों के लिए विख्यात था, एक तो बिजली के लिए हमने कहा और दूसरा हमने केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, यूरिया के नाम से सब्सिडाइज करके दिया और आज दोनों ही परिस्थितियों में देश का और प्रदेश का यह जी का जंजाल हो गया है। इस सब्सिडी के माध्यम से हम कहने लगे कि हमारे ऊपर कर्ज भार हो गया, 77 हजार करोड़, 2014-15 तक और अब यह शायद 82 हजार करोड़ हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ काश्तकार को, अपने यहां जो काश्त की सीमा है, जो जोत सीमा है, वह तकरीबन 80 प्रतिशत काश्तकार तो वे हैं जिनके पास में लघु या सीमान्त तक की सीमा है और आपकी 70 परसेंट जो जोत है वह इन पर केन्द्रित है। अगर आप इस चीज को देखें तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह 82 हजार करोड़ रुपये सिर्फ सब्सिडी देने की वजह से हुआ है? या 82 हजार करोड़ रुपये का जो कर्जा है, क्या उस वक्त सब्सिडी दूसरे प्रदेशों ने अपने किसानों को नहीं दी? और उनको अगर दी तो वे प्रदेश आज आपसे कम कर्जदार क्यों हैं?

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और उदाहरण देना चाहता हूं कि आपका कर्ज क्यों बढ़ा। क्या यह सिर्फ सब्सिडी की वजह से बढ़ा, या जिसको आप डिस्काम के रूप में जानते हैं, यह पहले बोर्ड के रूप में काम करता था, उसकी इनएफिशिएंसी इतनी थी कि आप अपनी ही उस संस्था को सही ढंग से संभाल नहीं पाये, उसका फाइनेंशल मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाये? मैं आज आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, आप किसी भी अपने स्टोर की इन्वेंटरी उठाकर देख लो, अगर उसकी इन्वेंटरी सही मिल जाय तो आप मान लेना कि आपका डिपार्टमेंट सही चल रहा है। लेकिन किसी स्टोर की इन्वेंटरी आपको सही नहीं मिलेगी। इन्वेंटरी के बहाने मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह आपकी आठवीं रिपोर्ट है, यह जयपुर विद्युत वितरण निगम की आठवीं रिपोर्ट है। इस आठवीं रिपोर्ट को जब ए जी ने वैटिंग किया तो क्या पाया? मैं बताता हूं, किस प्रकार से नेग्लिजेंस से काम होता है। आदरणीय, पूरी की पूरी बैलेंस शीट जिस पर डिस्काम के पूरे के पूरे डाइरेक्टर्स ने दस्तख्त कर दिये। आपका इंटरनल आडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसने बैलेंस शीट बना दी; बैलेंस शीट आडिट होकर चली गयी और वैटिंग

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

के लिए ए जी के लिए यहां चली गयी। आदरणीय, किसी को यह नहीं मालूम कि बैलेंस शीट करोड़ में बननी चाहिए थी, जो लाख में बनकर चली गयी। यह आप ही की बैलेंस शीट है। आप इस रिपोर्ट के पेज नम्बर 71 में देखें, बैलेंस होना चाहिए था 693.87 करोड़। इन्होंने दस्तख्त कर दिये 693.87 लाख; बैलेंस होना चाहिए था 2,218 करोड़, इन्होंने कर दिये 2218 लाख। वन का (ई) होना चाहिए था 26 करोड़, आपने दस्तख्त कर दिये 26 लाख। आपके सी ए ने भी कर दिये और आपके बोर्ड के चेयरमैन ने भी कर दिये, आपके एम डी ने भी कर दिये और पूरे बोर्ड ने अपनी मिनिट्स में पास कर दिया और ए जी के पास भेज दिया।

श्री सभापति: उस समय टाइम कौनसा था जब दस्तख्त किये थे? टाइम का असर पड़ जाता है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह एक ऐसी चीज दर्शाती है, जब आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट की बैलेंस शीट ही किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। तो आपका विभाग चल कैसे रहा है? मैं काश्तकार की फ्लैट रेट बढ़ाकर इस विभाग का कर्जा पूरा करना चाहता हूं क्या? मैं किसी के घर की बिजली की दर बढ़ाकर 80 हजार करोड़ के कर्जे को पूरा करना चाहता हूं क्या? सवाल ऐसे हैं कि ऐसे कितने लोग-बाग़ हैं जिन्होंने बड़ी तनख्वाहें इन डिस्काम्स से उठायी हैं जिनको डिस्काम की बैलेंस शीट देखने तक की फुर्सत नहीं है? कितने ऐसे लोगों की वजह से यह कर्जा बढ़ा है? पहले उनको कठघरे में खड़ा करना चाहिए।

आदरणीय, किसी भी इकानोमिस्ट को पूछ लीजिए, किसी भी अर्थशास्त्री को पूछ लीजिए, Agriculture is not a sustainable source of livelihood अगर उसके साथ में एनिमल हस्बेंड्री न हो तो यह किसान कब का सड़क पर आ गया होता। अब एनिमल हस्बेंड्री को भी सस्टेन करने के लिए उसको कहीं न कहीं इस एनर्जी सेक्टर में पावर की आवश्यकता होती है। मैं यह नहीं मानता कि 82 हजार करोड़ का कर्ज सिर्फ इस वजह से बढ़ा कि 2 बीघा, 2 हैक्टेयर, 3 हैक्टेयर, 4 हैक्टेयर तक के काश्तकार को हमने सब्सिडाइज्ड बिजली दे दी। 1 लाख 40 हजार अगर आपके पास फ्लैट रेट के उपभोक्ता हैं तो आप पर फ्लैट रेट का वास्तविक कर्ज 1,118 करोड़ पड़ता है। ऐसे कई राजस्थान के सदन, आपका सदन, आपका और हमारा सदन, मैं सदनों की इसलिए बात कर रहा हूं, चाहे वह नगर निगम का हो, चाहे पंचायत

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो, इन लघु काश्तकार के लिए, इन सीमान्त काश्तकार के लिए कई हजार करोड़ और ऋण लेने को तैयार हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह छोड़ दीजिए, 2014 में, पिछले जून में क्लाइमेंट चेंज में हमको कार्बन क्रेडिट्स चाहिए। कार्बन क्रेडिट्स जून के अन्दर सबसे हाई था। तीन कम्पनियां घूम रही थीं और ये तीन कम्पनियां कोल इण्डिया भी थीं, टाटा पावर भी था। इनको अपने जहां-जहां इन्होंने पावर सेक्टर प्लांट्स लगा रखे हैं, उनको पोल्यूशन को दूर करने के लिए आपके रिन्यूएबल एनर्जी के क्रेडिट्स चाहिए थे।

इससे पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आदरणीय, ए जी की रिपोर्ट 10 व ए जी की रिपोर्ट 7 । हालात क्या हैं, किस प्रकार से यह कर्ज बढ़ रहा है, मैं उसका एक और उदाहरण देना चाहता हूं। क्योटो प्रोटोकाल के बाद में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमें एक मौका मिला यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन आन क्लाइमेट चेंज का। जो भी ऐसा डवलपिंग देश नान-पोल्यूटिंग पावर करेगा चाहे वह विंड से हो, चाहे बायोमास से हो, चाहे वह सोलर से हो, उनको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। तो क्लीन डवलपमेंट मेकेनिज्म के माध्यम से, सी डी एम के माध्यम से आएंगे। सबसे पहले हमारे को कार्बन क्रेडिट मिला, मैं, खान मंत्रीजी, आप यहां मौजूद हैं, आपकी एक कम्पनी है राजस्थान स्टेट मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि., सबसे पहले 45 लाख रुपये का कार्बन क्रेडिट उस कम्पनी को मिला है राजस्थान में। जिस साल उसको मिला, उस साल 1850 टन का कार्बन क्रेडिट इस एनर्जी सेक्टर के पावर प्लांट के पास में था, जो शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज में ट्रेड ही नहीं कर पाये। इनको जब एडवाइज की गयी कि आप कम से कम क्रेडिट अथोरिटी के पास जाकर अपना नामांकन कराइये। इन्होंने जब नामांकन कराया, तब तक वह डेट निकल चुकी थी। 317 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ इनको। जिस वक्त इन्होंने ट्रेड किया, इनको मालूम था 2007 में ट्रेड नहीं कर पाये यह कहते हुए कि हमारे को मालूम नहीं था। आपकी ही सिस्टर कंसर्न, आपका ही एक और विभाग, आपका डाइरेक्ट विभाग नहीं है, आर एस एम एल ने उसका फायदा उठा लिया।

आदरणीय, 2007 में जब ये ट्रेड करने गये तो इनको मिली डालर रेट, कार्बन ट्रेड रेट मिला, वह डालर रेट में मिला, 8 डालर। इन्होंने कुछ ट्रेड कर दिया, कुछ बचाकर रख लिया। आप अपने अधिकारियों को पूछिए। आप अपने आप में बिजनेस नहीं कर रहे थे; आप कोई क्लाइमेट एक्सचेंज के ऊपर स्टाक

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ट्रेडिंग कम्पनी नहीं थे। अगर आपके पास में 1,000 मैट्रिक टन के आसपास कार्बन क्रेडिट्स थे, 100 मैट्रिक टन का एक कार्बन क्रेडिट होता है, आप इसको फिर 100 पर और मल्टीप्लाई कर लेना; जब आपको 8 डालर की रेट मिली तो आपने कुछ किया, फिर 5 डॉलर पर किया। आप उसे पूरा नहीं बेच पाये। तब आपको यह रीयलाइज हुआ कि चाइना आ गया तो आपने आखिरी ट्रेडिंग की पाइंट 10 सेंट में, यह ए जी कह रहा है, मैं नहीं कहता; एजी की 2010 की रिन्यूएबल क्रेडिट्स का पैरा देखेंगे तो सर पकड़ लेंगे। पूरा का पूरा आप एड करेंगे 1000 करोड़ रुपया जो आपको कार्बन क्रेडिट्स से मिलना चाहिए था, वह आप नहीं ले पाये। यह 8 डालर पर है। जब जून में आया कार्बन क्रेडिट लेने के लिए तो रेट 25 डालर थी, वह 25 डालर पर खरीदने को तैयार था; पड़ी पूंजी हमारे पास में है, उसको हम निवेश नहीं करके उसका रेवेन्यू नहीं ले पा रहे हैं, तो काश्तकार के घर से उसके एक दीये में टिमटिमाती हुई आस से हम सियासत की गर्मी से अर्थव्यवस्था को बदल देंगे?

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस बात का आडिट होना चाहिए कि 82 हजार करोड़ तक इस दिवालियापन की स्थिति में इन डिस्काम्स को लाने में किन-किन लोगों की भूमिका थी जिन्होंने समय रहते हुए निर्णय नहीं लिये और निर्णय न लेने से जो आपको पूंजी आम बाजार से मिल सकती थी.. वह भी नहीं, आज हम सोलर हब्स की बात कर रहे हैं, this is all green energy जिसमें हमको कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं लेकिन आपको ट्रेडेबल नहीं मिलेंगे क्योंकि कम्पनियां तो अब कोई दूसरा आकर लगाएगा। आपने जो काम किया, जिसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, आदरणीय, अगर मैं पूरा पढूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आप ए.जी. की रिपोर्ट 31 मार्च, 2007 भी पढ़ें और 31 मार्च, 2010 भी पढ़ें। इन पूरी रिपोर्टस के पैरा को पढ़ेंगे तो आपको यह पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार से आपके इन डिस्काम्स की और इन एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स की, किस प्रकार से इन लोगों की केयरलेसनेस की वजह से आप हजारों करोड़ रुपया जो आप बाजार से जुटा सकते थे, जिसको आप पुनः निवेश करके इस अर्थव्यवस्था में वापस डाल सकते थे, पर यह चीज हुई।

श्री सभापति: आपने इशारा कर दिया है, मंत्रीजी पढ़ लेंगे। समझदार को इशारा बहुत होता है। इसलिए आप आगे बढ़ें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हूं, एक और सेक्टर है इसमें मैं पूरे सदन की और, सभापति महोदय, मैं आपकी वजह से यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति: सुन्दर लालजी, आप क्या कह रहे हैं?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मंत्रीजी तो पढ़ लेंगे पर जब तक अधिकारी नहीं पढ़ेंगे, तब तक यह बात बनेगी नहीं। यह कह रहे हैं काकाजी।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): रोग है, उधर तो अंगुली करते नहीं और इधर अंगुली करते हैं।

श्री सभापति: आप उम्र में बड़े हो सकते हैं पर आपको बात खड़े होकर ही कहनी पड़ेगी। आपको खड़े होकर बोलना पड़ेगा।

माननीय सदस्य, चालू रखें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, मैं आपके माध्यम से एक चीज पर और सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान पावर सेक्टर फाइनेंशल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, जून, 2013 में दस्तखत हुआ। यह आज जो कुछ भी हो रहा है, रेट बढ़ रही हैं, यह सब इस प्लान पर दस्तखत होने के बाद की बात है। पहले आपने एफ.आर.पी. अपडेशन दिसम्बर, 2011 में किया, उसमें आपने पूरी टेबल बना रखी है कि रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे पूरा करेंगे। जिसमें आपने रेट्स बढ़ाने की कर रखी है, वह पेज नम्बर 13, 14, 15 पढ़ लें। फिर जब इससे पूरा नहीं हुआ तो आप 2013 में चले गये। आदरणीय, 1 लाख 90 हजार करोड़ का पूरे राष्ट्र के डिस्कॉम्स का कर्जा था और 39 हजार करोड़ का सिर्फ राजस्थान का था। उस पर आप इस पावर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम पर गये, आपने दस्तखत किये, उस वक्त की सरकार ने दस्तखत किये और सरकार ने साफ लिखा है कि हम पैसा भी बढ़ाएंगे, हम एग्रीकल्चर कनेक्शन को भी कैप करेंगे, लेकिन सरकार आती है, सरकार चली जाती है। आज अगर वे वहां बैठे हैं तो अपने कर्मों से बैठे हैं। आपको और हमको वहां नहीं जाना हैं यह बात ध्यान में रखिये।

मैं आखिर में एक निवेदन करना चाहता हूं कि न्यूक्लीयर एनर्जी....

श्री सभापति: कर्मण की गति न्यारी।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): मेरी भविष्यवाणी सही हो रही है।

श्री सभापति: आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक आपके पास एनर्जी है जिसको आप न्यूक्लीयर एनर्जी कह दो, आपके पास में रावतभाटा का प्लांट है जिसकी यूनिट 1 से 8 तक हैं। जहां यह आपको एनर्जी देता है, बिजली देता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम कितने होते हैं? जापान का ले लीजिए, प्राकृतिक विपदा आती है, अगर अर्थक्वैक आ जाए तो इस रिएक्टर से निकलने वाला रेडियेशन क्या करेगा? आपके पास में दो ही तो नदियां हैं, एक चम्बल है और एक माही है। अगर इनमें रेडियेशन हो गया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं WISE की रिपोर्ट की तरफ, वर्ल्ड इन्फार्मेशन आन सेफ एनर्जी एक संस्था है, उन्होंने जब हमारे रावतभाटा का इंस्पेक्शन किया तो, आदरणीय, इसके तीन अलग-अलग रिसर्च लैटर्स हैं लेकिन इन तीनों रिसर्च लैटर्स में एक बात की समानता है। इसकी परिधि के पांच गांवों को उन्होंने लिया है, उन ग्राम पंचायतों को लिया है। तो उन्होंने उनमें यह देखा, 1973 में यह फर्स्ट कमीशन हुआ था कनाडा बेस्ड हैवी सब्सिडाइज्ड रिएक्टर था। आपको स्मरण होना चाहिए कि 1974 में हमने पोकरण का पहला ब्लास्ट कर लिया था तो हम पर फाइनेंशय सैंक्शंस लग गई थीं; पूरे यूरोप ने लगा दी थी, अमेरिका ने लगा दी थी। तो कनाड़ा जहां से हम यह लेकर आये थे, यह आपके परव्यू की बात नहीं है, यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया की है क्योंकि न्यूक्लीयर रिएक्टर वे लगाते हैं; उनके पास में किसी प्रकार का नो-हाऊ नहीं था, उन्होंने भाभा से नो-हाऊ लिया। आदरणीय, WISE यह बात कहता है और उस वक्त के चेयरमैन यह बात कहते हैं, डायरेक्टर, एटोमिक एनर्जी कहते हैं, 250 बार आपका यह न्यूक्लीयर प्लांट बन्द रहा है, 250 बार यह बंद रहा है और एक बार तो इसमें, जिसको कहते हैं कि बाल के समान उसके जो रिएक्टर हैं, उस पर क्रैक आ गया था। यह ट्राइटेनियम से चलता है, ट्राइटेनियम ऐसा है कि अगर जरा सी आप चीज दे दें, हर चीज के पार निकल जाता है।

उसके बाद में ये रिसर्च पेपर आये। यह ह्यूमन बाडी पर इसका जो इफेक्ट पड़ा, उसका रिसर्च पेपर है। दो बार आपके यहां से मेडिकल टीम्स गई हैं, एक चित्तौड़ सी एम एच ओ के यहां से गई और एक जयपुर से गई। उस वक्त जब हमारे मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी थे उनके समय में ये गईं और इन्होंने एक ही दिन में जाकर यह पूरा कर दिया कि वहां कुछ नहीं हुआ। आदरणीय, रेडियेशन का इफेक्ट एक साल, दो साल, चार साल में नहीं पड़ता। वहां के जो कुएं थे वे कंटेमिनेटेड पाये गये। वहां की जो कैटल वैल्थ थी, कैटल वैल्थ के अन्दर सिर्फ गाय-भैंस नहीं, पूरा का पूरा पशुधन, उस पशुधन की जब गणना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

की गई तो उसकी पापुलेशन में धीरे-धीरे कमी आ रही थी। ह्यूमन फोटोसाइड्स की बात हुई, बच्चे जन्म ले रहे थे तो किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पांव नहीं हैं, किसी के अंगुली नहीं हैं। ये वे एजेंसीज हैं जिन्होंने किया।

आदरणीय, आखिरी बार जब मैंने यह पूछा तो मुझे यह कहा गया कि अब हम टाटा रिसर्च सेंटर से करा रहे हैं। यह 2014 में मेरे पास जवाब आया हुआ है कि अब टाटा रिसर्च सेंटर दुबारा इसका कर रहा है कि how safe it is. अब पता नहीं, क्या होगा, या नहीं होगा, लेकिन एक चीज हो गई कि अब आपके कोटा में न्यूक्लीयर फ्यूल का वेयरहाउस खोलने का काम भी चालू हो गया, दो दिन पहले; वहां भण्डारण और होगा। बांसवाड़ा में आपने स्वीकृति दे दी; बांसवाड़ा में और लगेगा यही न्यूक्लीयर प्लांट। 700x2 का लगेगा शायद मेरे ख्याल से, या 700x4 का लगेगा। अब इसमें से आपको 50 परसेंट एनर्जी मिलनी है, बाकी तो केन्द्र ले जाएगा।

क्या राजस्थान जो कि एक सोलर हब के रूप में रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के रूप में आ रहा है, ऐसी हमारी कौनसी भौगोलिक आवश्यकता है कि हम न्यूक्लीयर एनर्जी जैसे प्लांट को यहां लगाएं? मैं उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा, आदरणीय, जर्मनी में सर्वाधिक न्यूक्लीयर प्लांट्स हैं, फ्रांस के बाद; वहां 22 न्यूक्लीयर प्लांट्स हैं और 2017 तक वे तकरीबन सारों को बन्द कर देंगे। फ्रांस की 90 परसेंट एनर्जी न्यूक्लीयर बेस्ड है, जर्मनी की 72 परसेंट एनर्जी थी। मेरे पास में यह पूरा डिटेल है। उस वक्त भी चांसलर मर्केल थीं और अभी भी वापस चांसलर मर्केल हैं। उन्होंने साफ यह कह दिया, this is our policy decision, हम न्यूक्लीयर प्लांट्स को चरणबद्ध तरीके से बन्द कर देंगे। By 2017 we will try and stand to zero, nil. और हम बना रहे हैं, हम लगाने की बात कर रहे हैं।

लगाने की जब आप बात कर रहे हो और आप यह कहते हो कि 2017 तक तो हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हो जाएंगे, मेरा आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि हम 2015 में तो हैं ही, 2017 तक तो आप एनर्जी सरप्लस स्टेट हो जाएंगे, तो, आदरणीय, किसी भी तरीके से यह सदन मिलकर, चाहे हमको अर्थव्यवस्था में कहीं आमूलचूल परिवर्तन करना पड़े, वह इस आम छोटे काश्तकार पर बिजली की टैरिफ का बोझ कैसे घटाया जा सके, इस पर एक आत्ममंथन होने की आवश्यकता है।

आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजिये।

श्री संदीप शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामहेत यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विद्युत पर चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

(16.00 बजे)

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने सदन में इस बात की चर्चा की कि हमारा किसान आज विद्युत की मार को झेल रहा है और जिस तरह से विद्युत वितरण निगम पर कर्जा हुआ है, वह गम्भीर समस्या है। आने वाले समय में राजस्थान की चिंता और बढ़ेगी। इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इस विद्युत विभाग की जो नीति है, नियम है, पालिसी है, उनमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो हमारे पास संस्थागत ढांचा है, वितरण व्यवस्था है, उसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा। विद्युत छीजत को भी हमें ठीक करना पड़ेगा। जनता के हित में, किसान के हित में, कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे। उनके बारे में सुबह से चर्चा हो रही है।

मेरे से पूर्व माननीय सदस्य की चर्चा थी कि ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने का सरकार का नियम है, उस हिसाब से बदले नहीं जाते और विशेष रूप से जो ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, उनके बारे में हमारे क्षेत्र के बारे में उन्होंने तकलीफ बताई। ये जो ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, सभापति महोदय...

श्री सभापति: वह नीचे कागजों में है क्या आपके पास?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): कागजों में आंकड़े थे, उनको मैं देखना चाह रहा था लेकिन वे निकल नहीं पाये।

श्री सभापति: ये रामलालजी के पास देखो आप, पास में हैं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसे ही बोल दूंगा, जानकारी में हैं।

श्री सभापति: ठीक है, बोलिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मेरे आंकड़े बाद में आयेंगे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): चूंकि मेरे यहां बीवीरानी कालेज की भूमि के अलाटमेंट का मामला बहुत समय से विचाराधीन है सरकार के पास। माननीय मंत्री महोदय ने मुझे बुला लिया था कि आपके कालेज की

(श्री रामहेत सिंह यादव)

फाइल मंगाई है। सरकारी कालेज है, 1995 में बना था, उसके लिए भूमि आज तक अलाट नहीं हो पाई। भवन बन गया, कालेज चल रहा है, उसकी यू जी सी की ग्रांट बंद है। तो मैं वहां चला गया था। आपने मेरा नाम पुकारा, उससे आधा मिनट पहले ही मैं आया हूं।

मैं बताना चाहता हूं, अलवर जिले में विद्युत विभाग की जो दुर्दशा है, वह बड़ी चिंताजनक है। आप एक तरफ तो किसान पर दबाव बनाते हैं कि आप विद्युत चोरी करते हैं, उनके खिलाफ थेप्ट के मुकदमे बनाते हैं, अनाप-शनाप टैरिफ लगाकर उससे जुर्माना वसूल करने का काम करते हैं; दूसरी तरफ विद्युत विभाग है, जिस काम के लिए अधिकारी हैं, उनको अपने विभाग में क्या हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है।

अभी मेरे पास एक कागज है, जिसमें मैंने तीन वर्षों के लिए पूछा था। मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि गत तीन वर्षों में 1,226 एफ आई आर दर्ज हुई हैं। विद्युत विभाग के बारे में मैंने पूछा कि उसमें कितना सामान चोरी हुआ, तो उन्होंने बताया कि 12 करोड़ रुपये का सामान चोरी, ट्रांसफार्मर चोरी होने की बात कही है। उसमें मैंने पूछा कि क्या एफ आई आर दर्ज की और कितना सामान मिला, कितने चोर पकड़े गये? तो उसमें एक लाख कुछ रुपये का सामान पुलिस बरामद कर पाई और जो एफ आई आर दर्ज हुईं, उनमें 99 प्रतिशत में एफ आर लगा दीं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, उसकी एफ आई आर आप दर्ज कराते हैं? क्या कहीं किसी स्तर पर, सी एम डी लेवल पर, आपके स्तर पर, या एस ई स्तर पर कोई मानिटरिंग होती है? इतना सामान चोरी हुआ, पुलिस ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? आप और सारे उपाय तो करते हैं, उसके लिए भी क्या आप अलग से फोर्स बनाने की चिंता करते हैं? व्यवहार में ऐसा रहता है, सभापति महोदय, 20 तारीख तक जो ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं, 20 तारीख से 31 तारीख तक पुलिस एफ आई आर दर्ज नहीं करती। एक-दो तारीख में एफ आई आर दर्ज करती है। तो एक नहीं, यह जो 1,200 का आंकड़ा दिया है, जो एफ आई आर का दिया है, ट्रांसफार्मर चोरी की बात है तो एक-एक एफ आई आर में लगभग 15-15, 20-20 ट्रांसफार्मर, पांच-सात ट्रांसफार्मर एक ही एफ आई आर में अलग-अलग गांवों के दर्ज कर दिये जाते हैं, एफ आई आर की संख्या कम करने के लिए।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, पिछले पांच साल के अन्दर अलवर जिले में लगभग 40-50 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर और बिजली का सामान चोरी हो गया। आप एक तरफ छीजत की बात तो करते हो, कोई एक-आध करोड़ की छीजत हुई, उस पर तो आप इतना सख्त हो गये कि किसान पर अनाप-शनाप वी सी आर भरकर उससे वसूल करना चाहते हो, लेकिन जो आपका सामान है, जो आपके पास था, वह चोरी हो गया, उसकी एफ आई आर आपने दर्ज करा दी लेकिन उसको बरामद पुलिस ने नहीं किया, उसकी मानिटरिंग आपने नहीं की।

मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी पालिसी बनायें। आपका माल गया, सरकार का पैसा लगा, पुलिस ने उसमें एफ आर लगा दी; आप भी संतुष्ट हैं, वे भी संतुष्ट हैं, लेकिन, सभापति महोदय, किसान को जो पीड़ा है इसके पीछे कि हमारे यहां दिल्ली के आसपास एन सी आर का क्षेत्र है, वहां पर सब्जी वगैरह का काम बहुत ज्यादा होता है और विशेष कर अप्रैल-मई-जून-जुलाई तक तो ऐसा होता है कि पर-डे खेत पर पानी देना पड़ता है, तब वह पेड़ बचता है, वरना लू के कारण वह झुलस जाता है। उसकी फसल खराब हो जाती है। अब उसका ट्रांसफार्मर चोरी हो गया तो वह एक महीना, 20 दिन तक भी उसको नहीं मिलता है। एफ आई आर दर्ज होने के बाद भी वापसी की एक प्रक्रिया है कि वह एफ आई आर आपके पास आयेगी; उस एफ आई आर को आपके यहां जयपुर कार्यालय में एस पी बैठता है, उसके पास लेकर जाते हो, वह एप्रूव कर देता है; उसके बाद वह एस ई के पास जाती है; फिर जाकर नीचे ए ईएन आफिस में जाती है। तब ट्रांसफार्मर अलाटमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। जहां आप सात दिन में ट्रांसफार्मर देने की बात करते हैं, लेकिन चोरी के केस में एक भी ऐसा प्रकरण नहीं है, जहां लगभग 30 दिन से कम में ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद मिलता हो।

आपका बिल तो आपने तय कर दिया कि उस पीरियड का बिल है, आप उसको भी माफ नहीं करते। जब आपने बिजली सप्लाई नहीं दी, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको पालिसी तय करनी पड़ेगी। आप एक तरफ कहते हो कि हर महीने मिनिमम यूनिट का बिल तो पे करना पड़ेगा। जब आपका मीटर लगा हुआ है, उसमें रीडिंग निकलती है तो साल भर में आप केलकुलेट करते कि नहीं, आपने इतना तो बिजली का कंजम्पशन कर लिया, इतना तो आपको मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा? वह शर्त है। ट्रांसफार्मर जिसका चोरी हो

(श्री रामहेत सिंह यादव)

गया, जिसने यूज ही नहीं किया, उस पर वह शर्त नहीं लगनी चाहिये। उस समय का पीरियड, जब आप नया ट्रांसफार्मर रखें, तो चोरी के पीरियड की उसको बिल में रिलीफ मिलनी चाहिये, बिल कम होना चाहिये। यह मैं कहना चाहता हूं।

दूसरा, अब जो गांवों में है, सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। सभापति महोदय, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं, जब से मैं राजनीति में हूं, किसी भी गांव की ग्राम पंचायत ने कोई लाल-डोरा नहीं बढ़ाया, आबादी क्षेत्र नहीं बढ़ाया और आबादी क्षेत्र नहीं बढ़ने से गांव के बाहर फैलाव हुआ तो वह कृषि भूमि में गांव के लोग बस गये, मकान बना लिया। पहले तो पूर्ववर्ती सरकार के जो ऊर्जा मंत्री थे, उस समय, और उसके बाद जो यह हमारी सरकार रही, 2003-2008 में एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जहां भी एग्जिस्टिंग पोजिशन से अगर 500 मीटर तक डोमेस्टिक कनेक्शन चाहता है तो किसान को उसका डोमेस्टिक कनेक्शन दे दिया जाये, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने उस सर्कुलर को विथड्रा कर दिया। अब तो यह है कि अगर डोमेस्टिक कनेक्शन आप लेना चाहते हो तो चूंकि मकान आपने एग्रीकल्चर में बना लिया, सरपंच कहता है कि यह 10 साल से, 8 साल से यहां रह रहा है, इसका कृषि कनेक्शन दे दो, डोमेस्टिक, घर का विद्युत कनेक्शन दे दो, तो आप कहते हो कि यह तो एग्रीकल्चर में है, आपको कनेक्शन नहीं मिल सकता। जब बगल वाला पड़ोसी एग्रीकल्चर में था, जिसने कांग्रेस का राज आने से पहले आपके उस सर्कुलर का फायदा लेकर अपना कनेक्शन करा लिया और कांग्रेस के राज में, पांच साल के राज में ऐसा रहा कि जिसने बगल में मकान बनाया, दीवार में दीवार है; एक को तो कृषि भूमि पर बने मकान पर जब वसुन्धराजी का राज था, तब तो कनेक्शन मिल गया और गहलोतज़ी के पांच साल के कार्यकाल में एक भी कनेक्शन नहीं मिला, तो गांवों में यह चोरी की घटनाएं बढ़ती हैं। सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि आप गांवों में कैंप लगाइए और जितने भी डोमेस्टिक कनेक्शन लेना चाहते हैं, एक साथ सबको ट्रांसफार्मर देकर सबको वहीं कनेक्शन कर दीजिए। उसके बाद चोरी करता है कोई, तो सख्त से सख्त कानून लगा दीजिए। उसको जो भी सज़ा है, चाहे उसे दुगना कर दें, चाहे जुर्माना चौगुना कर दें, लेकिन आप वह सुविधा दें।

कोटा से आने वाले माननीय विधायक सही कह रहे थे, उद्योगपति

(श्री रामहेत सिंह यादव)

जा2ता है तो दस दिन में उसकी फैक्टरी का कनेक्शन हो जाता है और किसान एक बल्ब कनेक्शन लेना चाहता है तो उसके लिए आपके एग्रीकल्चर आड़े आ जाती है, आपके सर्कुलर आड़े आ जाते हैं। इसलिए यह जो दोहरा मापदंड है इसको कहीं न कहीं रोकना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, सबको डोमेस्टिक कनेक्शन, जो एप्लाई करेगा उसको दे देंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है?

एक समस्या और है, अगर डोमेस्टिक कनेक्शन में से गांव के बाहर रहता है, पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी ने सिंगल फेज लगा दिया, हैण्डपम्प में कोई आधा किलोवाट की या एक किलोवाट की अगर उसने मोटर डालकर पानी ले लिया तो उसको कहते हो कि आपने टैरिफ चेंज करके बिजली विभाग के साथ धोखा किया है। इसलिए आप पर थेफ्ट का मुकदमा लग जाता है। उसने अपने घर पर कनेक्शन ले रखा है, कनेक्शन ले रखा है डोमेस्टिक और उसने पानी के लिए अगर मोटर चला ली, वास्तव में तो वह उसको एग्रीकल्चर में यूज ले रहा है; उसकी टैरिफ और उसकी टैरिफ दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी आप उसको थेफ्ट केस मानकर के उसका कनेक्शन काटते हो। उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। यही नहीं, बहुत सारे मामले इस तरह के हैं, जिस कारण से आपने किसान को कनेक्शन देने की बात कही है।

सारी व्यवस्था ठेका व्यवस्था पर हो गई है। ठेकेदार की मर्जी है, जब चाहे आपका पोल गाड़ दे, जब चाहे आपका ट्रांसफार्मर ले जाए। क्योंकि आप अपने स्टोर में तो ट्रांसफार्मर जमा ही नहीं कराते हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का स्टोर है, वहां आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो आपका ठेकेदार है वह आपके यहां स्टोर से इश्यू कराता है और व्यावहारिक रूप से वह अपने स्टोर में, अपने यहां गोदाम बनाकर उस ट्रांसफार्मर को, बिजली के सामान को रखता है। वह आपके स्टोर में जमा नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप जिस भी एजेंसी से अपना माल उठवायें अपने डिस्ट्रिक्ट स्टोर से, वह आपके ए ईएन आफिस स्टोर में पहले जमा होना चाहिए, इन्द्राज होना चाहिए, उसके बाद वह जाना चाहिए। कागज में आप ऐसा करते होंगे, लेकिन व्यावहारिक बात नहीं है। जब आपने ठेकेदार को ट्रांसफार्मर दे दिया, ठेकेदार को लाइन दे दी, ठेकेदार को मीटर दे दिया, तो उसकी मर्जी है, जिसका प्रायोरिटी में सौ नम्बर पर है उसको दो नम्बर पर दे दें, दो नम्बर वालों को कह दे अभी आपका नम्बर नहीं है।

यही नहीं, जितना भी ट्रांसफार्मर जला है, जलने के बाद एक सिस्टम

(श्री रामहेत सिंह यादव)

होना चाहिए। आप जहां भी जाएंगे, ए ईएन आफिस हो, चाहे जे ईएन हो, चाहे जी एस एस आफिस हो, सब जगह भरमार पड़ी हुई है जले हुए ट्रांसफार्मर्स की। सड़कों पर पड़े हैं।

श्री सभापति: थोड़ा संक्षेप कर लें, माननीय सदस्य। आज बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, अलवर जिला बहुत बड़ा है, इतने बड़े जिले के लिए पहले माननीया वसुंधराजी का राज था तो एडिशनल चीफ इंजीनियर की पोस्ट की थी, कांग्रेस के राज में आने के बाद उसको खतम कर दिया। मैं चाहता हूं कि उस जिले को देखकर के कम से कम दो एस ई आफिस होने चाहिए ताकि उस पर कंट्रोल कर सकें और मेरे यहां पर एक हरसौली जे ईएन आफिस है, उसको, मैं चाहता हूं, आप ए ईएन आफिस करें।

यही कहता हुआ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, बिजली पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपन बिजली की बात करते हैं लेकिन यह बिजली का जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें करंट बंद हो जाएगा। इस कर्ज को अपन कम नहीं कर पाये, छीजत कम नहीं कर पाये। मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, छीजत के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे काश्तकार का घर हो, चाहे शहर का घर हो, हरियाणा पैटर्न पर मीटर पोल पर लगना चाहिए। आजकल जो वी सी आर भरी जा रही हैं, उनमें पचास परसेंट वी सी आर जो कैबल है उसके कट के कारण भरी जा रही हैं। इस बात पर मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आप हरियाणा में जाकर देखें, हर कंज्यूमर का मीटर केवल पोल पर लगा रहता है। एक-एक पोल पर दस-दस मीटर होते हैं, जिस पोल से जाता है। तो आधी छीजत आपके कम हो जाएगी, यदि पोल पर मीटर लगेंगे तो।

माननीय सभापति महोदय, काश्तकार को चोरी के लिए कहते हैं कि काश्तकार चोर है। नहीं, चोरी वाली बात नहीं है। मैं इस बात से पहले एक

(श्री बंशीधर)

और बात कहना चाहता हूं कि पीक सीजन और नान-पीक सीजन। दूसरे प्रांतों में जब फैक्टरी के अन्दर इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर नान-पीक सीजन के अन्दर फैक्टरी की रेट कम दे देते हैं जिससे कि फैक्टरी वाला कम रेट में रात को बिजली लेकर, दस बजे बाद, ग्यारह बजे बाद में, सुबह तक अपनी फैक्टरी चलाएगा तो अपना जो प्रोडक्शन है, नान-पीक सीजन वाला, सस्ती रेट पर बेचना नहीं पड़ेगा और महंगी रेट पर खरीदना नहीं पड़ेगा। इसलिए एक सुझाव है कि अपन को काश्तकार के अलावा फैक्टरी वालों को भी यह छूट देनी चाहिए कि नान-पीक सीजन में आपकी रेट यह होगी। मीटर ऐसे लगने चाहिए जो आवर्स के हिसाब से चलें, यह मीटर इतने बजे चला, जिससे कि फैक्टरी वालों को भी फायदा होगा और सरकार को, बिजली निगम को भी फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, बिजली खरीद फरोख्त के अन्दर बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। ऐसे उदाहरण आये हैं आडिट के अन्दर कि एक ही दिन में बारह रुपये यूनिट के हिसाब से खरीदी और उसी दिन चार रुपये में बेच भी रहे हैं। यह समानान्तरण करने के लिए यह पीक सीजन और नान-पीक सीजन टाइम के अन्दर अपने को ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में जो घरेलू कनेक्शन हैं, करीबन काश्तकारों के जो कृषि कनेक्शन हैं, आज साढ़े तीन लाख बाकी हैं। काश्तकार अपने पानी पीने के लिए भी नहीं दे सकता, खेती के लिए नहीं कर सकता। इसके लिए अपने को प्राथमिकता देकर के इनको कनेक्शन जल्दी से जल्दी देने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि काश्तकार के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जुलाई, 2011 के बाद में कई जिले ऐसे हैं, कई तहसील ऐसी हैं जिनको डार्क जोन घोषित कर रखा है। लेकिन डार्क जोन जुलाई, 2011 से पहले कलक्टर आफिस से और तहसीलदार के यहां से कुएं-कुएं की गिनती की थी कि जुलाई, 2011 से पहले कौन-कौनसे काश्तकार के पास कौन-कौन से कुएं हैं, लेकिन पटवारी ने घर बैठकर के वह गिनती कर ली। आज किसी को मालूम नहीं, आप चले जाएं, हम चले जाएं, इस काश्तकार के खेत में कितने बोरिंग किए हुए हैं? पहले कुएं दिख जाते थे दूर से भी कि तीन कुएं हैं, चार कुएं हैं। लेकिन खेत के अन्दर बोरिंग कराकर छोड़ रखा है उसने और यह कहकर छोड़ रखा है कि मेरे बिजली का कनेक्शन

(श्री बंशीधर)

आयेगा, तब मैं इससे सिंचाई करूंगा। आज काश्तकार ने कुआं बना रखा है लेकिन यह कह कर कनेक्शन नहीं दे रहे हैं कि आपका लिस्ट के अन्दर नाम नहीं है। वह लिस्ट डिफेक्टिव लिस्ट है जो 2011 से पहले बनी है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि दुबारा इसकी गणना की जाए और काश्तकार के साइन कराकर के की जाए कि आपके कितने कुएं हैं और उसको लागू उस हिसाब से किया जाए।

मैं, सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने इतना कर्ज बढ़ाया, वह बात अलग है कि कैसे बढ़ाया, लेकिन एक अजीब उदाहरण मिला मुझे देखने के लिए कि कर्ज के लिए, लिए हुए ब्याज के लिए, भुगतान का पैसा नहीं है सरकार के पास, पिछली टाइम पर, और उस ब्याज के भुगतान के लिए और कर्ज लेना पड़ा। इससे शर्म की बात अपने लिए कोई नहीं हो सकती। यह केवल मिस-मैनेजमेंट का काम है कि ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज लें, और वह भी 11 और 13 परसेंट तक ब्याज लिया है इन्होंने। तो विभाग इससे घाटे में नहीं जाएगा तो और क्या होगा?

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज हर ए ई एन आफिस के अन्दर, जे ईएन आफिस के अन्दर, बड़े आफिस के अन्दर, इतना कबाड़ पड़ा हुआ है, नकारा सामान पड़ा हुआ है। आज उसको अपन बेचें तो करीबन 500 करोड़ रुपये का सामान आपका बिकेगा। वह नकारा है, आपके दुबारा काम में नहीं आयेगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जो नकारा सामान है, उसकी लिस्ट बनाकर, यह नहीं कि नकारा के नाम पर पहले वाला कबाड़ भी, जिसकी लायबिलिटी है वह हट जाएगी; उसकी लिस्ट बनाकर उसको बेचा जाए जिससे कि आपके कर्ज के अन्दर यह रकम काम आये।

सभापति महोदय, जो फीडर रिनोवेशन हुआ था, जो पोल उतारे, लोहे के पोल थे, सीमेंट के पोल लगाये; कापर के तार थे, एल्यूमिनियम के तार लगाये और एल्यूमिनियम के मोटे तार की जगह छोटे तार लगाये, लेकिन उसकी कोई कहीं पर भी कोई गणना नहीं है कि इस फीडर से इतना तार उतारा, इतने पोल उतारे और इतना होना चाहिए। वह कहीं पर भी नहीं है, आडिट में भी नहीं है, कहीं पर भी इनका कोई हिसाब नहीं है। इसके कारण आज अधिकारी लाल हो गये हैं और काश्तकार का नाम लेकर के सरकार गुमराह कर रही है कि हमारा कर्जा हो गया। काश्तकार ने कोई गुनाह नहीं किया है, केवल गुनाह किया है तो अधिकारियों ने मनमर्जी के कारण यह

(श्री बंशीधर)

फीडर रिनोवेशन का काम किया है। अरबों रुपयों का माल खा गये। इसकी भी आडिट कराकर जांच करनी चाहिए।

आज पी पी पी मोड पर ठेका देकर के काम कराना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गांवों के अन्दर आई टी आई किए हुए बहुत बच्चे हैं, बेरोजगारी भी कम होगी और ठेकेदारी प्रथा भी कम हो जाएगी।

अभी सामने आया है कि हमारे जयपुर, कोटा के अन्दर पी पी पी मोड पर काम कराएंगे। वहां तो छीजत ही आपकी 10 परसेंट से नीचे है। तो वहां क्यों ठेकेदार को लाल कर रहे हो? क्यों अधिकारियों को लाल कर रहे हो? यदि आप पी पी पी मोड़ पर ठेका देकर के काम करवाना चाहते हो तो जहां सबसे ज्यादा छीजत है, वहां कराना चाहिए। जिससे आपकी छीजत भी रुकेगी और प्रोफिट भी होगा। जयपुर और कोटा में आप पी पी पी मोड पर कराओगे तो इसमें शर्म की बात नहीं है यह? वहां छीजत के आंकड़े देखो, कितने हैं। काम वहां कराना चाहिए, जहां छीजत ज्यादा हो। मेरा आपसे यह एक सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, जिस किसान को...

श्री सभापतिः संक्षिप्त करें।

श्री बंशीधर (खण्डेला): हां, संक्षिप्त कर रहा हूं। मुझे पांच मिनट ही नहीं हुई अभी तो।

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, पांच मिनट नहीं, आप बोलो, पर आप संक्षिप्त कर लो।

श्री बंशीधर (खण्डेला): सभापति महोदय, किसान के आज सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पर सोलर प्लांट लगा रही है, तीन एच पी, पांच एच पी। जिस टाइम किसान को उस सोलर की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं होती है, उस टाइम उस सोलर से उसके मीटर लगाकर किसान से बिजली परचेज करनी चाहिए जिससे कि सस्ती रेट पर बिजली मिलेगी विभाग को और काश्तकार को भी फायदा मिलेगा। जिन घरों में सोलर प्लांट लगा रखे हैं कई लोगों ने, उनसे भी परचेज करनी चाहिए। जिस टाइम उनको जरूरत नहीं पड़े, सर्दियों में, उस टाइम आप उनसे परचेज करके उनके मीटर की गणना होनी चाहिए, जिससे छोटी-छोटी अमाउंट भी एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी और बिजली कम्पनियों को इसका फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और कहना चाहूंगा आपसे कि लघु किसानों में आज काश्तकार हमारा अन्नदाता है, अन्नदाता कहते हैं, लेकिन

(श्री बंशीधर)

आज वह इस कगार पर खड़ा हुआ है कि आज उसको देखकर रोज आता है अपन सबको और वह आत्महत्या के कगार पर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि लघु काश्तकार को बिजली और भी सब्सिडाइज्ड करनी चाहिए। आज काश्तकार में, पहले के काश्तकार में और आज के काश्तकार में बहुत फर्क है। आज काश्तकार की जो भी उपज आती है वह उपज यदि अपन बिलवाइज देखते हैं कि ट्रैक्टर का बिल देंगे, या कटाई का बिल देंगे, बिजली का बिल देंगे तो उसके पास माइनस होती है, उसके पास मजदूरी भी नहीं बचती है। तो काश्तकार को जिन्दा रखने के लिए और सब्सिडाइज्ड करनी चाहिए काश्तकार के लिए, तो ही काश्तकार जिन्दा रहेगा; नहीं तो आज हमारा काश्तकार सुसाइड के कगार पर खड़ा है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद आपको।

श्री बंशीधर (खण्डेला): सभापति महोदय, दो मिनट।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, अब आप समाप्त करें।

श्री बंशीधर (खण्डेला): सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री बंशीधर (खण्डेला): बिजली कम्पनियों की आडिट करने के लिए आदरणीया वसुन्धराजी ने, हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, वह सराहनीय कदम है। आडिट से ऐसी आशा करते हैं हम कि आडिट करने से अधिकारियों पर लगाम लगेगी, चोरी पर लगाम लगेगी और सरकार काम करेगी, जिससे कि बिजली में छीजत कम हो जाएगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बंशीधर (खण्डेला): थैंक यू, सर। धन्यवाद, आपने मौका दिया।

श्री सभापति: श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार में मैं कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और इसलिए समय को रेग्यूलेट करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने-अपने क्षेत्र की और जो आपके बहुमूल्य सुझाव हैं, वे दें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2008 में

(श्री भंवरसिंह)

मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की गई थी, उसमें लाखों लोगों ने आवेदन किये थे, ढाणियों में रहने वाले लोगों ने, अपने खेत में बिजली पाने के लिए। 2008 से 2013 तक पांच के समूह में बड़ी संख्या में लोगों को घरेलू कनेक्शन दिये गये। उसी अनुपात में 2012-13 में फिर जो वंचित रहे हुए किसान, जो ढाणियों में रहते थे और घरेलू कृषि कनेक्शन लेना चाहते थे, उसके लिए हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने राज्य भर में इस योजना के तहत बड़ी तादाद में एक बार फिर आवेदन लिये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जनवरी, 2014 से लेकर आज तक राजस्थान करीब में दो लाख से भी ज्यादा आवेदन हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना के तहत आवेदन किया है, लेकिन 15 महीनों से इस योजना पर अघोषित रूप से रोक लगा रखी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा बीकानेर जिला सीमावर्ती जिला है, लोग ढाणियों में रहते हैं और बारह महीने ढाणियों में रहते हैं, हमेशा उनको घरेलू लाइट की आवश्यकता होती है। एक मात्र इस योजना के तहत उन्हें यह उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना में उन्हें ढाणी में रहते हुए बिजली उपलब्ध करवायी जाएगी।

(16.24 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को सरकार यदि बंद करना चाहती है तो एक अलग बात है लेकिन जितने आवेदन इस योजना के तहत लिये गये हैं, उन तमाम आवेदनों के जो आवेदक हैं उनको तो कम से कम इस योजना के तहत बिजली उपलब्ध करवाई जाएं।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्षों से किसानों को, जो किसान कृषि कुआं बनाकर के अपने खेत में रहता है, हमारे बीकानेर जिले में पिछले दस-बारह सालों से लाखों की तादाद में कृषि कुए खोदे गये हैं, किसान पहले गांवों में रहते थे लेकिन कृषि कुएं खोदने के बाद अपने परिवार सहित, अपने पशुओं सहित वे खेतों में घर बनाकर के रहने लग गये। अभी हमारे बीकानेर सम्भाग के दौरे पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ था, उस समय बिजली विभाग के अधिकारी, मंत्री सभी लोग आये थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभापति महोदय, कि इन किसानों को पहले एक

(श्री भंवरसिंह)

सिंगल फेज चालू रखा जाता था, जिससे कि किसान अपने खेत में कृषि का कार्य करने के अलावा अपने खेत में रहने के लिए एक बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, सिंगल फेज के माध्यम से अपने खेत में रोशनी कर लेता था, लेकिन सभापति महोदय, हमारे पूर्व सी एम डी के दौरे से और उन्होंने एक ऐसा आदेश कर दिये कि तमाम जो सिंगल फेज हैं, वे पूरे बीकानेर जिले में बंद कर दिये जाएं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि या तो सरकार इन कृषि कुओं पर रहने वाले किसानों को अलग से सिंगल फेज का घरेलू कनेक्शन देने की योजना बनाये, अथवा पूर्व में जो सुविधा किसानों को मिल रही थी उस सुविधा को चालू रखा जाए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन चाहने वालों की संख्या अभी राजस्थान में करीब तीन लाख से ज्यादा, साढ़े तीन लाख के करीब है। सभापति महोदय, अभी वर्तमान में जो प्रतीक्षा सूची चल रही है, उसके अनुसार मार्च, 2009 तक के जो आवेदक हैं उनको कृषि कनेक्शन देने के डिमांड नोटिस निकाले गये हैं। आज 6 वर्ष से भी अधिक समय की प्रतीक्षा सूची चल रही है और यही हालात रहे तो किसानों को समय पर कृषि कनेक्शन नहीं मिल पाएंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को पहल करके इसका जो टारगेट है, इसका जो लक्ष्य है, हर वर्ष कृषि कनेक्शन का, उसको बढ़ाना चाहिए।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसानों से वसूली की जा रही है, एक तरफ सरकार ने किसानों के चार माह के बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारी, विशेष कर बीकानेर जिले के अधिकारियों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक किसान का पचास हजार रुपये, तीस हजार रुपये बकाया है, उसका ट्रांसफार्मर जबरन उतारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़े किसान हैं जो बिजली विभाग के अधिकारियों से साठ-गांठ रखते हैं, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बीकानेर जिले के और विशेष कर कोलायत विधान सभा क्षेत्र के कृषि कनेक्शनों की सूची मंगवा लीजिये, पांच लाख से लेकर दस लाख रुपये तक किसानों के बकाया हैं उन किसानों के खेत में विभाग के अधिकारी नहीं जा रहे हैं और जो छोटे-छोटे दलित जाति के गरीब किसान हैं उनके जबरन ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

(श्री भंवरसिंह)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसान अभी इस अतिवृष्टि से प्रभावित हैं, उन किसानों के बिजली के बकाया बिलों को किश्तों में एक पार्टली पेमेंट लेने की योजना बनाई जाए जिससे कि किसान धीरे-धीरे अपने बकाया बिलों का भुगतान कर सकें।

वहीं मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले करीब सवा साल से एक किसान ने अपने खेत में एक कुआं खुदवा लिया है और वह दूसरा कुआं खुदवा करके सवा साल से, पन्द्रह महीने से लगातार बिजली विभाग के चक्कर काट रहा है और वो निवेदन कर रहा है कि मेरे खेत में दूसरा कृषि कनेक्शन, एल टी कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, वह दे दिया जाए। एक-एक किसान ने 7-7, 8-8 लाख रुपये खर्च कर दिये, सभापति महोदय, इन किसानों को बिजली विभाग के चक्कर काटते हुए लम्बा समय हो गया है लेकिन इनको बीकानेर का विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया तो मंत्री महोदय ने मुझे बताया कि इस प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन बीकानेर के अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे एम डी का आदेश है, हमारे ऊपर के अधिकारियों का आदेश है कि बीकानेर में एल टी कनेक्शन का या दूसरे कृषि कुएं के कनेक्शन की जो योजना है उस पर अघोषित रूप से रोक है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि जो बीकानेर जिले के सैकड़ों किसान हैं, करीब 200-300 से भी ज्यादा इनकी संख्या है, इन तमाम किसानों को दूसरा कृषि कनेक्शन दिया जाये।

इसके अलावा, हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में पानी का जल स्तर काफी ऊंचा है और यहां इस वजह से सेम की समस्या का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन तमाम नहरी क्षेत्र के किसानों को सिंगल फेज के माध्यम से कृषि कुओं पर छोटी मोटर लगाकर सिंचाई की सुविधा दी जाये जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके और क्षेत्र में सेम की समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, बूंद-बूंद योजना के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुराज संकल्प पत्र 2013 में स्पष्ट रूप से भाजपा ने राजस्थान के किसानों से यह वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों से 3 गुणा रेट लेकर जो बूंद-बूंद श्रेणी के बिजली के कनेक्शन दिये हैं, यह किसानों के साथ भारी

(श्री भंवरसिंह)

अन्याय है। हमारी भाजपा की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले वर्ष 2013 तक के जितने भी बूंद बूंद श्रेणी के कृषि कनेक्शन हैं, उन तमाम कृषि कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में तब्दील करके किसानों को राहत देंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 15 महीने का समय बीत गया लेकिन आज भी बूंद-बूंद श्रेणी के उन किसानों को उस श्रेणी में ही बिजली के बिल 3 गुणा ज्यादा रेट में भरने पड रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को अपने वादे पर कायम रहना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फीडर मेंटीनेंस प्रोग्राम, हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्रीजी ने पिछले बजट सत्र के समय यह कहा था कि हम लोगों को नये कृषि कनेक्शन या घरेलू कनेक्शन देने से पहले, राजस्थान में जो बिजली का संचार तंत्र है वह गड़बड़ा गया है, हम फीडर मेंटीनेंस प्रोग्राम, एफ एम पी चलायेंगे, लेकिन पिछले लम्बे समय से मुझे नहीं लगता है, मैं राजस्थान के अन्य जिलों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे बीकानेर जिले में फीडर मेंटीनेंस की दिशा में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। आज भी किसानों की मोटरें जल रही हैं; किसानों को वोल्टेज कम मिल रहा है; जगह जगह लोड अधिक होने की वजह से तार टूट रहे हैं; इंसान की मृत्यु हो रही है, पशुओं की भारी संख्या में मृत्यु हो रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि फीडर मेंटीनेंस का प्रोपर कार्यक्रम चलाया जाये और जहां आवश्यकता है नये 33 केवी के जी एस एस बनाने की, सभापति महोदय, 33 केवी के नये जी एस एस पिछली कांग्रेस की सरकार में भी बहुत ज्यादा बने थे लेकिन पिछले 15 महीनों में बिजली विभाग ने एकदम हाथ बंद कर लिये हैं और नये 33 केवी के जी एस एस मांग के अनुसार भी नहीं बन रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि बीकानेर जिले के कृषि कुओं को पर्याप्त और गुणवत्ता पूर्ण बिजली देने के लिए और जो फीडर मेंटीनेंस का कार्यक्रम है, बार-बार तार टूट रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी इस कार्यक्रम को चलाया जाये जिससे वहां के क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर के बिजली विभाग के हालात इतने खराब हैं कि हमारे 2013 के मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना के डिमांड नोटिस भरे हुए लोगों को 15-15 महीने का समय हो गया, 15 महीने से वह किसान यह मांग कर रहा है कि हमें खेत में, ढाणी में कनेक्शन दिया जाये, हमने हमारा पैसा भर दिया है, लेकिन इन

(श्री भंवरसिंह)

किसानों को, इन उपभोक्ताओं को, चाहे घरेलू कनेक्शन हों, चाहे कृषि कनेक्शन हों, लम्बा इन्तजार करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में ढाणियों में विद्युतीकरण के लिए करीब 65 लाख रुपये की मेरे विधायक निधि कोष से स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। 8 महीने पहले मैंने मेरी पहली स्वीकृति जारी की थी गांव में, ढाणियों में रहने वाले लोगों को लाइट देने के लिये। 65 लाख की लागत के करीब 15-20 कार्य हैं मेरे एम एल ए कोटे के, लेकिन इस विभाग ने एक भी कार्य आज तक चालू नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे बार-बार कहने के बावजूद इस विभाग के अधिकारियों ने एक एम एल ए की डिजायर पर, एक एम एल ए की अनुशंसा पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की क्या हालत हो सकती है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, इसमें जे ईएन, ए ईएन ही नहीं, बल्कि, जो तकनीकी हेल्पर होते हैं उनके अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं जिससे कि बिजली की कोई भी समस्या हो जाती है तो लोगों को लम्बा इन्तजार करना पड़ता है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बीकानेर जिले में जो अधिकांश रिक्त पद पड़े हैं उन रिक्त पदों को समय रहते भरा जाये जिससे कि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे अपना वक्तव्य रखने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश धाकड़।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की सूची पूर्ण होकर और सरकार का जवाब आये, तब तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की सम्पूर्ण सूची के सम्पूर्ण होने तक बढ़ाया जाय?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी का वक्तव्य आने तक।

(स्वीकृत)

श्री सभापति: आधे घंटे की चर्चा भी है, यह तो सूची पूरी होगी।

सदन का समय बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, बिजली की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुझे भी बोलने का अवसर मिला।

अभी सभी माननीय सदस्य बिजली की आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे थे लेकिन मैं यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने 40 हजार कृषि कनेक्शन देने की बजट में घोषणा की। इससे किसानों को जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे ध्यान में आती हैं, हम कहते हैं इतना घाटा हो रहा है, जिस घाटे की स्थिति जिस प्रकार बनी हुई है, ऐसी स्थिति में हमारे राज्य में जो स्थिति बनी हुई है मेरा यह मानना है कि कोई भी किसान जिसने अपने खेत पर बोर करा रखा है, जिसके कुआ है और उसकी मोटर अगर नहीं चल रही हो, या बंद हो, ऐसी स्थिति मैं नहीं मान सकता। कुछ अधिकारी लोग भी मिस गाइड करते हैं। कोई भी मोटर ऐसी नहीं होगी जो बंद हो; वह चलती है। हम बिजली डिपार्टमेंट में जब इनसे बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं हैं, हमारे पास खम्भे नहीं है, हमारे पास तार नहीं है। मेरा मानना यह है कि जब सारी मोटरें चल रही हैं, किसी की भी मोटर बंद नहीं है तो क्यों नहीं सरकार ऐसा निर्णय करे कि सभी को रेगुलराइज कर दिया जाये? या कोई ऐसी व्यवस्था करे कि हम इनको कनेक्शन दे सकते हैं, उसमें मेरा यह मानना है कि जो किसान अन्नदाता कहलाता है, खेती करता है, उस किसान को बिजली डिपार्टमेंट वाले चोर घोषित करते हैं। वह सिर्फ इसलिए कि उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं और वह मजबूरी में मोटर चलाने का प्रयास करता है और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है। तो क्यों नहीं सरकार यह सोचे कि हम इनको टेम्परेरी कनेक्शन दे दें, इनको रेगुलर कर दें?

मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में वहां 13 जे

(श्री सुरेश धाकड़)

ईएन लग रहे हैं, 3 एईएन है, 1 एक्स ई एन है, कुल मिलाकर 17 अधिकारी है और ए वी वी एन एल में एक नियम है कि एक अधिकारी को, एक कर्मचारी को 30 वी सी आर प्रतिमाह भरनी होती हैं। अगर ये 30 वी सी आर भरते हैं तो 17x30, 510 वी सी आर प्रतिमाह हो जाती है और साल भर में 510x12, 6110 वी सी आर भरने की सम्भावना है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की तो उन्होंने दबे हुए स्वर में कहा क्योंकि सच्चाई तो कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है; पता नहीं उनके ऊपर कार्यवाही हो या कोई दूसरी कार्यवाही हो, लेकिन 6,110 वी सी आर प्रतिवर्ष भरे जाने की सम्भावना रहती है, जो अवैध रूप से बिजली की मोटर चला रहे हैं। कुल मिलाकर जो 13 हजार कनेक्शन हैं और 5 हजार कनेक्शन मोटे-मोटे रूप से ऐसी स्थिति बन रही है जिनमें किसान पानी ले रहा है, मोटर चला रहा है।

टेम्परेरी कनेक्शन के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूं। हमारे पड़ोसी राज्य में ऐसी स्थिति है जहां किसान को, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कामर्शियल के लिए हम जाते हैं तो 10 दिन में कनेक्शन मिल जाता है, मैं 10 दिन की भी नहीं कह रहा, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि वहां टेम्परेरी कनेक्शन के लिए अगर कोई आदमी एक सादे कागज पर अपनी एप्लिकेशन लिखता है, वहां जाकर आवेदन करता है, उसको चार महीने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन मिल जाता है, और उसकी रिकवरी भी 100 प्रतिशत है। वह उसी टाइम अपना 100 परसेंट वहां जमा करा देता है। उसको एक सादे कागज पर आवेदन करने पर चार पांच घंटे में कनेक्शन मिल जाता है और कनेक्शन के लिए जितने भी साधन जुटाने पड़ते हैं, अगर 500 मीटर या 700 मीटर दूर लाइन है तो वह काश्तकार अपने स्वयं के खर्चे से करता है। उसको राहत भी मिल जाती है। वहां ऐसा सिस्टम है।

हम राजस्थान में भी सोच सकते हैं कि अगर 5 एच पी की एक मोटर को चार घंटे, चार महीने के लिए 6 घंटे प्रति दिन के हिसाब से अगर 10 हजार रुपये में दे दें, या साढ़े सात की मोटर चार महीने के लिए 6 घंटे पर -डे के हिसाब से 15 हजार रुपये, या 10 एच पी की मोटर 20 हजार रुपये के हिसाब से एक मुश्त एक ही दिन जमा कर लें, तो उस किसान को कनेक्शन भी मिल जाएगा, हमारे यहां रेवेन्यू भी आ जाएगी। आपको उसके लिए अतिरिक्त कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और हमारी रेवेन्यू बढ़ जाएगी।

सभापति महोदय, जैसा मैने पहले भी आपको बताया कि डिपार्टमेंट

(श्री सुरेश धाकड़)

भी मान रहा है 5 हजार के करीब कनेक्शन हैं। मैं केवल एक विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं । उन 5 हजार कनेक्शन में विजिलेंस वाले यह भी कह सकते हैं कि 6,120 का आंकड़ा आया; यह लोग कह सकते हैं, विजिलेंस दुबारा हो जाती है तो मोटे-मोटे रूप से अगर 5 हजार कनेक्शन भी मानें और एक कनेक्शन 5 एच पी की मोटर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उसको चार महीने चलाने के लिए 6 घंटे पर-डे, उसका खर्चा 12 हजार के लमसम हम मान रहे हैं। 12 हजार के हिसाब से अगर 5 हजार को जोड़ा जाए तो करीब 6 करोड़ रुपये की रेवेन्यू हमें प्राप्त होती है। एक विधान सभा क्षेत्र से 6 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकते हैं। सारी विधान सभाओं की ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन मोटे-मोटे रूप से 1,000, 1,200 करोड़ रुपये, 800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रेवेन्यू आने की संभावना है। जो चोरी में जा रही है, या जिसको आप छीजत बोल सकते हो। हमारे यहां जैसे चित्तौड़ में 100 करोड़ रुपये घाटे में है और 36 परसेंट के करीब छीजत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसी में एक उदाहरण और देना चाहता हूं। चित्तौड़ जिले में अभी 6,323 ट्रांसफार्मर जले। नये ट्रांसफार्मर की कीमत 40 करोड़ रुपये। इनको अगर रिपेयर कराया जाए, नये की कीमत नहीं माने, इनको रिपेयर कराया जाए तो इनकी कीमत 7 करोड़ रुपये बनती है। सभापति महोदय, इन 7 करोड़ रुपये से हम जिस प्रकार बिजली अभी दे रहे हैं, 7 करोड़ यूनिट बिजली मिलती है। 5 एच पी की मोटर, जिस टेम्परेरी कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, उनको 4 महीने के लिए 6 घंटे के लिए दिया जाए तो एक 5 एच पी की मोटर 4 महीने तक 6 घंटे प्रति दिन चले तो 3,133 यूनिट कन्ज्यूम करती है। ऐसे हम 22,342 किसानों को टेम्परेरी कनेक्शन उसी 7 करोड़ रुपये से दे सकते हैं, जो हमारा लग रहा है। इसके साथ दूसरा और फायदा है। अगर हम उनको कनेक्शन देंगे, उस कनेक्शन से जो हमें रेवेन्यू होगी, 12 हजार के हिसाब से 22,342 को मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 27 करोड़ रुपये बनता है, हमें शुद्ध मुनाफा होगा, जिसमें जीरो परसेंट कहीं चोरी होने की सम्भावना नहीं रहेगी। अगर उसके बाद भी कोई कनेक्शन कंटिन्यू करता है तो हम उसमें कोई नियम बना सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं इसमें हमारे अधिकारी कहीं न कहीं गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ का मतलब, मिस्गाइड करते हैं। ये सत्य बात नहीं बताते, या बताने से इसलिए डरते हैं, होंगे कि हम कहेंगे तो कोई

(श्री सुरेश धाकड़)

सुनेगा या नहीं सुनेगा। ये यह भी कह सकते हैं कि आपने सब्सिड़ी वाली रेट में काउण्ट करके यह बता दिया। 5 रुपये 70 पैसे में जो बिजली खरीद रहे हैं, उस 5 रुपये 70 पैसे को भी अगर 7 करोड़ से जोड़ा जाए तो 40 करोड़ के लगभग इनका खर्चा होगा। 40 करोड़ के बदले में इन्होंने 7 करोड़ के तो ट्रांसफार्मर जला दिये; 27 करोड़ रुपये की रेवेन्यू हो गई। कुल मिलाकर 34 करोड़ रुपये इनको 40 करोड़ रुपये के बदले में मिल रहे हैं। 5-6 करोड के डिफरेंस में 22 हजार किसानों को चार महीने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन मिल सकता है जिससे उन किसानों का भला हो जाएगा। बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा।

हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य सिविल लाइबिलिटी की बात कर रहे थे।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप इनसे अकाउंटेंसी में मदद ले सकते हैं। He is better than a C.A.

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मेरे पड़ोस में एम पी है, वहां इस प्रकार की व्यवस्था है, वहां के किसान भी सुखी है और वहां के जन-प्रतिनिधि भी सुखी हैं। सभापति महोदय, मैं एक बताऊं कि हमारी परेशानी तो यह है कि जैसे ही बिजली बंद होती है, फोन की घंटी बजने लग जाती है। अभी परीक्षाओं का टाइम चल रहा है तब भी इनकी लोड शेडिंग चल रही है। अब किस प्रकार से इनको भुगतें? अभी तो कोई लोड है नहीं, फिर भी लोड शेडिंग के नाम से गुमराह कर देते हैं। इनकी सिविल लाइबिलिटी से हम बच सकते हैं।

टेम्परेरी कनेक्शन देने से एक फायदा हो जाएगा। दूसरा, इनके भी एक टेंशन रहती है कि आप वी सी आर नहीं भरोगे तो सस्पेंड कर दिये जाओगे। थोड़ा सिस्टम ऐसा अभी इनके भी चल ही रहा है।

मैं लोड शेडिंग के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहता हूं। लोड शेडिंग में.....

श्री सभापति: आप 'इनके से' 'किसके प्रति तात्पर्य है', इनके मतलब?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अधिकारी से।

श्री सभापति: मंत्री के प्रति तो नहीं है ना?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मंत्रीजी ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। मैं इनसे व्यक्तिगत भी मिला हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि.....

श्री सभापति: आप मंत्री से तो प्रभावित हैं?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): हां, ऐसा शुरू में तो, अभी तो यही लग रहा है।

अभी किसी ग्रिड में 200 मेगावाट बिजली आपने सप्लाई की, यहां मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, उस मीटर रीडिंग में 250 मेगावाट बताना शुरू करते हैं और इस पर एल डी .....

श्री सभापति: इस पर कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को एतराज हो सकता है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मैं नया हूं, पहली बार हूं, मेरे लिए सब आदरणीय हैं।

250 मेगावाट का जैसे ही वहां लोड़ आना शुरू होता है, ये लोग एल डी मैसेज कर देते हैं कि बिजली ज्यादा खपत हो रही है, आप लोग कहीं से भी काटो। इनकी व्यवस्था के हिसाब से वहां लोड शेडिंग कर देते हैं। वहां से वे चिल्लाने लग जाते हैं। इस लोड सेटिंग में एक फायदा यह हो जाएगा, इन लोगों को भी पता होगा कि हम इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी इनको और दे सकते हैं, तो लोड शेडिंग से भी बहुत फायदा मिल जाएगा, लोड शेडिंग बार-बार नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, एक्स्ट्रा राजस्व मिल जाएगा। चोरी हो रही थी, वह बंद हो जाएगी।

ऐसा कोई राजस्थान पैटर्न, मंत्री महोदय सभी से सलाह करके, अधिकारियों से, बहुत सारे सदस्य, जिनसे भी इनको उचित लगता है, उनके साथ बैठकर, सलाह करके, ऐसी व्यवस्था करें जिससे राजस्थान के किसानों का भला हो सके। चित्तौड़ जिले के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर यह पैटर्न लागू किया जाता है तो वहां जो 100 करोड़ का घाटा है, वह जीरो पर आ जाएगा। छीजत जो अभी 36 परसेंट चल रही है वह 8-10 परसेंट हो जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूं। ऐसा होने की सम्भावना है।

अन्त में मेरा सभी से निवेदन है कि हम सब लोग टेम्परेरी कनेक्शन मिले, ऐसी व्यवस्था बनाएं।

कल्याणपुरा में 132 केवी जी एस एस है उसके लिए भी मेरी एक डिमांड रहेगी कि अगर उसमें कहीं सम्भावना बन रही हो तो बेंगू की तरफ भी नजर डालें।

इसलिए भी कहना चाह रहा हूं, आपने अभी, माननीय सभापति महोदय, आपके लिए कहें या शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रावतभाटा न्यूक्लीयर पावर के दुष्प्रभाव बताये थे, तो उन दुष्प्रभाव को हम

(श्री सुरेश धाकड़)

झेल रहे हैं। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन है कि जहां एटोमिक पावर लगा रहे हो, अब सरकार जो निर्णय करेगी हम सरकार के साथ हैं लेकिन वहां के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। रावतभाटा की भी ऐसी स्थिति रहती है कि वहां पर भी बिजली ट्रिपिंग की समस्या रहती है। जिस क्षेत्र में बिजली पैदा होती है, वहां के लोगों को कुछ प्राथमिकताएं मिलनी चाहिए।

आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

बेंगूं से आने वाले माननीय सदस्य अभी अपनी बात रख रहे थे, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। क्योंकि यह भी एम पी से जुड़े हुए हैं, एम पी बार्डर इनके नजदीक है, मेरा विधान सभा क्षेत्र और झालावाड़ जिला भी एम पी से सटीक है। वास्तव में एम पी की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। जिससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार...

श्री सभापति: आप भी एम पी से जुड़े हुए हैं?

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): एम पी बार्डर से।

श्री सभापति: अच्छा।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): एम पी बार्डर से साहब, एम पी से नहीं, एम पी बोर्डर से जुड़े हुए हैं। (व्यवधान) एम पी से नहीं हैं, हूं तो राजस्थान से ही।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार, माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी, सब यह चाहते हैं कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिले और पर्याप्त बिजली मिले। कम से कम किसानों का शोषण हो। इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। इसी के लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव रखे हैं, मैं भी अपने सुझाव रखना चाहता हूं।

पूर्व में 2003-2008 में जो सत्ता थी, जब डिमांड नोट निकलता था तो उस समय फिक्स डिमांड नोट निकलता था 20,500 का। उसके पहले जब भी

(श्री नरेन्द्र नागर)
डिमांड नोट निकलते थे, वे सर्वे के आधार पर निकलते थे कि इनके कितने पोल लगेगे, कितने खम्भे लगेंगे। उसके हिसाब से डिमांड नोट बनता था। उसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होता था। किसान और अधिकारी दोनों मिलकर यह तय करते थे। किसान का भी, जहां तक उसके मन में कहीं पाप नहीं हो, भ्रष्टाचार का नहीं हो, दोनों मिलकर नहीं कर सकते। कुछ वह बचाता था, कुछ अधिकारी बचाता। दोनों मिलकर डिमांड नोट को कम करने का प्रयास करते थे। उसमें भ्रष्टाचार होता था। जब आपने फिक्स कर दिया कि 20,500 ही लगेगें, चाहे वह 10 खम्भे की हो या 25 खम्भे की लाइन हो, फिक्स कर दिया था। निश्चित रूप से उससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है।

उसके अलावा, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, पिछली बार एफ आर पी जो प्रोग्राम किया, बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर होते थे 100 के, 63 के, उसमें भी ज्यादा थेफ्ट होती थी। जब छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर दिए। प्रयास यह किया कि सिंगल फेज, एक ट्रांसफार्मर किसी एक किसान को दिया तो वह किसान दूसरे को निश्चित रूप से चोरी नहीं करने देगा। चोरी कराएगा तो वह चोरी खुद कराएंगा। तो उससे भी चोरी पर निश्चित रूप से कंट्रोल हुआ है।

किसान का दुर्भाग्य यह है कि ट्रांसफार्मर देने के बाद, ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता होती है, उसमें बार-बार उसके तारों का जलना, उसमें जो ओसीबी होती है उस ओ सी बी का बार-बार ट्रिप मारना, उस चक्कर में किसान परेशान होता है। वेल्डिंग करके जब डिपार्टमेंट द्वारा ट्रांसफार्मर दिया जाता है और थोड़े दिन बाद, कुछ घंटे चलने के बाद ही, उसमें कहीं न कहीं उसका तार फाल्ट हो जाता है और जब वह डिपार्टमेंट के पास वापस जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप उस ट्रांसफार्मर को वापस लेकर आओ। बहुत से किसानों की तो, वास्तव में, ऐसी स्थिति है कि एक बार ट्रांसफार्मर रखने के बाद वह किसान उस ट्रांसफार्मर को वापस उस खेत से नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके रास्ता नहीं होता है। तो इस प्रकार की स्थिति है।

मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं कि अपन ऐसी व्यवस्था लागू करें, उसमें कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था हो कि आप अपने कहीं, वह अपनी एप्लिकेशन दे कि मेरे ट्रांसफार्मर के अन्दर से कोई वायर जल गया है, या ओ.सी.बी. ट्रिप मार रही है, तो लाइन-मैन के नाम से कोई उसका, उसके आदेश होकर अपन वेल्डिंग भी यदि दुबारा करवाना चाहें तो बेल्डिंग दुबारा करवा लें, पर वह दुबारा उसको, किसान को वापस ट्रांसफार्मर को नहीं लाना

(श्री नरेन्द्र नागर)

पड़े, सील वहीं उसकी लग जाए। तो निश्चित रूप से इससे किसानों का भला होगा।

सबसे ज्यादा भला तो तब होगा जब वास्तव में वह फिक्स हो जाए कि हम इतने एच.पी. के हिसाब से इतना पैसा काश्तकार से लेना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से बार-बार जो स्थिति पैदा होती है, किसानों के जो मीटर जलते हैं और मीटर जलने के बाद ट्रांसफार्मर भी जल जाते हैं, या बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं और एवरेज बिल जो किसानों को थमाया जाता है, निश्चित रूप से एवरेज बिल ज्यादा आता है, क्योंकि बहुत से किसानों की तो मैंने स्थिति देखी है। पहले जब ट्रांसफार्मर दिये जाते थे, 10 के.वी.ए. का जो ट्रांसफार्मर होता था, उसमें कॉपर आता था और किसान उस कॉपर से बचने के चक्कर में, कापर चोरी होता है। कॉपर पर वास्तव में, जो चोर होते हैं वह इतना ध्यान रखते हैं कि किस-किस गांव में कहां-कहां, किस-किस काश्तकार के कापर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है; तो तुरंत यदि वह उसकी रखवाली नहीं करे, वहां पर नहीं रहे तो तुरन्त उसका ट्रांसफार्मर चोरी होता था। एज ए, मैं खुद अपनी ही बात रख रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरे खुद के भी 10 एच.पी. का कनेक्शन होने के बाद भी मैंने साढ़े सत्रह का कनेक्शन केवल इसलिए ले रखा है कि उसकी रखवाली कौन करेगा? दस एच.पी. का यदि अपन लेंगे तो बिजली विभाग वाले, क्योंकि अपन इसको साढ़े सत्रह नहीं करेंगे तो 25 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर देंगे नहीं, और साढ़े सत्रह का अपन ने कनेक्शन ले लिया और यदि उसका मीटर बंद होता है और एवरेज बिल आता है, तो मोटर तो चल रही है दस की और एवरेज बिल आयेगा तो वह साढ़े सत्रह के हिसाब से आयेगा तो निश्चित रूप से उस किसान का इतना लम्बा, इतना बड़ा बिल आता है। तो किसान वास्तव में बहुत दु:खी है।

अभी, वास्तव में, बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे थे कि मैंने पहली बार देखा है, पिछली बार भी माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी का राज था, तो इस बार क्या हुआ कि अभी लेटेस्ट एक महीने में जिस प्रकार से थेप्ट पकड़ी जा रही है, वास्तव में जो चोरी करता है, चोरी पकड़नी चाहिए, पर चोरी के अलावा उसकी सुनी नहीं जा रही है। वह खुद यूं कह रहा है कि जितनी आपकी रीडिंग है, जब मेरी रीडिंग एक हजार आप मीटर में निकाल रहे हैं और पन्द्रह सौ रीडिंग आपने भर दी। तो कम से कम उसकी भी तो सुनो, रीडिंग तो कम करवाओ। अपने हिसाब से जांच करवाओ। काश्तकारों को यह कहा जा रहा है कि आपकी रीडिंग इस साल कम क्यों

(श्री नरेन्द्र नागर)

आई? पिछले साल ज्यादा क्यों थी? खुद मेरे सामने भी, मैंने अधिकारियों से बात कही तो मेरे से कहा कि सर, इनके इस बार कम है, पिछली साल ज्यादा है। तो मैंने कहा कि आप मेरी खुद की बात सुनो, मैं खुद किसान हूं; पिछली बार मैंने धनिया को दो पानी पिलाया था, इस बार प्रकृति से इतना पानी गिरा है कि किसानों को न तो खाद की जरूरत पड़ी और न पानी की जरूरत पड़ी। तो रीडिंग कहां से निकलेगी? अब आप पिछले साल के हिसाब से इस साल में रीडिंग लेकर काश्तकार की वी.सी.आर. भर रहे हो। तो यह मेरे हिसाब से, ए.ईएन. साहब, बहुत गलत है। तो उन्होंने वास्तव में फिर माना तो इस प्रकार का दबाव है। दुबारा फिर दूसरे के साथ हुआ तो फिर कहा; तो हमें कहा गया कि यह सारा ऊपर से दबाव है। यदि आप कार्यवाही नहीं करोगे तो आपको 16 सी.सी.ए., 17 सी.सी.ए., जो भी होते हैं, मैं नहीं समझता हूं, क्या होते हैं, पर आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो, माननीय सभापति महोदय, यह दबाव क्यों? हम मना नहीं कर रहे हैं, जन-प्रतिनिधि होने के नाते हम मना नहीं कर रहे हैं। चोरी कर रहा है तो निश्चित रूप से चोरी को पकड़ो, पर उस किसान की बात को भी सुनना चाहिए। आज जिसको हम अन्नदाता मानते हैं, उस अन्नदाता की कोई सुनने वाला नहीं है।

जिस प्रकार की दुर्दशा पिछले तीन साल से मैं देख रहा हूं, दो बार से खरीफ की फसल नष्ट हो रही है, यह दो बार से रबी की फसल नष्ट हो रही है। किसानों की माली हालत ठीक नहीं है। साथ ही यह भी मैं देख रहा हूं और बीच में भी जिस दिन अपने को-आपरेटिव का प्रश्न था, मार्च से उसको सितम्बर, अक्टूबर तक, मई तक उसको बढ़ाने का जो मामला था, किसानों का जो सहकारिता का पैसा होता है; तो निश्चित रूप से, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार सालों से सर्दी का जो सीजन है वह बढ़ा है। मार्च में तगड़ी गर्मी पड़ती थी पर पिछले दो-तीन साल से मार्च तक तो ठंड पड़ती है। बार-बार मौसम बदलता है। किसानों की फसल आ भी नहीं पाती है। मार्च की जगह अब जो फसल आती है वह अप्रैल तक आती है; गेहूं तैयार होते हैं वे अप्रैल में होते हैं।

अभी जो आज ही मुद्दा उठ रहा था ओलावृष्टि का, फसल यदि खेत में है, तब ही तो इतने सारे मामले उठ रहे थे। किसानों का नुकसान हुआ। आज यदि फसल तैयार हो जाती तो ये मुद्दे ही नहीं उठते तो सारी चीज है।

किसान के पास जो पैसा आयेगा, वह अप्रैल में आयेगा और अप्रैल की

(श्री नरेन्द्र नागर)
जगह बिजली विभाग वालों ने मार्च में उसको नोटिस दे दिया, नोटिस के बाद में उसका ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं और ट्रांसफार्मर जब किसान का उतरता है और गांव में सबके सामने उसका ट्रांसफार्मर उतारकर ले जाते हैं तो किसान की कितनी बेइज्जती है, यह मैं सबसे ज्यादा समझ सकता हूं। जिस प्रकार की वास्तव में किसानों के साथ...(व्यवधान)

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): गलत वी.सी.आर. भरी जाती है। बीसों वी.सी.आर. तो मेरे पास हैं। मैं पेश कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): जिस प्रकार की स्थिति वास्तव में किसान की हो रही है, तो निश्चित रूप से उसको सुनना चाहिए।

वीसीआर का तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि वीसीआर के लिए आप वास्तव में एक कमेटी बना दो। वीसीआर भरने के बाद एक बार उसको नोटिस दो कि आपकी वीसीआर. भरी है और ऐसी-ऐसी स्थिति देखी है। माननीय सभापति महोदय, चार-चार, छह-छह महीने के बाद उसको पता चलता है कि मेरी वीसीआर भरी है। जब वीसीआर की अपन बात करते हैं तो उस समय जो अधिकारी था, पता नहीं अब वह अधिकारी भी नहीं है और कहने के बाद यह कहते हैं कि वीसीआर बनने के बाद कुछ होता नहीं। इस व्यवस्था को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अपन कोई टीम बनाओ। जिला लेवल पर एस.ई. के नेतृत्व में ताकि नोटिस मिलने के बाद वह अपना जो भी पक्ष उसका हो, वह रखें और उसके बाद जांच हो। निश्चित रूप से यदि उसने चोरी की है तो उसको सज़ा मिले और यदि उसने चोरी नहीं की तो वह वीसीआर कम हो। इस प्रकार की भी व्यवस्था वास्तव में करनी चाहिए।

साथ ही, अस्थायी कनेक्शन के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, काश्तकार निश्चित रूप से जहां उसका बस चलता है, वह चोरी करता है। कहीं न कहीं चलता है तो निश्चित रूप से करता है। यह मैं समझता हूं क्योंकि मैं सीधा खेती से जुड़ा हुआ हूं। पर इस प्रकार की व्यवस्था भी अपन सुधार सकते हैं। जहां यदि अपन अस्थायी उसको कनेक्शन दे सकते हैं, और मोटरें भी चलती हैं। माननीय मंत्रीजी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वास्तव में मोटरें किसान चलाता है। मोटरें चलती हैं तो मोटरें, जहां तक मिलीभगत नहीं हो, वहां तक नहीं चला पाएगा। या तो उसका लाइन-मैन, जे.ईएन., ए.ईएन., सबको पता रहता है कि यह मोटर चला रहा है। मोटर चलाने के बाद उसमें निश्चित रूप

(श्री नरेन्द्र नागर)

से वे भी लेते हैं और वह खुद किसान भी बचाता है। तो जब मोटर चल ही रही है और पैसा, रेवेन्यू अपने डिपार्टमेंट को नहीं मिल रहा, सीधा या तो वह काश्तकार या खुद अधिकारियों की जेब में जा रहा है, तो हम चाहें तो उन किसानों को अस्थायी कनेक्शन भी दे सकते हैं। इस प्रकार के लिए भी अपन को सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए क्योंकि किसानों की सुविधा के साथ-साथ अपनी रेवेन्यू का भी फायदा होगा और चोरी भी कम होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था अपने को करनी चाहिए।

आबादी निश्चित रूप से गांवों में बढ़ी है। गांवों में आबादी की जगह नहीं है, तो कहीं तो पंचायतों ने बढ़ा ली। बीच में कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी भी है कि कुछ छिवरी, क्या बोलते हैं उनको, ढाणियां जो होती हैं, उन ढाणियों को भी अपन को कनेक्शन देने की जरूरत है, मंत्री महोदय। क्योंकि बाहर आबादी बढ़ने के बाद, परिवार बढ़ गया तो आज बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद, जहां तक आबादी में नहीं हो, जहां तक ग्राम पंचायत उसको लिखकर नहीं दे, जहां तक पटवारी लिखकर नहीं दे तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता। पर इसके लिए भी अपने को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि किसान खेत पर रह जाता था और उसको डबल फेज दो, एक फेज को डबल करके उसको देते थे तो उससे बल्ब जल जाता था, पर अब जो सिंगल फेज गांवों में, जो सिंगल फेज, जब से इन्होंने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए किया है तो एग्रीकल्चर में भी सिंगल फेज जाता है तो उससे एग्रीकल्चर का जो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें उजाला नहीं होता, उससे प्रकाश नहीं होता है। तो खेतों पर भी बहुत दिक्कत है। खेत में रात को किसान रहता है। कितनी उसको दिक्कत आती है? तो इसकी भी अपन को व्यवस्था करनी चाहिए।

बहुत सारे सुझाव वास्तव में आये, उन पर एनालिसिस करना चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए वास्तव में तारीफ करते हैं। मंत्री महोदय, एक बार अपन को, हम नहीं कह रहे हैं कि वे जो कर रहे हैं वे अपन करें, पर एक बार, और वास्तव में, मध्य प्रदेश की, वहां की अपन को, क्या अपन को करना चाहिए किसानों के लिए, निश्चित रूप से वह जो सरकार कर रही है, अपन को भी करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: नियम समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री हरिसिंह रावत।

समिति प्रतिवेदन

नियम समिति (2014-15) के प्रतिवेदन (क्र. सं 1 व 2)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, नियम समिति 2014-15 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, आज बिजली पर चर्चा के सम्बन्ध में जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी की और एक विकसित राजस्थान की। आज एक विकसित प्रदेश की कल्पना करें तो हर गांव में हम चाहते हैं कि वहां पर शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य केन्द्र हो, सभी व्यवस्थाएं हों। उसी अनुरूप बिजली भी हमारे जीवन का एक अहम् हिस्सा है। जिस प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए खाना-पीना जरूरी

(17.00 बजे)

है, उसी प्रकार, मैं समझता हूं, बिजली भी हमारी दैनिक दिनचर्या के लिए अति -आवश्यक है। लेकिन अफसोस है, सभापति महोदय, देश आजाद हुए आज 65-66 साल हो गये और 65-66 सालों में भी हमारे हर गांव-ढाणी में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। 66 सालों में से करीबन 60 साल राज किया कांग्रेस ने, पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 2003 में हमारी मुख्य मंत्री श्रीमती सिंधिया जी आईं और उन्होंने हमारे प्रदेश की कमान संभाली, उस वक्त, मैं समझता हूं, हमारा देश कर्जे में कहो, या प्रदेश में वित्तीय दृष्टि से अगर देखें तो हमारा खजाना खाली, खजाना खाली रहते हुए, हमें भी खाली खजाना मिला था, लेकिन हमारे वित्तीय संसाधन, हमारी मुख्य मंत्रीजी का ऐसा था कि 2003 से लेकर 2008 तक ऐसे विकास के आयाम कायम किये, जो शायद प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसी का जीता-जागता उदाहरण है कि बिजली की दृष्टि से भी हम लोग काफी सक्षम हो गये थे। उसी के अनुरूप हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बोला था,

(श्री हरिसिंह रावत)

अगर किसी कृषक का कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 72 घंटे में ट्रांसफार्मर मिलता था, घरों में 24 घंटे में करीबन 18-20 घंटे लाइट मिलती थी और 6 से 8 घंटे हमारे कृषकों को बिजली मिलती थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि बीच में फिर कांग्रेस का राज आया और हमारा वितीय संसाधन, हमारी बिजली, शिक्षा, सड़क, सभी व्यवस्थाएं चरमरा गयीं। उसी के अनुरूप 2008 से लेकर 2013 तक एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। 2008 तक भी पेंडेंसी चल रही थी।

लेकिन फिर हमारा सरकार में सेवा करने का मौका आया और बिजली की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो अभी हमारा वापस आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। 2009 के बाद के जो कनेक्शंस नहीं हुए, अभी करीबन 40 हजार कनेक्शंस हो चुके हैं। अभी आने वाले समय में, मैं समझता हूं, अगर इसी हिसाब से हमारा दौर चला तो आने वाले समय में हम लोग बिजली के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएंगे। इसके अनुरूप मैं आपको विशेषकर निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमारी सोलर ऊर्जा और विंड टरबाइन का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर वह गति पकड़ेगा तो मैं समझता हूं कि 2017 तक हम बिजली के काम में भी आत्म-निर्भर हो जाएंगे। जैसा आपने फरमाया था कि न्यूक्लीयर का भी हमारे बांसवाड़ा में चल रहा है, न्यूक्लीयर का भी अगर हमारे कोटा और बांसवाड़ा का चलता है तो मैं समझता हूं कि वास्तव में हमारे वह दिन दूर नहीं कि हम लोग अदर स्टेट को शायद बिजली देने में सक्षम हो सकते हैं।

सभापति महोदय, आज बिजली को अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में बिजली में हमारी व्यवस्था अच्छी हो, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिसके अनुरूप मैं चाहता हूं कि कैसे हमारी छीजत कम हो, उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। छीजत कम करने के लिए, विशेष तौर पर जो ट्रांसफार्मरों की चोरी होती है, या बिजली चोरी होती है, उस पर भी हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। आज मैं कई जगह देखता हूं कि चोरी के ट्रांसफार्मर तक लगाकर कई लोग अपने उद्योग-धंधे चला रहे हैं। यह सब मिलीभगत है। अगर मैं समझता हूं कि इस मिलीभगत पर अंकुश लगे, चोरी पर अंकुश लगे, जो अधिकारी इस टाइप की चोरियां करवाते हैं उन पर अंकुश लगे, तो मैं समझता हूं, उससे भी हमें काफी कुछ फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि बिजली के सम्बन्ध में हमारे यहां कई बड़ी समस्याएं हैं। चोरी को रोकने के लिए, मैं समझता हूं कि जो प्लास्टिक-कोटेड लाइन हम डाल रहे हैं, उससे भी काफी हद तक चोरियां

(श्री हरिसिंह रावत)

रुकी हैं। प्लास्टिक-कोटेड भी, मैं अभी देख रहा हूं, इसमें क्वालिटी में भी थोड़ा जाना पड़ेगा। जो हम प्लास्टिक-कोटेड लाइन डाल रहे हैं, वह भी कई जगह घटिया क्वालिटी की डाल रहे हैं। अगर वह अच्छी क्वालिटी की डालेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें भी हमें बचत होगी।

इसके साथ-साथ ही जो झूलती हुई लाइनें जा रही हैं, इसको भी हमें देखना होगा। हम कई बार हमारे वहां विभाग में जाकर बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सही ढंग से इसका काम नहीं हो पाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं विद्युत मंत्रीजी और सभी अधिकारियों से भी कि आप लोग थोड़ा सजग हों और आने वाले समय में गर्मी का समय है, उससे पहले अगर इस लाइन को आप टाइट कर देंगे, सुव्यवस्थित कर देंगे, तो बारिश के टाइम में और आने वाले समय में शायद यह समस्या नहीं आयेगी। तो इसकी तरफ विशेष ध्यान दें।

इसके साथ मैं ठेकेदारों के बारे में बात कहना चाहूंगा कि ठेकेदार भी कोई लाइन खींचते हैं या कोई पोल रोपते हैं, उनके नार्म्स के अनुसार शायद, मैं समझता हूं, करीब ढाई फुट का खड्डा होना चाहिए लेकिन, सभापति महोदय, मैं कई जगह जाता हूं, मैं देखता हूं कि खम्भे मुश्किल से एक या डेढ़ फुट ही खुदते हैं और जब बारिश का समय होता है, मिट्टी गीली होती है तो वह सब पोल नीचे गिर जाते हैं। इस ओर भी हमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो भी ये ठेकेदार हैं, जो अगर सही काम करते हैं, आपको इनकी मानिटरिंग करने की जरूरत है। दूसरा, जब इलेक्ट्रिक लाइन खींचते हैं, उसमें भी काफी घटिया क्वालिटी का मैटेरियल यूज करते हैं। तो इसमें भी आप मानिटरिंग करें। हम पैसा खर्च करें और उसके बाद भी अगर काम सही नहीं होता है तो यह तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात होती है।

दूसरा, सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान की मैं बात करूं तो सृजित पदों के अनुसार हमारे लाइनमैन या फीडर पर जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत भारी कमी है। चाहे जे.ईएन., ए.ईएन और फीडर पर जो रिनोवेशन का काम करने वाला स्टाफ है, तो सृजित पदानुसार उनकी भी नई भर्ती कराकर उनको बढ़ायें ताकि सुव्यवस्थित ढंग से हमें बिजली मिल सके।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं मेवाड़ सम्भाग से आता हूं। मेवाड़

(श्री हरिसिंह रावत)

सम्भाग कृषि की दृष्टि से अगर देखें तो हमारी बहुत ही कम जोत है और कम जोत पर हमारे पास 10 एच पी या 15 एच पी या 20 एच पी की मोटरों की जरूरत नहीं पड़ती है। सभापति महोदय, हमारे मैक्सिमम किसी के 5 बीघा या 10 बीघा जमीन होगी। इससे ज्यादा बड़ी जमीन नहीं होती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर तीन एच पी या पांच एच पी के लिए सिंगल फेज कनेक्शन अगर दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे किसानों को इसका काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि हमारे यहां पर कोई ज्यादा बड़ी जोत होती नहीं है। तो इस पर थोड़ा विशेष मनन करें, चिंतन करें और थ्री फेज की जगह अगर सिंगल फेज पर तीन एच पी या पांच एच पी मोटर कनेक्शन अगर दें तो हमारे लिये, मैं समझता हूं, यह उपयुक्त रहेगा।

सभापति महोदय, एक दूसरी समस्या है कि 2009 के बाद में कनेक्शन हो नहीं पा रहे हैं। तो नरेगा के अन्तर्गत, मेरा एक सुझाव है, क्यों नहीं नरेगा के अन्तर्गत हम सोलर ऊर्जा के माध्यम से जो छोटी जोत वाले किसान हैं, अगर तीन एच पी, पांच एच पी की मोटर के कनेक्शंस सोलर ऊर्जा से अगर नरेगा में जोड़कर दे दें तो मैं समझता हूं कि यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त संसाधन होगा। तो इस पर भी विचार करने का एक बिन्दु है।

सभापति महोदय, एक दूसरी समस्या और है। कृषि कनेक्शंस के लिए, हमारे जैसलमेर-बाड़मेर की मैं बात करूं, उस साइड में बोर करते हैं और बोर करने के बाद में कनेक्शन एप्लाई करने के लिए हमें बोलते हैं। मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि पहले हमें कनेक्शन मिल जाए और उसके बाद हम बोर की कार्यवाही करें, तो, मैं समझता हूं, ठीक रहेगा। क्योंकि सारा धोरां क्षेत्र है, वहां अगर बोर करा दें और दो-दो, तीन-तीन साल तक अगर कनेक्शन नहीं मिले तो बोर पूरा मिट्टी से ढह जाएगा। तो इतना खर्चा करना अनुपयुक्त नहीं हो। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार करें। पहले अगर कनेक्शन दे देवें और उसके बाद बोर की परमिशन लेवें, इसमें थोड़ा संशोधन करें तो मैं समझता हूं कि हमारे जो जैसलमेर-बाड़मेर, जो धोरां क्षेत्र के हमारे विधायक महोदय आये हैं, उनकी जो समस्या है, उसका भी समाधान हो सकेगा।

सभापति महोदय, हमारा मेवाड़ क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही

(श्री हरिसिंह रावत)

पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पिछड़े हुए क्षेत्र होने की वजह से अलग-अलग ढाणियां, बिखरी हुई आबादी में बसा हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक हमारे कई गांवों में, ढाणियों में कनेक्शंस नहीं हो पाये हैं। मैं चाहता हूं कि यह हमारी जो योजना है राजीव गांधी विद्युत योजना, या और भी किसी दूसरी योजना के अन्तर्गत, हमारे गांव जो कनेक्शन से वंचित हैं, उनको भी उसके अन्तर्गत जोड़ा जाए ताकि हमारे क्षेत्र में उन लोगों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

दूसरी एक समस्या है, सभापति महोदय, बी.पी.एल. परिवार के लोगों के बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। बी.पी.एल. परिवार के लोगों के ठेकेदारों द्वारा ऐसे कई कनेक्शंस हैं कि कनेक्शन और किसी का है और बिल और किसी के नाम से आता है। यह ठेकेदारों की मिलीभगत से है। सभापति महोदय, जब उस व्यक्ति के पास बिल आता है तो वह बड़ा अचरज करता है कि साहब, मेरे घर पर तो कनेक्शन हुआ ही नहीं, मेरे बिल कैसे आया? कई इस तरह के लोग मेरे पास आये। बिजली विभाग के ए.ईएन. आफिस से जब मैंने पता किया तो वे बोले, साहब, यह तो बी.पी.एल. कनेक्शन है, यह तो पेमाराम के कनेक्शन था, तो इसने क्या किया पैसे लिये और पेमाराम की जगह खीमाराम के लगा दिया। तो ऐसी व्यवस्था भी यह सोचने वाला बिन्दु है। सभापति महोदय, इस पर भी थोड़ा विचार करने वाली बात है।

दूसरा, मैं मीटर रीडिंग की बात करूं। आज एक बी.पी.एल. परिवार का व्यक्ति है और अगर छह-सात महीने तक उसका बिल नहीं आता है और सात-आठ महीने बाद बिल आयेगा सात हजार, आठ हजार, जिसकी कैपेसिटी 200 रुपये बिल भरने की नहीं है। वह नेग्लिजेंसी होती है मीटर रीडर की। वह मीटर रीडर वहां जाता नहीं है और एक साथ ही सात-आठ महीने का बिल बना कर भेज देता है। फिर वह गरीब बेचारा कहां से बिल भरेगा? सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन मीटर रीडरों पर भी थोड़ा अंकुश रखें और इस व्यवस्था में थोड़ा सुधार करें ताकि गरीब, जो बी.पी.एल. परिवार का 200 रुपये बिल नहीं भर सकता और आप उसका एवरेज बिल बनाकर सात हजार, आठ हजार का बना दोगे तो उसके लिए वह बिल भरना सम्भव नहीं होगा। इस पर भी थोड़ा विचार करें।

दूसरा, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बिजली के बारे में निवेदन है, 132 के.वी. जी.एस.एस. की सैंक्शन भी हो गयी थी, 13 करोड़ रुपये सैंक्शन

(श्री हरिसिंह रावत)

भी हो गये, जमीन भी अलाट हो गयी है लेकिन अभी तक वहां पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसका भी तत्काल कार्य प्रारम्भ कराएं ताकि मेरे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सही हो सके।

सभापति महोदय, मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, आज बिजली की स्थिति पर चर्चा हो रही है और उसमें घाटे की स्थिति की भी चर्चा आयी और वातावरण, माननीय सदस्यों ने तो यह किसी ने नहीं किया पर वातावरण इस तरह का किया जा रहा है कि जैसे जो घाटे की स्थिति है इसमें किसानों का सबसे बड़ा योगदान है, जबकि वास्तविकता इसमें कुछ और है। माननीय सभापति महोदय, इस घाटे की शुरुआत जब पूर्ववर्ती सरकार बी.जे.पी. की थी उस समय से हुई है। आपके उधर से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि जब कम्पनी बनायी गयी तो 300 करोड़ रुपये का ही बोर्ड घाटे में था और जब आपने छोड़ा तो वह 15 हजार करोड़ रुपये हो गया।

घाटे की सर्वप्रथम शुरुआत हुई जब एफ.आर.पी. प्रोग्राम शुरू किया और उसका तर्क यह दिया गया कि इस कार्यक्रम को हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि हम लोसेज कम करेंगे, छीजत कम करेंगे। उस कार्यक्रम के द्वारा, जैसा कि शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, सभापति जी आसन पर विराजमान हैं, सबसे बड़ी लीकेज हुई स्टोर में। स्टोर का न तो कोई आडिट हुआ, न कोई दूसरी तरह का उसका हिसाब रखा गया। उस समय जो सामान हटाया गया, उसकी बुक वेल्यू को तो अपन छोड़ें, पर उस समय जो उसकी मार्केट वेल्यू थी वह बहुत ज्यादा थी। उसमें अच्छी क्वालिटी के कंडक्टर्स थे, अच्छे पोल्स थे, अच्छे ट्रांसफार्मर्स थे, उन सब का आज तक कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं है। अपन ने प्राइवेट सेक्टर से वह काम करवाया जिन लोगों ने तार उतारे, जिन लोगों ने खम्भे हटाये, जिन लोगों ने ट्रांसफार्मर हटाये, उन्होंने या तो विभाग में जमा नहीं कराये, या कागजों में जमा कराये और उसकी वजह से वह सामान खुर्द-बुर्द हो गया। जो तर्क दिया गया था कि लोसेज कम होंगे, इससे छीजत छह परसेंट आ जायेगी, वह कहीं छह परसेंट नहीं आया अलबत्ता बढ़ गयी। तो एक तरफ तो हमारा जो सामान खुर्द-बुर्द हुआ, उस पर हमारे पब्लिक एक्सचेकर का पैसा चला गया और दूसरी तरफ घटिया सामग्री

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

लगायी गयी, जो पी.वी.सी. कंडक्टर लगाये गये कि इससे छीजत नहीं होगी, वे कहीं-कहीं तो एक साल ही नहीं चले, उनकी पी.वी.सी. उतर गयी, कहीं उसमें भी लोगों ने कट लगा कर लिया। वह तो विद्युत मंत्रीजी जवाब देंगे तब बतायेंगे पर हमारी सूचना है उसके अनुसार तो यह है कि वह आपके लोसेज बढ़े हैं, घटे नहीं हैं छीजत वाले।

इसके अलावा, जब भी बिजली खरीदी गयी तो वह आठ-आठ रुपये में खरीदी गयी, कई बार सोलह-सोलह रुपये में खरीदी गयी। हमारा प्रोडक्शन ही साढ़े आठ रुपये में पर-यूनिट हो रहा है, जबकि यहां बताया गया कि गुजरात में चार रुपये में हो रहा है। हमारे अधिकारियों को, हमारी कम्पनियों को इस बात की पूरी जानकारी है कि किस सीजन में हमको कितनी बिजली राजस्थान में चाहिए। हो सकता है कि अचानक कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसके लिए तो आन-द-स्पाट आपको खरीदनी पड़ जाए, पर बाई-एण्ड-लार्ज यह जानकारी रहती है कि किस सीजन में कितनी बिजली अमूमन, जनरली हमको चाहिए।

सभापति महोदय, आजकल बिजली भी आपको कमोडिटी की तरह खरीदनी पड़ती है। रात को अलग सौदा होता है, सुबह अलग सौदा होता है, दोपहर को अलग सौदा होता है। दो दिन पहले आप खरीदते हैं तो उसके कम, दूसरे तरीके के रेट होते हैं और दो दिन बाद खरीदते हैं उसके दूसरे तरीके के रेट होते हैं। हमको पहले से ही नेशनल पावर ग्रिड से हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार बिजली का सौदा करना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर से करना चाहिए। हमारी खुद की जो कम्पनियां हैं उनका भी हमको असेस कर लेना चाहिए कि हम कितनी बिजली उत्पादन कर सकेंगे। कई बार हम उनको शटडाउन लेते हैं मेंटीनेंस के लिए। तो इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अनाप-शनाप बिजली खरीदी गयी और डाला जा रहा है कि किसान के कारण यह बिजली कम्पनियां नुकसान में चली गयीं और जो रेट बढ़ा रहे हैं, उसका तर्क भी यह दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि जो नहरी किसान है उसको जो लागत आती है और जो बिजली से खेती करता है, उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। यह उस किसान के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। यह तो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो घाटे में कोई भी व्यापार नहीं करता, पर किसान अपने घाटे में भी करता है। फिर भी वह किसी तरह अपनी खेती करता है। कहीं-कहीं तो जैसा कई माननीय

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

सदस्यों ने चर्चा की, आठ-आठ सौ फीट नीचे से पानी निकालना पड़ता है। एक तरफ तो फ्लो से सिंचाई होती है, दूसरी तरफ आप आठ सौ मीटर से पानी निकालकर सिंचाई कर रहे हैं और उस व्यक्ति को भी आप कहीं कोई सब्सिडी देने का विचार नहीं कर रहे हैं।

पिछले दिनों मंत्रीजी ने बिजली पर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए विभिन्न बिजली कम्पनियों की आर्थिक स्थिति की चर्चा की थी और उसमें उन्होंने जो अच्छी स्थिति बतायी थी, उसमें तमिलनाडु और पंजाब भी था। तमिलनाडु और पंजाब दोनों किसानों को मुफ्त में बिजली देते हैं। सभापति महोदय, अगर किसान के कारण यह घाटा होता तो उन बिजली कम्पनियों को भी घाटे में जाना चाहिए था, पर उन दोनों स्टेटों में हमारी अपेक्षा उन बिजली कम्पनियों की स्थिति अच्छी है।

बिजली बोर्ड था तब तो सरकार का नियंत्रण था, पर चूंकि आपको वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने थे, उनकी शर्त थी, तो सारे देश में ही निजीकरण किया गया। आप कह सकते हैं कि आपकी सरकार ने किया, तो गुजरात सरकार ने भी किया, पर उसके बाद हमारा इन कम्पनियों पर नियंत्रण खतम हो गया। यह महज इस सदन में तो वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हैं। पहले बिजली बोर्ड पर हमेशा चर्चा होती थी, उस पर गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण था। अपन ने इनको कम्पनी तो बना दिया पर इनको दूसरी तरह जैसे सरकार के हित में काम करना चाहिए था, वैसे चैक-एण्ड-बैलेंस इन पर नहीं रखे गये।

आप इनका ऊपर का स्ट्रक्चर देखिये, तो बहुत भारी भरकम है। नीचे इनके पास न तो टेक्निकल हेल्पर हैं, न लाइनमैन हैं, न जे.ईएन. हैं, न ए.ईएन. हैं। और ऊपर देखें, मुख्य मंत्रीजी का भी वैसा चैम्बर नहीं होगा जैसे विद्युत भवन में इनके अधिकारियों के चैम्बर हैं, किस तरह का खर्चा ये उसमें करते हैं। वह तो कहावत है कि उधार लेकर घी पी रहे हैं।

तो इस सारी स्थिति पर हमको एक श्वेत पत्र लाना चाहिए।

किसान पर जो 95 पैसे की वृद्धि की गयी है, सभापति महोदय, 1987 में माननीय हरिदेव जी जोशी की सरकार थी कांग्रेस की और दो पैसे बिजली का बिल बढ़ाया था, प्रति यूनिट 2 पैसे। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। अब तो सरकार ने 95 पैसे तक बिजली में वृद्धि कर दी है। तर्क यह दे रहे हैं कि पहले वाली सरकार ने यह कहा था कि हम बिजली की दरें बढ़ायेंगे। पहले की सरकार के टाइम में भी नियामक आयोग ने बढ़ाई हैं दरें,

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

लेकिन किसान पर उस सरकार ने एक पैसे का भी भार नहीं डाला। उस सरकार ने जो किसान के और बिजली कंपनी के बिल में गैप था, जो नियामक आयोग ने बढ़ाया, उसको अपने बजट से पूरा किया। इस सरकार को भी उस किसान के लिए तो कम से कम अपने बजट से यह पूर्ति बिजली कंपनियों को करनी चाहिए। अगर किसान के बिल से ही इतने बड़े घाटे में जा रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि 4-5 हजार करोड़ से ज्यादा का कोई भार भी सरकार पर पड़ने वाला है।

सुराज संकल्प पत्र की चर्चा आई। आपने उसमें यह फरमाया कि हम सबको बिजली कनेक्शन दे देंगे; सब किसानों को हम 20 बाई 7, जिस गांव में जी एस एस है, उनको बिना बाधा के बिजली देंगे; हम 8 घंटे किसान को बिजली देंगे। उधर से बोलने वाले सदस्यों में से किसी ने इस बात की ताईद नहीं की। सबने कहा है, अभी कोटा नोर्थ से आने वाले सदस्य फरमा रहे थे कि इसी रफ्तार से अगर हम कनेक्शन देंगे तो अगले 10 साल तक यह वेटिंग लिस्ट पूरी नहीं होगी।

आपने 8 घंटे किसान को बिजली दी नहीं। आप कहीं रात में देते हैं। जब सर्दी में घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है जनवरी, फरवरी में, उस समय आप, मान लो, 10 बजे से 4 बजे तक बिजली देते हैं, तो उस किसान की क्या हालत होगी, वह आप कल्पना कर सकते हैं।

यही नहीं, अब बात आ रही है सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं अडाणी जी, रिलायंस से और टाटा से। वे तीनों लाइन में हैं, और कई लोग लाइन में हैं। उसमें भी चर्चा यह है कि बढ़ी हुई कीमत पर आपने उनके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। आपने बहुत सारे और लोगों को आमंत्रित कर रखा है। ठीक है, एनर्जी के दूसरे सोर्स हमको ढूंढने चाहिए लेकिन अगर हम अभी से बढ़ी हुई प्राइस पर करेंगे तो आगे जाकर के उसकी क्या स्थिति होगी? यह जिस तरह से कंपनियों पर भार आ रहा है, आप उनसे जो बिजली खरीदने जा रहे हैं, वह बहुत ज्यादा कीमत पर हो रही है और यूनिट जो लग रही हैं उस पर भी है।

यह ठीक है कि सबसे सस्ती बिजली हाइडल पावर से होती है, जो हम पानी से बिजली बनाते हैं। उसके बाद में अणु शक्ति का है, उसमें है। लेकिन उसके दूसरे तरह के कुप्रभाव भी हैं। जो समझौता हमारा हुआ था, सभापति

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

महोदय, आप उसके बहुत एक्सपर्ट हैं, उसमें जो लायबिलिटी थी, जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में, यू पी ए गवर्नमेंट के टाइम में समझौता हुआ था, उसमें उन कंपनियों पर थी, जो हमको सप्लाई देने वाले थे। अब जब मोदी जी आये तो बहुत प्रचार हुआ; मोदी के निमंत्रण पर ओबामा साहब आये तो बहुत प्रचार किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस प्रोग्राम को देखने के लिए विशेष मेहमान के तौर पर आ रहे हैं। वह देकर के तो कुछ गये नहीं हमको, उलटे वह जो लॉयबिलिटी उन कंपनियों पर होती थी फिक्स, आपने देखा, जापान में कितने लाख करोड़ येन का खर्चा हुआ है जो एक्सिडेंट हो गया था उसमें; जो उन कंपनियों पर जाने वाली थी लायबिलिटी, वह हम पर ही डाल गये वापस। उन्होंने उनको तो मुक्त करवा लिया। दूसरा, जाते-जाते एक प्रवचन और दे गये कि सब धर्मों का आदर करना चाहिए। आपको और हमको आशा तो बहुत कुछ थी उनसे।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, अब यहां बात आई ढाणियों की। एक तरफ तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार यह कर रही हैं कि हम सबको ब्राडबैंड देंगे, वाई-फाई सिस्टम देंगे। कम्प्यूटर का युग है। बिजली अब कोई विलासिता की चीज नहीं रह गयी है। वह हर व्यक्ति की नेसेसिटी बन गयी है। उस गरीब आदमी की भी है, अमीर आदमी की भी है। जो ए सी चलाता है उसके लिए भी चाहिए और जो एक बल्ब जलाता है उसको भी बिजली चाहिए। आपने कुएं पर बिजली तो पहुंचा रखी है उनके और कुएं पर ही उसका घर है, लेकिन आप उसको लाइट का कनेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि वह गैर-आबादी क्षेत्र में है। शहर में कृषि भूमि में बस रहे हैं, प्लाट काट दिये सोसायटियों ने, उनमें तो आप दे रहे हैं और वह चूंकि गांव से आता है, उसको आप नहीं देंगे। वह क्या करेगा? आपके सामने खाना रखा है और आप उसको खाने नहीं दो, तो वह चोरी से तो खायेगा। तो वे चोरी करते हैं। कम से कम आप यह व्यवस्था तो कर दें, आपको लाइन खींचनी नहीं, तार खींचना नहीं, आपको तो उसको एक सर्विस लाइन से कनेक्शन देना है। यह आबादी और गैर-आबादी का क्या है? इसको आप हटाइये और उसको आप निश्चित रूप से कनेक्शन दें।

आपने पिछले 15 महीनों में ग्रामीण क्षेत्र में एक भी 33 बाई 11 का जी एस एस नहीं बनाया है। इस बजट में आपने 200, 33 बाई 11 के जी एस एस बनाने की घोषणा की है। वह तो एक विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आयेगा। कई जगह हो सकता है कि ज्यादा डिमांड हो। तो उस पर भी आपको सोचना चाहिए।

आपको जो आपका प्रशासन तंत्र है, उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लोसेस में किसी का योगदान है तो आपके डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का है। उसको भी आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा।

मैं एक बात और बताऊं, पी एच ई डी मंत्रीजी तो विराजमान नहीं हैं, कोई विधायक अपने कोटे से किसी टयूबवेल के विद्युतीकरण की अभिशंसा करता है तो दूसरे व्यक्ति को वही कनेक्शन 50 हजार रुपये में दे रहे हैं, तो इनसे 4-4 लाख रुपये वसूल करते हैं, जैसे इसी से घाटा पूरा कर लेंगे, जैसे इस कोटे से और पी एच ई डी विभाग से। वह भी वास्तविकता के नजदीक होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सरकार कल्याणकारी सरकार है। सभी कल्याणकारी सरकारें होती हैं। एक बार टी.ए. पाई रेलवे मंत्री थे। वे भी आपकी तरह अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे और अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। वे पालिटिशियन नहीं थे। अर्थशास्त्री होने की वजह से इंदिरा जी ने उनको रेलवे मंत्री बनाया। उनसे किसी प्रेस वालों ने पूछा कि यह रेलवे घाटे में क्यों चल रहा है? आप इसको मुनाफे में क्यों नहीं ला रहे? तो उन्होंने कहा, हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि हमारी सोशल ओब्लिगेशन को हम पूरा करें, या हम इसको मुनाफे की दुकान की तरह चलायें। आपको भी यह फैसला करना पड़ेगा कि आप इसको मुनाफे की दुकान की तरह चलाना चाहते हैं, या कुछ घाटा उठाकर के भी पब्लिक को राहत देंगे। क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, बिजली।

पहले तो हम चिमनी से भी पढ़ लेते थे, लैम्प से भी पढ़ लेते थे और उनमें से कुछ लोग मेरिट में भी आ जाते थे लेकिन आज न तो चिमनी रही। लालटेन तो लालू जी का निशान जरूर है, और कहीं दुकान में मिलती ही नहीं है। आप उस व्यक्ति को एक बल्ब से भी वंचित करना चाहते हैं जो खेत में बैठा है, आबादी में बसता नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए।

बहुत सारे जिलों में वी सी आर भरी जा रही हैं। अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे तो टार्गेट हैं कि 25 तो कम से कम भरनी पड़ेंगी। मैंने उनसे पूछा कि जिन्होंने आपको आदेश दिया है, क्या वे ज्योतिषी

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

हैं कि 25 आदमी ही चोरी करेंगे, 15 नहीं करेंगे या 40 नहीं करेंगे? आप चोरी करने में भी टार्गेट फिक्स कर रहे हो कि इतने तो आपको भरने ही हैं। कोई चोरी करे, या नहीं करे, आप थानों में यह टार्गेट करते हो क्या कि इतने तो आपको चोरी के केस बनाने ही हैं? आप इस तरह की बात लायें।

40 साल पहले किसी ने 500 रुपये जमा करा दिये सिक्योरिटी के और अब आप उसको नोटिस भेज रहे हैं कि आप 15 हजार रुपये जमा कराओ। आपने उस समय 500 रुपये जमा कराये थे। आपके और उसके बीच में एक समझौता हुआ था, उस समय उससे स्टाम्प लिया था, उस पर साइन करवाये थे। अब आप किस हैसियत से उससे मांग रहे हैं? अगर मांग रहे हैं तो उस 500 रुपये का आज तक का ब्याज दो, उससे अगर बढ़ाकर ले रहे हो सिक्योरिटी। उस दिन तो वही सिक्योरिटी लागू थी, तो आप उसको उसका ब्याज दो। एक तरफ तो आप उसको ब्याज नहीं दे रहे हो और दूसरी तरफ आप उससे बढ़ाकर सिक्योरिटी मांग रहे हो। जो आपके और उसके बीच में कांट्रेक्ट हुआ था, उसको ब्रीच करते हुए, उस दिन वही रेट थी 500 रुपये, वह आप उससे मांग रहे हो।

यही नहीं, आज किसी का ट्रांसफार्मर जल गया; बिजली तो ऐसी चीज है उसके बिना तो, आप उसी से पानी पीते हैं, उसी से दूसरे काम करते हैं, रह ही नहीं सकते; 72 घण्टे का टाइम फिक्स कर रखा है, तो 72 घण्टे को तो कम करना चाहिए, पर आप 72 घण्टे में देते हैं तो भी गनीमत है। वह ट्रांसफार्मर जल गया, दस दिन तक बिजली उसको आई नहीं और जब आप बिल भेजेंगे तो उस महीने में पिछली साल क्या वह कंजम्प्शन था, उसके अनुसार उसको बिल पकड़ा देंगे आप। पिछली साल तो उस महीने में ट्रांसफार्मर नहीं जला था, इसलिए उसने जितना यूनिट कंजूम किया उसका बिल उसको दे दिया। अब उस पर आप दोहरी मार कर रहे हो। उसको ट्रांसफार्मर तो दिया नहीं और उसके कारण उसको बिजली आई नहीं और उल्टा उस पर उस अवधि का बिल और लाद देते हो।

माननीय सभापति महोदय, यह कहा गया कि कम्पाउण्डिंग राशि दो हजार से एक हजार कर दी। बहुत बड़ा काम कर दिया। कम्पाउण्डिंग राशि आप उससे लेते ही क्यों हो? किस बात की कम्पाउण्डिंग राशि?

इस तरह से आप अपने इस तंत्र को सुधारें।

यही नहीं, किसान और उद्योगपति, दोनों आपके उपभोक्ता हैं।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

उद्योगपति जाता है तो उसको आप कुर्सी प्रोवाइड करते हो, उसके लिए चाय मंगवाते हो और उसको दस दिन में कनेक्शन दे देते हो। किसान जाता है तो अलबत्ता पहले तो आप सीधे मुंह उससे बात नहीं करते और बात करते हैं तो नहीं, नहीं अभी कुछ नहीं है, आपका नम्बर ही नहीं है। नम्बर उसका इसलिए नहीं है कि आपने प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया उसमें। आप प्राइवेट ठेकेदारों से काम करा रहे हो। उनको ही आप सामान दे रहे हो, उन्हीं को आप यह कह रहे हो कि इस आदमी का कनेक्शन इस-इस तारीख को है। तो प्राइवेट आदमी तो उसका कोई मिलने वाला है तो उसको पहले कर देगा। पहले होता यह था कि लिस्ट छपाकर पूरी बाहर लगाते थे ए ईएन आफिस पर। अब तो इंटरनेट का समय आ गया, अब उसको वेबसाइट पर डाल दीजिए न, कि इस इस आदमी का इस-इस दिन कनेक्शन है, इस-इस दिन नम्बर है। तो न तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहेगी, न उसमें कोई उस ठेकेदार के हाथ में यह बात रहेगी कि वह अमुक का पहले कर दे और अमुक का बाद में करें।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आपने एक काल सेंटर शुरू कर रखा है। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने फोन किया होगा उस काल सेंटर पर, पर हमें तो उसका कभी कोई रेस्पोंस नहीं मिला। बिजली कम्पनी ने अपने सभी अधिकारियों को नीचे से लेकर ऊपर तक टेलीफोन दे रखे हैं। आप लोगों के पास भी आते होंगे फोन, आपको करते हैं या नहीं करते, लेकिन बिजली जाते ही विधायक के पास जरूर फोन आ जाता है रात को कि गर्मी का मौसम है, बिजली नहीं है। हम किसी को भी मिलाएं और सरकारी टेलीफोन है उसके पास, वह स्विच आफ आता है। वे उठाते ही नहीं हैं। इस तरह की स्थिति आपने अपने विभाग में कर रखी है।

इसलिए, मंत्रीजी, आप तो किसान के लिए आपने जो वृद्धि की है उसको तो वापस लें और और वापस नहीं लें, तो उसको आप अपने स्टेट बजट से उसके लिए कम्पनियों को सब्सिडी दें। किसान पर यह भार नहीं डालें।

(15.33 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा..(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: बीस मिनट हो गये। मैं अन्दर से देख रहा था।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आपके आदेश की पालना करते हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: आप तो समाप्ति की ओर ही जा रहे थे भाषण की, मैंने घण्टी बजा दी।

श्री मान सिंह गुर्जर।

(अनुपस्थित)।

श्री धर्मपाल चौधरी।

(अनुपस्थित)।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू। दस मिनट। (व्यवधान) शार्ट-शार्ट। सब विद्वान आदमी हैं, जरा प्रेसिंग कर-करा कर अपनी बात कहो।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर बिजली जैसे गम्भीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली आज सबकी जरूरत है लेकिन पिछले पांच-सात साल में, दस सालों में बिजली के वितरण की जो व्यवस्था है, वह बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हमारे गांवों के अन्दर बिजली के जो घरेलू कनेक्शन हैं उनको कनेक्शन देने के लिए जो हमारे केबल वायर लगी हुई है, वह इतनी पुरानी हो गई है कि कभी-कभी गर्मियों के अन्दर तो गर्म होकर उनमें आग लग जाती है और पूरी तरह से पूरा गांव अन्धेरे में बैठा रहता है। उसको बदलने के लिए बहुत समय, दो-दो, तीन-तीन दिन तक लोगों को गर्मी के अन्दर बगैर बिजली के रहना पड़ता है। तो यह व्यवस्था ऐसी है, इसको ठीक करने की जरूरत है। जितने भी गांवों के अन्दर केबल जो घरेलू बिजली की है उनकी केबल बदल कर उनको कनेक्शन ठीक किया जाए, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए। यह सबसे बड़ी आज के दिन जरूरत है।

उसके अलावा जो स्थिति आज, मैं तो मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, बिजली के जो मीटर लगे हुए हैं वे या तो खराब हालत में हैं, या तेजी से चल रहे हैं, या न जाने सरकार के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वितरण विभाग के, उसमें ऐसी व्यवस्था खराब कर देते हैं कि आये दिन बिजली के मीटरों में रीडिंग ज्यादा आने से बिजली के बिल, इतनी बड़ी संख्या में भारी-भरकम रकम आती है जिससे आम जन को बड़ी परेशानी होती है। तो यह निश्चित करें कि बिजली के बिल की रीडिंग ठीक ढंग से आये, उसका बिजली का

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

कनेक्शन ठीक आये और उसकी रीडिंग लेने के लिए जो मीटर की रीडिंग लेने के लिए कर्मचारी जाता है, वह यह तय करे, इस बात के लिए सुनिश्चित होना चाहिए कि मैं जिस घर में मीटर की रीडिंग लेने के लिए आ रहा हूं, यह ठीक ढंग से ले रहा हूं, या नहीं ले रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस ओर ध्यान देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र हो, या शहरी क्षेत्र के लोग हों, वह बार-बार उसके चक्कर काटेगा, अपने मीटर ठीक कराने के लिए।

इसके अलावा, पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र है और दूरदराज के जो गांव हैं, उनके अन्दर जी एस एस की कमी होने की वजह से या लाइनें लम्बी होने की वजह से या लाइनों में बार-बार फाल्ट आने की वजह से वोल्टेज नाम मात्र रहता है। कई-कई गांवों में जब जाने का मौका मिलता है तो हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में तो पंखा नाम मात्र का भी नहीं चलता; उसकी हवा आनी तो दूर, यूं लगता है, जैसे एक-एक ताड़ी करके घूमता है पंखा। तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए बिजली देने का तो, उनके वोल्टेज बढ़ाने के लिए बहुत ही अति आवश्यक रूप से बहुत ही जरूरी है।

इसके अलावा, पी एच ई डी विभाग के अन्दर हमारे जो सीधे कनेक्शन दिये हुए हैं, वे पूरे के पूरे कई दफा चलते नहीं हैं; या कई दफा जो थ्री फेज लाइट है वह छह घण्टे या सात घण्टे जो हमारी ट्यूबवेलों को बिजली मिलती है, उसके साथ जोड़ने से हमारे गांव के अन्दर कई बार रात को बारह बजे पानी आता है, कई बार दोपहर को दो बजे पानी आता है। यह अनिश्चितता इसलिए बनी रहती है कि तीन क्रम में जब हमारे ट्यूबवेल के कनेक्शन चलते हैं तो उन्हीं के साथ वह पानी छोड़ते हैं पी एच ई डी वाले। तो वहां सीधे रूप से बिजली के कनेक्शन दिये जायं। मेरा मानना है कि इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और गांव के लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले मार्च, 2013 के अन्दर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पांच ढाणियों के समूह के अन्दर डिमाण्ड नोट जमा कराये; उन्होंने 4,200-4,200 रुपये या 3,700-3,700 रुपये जो भी कीमत थी, उन सबके पैसे जमा करवा दिये, लेकिन आज तक उन लोगों के बिजली के कनेक्शन नहीं हुए हैं। इतना पैसा जमा कराने के बाद भी अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हो

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

रही है। जिन लोगों की एप्लिकेशन लगाई हुई है उनकी तो बात समझ में आती है कि सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया कि हम कनेक्शन नहीं देंगे, लेकिन पिछली सरकार ने झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा सिस्टम चालू किया जिसके तहत यह पांच-पांच ढाणियों के समूह की राशि जमा करवा ली और उन्होंने अपने कार्यकाल के अन्दर एक भी किसी ढाणी को कनेक्शन नहीं दिया। आज सारी की सारी ढाणियों के डिमाण्ड नोट के पैसे बाकी पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के जो पांच ढाणियों के समूह के पैसे भराए हुए हैं, जिनके डिमाण्ड नोट 2013 में जमा हो चुके हैं, 2013 के मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीनों में जो पैसे जमा हुए हैं, निश्चित रूप से हमें उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन देने चाहिए और उसके साथ-साथ उन लोगों को भी कनेक्शन देने चाहिए जिनके कनेक्शन सर्विस वायर से हो सकते हैं; जिस ढाणी के अन्दर जहां पोल या अतिरिक्त किसी व्यय की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें भी हमें कनेक्शन देने चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे आबादी के बिलकुल चिपकती कृषि भूमि है और जिनका सीधा सर्विस वायर से या एकाध पोल से कनेक्शन होता है, तो ऐसी ढाणियों पर भी हमें विचार करके कनेक्शन देने चाहिए।

इसके अलावा हमारे ट्यूबवेल्स, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 40 हजार बिजली के नये कृषि कनेक्शन देने की बात की है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से, जो 40 हजार कनेक्शन हैं इनकी संख्या थोड़ी बढ़ाकर कम से कम 31.03.2010 तक के डिमाण्ड नोट हमें जमा कराने चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके और किसानों को उसका फायदा हो सके। क्योंकि इतनी ज्यादा पेंडेंसी और लम्बी लिस्ट है हमारे कृषि कनेक्शन चाहने वालों की, जिससे हमें बड़ी भारी दिक्कत होने वाली है।

इसके साथ-साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खासकर हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्दर सेम की समस्या है। उस सेम की समस्या को दूर करने के लिए और खासकर हमारे सूरतगढ़ के अन्दर जिस तरह से थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण हो रहा है, उसके अन्दर अत्यधिक पानी की खपत होने की वजह से पूरे के पूरे क्षेत्र में सेम की समस्या बड़ी गम्भीर है। उसको ठीक करने के लिए हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर बिजली के कनेक्शन देने चाहिए। इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य नहर है, उसके अलावा सूरतगढ़ ब्रांच है, अनूपगढ़ ब्रांच है, इसके साथ-साथ थर्मल का

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

जो क्षेत्र है, उसके अन्दर कम से कम 5-7 किलोमीटर नहर की दूरी तक प्राथमिकता के आधार पर किसान जो ट्यूबवेल के कनेक्शन मांग रहे हैं, अगर वे दे दिये जायं तो हमारे क्षेत्र के अन्दर सेम की समस्या का हल होगा और साथ में किसानों की पैदावार बढ़ेगी।

इसके अलावा, शहर और गांवों में बिजली के पोल बीच में सड़कों पर कहीं लगे हुए हैं। उनको भी वहां से हटाकर लोगों को राहत प्रदान की जाय।

बिजली के अन्दर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के बिल हैं उसकी समस्या सबसे बड़ी है। उसका निस्तारण करवाने का निर्देश दें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज देख रहा था, शायद मुझे अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया है। मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप तो सूत्रों में बोलते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी, सूत्रों में ही बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हम आज यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो हमारा केन्द्र बिन्दु क्या है, अगर हमने इसको ठीक से नहीं समझा तो हम इस राज्य की इस वर्तमान स्थिति को ठीक नहीं कर पाएंगे। एक-दूसरे को दोष देने से इस काम का हल नहीं होगा। हमको इस पर सोचना पड़ेगा। मुझे एक छोटी-सी बात ध्यान है, विंस्टन चर्चिल को पूछा था कि पोलिटिशियन और स्टेट्समैन में क्या फर्क है? उन्होंने कहा कि पोलिटिशियन वह है जो अगले चुनाव की सोचता है और स्टेट्समैन वह है जो अगली पीढ़ियों की सोचता है। इस समय इस सदन को अगली पीढ़ियों के बारे में सोचना पड़ेगा। सारे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, सब सीमित है और सब लोगों की आवश्यकता के बाद...।

आज, मंत्री महोदय, आपको भी ज्यादा चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। इस पर न तो वोट होना है, न कोई प्रस्ताव पास होना है। आप सुनें और सुनकर राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में आज जो बात आ रही है उनको किस प्रकार लागू कर सकते हैं, इस पर हम सोचने का काम करें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, 1949 में जब राजस्थान बना तो केवल 42 शहरों में बिजली थी और 13.27 मेगावाट बिजली राजस्थान में कुल पैदा होती थी। यह 1949 की हमारी स्थिति थी। उसके बाद में इसमें कई प्रयोग किये गये। मैं संक्षेप में इन प्रयोगों को बताना चाहता हूं।

बिजली के जो तार चलते हैं, इसमें जो बिजली प्रवाहित होती है, उसको पावर कहते हैं कि पावर जा रहा है। इस पावर को वाट से, किलोवाट से और मेगावाट से नाप लेते हैं। जब यह पावर इसमें चलती है और किसी मशीन में पहुंच जाती है और मशीन में वह वाट या पावर खर्च होती है तो उसे यूनिट के रूप में बिजली वाले उसका नाम दे देते हैं। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घण्टे जलता है तो एक यूनिट बिजली खपत होती है। यह इनका एक बहुत बड़ा नाप बना हुआ है।

एक मेगावाट बिजली बनी तो 24 घण्टे में 24 हजार यूनिट की होती है। हमारा राजस्थान जब बना था उस समय कुल 3 लाख यूनिट बिजली हमारे पास थी। उसका अर्थ था कि 500 स्प्लिट ए सी जो आजकल चलते हैं वे 12 महीने चल सकते हैं। आज राजस्थान की विधान सभा, विद्युत भवन और वित्त भवन, 4-5 जो जन पथ पर बने हुए हैं इनमें ही 500 स्प्लिट ए सी लगे हुए हैं। इसलिए आज 4 जगह जो ए सी लगे हुए हैं, कुल उत्पादन क्षमता हमारी बिजली की उस समय उतनी थी। एक।

आज 6,200 मेगावाट हमारे पास बिजली है और 1,500 लाख यूनिट बिजली हम रोज खर्च कर रहे हैं। आनगोइंग प्रोजेक्ट जो हमारे हैं उनमें 2,800 मेगावाट की क्षमता है दिनांक 24.03.2015 को। हमने कुल बिजली खर्च की 1,732 लाख यूनिट एक दिन में। इस समय हमारे राजस्थान में औसत 1,700 लाख यूनिट बिजली खर्च करने का है।

हमारे पास कमी कितनी है? हमारे पास सिर्फ 200-250 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली की कमी है। यह सारा जो झगड़ा है, यह सारा जो विवाद है, यह 200-250 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है, उसका सारा झगड़ा है। इस झगड़े में सारे आयोग, सारी कम्पनियां, सारा काम हो गया। इसी में ठेकेदार लगे हैं, इसी में इंजीनियर लगे हुए हैं, इसी में राजनेता लगे हैं, इसी में पावर ग्रुप की कम्पनियां लगी हुई हैं। सारे इस पर अपना काम कर रहे हैं। इसको हमको बारीकी से समझने की आवश्यकता है।

आप तो जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं भी जानता हूं, एक आर सी दवे साहब हुआ करते थे। चीफ इंजीनियर थे और चेयरमैन भी रहे।

श्री अध्यक्ष: अमरीका में जिनकी डैथ हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी।

एम आई रोड पर एक गली में ऊपर छोटी-सी सीढ़ी से चढ़कर वे व्यक्ति रहते थे। मैं कई बार उनके पास गया, इसलिए कि उनको भी पान का शौक था, मैं भी उस समय पान का शौकीन था। (व्यवधान) उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि बिजली बोर्ड को 3 लाख यूनिट से बढ़ाकर एक हजार लाख यूनिट तक बढ़ा दिया, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। 3 लाख यूनिट से एक हजार लाख यूनिट तक बढ़ाने में तो बिजली बोर्ड की स्थिति खराब नहीं हुई, परन्तु एक हजार लाख यूनिट से 1,500 लाख यूनिट करने में हमारे को 82 हजार करोड़ का घाटा हुआ। हम सब सोचें कि 3 लाख यूनिट से एक हजार लाख यूनिट तक एक चेयरमैन, एक चीफ इंजीनियर और सारे राज्य में बिजली का विस्तार किया और इतना घाटा नहीं हुआ, और एक हजार लाख यूनिट को 1,500 लाख यूनिट में ले गये, उसमें 82 हजार करोड़ रुपया इस पर थोप दिया।

यह जो 500 लाख यूनिट हैं, प्लांट का देखें, देरी से प्लांट लग रहे हैं; छीजत रोकने के लिए फीडर रिनोवेशन का काम हो गया; बिजली की जमकर ट्रेडिंग। वही लोग रिटायर हो गये, लेकिन बिजली खरीद करने के लिए वही रहते हैं। जमकर ट्रेडिंग बिजली की हो रही है, सब राज्यों में। राज्य सरकार को राजस्व हानि होने से जो सब्सिडी देनी थी, वह नहीं दी। बिजली बोर्ड को सरकारों से सब्सिडी की बात ओला साहब कर रहे थे, किसानों को सब्सिडी दे दी, हमने पैसे नहीं बढ़ाये। बिजली बोर्ड को पैसे नहीं दिये, बिजली कम्पनियों को पैसे नहीं दिये। जब हमको कर्ज मिला तो रिजर्व बैंक के गवर्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा तब लोन मिला। हमने बाण्ड जारी किये। स्थिति बद से बदतर हो गई। हमारे पास 20 हजार करोड़ था, 90 हजार करोड़ के आसपास, हमने 500 लाख यूनिट के लिए इतना कर्ज कर लिया।

जिस भवन का नाम आर सी दवे के नाम से होना चाहिए था, उस भवन में दवे साहब की जो मूर्ति है उसको एक कोने में करके उस पर पर्दा लगा दिया। मैं एक बार गया बाई दी वे, बहुत कम जाता हूं। मैंने पूछा, इतना बड़ा ईमानदार आदमी था...। और, अध्यक्ष महोदय, आपके सम्प्रदाय का था। अध्यक्ष महोदय, पता है ना? आपके सम्प्रदाय के थे वे। कुंआरा सम्प्रदाय। उन्होंने भी शादी नहीं की। बहुत अच्छा काम करते हैं कुंआरे लोग।

श्री अध्यक्षः घुमा-फिराकर आप यहां ले ही आते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, साहब। वे भी कुंआरे थे। उनको भारत रत्न मिला।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह सम्प्रदाय दिनों-दिन बढ़ रहा है, या घट रहा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रोचकता भी होनी चाहिए न।

आपके सम्प्रदाय के लोग बहुत काम करते हैं। उन दवे साहब ने इतना बढ़िया काम किया था और उनकी मूर्ति को ढक दिया, पर्दा लगा दिया। मैंने पूछा कि दवे साहब तो ईमानदार आदमी थे, फिर इनके पर्दा क्यों लगा दिया? बोले, साहब, ईमानदार आदमी पर कहीं हमारी नजर नहीं पड़ जाए इसलिए ईमानदारी को नजर से बचाने के लिए पर्दा लगा दिया, यह स्थिति आजकल बिजली बोर्ड की है।

अब आप देखिये कि बिजली बढ़ रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा हैं और घाटे की कल्पना अकल्पनीय हो गई है। अब कैसे हो रहा है, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि हम आडिट करायेंगे। अगर आडिट करानी है तो तीन-चार बातों की करानी पड़ेगी। एक, हमको आप लोगों ने आते ही, यह सरकार आई इसने बन्द कर दिया; यह सरकार आई, इसने बन्द कर दिया तो यह काम ठीक नहीं है। 8 हजार करोड़ रुपये लगे हमारे फीडर रिनोवेशन पर और आपने आते ही उसको बन्द कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए तीन बातों को, एक तो उसकी टेक्निकल आडिट होनी चाहिए। 8 हजार करोड़ रुपये लगे हैं, सरकार ने बन्द किया। मैंने इसको पूरा पढ़ा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कि क्या कर रहे हो, सरकार यह कदम कैसे उठा रही है। जनता की गाढ़ी कमाई थी, जितना हमने खर्च किया, उसके अनुपात में हमारी बिजली की बचत कितनी हुई, यह हमको देखने की आवश्यकता है।

दूसरा जो बड़ा काम हो रहा है, जिससे हमको नुकसान हो रहा है और किसान का तो नाम है, अड़ो, दड़ो और डोकरी के सिर पड़ो। मतलब, करते दूसरे लोग हैं, कमाते दूसरे लोग हैं, खाते दूसरे लोग हैं और नाम किसान का है। आप देखिये, 132, 220, 400 के.वी. ग्रिड का निर्माण करते हैं। क्यों बढ़ता है? किसी क्षेत्र में लोड बढ़ जाता है तो ग्रिड बनाते हैं, या अधिक बिजली इवेक्यूएटेड, पावर इवेक्यूएशन करना होता है तो हम ग्रिड लगाते हैं। अब पावर प्लांट बनेगा तो इवेक्यूएशन सिस्टम ग्रिड भी बनेगा। प्रश्न यह है कि पावर प्लांट प्राइवेट व्यक्ति बनाये और इवेक्यूएशन हेतु ग्रिड सरकार बनाये, ये दो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

काम हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि छबड़ा, हमारे कालीसिंध के जो सरकारी प्लांट हैं, वे फुल लोड पर चल ही नहीं सकते क्योंकि पावर इवेक्यूएशन लाइन तैयार ही नहीं है। प्राइवेट व्यक्ति प्लांट के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन चाहेगा तो उसके लिए ग्रिड बना देंगे और उसका काम कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे जो ग्रिड प्राइवेट व्यक्तियों के लिए बना रहे हो, वह भी सरकार को सबसे बड़ा घाटा है और इसकी भी जांच की बात होनी चाहिए। ज्यादा काम इस बात का है।

अध्यक्ष महोदय, एक नया व्यवसाय हो गया है पावर ट्रेडिंग। पावर ट्रेडिंग पर ध्यान दीजिए, मंत्रीजी। प्राइवेट व्यक्ति पावर प्लांट लगाता है, उसे अन्य और औपचारिकताओं के साथ बिजली कम्पनी से एग्रीमेंट करना होता है कि जो पावर वह बनाएगा, बिजली कम्पनी खरीद लेगी। अब उसमें ओपन हो गया। अब आपने, पिछले समय आपकी सरकार ने यह छूट दी और अब यह ओपन कर दिया कि प्लांट लगाने वाला किसी से भी पावर परचेज का एग्रीमेंट कर लेगा, किसी को बेच देगा। अब राज्य को जब बिजली की आवश्यकता होगी तो प्राइवेट व्यक्ति भारी रेट से आपको बिजली देगा और जब उद्योगपतियों को चाहिए तो उसको बेच देंगे और जब अपनी कम्पनियां उससे करेंगी तो कम्पनियों को नुकसान होगा। तो प्राइवेट रूप से जो पावर ट्रेडिंग करते हैं, पावर बना रहे हैं, वे सरकार को सबसे बड़ा घाटा पहुंचा रहे हैं और इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि तकनीकी कारण से हमारे प्लांट बन्द हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जांच करने की बात है कि तकनीकी कारण से ऐसे समय में जब हमारे पास बिजली कम होती है, सरकार के उत्पादन करने वाले प्लांट बंद होते हैं और प्राइवेट लोगों से भारी कीमत पर बिजली परचेज की जाती है। इसलिए यह पावर ट्रेडिंग है न यह बिजली में सबसे बड़ा व्यवसाय पैदा हो गया है।

एक बोर्ड एक हजार लाख यूनिट तक ले गया और वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर हमने कम्पनियों को बनाने का काम शुरू किया। तीन तो वितरण कम्पनियां, प्रसारण कम्पनी, उत्पन्न करने वाली कम्पनी। आयोग अलग चीज है। ये जो चीजें बनाकर खड़ी कर दीं, कितनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट पर कास्ट बनाकर कर दीं, कम्पनियों का निजीकरण कर दिया। जिस दिन बिजली कम्पनियों का निजीकरण कर दिया गया, बिजली कम्पनियों में उत्पादन कम्पनी और प्रसारण कम्पनी लास में नहीं है, केवल तीन विद्युत वितरण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कम्पनियां लास में है। उस लास का भी सबसे बड़ा कारण बताता हूं कि कितना लास है।

कम्पनियों की औसत खरीद प्रति यूनिट 4.20 रुपये है। सभी खर्च मिलाकर 8.87 रुपये प्रति यूनिट बैठती है, जिसमें प्रति यूनिट छीजत का 1.62 रुपया एड है और इसमें 1.81 रुपया ब्याज का भी एड है। शर्म की बात है। आप देखिये कि हम जो बिजली का यूनिट का पैसा ले रहे हैं उसमें 1.62 रुपया तो छीजत का और 1.81 रुपया कर्ज का, दोनों मिलाकर खर्च करते हैं। पहले वित्तीय वर्ष में करीब 6 करोड़ यूनिट बिजली की खरीद की गई और इस दौरान 24 फीसदी बिजली की छीजत दर्ज की गई। 24 फीसदी में से अगर 14 परसेंट तकनीकी छीजत हटा दें तो 10 फीसदी छीजत का करीब 225 करोड़ रुपये होते हैं और कुल मिलाकर यह 10 हजार करोड़ रुपया होता है छीजत का और 11 हजार करोड़ रुपया हर वर्ष इनको नुकसान का हो रहा है। तो अब आप बताइये कि किसान इसमें कहां से आ गया?

बिजली कम्पनियों के घाटे में बड़ा हिस्सा चोरी का है, हर साल 10 हजार करोड़ की बिजली चोरी होती है; प्रदेश को मिल रही बिजली में से 27 प्रतिशत हिस्सा छीजत में जाता है। तो जब तक इसको रोकेंगे, आप उपभोक्ता को, एक गरीब आदमी को, ये आपकी जो प्रशासनिक विफलता है, यह सारे राजस्थान पर क्यों डाल रहे हैं? किसी एक सरकार का दोष नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम आज मिलकर इस प्रकार का हो गया है कि उसने हमको कैप्चर करके रख लिया है।

एक दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कोयले का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। उस कोयले के खेल की ओर भी आप ध्यान दीजिये। दो चीज कोयले से होती हैं, साहब। एक होती है फ्लाई एश और एक होता है अनबर्न्ट कोयला। मैं आपका ध्यान इस पर कर रहा हूं और आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक बात है, 1,500 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 10 रैक कोयला लगभग रोजाना खर्च होता है और एक रैक में 58 वैगन होते हैं। मोटे तौर पर 25 हजार से 30 हजार टन खपत रोजाना होती है। आजकल कोल ब्लाक कम्पनियों को दिये गये हैं। पहले यह काम कोल इण्डिया करता था। अब क्या हुआ कि जब कम्पनियों को उत्पादन का काम दे दिया तो कम्पनियों ने कोल ब्लाक से खुदाई का काम प्राइवेट कम्पनियों को दे दिया। वे कम्पनियां जिन्होंने पहले फ्री में कोल-ब्लाक आबंटित कराये थे, उन्हीं कम्पनियों ने अब कोयले की खुदाई का काम अपने पास में ले लिया। निजी कम्पनियां कोयले को खोदने के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बाद वाश करती हैं, उसको धोती हैं। उसमें से अच्छा कोयला तो उत्पादन कम्पनियों को भेज देती हैं और धुलाई में शेष बचे कोयले को उपयोग में लेती हैं। शेष बचे हुए कोयले से प्लांट चलने लग गये हैं और 2 हजार मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो कोयले को खोदने वाले और धुलाई करने वालों को फ्री में आ रहे हैं। कहां इसमें किसान है? आपकी कोयला खुदाई में से 2 हजार मेगावाट तो वह खुदाई करने वाला कारपोरेट जगत का आदमी खा रहा है। किसान को क्या कह रहे हो आप?

अब कोयले के साथ राख से भी कुछ होने लगा है। पहले तो कहते थे कि कोयले की दलाली में काले हाथ होते हैं पर अब राख में भी होने लगे हैं, अध्यक्ष महोदय। पहले पावर प्लांट में कोयले को पीसा जाता है और पीसे हुए कोयले को प्लांट में पेट्रोल की तरह फैंका जाता है जो कि बायलर में जलता है। उसमें से एक फ्लाई एश निकलती है और एक अनबर्न्ट कोयला निकलता है। अनबर्न्ट कोयला पहले बिकता नहीं था क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती थी, पर अब कार्बन की मात्रा बढ़ा दी गई है। इससे भी ये लोग फ्री में ले जाते हैं।

फ्लाई एश और अनबर्न्ट कोयला, इन पर भी अगर नियंत्रण कर लिया जाए, इनकी नीति बना ली जाए, मैं मांग करता हूं कि अनबर्न्ट कोयला और फ्लाई एश को सार्वजनिक रूप से नीति बनाकर बेचा जाना चाहिए, नीलामी से बेचा जाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ कोयला कम्पनियों को होने वाला है और यह बहुत बड़ा लास हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप बजा रहे हैं, मैं बैठ ही रहा हूं। आप कहते हो तो मैं समाप्त कर दूं, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्षः नहीं, एक-दो मिनट और बोल लीजिये ज्यादा। एक-दो मिनट और।

(18.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां। अब एक और बात है।

120 करोड़ रुपये के सी एफ एल खरीदे, भेज दिये। उसमें 80 करोड़ रुपये से ज्यादा का खराब था, बिका ही नहीं। अब एल ई डी की बात आ गई है। एल ई डी से सारा काम बदल रहा है। प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि एल ई डी से हमारी बिजली की बचत होगी। तो हमको सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर भी देना चाहिये कि एल ई डी से बिजली की हम बचत कर सकें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, समय नहीं है, और सब लोग बोलते, लेकिन एक बात सबसे बोलूंगा कि पिछले 14 साल में विद्युत उपलब्धता हमारे पास खूब बढ़ी है लेकिन बिजली चोरी का आंकड़ा नीचे नहीं आ रहा है। जयपुर डिस्काम में 2001-02 में 8,114.37 मिलियन यूनिट हमको मिली, 2013-14 में बढ़कर 21,878.06 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। छीजत पर नजर डालें तो 14 साल के भीतर मात्र 10 प्रतिशत गिरावट हो सकी है। इस आंकड़े में जोधपुर डिस्काम सबसे आगे है जहां छीजत 16.17 प्रतिशत की गिरावट हुई है और सबसे ज्यादा छीजत जयपुर डिस्काम में 27.85 प्रतिशत है और यह हमारे नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। पहली बात, किसान को बिजली देना, किसान को बिजली महंगी करना। अब आज जो सरकार ने की है, वह उसके आयोग के साथ बात की होगी, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा कि किसान की स्थिति क्या है। किसान को बिजली के बारे में सरकार को नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। किसान को बिजली मिलनी चाहिये, किसान के घर पर बिजली चाहिये लेकिन किसान बिजली के घाटे के लिए जिम्मेदार नहीं है। बिजली के घाटे के लिए जिम्मेदार हमारा इस प्रकार का सिस्टम और व्यवस्था है। इसलिए अगर हमने कीमत बढ़ा भी दी तो कीमत बढ़ाने से इन बिजली कम्पनियों का घाटा पूरा नहीं होगा। 82,000 करोड़ रुपये का घाटा, हर साल 11,000 करोड़ रुपये का घाटा बढ़ेगा। इसलिए एक बहुत बड़ी हमको आवश्यकता है।

मैं कहना चाहता था कि सरकार ने कुछ काम नहीं किये। बायोमास के लिए काम करना चाहिये था, इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमने उसमें काम नहीं किया। आज सोलर एनर्जी के लिए काम हो रहा है, हमको करना चाहिये था, पाँच साल में आपने एक भी नहीं किया। हमको विंड एनर्जी के लिए काम करना था, पांच साल में एक भी नहीं किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तिवाड़ीजी, अवार्ड लेकर आये हैं पिछली सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्रीजी। वे जाकर अवार्ड लेकर आये हैं। वह आप बताइये ना, मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह मैं कागज लेकर आया हूं, मेरे साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ऊर्जा के वैकल्पिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्रोतों की खोज नहीं करेंगे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, आज कई प्रश्न उठाये जा रहे हैं सोलर एनर्जी पर, लेकिन सोलर एनर्जी चाहे हम एम ओ यू करके बड़े कारपोरेट सेक्टर से दें, चाहे हम पब्लिक से, राजस्थान की पब्लिक से, जनता से एम ओ यू करें, वह अपने खेत में लगायें, हम उनको पैसा दें, उनको हम बांड जारी करें, कुछ भी करें, करके राजस्थान में सोलर एनर्जी के आधार पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, विंड एनर्जी के आधार पर बढ़ना पड़ेगा, बायोमास की एनर्जी है उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। जब तक हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हुआ कहना चाहूंगा कि सरकार को कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी और अगर उस नीति पर जायेंगे, तब इसका समाधान होगा। लम्बे समय कोयला नहीं चलेगा। बहुत कंट्रीज में कोयले को बंद कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये। विराजिये। विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लम्बे समय पर डीजल-पेट्रोल के आधार पर नहीं चलेगा। हमको आवश्यकता है, अब इस प्रकार की बिजली की खोज करने की और उस बिजली की ओर हमको जाना चाहिये। किसान का ध्यान करना पड़ेगा वरना फूड सिक्योरिटी नहीं होगी। ये ओला साहब कह रहे थे कि जो पानी लेता है ना नहर से किसान, और जो बाकी यहां ढूंढाड़ में और शेखावाटी में जमीन में से खोदकर पानी निकालता है ना किसान, उसकी हालत में बड़ा फर्क है। वह इसीलिए खेती कर रहा है कि बाप-दादा करते आये हैं, इसलिए। बाकी उसकी खेती में कुछ बचता नहीं है। इसलिए उसका ध्यान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, काफी विद्वतापूर्ण भाषण बिजली पर हो चुके हैं। (व्यवधान) माननीय तिवाड़ी साहब ने बिजली की पृष्ठभूमि पर पूरा सदन के सामने और शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बिजली पर बड़े प्रकाण्ड पांडित्यपूर्ण भाषण दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी के एक कोट से मेरी बात शुरू करूंगा। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 14 जुलाई, 2014 को अपने बजट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

भाषण में कहा था कि ''राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबन्धन में व्यापक रूप से सुधार बहुत आवश्यक है। हम भारत सरकार के सहयोग से विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण का भी व्यापक पुनर्गठन करेंगे और विद्युत वितरण कम्पनियों को अपने अगले तीन वर्षों में लघु अवधि ऋण की सीमा से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रयास करेंगे।'' माननीय अध्यक्षजी, यह भाषण तो 2014-15 का है। माननीया मुख्य मंत्रीजी का यहां भाषण हुआ और उन्होंने निश्चित रूप से जो परिस्थिति पूरे सदन के सामने है, उसी को ध्यान में रखते हुए ही विद्युत कम्पनियों के आडिट की बात अपने भाषण में कही कि सब विद्युत कम्पनियों का आडिट कराया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, वह बहुत ही सराहनीय कदम है और यह कदम उस बात की तरफ है कि राजस्थान में एवरेज 26 प्रतिशत चोरी तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के फंक्शनिंग के फलस्वरूप हो रही है। उस चोरी का अंदाज उस आडिट से होगा, पर, अध्यक्ष महोदय, आडिट ही काफी नहीं है। आडिट तो चोरी को रोकने का, जानकारियां करने का एक साधन है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि जो ढांचागत सुधार या फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान कांग्रेस की सरकार लाई थी और जो पूरा का पूरा फेल हुआ, उसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए आपको कोई तीन व्यक्तियों की या पांच व्यक्तियों की बहुत बड़ी कमेटी, बहुत शानदार कमेटी का गठन करना चाहिये जिससे यह तो अंदाज लगे कि फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान के बावजूद प्लान फेल हुआ और जिसकी जानकारी आवश्यक है। क्योंकि उसी प्लान में तो यह लिखा था और उसी प्लान के फलस्वरूप जो हमारा घाटा 2008-09 में 15,600 करोड़ रुपये पर बोल रहा था, वह 2013-14 में 77,453 करोड़ रुपये बोलने लगा। यह एडमिटेड फिगर हैं जो माननीया मुख्य मंत्रीजी के बयान से आया हुआ है।

मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, उस फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान में जो भी बात कही गई, उसमें एक भी पूरी नहीं हुई। फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान में 2012-13 में कितना घाटा होगा, यह असेस किया गया था; 2013-14 में कितना घाटा होगा, यह भी असेस किया गया था; और 2014-15 में कितना होना है, यह भी असेस किया गया और वह घाटा, माननीय मंत्रीजी, 2012-13 में 11,152 करोड़ रुपये आंका गया था उस फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान में और वाकई में घाटा हुआ 12,351 करोड़ रुपये। पहले साल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ही एक हजार करोड़ रुपये का घाटा, जबकि वह फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान है, उसमें अधिक हुआ। 2013-14 के प्लान में 9,913 करोड़ रुपये का घाटा होना था और वह घाटा हुआ, माननीय मंत्रीजी, 15,645 करोड़ रुपये यानी 6,000 करोड़ रुपये का घाटा ज्यादा हो गया। तो यह फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान कोई प्लान बना था, या खाली कोई आंकड़े रखे गये थे और वे सारे आंकड़े रखे गये थे?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जांच कराना और इसकी रिपोर्ट को इस सदन के सामने ही नहीं, राजस्थान की जनता के सामने प्रकाशित कराना आवश्यक है क्योंकि, माननीय मंत्रीजी, आपने जो 77,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा दिया है, या माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दिया है 2013-14 का...।

फिर 2014-15 में तो अपन आ गये। 2014-15 में उसमें लिखा है कि घाटा होगा 6,911 करोड़ रुपये, अब 2014-15 तो खतम हो रहा है और आज खतम होना है, यह घाटा इसमें 6 हजार 911 लिखा है पर 15 हजार करोड़ से कम होने वाला नहीं है, माननीय मंत्रीजी। क्योंकि पिछले साल जो हुआ उसमें उस घाटे को कम करने के लिए मेरी जानकारी में ऐसा कोई कदम नहीं है जो कदम उठाया गया हो। पहले माननीय मंत्री दूसरे थे, फिर आप पधार गये। मेरा निवेदन है कि 2014-15 के घाटे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2016-17 में तो उसमें लिखा है और 2015-16 में घाटा मामूली दिखाया है 2,391 करोड़ और 2016-17 में टर्न-अराण्ड दिखाया है कि कंपनियां मुनाफ़े में आ जाएंगी। अब आपको लगता है क्या, मंत्रीजी, हम 2016-17 में टर्न-अराण्ड कर रहे हैं और 2014-15 में भी जितना उन्होंने बताया, उतना ही होगा?

यह सारा फाइनेंसियल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान इसकी तो विस्तृत स्टडी कराइए, उसकी रिपोर्ट सदन को और राजस्थान को दीजिए और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा है 2014-15 के अपने बजट भाषण में, वह रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान तो, माननीय मंत्रीजी, अभी भी इस सदन के सामने नहीं है।

उस रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान को, जो भी इन्होंने बनाया था, कांग्रेस सरकार ने, उसको नियामक आयोग ने, भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, रेग्यूलेटरी कमीशन ने स्वीकृति की थी। आखिर रेग्यूलेटरी कमीशन भी एक एक्सपर्ट संस्था है। तो ये जो स्वीकृतियां हुईं और यह तय हुआ कि तीन साल टैरिफ़ भी बढ़ाएंगे और यह भी तय हुआ कि कर्ज भी बैंकों का नहीं लौटाएंगे और यह तय हुआ बैंकों द्वारा अपना कर्ज स्थगित किया जाएगा, यह सब होने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के बाद यह जो टैरिफ़ बढ़ाने की बात है, 2012-13 में बढ़ा दिया 19 परसेंट, 2013-14 में बढ़ा दी टैरिफ़ 14 परसेंट, 2014-15 में बढ़ा दी 15 परसेंट, यह 2014-15 में हुई है; अभी जो आपने 2015-16 में रखा है, वह टैरिफ़ तो बढ़ी है और 18 परसेंट बढ़ी है।

मैं तो मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह टैरिफ़ हम हर साल ही बढ़ाएंगे क्या राजस्थान की जनता पर? या इसका कोई विराम होगा? कोई फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान ऐसा आयेगा जिसमें यह 82 हजार का कर्ज या 77 हजार के कर्ज का समायोजन करने का कोई साधन होगा? बेल-आउट करना पड़ेगा तो बेल-आउट का कोई साधन तो हो। मैं निवेदन करूंगा नम्रता से कि यदि कांग्रेस सरकार के द्वारा जो टैरिफ़ बढ़ाने की परम्परा बनाई गई 2012-13 में, यदि उसी परम्परा में अपन को मजबूरन आना पड़ा तो यह देश के लिए नहीं, राजस्थान के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। माननीया वसुंधरा जी के नेतृत्व में यह फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान की उन्होंने घोषणा क्यों नहीं की? वे जानती हैं और मेरा निवेदन है कि वह उनकी सोच में अवश्य होगा और आज इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि उस रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान को आप महीने-दो महीने में जल्दी से जल्दी घोषित करें ताकि राजस्थान को तसल्ली हो कि इस बिजली के साथ, विद्युत विभाग ऐसा है जिसके साथ तैरेंगे या जिसके साथ हम डूबेंगे। क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, सभी कुछ सही चल रहा है, सिर्फ यह विद्युत विभाग और इसकी वितरण कंपनियां, ये सही नहीं चल रही हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सांगानेर से आने वाले महानुभाव ने आंकड़े दिये हैं छीजत के, जो छीजत के आंकड़े हैं, 2012-13 में जयपुर 18.39 पर था, जयपुर का मतलब है जयपुर विद्युत वितरण कंपनी, 2013-14 में वह 28.13 पर आ गया और उसके बाद 2013-14 में जब एनर्जी आडिट सरकार ने कराई तो वह 30.5 पर है। मतलब, जयपुर 30.5 पर है लॉसेज में। अजमेर 2012-13 में 19.85 पर है और 2013-14 में 21.3 पर, उनके खुद के अनुसार, और एनर्जी आडिट में वह 21 परसेंट 24 परसेंट हो रहा है। जोधपुर 2012-13 में 17.32 और 2013-14 में 21.38 और 2013-14 में एनर्जी आडिट में 26.5। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एनर्जी आडिट के द्वारा जयपुर में भी 2 परसेंट का फर्क, अजमेर में 3 परसेंट का फर्क, जोधपुर में 5 परसेंट का फर्क। तो यह एनर्जी आडिट आपने कराई तो जो इन्होंने अपने कम छीजत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बताई, उसका भी पर्दाफाश हुआ है और सरकार को असलियत की जानकारी हुई है। यह हमारी छीजत बढ़ रही है, माननीय मंत्री महोदय।

राजस्थान में कुछ आंकड़े दिये हैं सांगानेर से आने वाले महानुभाव ने कि हमारी बिजली हिन्दुस्तान में सबसे महंगी है, 8.87 पैसे हमारी कास्ट है और वही कास्ट गुजरात में 4.96 पर है। अब आप देखें कि हम गुजरात की तारीफ तो खूब करते हैं, माननीय नरेन्द्र मोदीजी के पद क़दमों पर चलना भी चाहते हैं, आप गुजरात की स्टडी क्यों नहीं करा रहे हैं? वहां क्यों 4.96 में बिजली पैदा हो रही है? 4.63 उसकी वसूली हो रही है और सिर्फ 33 पैसे का गैप है। हमारे यहां 8.87 पर तो बिजली पैदा हो रही है और 1.81 और 1.67 के आंकड़े, उसके कोई कर्ज के कारण और कोई छीजत के कारण जो बन रहे हैं, निश्चित रूप से तीन साढ़े-तीन रुपये का तो गैप यहीं दिख रहा है।

मैं निवेदन करूंगा कि अब आपका नया फाइनेंशल रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान इस सरकार को जारी करना ही चाहिए और जल्द से जल्द यह जारी हो तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसान को, माइक्रो इंडस्ट्री वाले को, मध्यम इंडस्ट्री वाले को, स्माल इंडस्ट्री वाले को और बड़े उद्योगों को कोई न कोई बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक्चुअल प्रोडक्शन कास्ट है ना 3 रुपये 75 पैसे है; 3.22 तो कालीसिंध पर है, 3.40 सूरतगढ़ पर है। यह जो बाकी का सारा मामला है ना, वह क्या है, यह पता करवाइए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यही मेरा निवेदन है, राव साहब, इसकी विस्तृत स्टडी आवश्यक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बार इन कम्पनियों को यदि बेल-आउट कर देंगे तो 1 रुपया 87 पैसा प्रति यूनिट ब्याज का और 1 रुपया 61 पैसा प्रति यूनिट छीजत का, वह जब तक कम नहीं करेंगे तब तक बिजली का काम ठीक होगा ही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान से, मेरा निवेदन ही यह है कि जब कांग्रेस सरकार का वह रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान फेल हो गया, निश्चित रूप से उसके कारणों की जानकारी इसीलिए ही तो करनी है जिससे जो रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान हमारी सरकार बनाये, वह प्लान किसी स्थिति में फेल नहीं हो और छीजत के कारण और कर्ज के कारण जो तीन-साढ़े तीन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रुपये कीमत जुड़ती है पर-यूनिट बिजली की, वह स्थिति राजस्थान में परिवर्तित हो। इसी दृष्टि से मैंने यह निवेदन रि-स्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए किया है। इसी दृष्टि से 2014-15 का माननीया मुख्य मंत्रीजी का कोट किया है कि उनके खुद के दिमाग में है कि यह करना है ताकि स्माल अल्पकालीन ऋणों से विद्युत वितरण कम्पनियों की और दूसरी कम्पनियों की मुक्ति हो।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बात मैं मेरे जिले की करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में 30 हजार कृषि कनेक्शन हैं और उनको छह घंटे बिजली थ्री फेज मिल रही है और, अध्यक्ष महोदय, उस छह घंटे बिजली मिलने के बाद बीकानेर जिले का किसान पूरा अंधेरे में है। बीकानेर सम्भाग में जब सरकार आई और पूरा प्रशासन और पूरा मंत्रिमण्डल वहां आया, उस वक्त एक आदेश जारी हुआ, पहले तो बिजली सिंगल फेज मिलती थी किसान को, लेकिन फिर एक आदेश जारी हो गया कि सिंगल फेज बिजली किसान को नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि मेरे यहां तो साढ़े छह घंटे के बाद में सारे किसान जो गांव में, ढाणियों में और हर सिंचित क्षेत्र का आदमी, जहां पानी है, वह अपनी ढाणी बनाकर के ही रहता है और ढाणी बनाकर के रहता है, उसके अनेक कारण माननीय सदस्यों ने बताये हैं, पशुओं की रक्षा, खेती की रक्षा और जंगली जानवरों से अपने खेत की रक्षा के लिए ढाणी में रहता है और ढाणी में रहकर फेंसिंग करके अपनी फसल को बचाता है; तो, अध्यक्ष जी, हम यह दंड उसको क्यों दे रहे हैं? जो आदमी 9 हजार रुपये, 7 हजार रुपये दो महीन में आपको बिजली का बिल चुकाता है, उसको अंधेरे में रखने की आवश्यकता क्या है? किसी के यदि पांच बिजली है, किसी के दस बिजली है, माननीय अध्यक्ष जी, तो उसका आप असेसमेंट कर लें कि वह कितनी बिजली खपत कर सकता है, आप सौ रुपये ज्यादा असेस कर लें और जब तक आप सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर लगाकर उसको विधिवत कनेक्शन, डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं देते हैं, तब तक उसको दण्डित क्यों कर रहे हैं बेचारे को? आखिर उसके बच्चे हैं, स्कूलों में, कालेजों में पढ़ रहे हैं, तो क्या अंधेरे में पढ़ेंगे?

मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सोलर बिजली लगाने के लिए लैंड के कन्वर्शन की जरूरत नहीं है और राजस्व नियमों में राजस्थान में प्रावधान है कि 1/50 भूमि में किसान की जो खेत की भूमि है, उसमें अपनी ढाणी बनाकर रह सकता है, तो अपनी सरकार 1/50 भूमि को आबादी घोषित करे, जहां भी ढाणी बनी हुई है। उसके कन्वर्शन की जरूरत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

क्या है? सोलर लगायेगा तो कन्वर्शन की जरूरत नहीं है, तो ढाणी के कन्वर्शन को भी खतम कर दीजिये और उस सब को डोमेस्टिक मानिये, जहां लाखों लोग रह रहे हैं राजस्थान के।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सिंगल फेज बिजली हमारे किसानों को तत्काल देना शुरू करें और उसमें जो असेसमेंट आपको करना है, उन्होंने जितने बल्ब लगा रखे हैं, या कोई पंखें लगा रखे हैं और एयर-कंडिशनर भी लगा रखा है, तो आप सबका असेस कर लीजिये, किसमें कितनी बिजली खर्च हो सकती है और उससे चार्ज कर लीजिये। जो आदमी नौ हजार रुपये दे रहा है दो महीने में, उसको दण्डित करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बात और कहूंगा। मैं एक बहुत आवश्यक बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अभी, अध्यक्ष जी, मैं इर्रेलेवेंट बात नहीं कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष: सवाल इर्रेलेवेंट का नहीं है, सवाल समय का है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, मैं जल्दी खतम करूंगा। आपके आदेश की पालना होगी। आप चिन्ता नहीं करें।

हमारे यहां अनेक काश्तकारों ने जिनके ट्यूबवेल, उन्होंने अपनी खेती को अधिक आर्थिक बनाने के लिए, अधिक फलदायी बनाने के लिए दूसरे ट्यूबवेल की परमिशन ले ली। 75 रुपये आपके बिजली बोर्ड में जमा कराये। 75 रुपये पहले जमा कराये फिर ट्यूबवेल बनाया, फिर उसका इंस्पेक्शन करा लिया, इंस्पेक्शन फीस भी आपके यहां जमा करा दी। अब जिनके ट्यूबवेल बन गये 8-8 लाख, 10-10 लाख में, अध्यक्ष जी, उनको साल भर हो गया, पन्द्रह महीने हो गये, उनको बिजली का दूसरा कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे चार सौ लोग होंगे, तीन सौ लोग होंगे, इनको हम बिजली न देकर कितनी बिजली बचायेंगे? आखिर तो कृषि कनेक्शन आप दे ही रहे हैं, चालीस हजार दे रहे हैं और ये विधिवत तरीके से जिन्होंने ट्यूबवेल बनाये, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह मुद्दा उठाया, तो मैं अर्ज करता हूं कि इन लोगों को आप अपने भाषण में आज ही कनेक्शन देने की घोषणा करें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बात मुझे और भी कहनी है, अध्यक्ष जी की इजाजत नहीं है। बाकी बात मैं आपको अलग से लिखकर भी भेजूंगा और मेरा निवेदन है कि इन सब समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरा लाल नागर।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

(अनुपस्थित)

श्री विश्वनाथ मेघवाल।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विशेष सब्जेक्ट पर आज जो बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

बहुत सारे माननीय सदस्यों के बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये। सांगानेर से आने वाले, झुंझुनूं से आने वाले और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से सुझाव दिये, बहुत ही वेल्युएबल सुझाव थे। वास्तव में राजस्थान में बिजली की जो स्थिति है उसे हमें गम्भीरता से लेते हुए कार्य करना है। आज हमारी विधान सभा में जिस तरीके से सरकार ने बिजली के ऊपर एक दिन की बहस का जो समय दिया है, मैं समझता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह बहुत-बड़ा अच्छा कदम उठाया है और जो राजस्थान में बिजली की स्थिति है उस पर सभी विधायकों से राय लेकर उसको हम कैसे सोर्ट आउट करें, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज का हमें समय दिया।

माननीय मंत्री महोदय भी हमारे बीच में हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, उद्योग बढ़े हैं, कृषि बढ़ी है, इनको देखते हुए बिजली का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, बिजली की खपत भी बढ़ी है। बहुत सारी चीजें सामने आईं। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में हमें बहुत ही सुधार की जरूरत है।

अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी, एक किसान के बारे में हमें सोचना है। बिजली की कहां चोरी हो रही है, कहां ज्यादा खपत हो रही है, कहां ए.सी. लग रहे हैं, कितना कंजम्शन बढ़ रहा है। यह बात सही है, सिटी में बिजली, शहर में अगर कोई आदमी बिजली मांगता है तो तुरन्त उसका कनेक्शन कर दिया जाता है और वह ए.सी. लगा कर पूरे दिन अपना आराम से जीवनयापन करता है, लेकिन एक अन्नदाता जो अन्न

(श्री विश्‍वनाथ)

पैदा कर रहा है, किसान का बेटा, जो खेत में रह कर इतनी गर्मी में इतने पसीने से खेत की जुताई करता है और इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतना मौसम का भी कई बार प्रहार हो जाता है जैसे कि अभी हुआ, ओलावृष्टि हुई।

अभी झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कई सुझाव दिये। मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी इस बारे में चिंतित हैं, तभी जाकर आज एक दिन का इन्होंने यह डिस्कशन रखा है। आप इतने अगर सुझाव देते पिछले पांच साल में, तो मैं समझता हूं कि आज इस राजस्थान की यह स्थिति नहीं होती। जिस तरीके से इन्होंने पूरे पांच साल में 77 हजार करोड़ रुपये का बिजली के ऊपर भार डाला है और उसके पहले पांच साल आप ये विचार कर लेते, हमने पांच साल में 12-13 हजार करोड़ रुपये का भार बिजली पर डाला और आपने एक साल में ही उतना डाल दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी पोल खोलूं क्या?

श्री विश्‍वनाथ (खाजूवाला): 12-13 हजार करोड़ रुपये पर-यीअर आपने डाला और हमने 12-13 हजार करोड़ रुपये पांच साल में डाला।

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब मत करो। आप बैठिये। प्लीज बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंद-बूंद सिंचाई योजना...(व्यवधान) 31 तारीख लास्ट में कल वेबसाइट पर इन्होंने डाला है सर्कुलर कि एक दिन में आवेदन ले लीजिये, उनको कनेक्शन देंगे। किसान को पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: डोंट डिस्टर्ब। उनको बोलने दीजिये। बैठिये आप। वह पता सब लग जाएगा। बैठिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह लग नहीं रहा है।

श्री विश्‍वनाथ (खाजूवाला): माननीय सदस्य, सुनें आप।

श्री अध्यक्ष: ये क्या मतलब है? यह आपकी आदत में आ गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, आदत में क्या, साहब? बात नहीं बतायें?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नहीं, बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो। बिना अनुमति के अंकित नहीं हो।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): आपको समय मिलेगा माननीय सदस्य, तब बोलें आप।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सवाल समय का नहीं है। नाम जो आये, वे ही बोल सकेंगे। हरेक नहीं बोल सकेगा। विश्वनाथ जी, आप चालू रखो।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): अभी झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने इतने अच्छे सुझाव दिये, मैं तो इनको यही कहना चाहता हूं कि अगर ये पिछले पांच साल में देते सुझाव, मैं भी यहां था उस समय, कभी आज तक बिजली पर डिस्कस ही नहीं किया पांच साल में। इतना कर्जा इस सरकार पर छोड़ कर गये हैं। यह तो आप लोगों को सोचना चाहिए। हमने तो पांच साल का कर्जा जितना आपने एक साल में छोड़ा उतना छोड़ा था। आपने तो पूरे पांच साल में पर-यीअर 12 हजार करोड़ रुपये हम पर लोड किये हैं।

तो मैं यह कहना चाहूंगा आप लोगों को, माननीय इर्रिगेशन मंत्री बैठे हैं हमारे बीच में, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि इन नहरों की इतनी जर्जर स्थिति थी और आपको चार सौ करोड़ रुपये मिले,...

श्री अध्यक्ष: आप आसन को संबोधित करें।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): राजस्थान कैनाल के ऊपर लगाने को मिले थे, आप वे पैसे ही नहीं लगा पाये, इन नहरों को ही नहीं सुधार पाये और आप यहां पर इतने अच्छे विचार दे रहे हो। मैं समझता हूं कि आपको पिछले पांच साल में ऐसे काम करने चाहिए थे और उन पांच सालों में आपने काम नहीं किया, इसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब माननीया वसुंधरा जी मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना चालू की थी और पिछले पूरे पांच साल तक इन्होंने किसी भी प्रकार के मुख्यमंत्री विद्युतीकरण के कोई कनेक्शन नहीं दिये। अंत में, जाते-जाते इन्होंने ये मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना लागू की दुबारा, दुबारा आवेदन लिये; पहले भी आवेदन लिये, फिर दुबारा इन्होंने आवेदन लिये, सिर्फ किसानों को भ्रमित करने के लिए कि हम आवेदन ले लें, जिससे हमें वोट मिल जाएंगे। इतने आवेदन इन्होंने ले लिये,

(श्री विश्वनाथ)

हजारों की तादाद में। मेरे क्षेत्र में भी इतने आवेदन हैं कि आज भी उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि जैसे पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंसमेंट किया है, माननीया मुख्य मंत्रीजी की एक बड़ी सोच है। उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि किसान जो खेत में बैठा है उसको विद्युतीकरण से जोड़ा जाए, उनको पूरी फैसेलिटी दी जाएं। अभी भी वे उसी स्थिति में कार्य कर रहे हैं और पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत वे जोड़ना चाह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे इन्होंने आवेदन तो ले लिये, पिछली गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के, मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां सब लोग अपनी ढाणियों में बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के आवेदन आप लोगों ने ले लिये थे, उन सबको कनेक्शन मिलें। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत मिलें, चाहे कैसे भी मिलें, उनको वे कनेक्शन मिलें, क्योंकि आवेदन लिये गये हैं और आवेदन के बाद में अगर कनेक्शन नहीं दिये जाएंगे तो किसानों में भारी आक्रोश है।

अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कई सदस्यों ने यह कहा कि एक किसान को कृषि कनेक्शन दे दिया और उस किसान ने खेत में ढाणी बना रखी है, उसके बच्चे भी वहीं रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, उनको सिंगल फेज की फैसिलिटी दी जायं। कल भी मैं क्षेत्र में था तो मेरे सामने यह बहुत बड़ी स्थिति सामने आई और किसान इससे आक्रोशित भी है। यह बात सही है कि इन्होंने इतना कर्ज लिया जिस वजह से पैसे तो बढ़े हैं लेकिन उनके लिए बिजली जरूरी है। मैं चाहूंगा कि उनको सिंगल फेज कनेक्शन दिये जायें जिससे कि उनके बच्चे पढ़ पायें और जैसे ही ट्रांसफार्मर जलता है तो उनका ट्रांसफार्मर भी 72 घंटे के अन्दर-अन्दर बदल दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा एक बात और कहना चाहूंगा। जैसा कि हमारा इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र है, इसके पास में सीपेज की और सेम की स्थिति पैदा होती है। मैं चाहूंगा, उसके 2-3 किलोमीटर तक पानी का लेवल ऊंचा रहता है और वहां पर करीब 30-40 फीट पर पानी आ जाता है, वहां पर एक स्पेशल स्कीम बनाकर 3 एच पी का कनेक्शन अगर उनको दे दिया जाये तो मैं समझता हूं कि बिजली की चोरी भी रुकेगी, वहां

(श्री विश्वनाथ)

पर किसान सिंगल फेज कनेक्शन न लेकर सीधी चोरी कर रहे हैं, अगर 3 एच पी का कनेक्शन आप उनको दे दोगे तो सरकार को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर, इस मौके पर यही कहना चाहूंगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी। सबका नम्बर आयेगा, सब बोलेंगे, लेकिन अपने समय पर। तीन इधर के, एक इधर का।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने बिजली पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 1998 से 2000 के बीच में इन्होंने बनाया। उस समय यह विद्युत बोर्ड 4-5 हजार करोड़ के घाटे में चल रहा था और बिजली भी उतनी ही पैदा कर रहा था, मगर आज की तारीख में यह घाटा इन्होंने हर साल बढ़ाते-बढ़ाते 2008 तक तो यह 15,643 पहुंच गया, 2009 में 10,764 करोड़, 2010-11 में 10,606 करोड़, 2011-12 में 12,444 करोड़, 2012-13 में 12,351 करोड़, 2013-14 में 15,645 । कुल मिलाकर यह घाटा 7,453 जो इन सालों में इतनी तीव्रता से बढ़ा है उसका मुख्य कारण, बिजली बोर्ड चल रहा था उसको कंपनियों के रूप में बदलने पर एकदम घाटा बढ़ा है। विकास भी किया है, विकास किया है तो इसमें खरीद की होगी, मगर जिस तरह से खरीद में गड़बड़ है उस खरीद की गड़बड़ को नहीं रोका गया तो यह घाटा कभी रुकने वाला है ही नहीं।

ये अपने ट्रांसफार्मर खरीदते हैं, कितने ट्रांसफार्मर खरीदे, आज की तारीख में कितने ट्रांसफार्मर कहां हैं; कहीं खेतों में पडे हैं, कहीं चोरी हो गये हैं। अगर इसका आडिट करके रिकार्ड मिलाया जाये तो ट्रांसफार्मरों की खरीद कितनी हुई, क्या जो खरीदा हुआ ट्रांसफार्मर 25 किलोवाट का है उसकी गुणवत्ता 25 किलोवाट है या नहीं। दो बेरे चल रहे हैं, दो बेरों में अगर वह 15 किलोवाट का आया और लेबल 25 किलोवाट का लगा दिया, तो भी वह चलेगा और महसूस भी नहीं होगा और फिर बाद में बरसात के सीजन में जब भी दरख्तों के द्वारा या कोई भी एक्सेस बिजली खींची जाती है तो ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं। इतने ट्रांसफार्मर जले हुए है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मगर अपन गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? इस खरीद में मीटर खरीदे,

(श्री केसाराम चौधरी)

कितने मीटर खरीदे और कितना लाट का लोट खारिज करके डाल दिया। इस तरह जो गुणवत्ता की चीजें नहीं खरीदी जा रही हैं, इसकी वजह से ऐसा लास हो रहा है।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, कंडक्टर खरीदते हैं तो डाग कंडक्टर 118.56 एम एम का होना चाहिये और विजल कंडक्टर 36.88 एम एम का होना चाहिये और रेबिट 61.7, इनके स्थान पर अभी ए बी केबल भी आ गई है, ए बी केबल भी सिंगल-कोर और थ्री-कोर ए बी केबल है जो एल टी की जगह भी थ्री-कोर वाली काम में लेने लग गये हैं। मगर उनकी गुणवत्ता की जांच के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं।

खरीदी में सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है। उसको नहीं रोका गया तो..., निश्चित रूप से बिजली में बहुत बड़ा लास रोकना है तो हमें इस लास को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम, खरीदी की आडिट होनी चाहिये। कितने मीटर खरीदे, कहां हैं, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं। पहले जब विद्युत बोर्ड था, उस समय कापर के वायर चलते थे, उन्होंने कापर वायर उतारे और एल्यूमिनियम के डाले, एल्यूमिनियम की जगह अब ए बी केबल और यह डालने लग गये, मगर इसका कहीं भी कोई हिसाब-किताब नहीं है कि पुराना स्क्रैप कितना भेजा, विद्युत मंडल था उसका कितना माल आपने इन कंपनियों को नि:शुल्क दे दिया और फिर भी उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। इसकी वजह से यह घाटे बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि घरेलू बिजली के बिल में किस तरह से यह जोड़ कर भेजते हैं, किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता। आपके 10 यूनिट का बिल आया तो उसका बिल आप कितना बनायेंगे? बिल आता है, उसमें देखा कि कितने पैसे भरने हैं, अंतिम तारीख क्या है और पैसे भरने हैं। घरेलू उपभोक्ता 600 यूनिट तक 12 महीने तक उपयोग करता है और 600 यूनिट से एक यूनिट भी अगर ऊपर निकल गया तो उस व्यक्ति से जो स्थायी सेवा शुल्क लिया जाता है, 160 की जगह 320 रुपये चार्ज किये जायेंगे। यह घरेलू बिजली की स्थिति है। इसी तरह से किसान के साथ भी 100-100 रुपये स्थायी सेवा शुल्क में बढ़ा दिया। यह सेवा शुल्क किस बात का है, मेरे को समझ में नहीं आता।

जोधपुर डिस्काम में आपके कुल 14,340 कर्मचारी हैं और विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की संख्या है 3,52,861 । तो 25 ट्रांसफार्मर पर एक आदमी

(श्री केसाराम चौधरी)

पूरे जोधपुर डिस्काम में आया। इसी तरह से 11 किलोमीटर की लम्बाई, 1,54,784 किलोमीटर है तो 11 किलोमीटर प्रति कर्मचारी आता है, जिसमें सारे अधिकारी और सभी काउंट कर लें तो भी 11 कर्मचारी आते हैं। एल टी लाइन के लिए 9 किलोमीटर प्रति कर्मचारी आते हैं। इसी तरह से 33/11 केवी सब स्टेशन हैं 1,803 उसमें एक जी एस एस पर 8 आदमियों की आवश्यकता होती है, उसके स्थान पर केवल एक आदमी काम कर रहा है। कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या 12149, कुल विद्युतीकृत उपभोक्ता 35.63 लाख; प्रति कर्मचारी ढाई सौ उपभोक्ता आते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इन बड़े अधिकारियों को अलग कर दिया जाये तो गांवों की व्यवस्था किस तरह से चलती है, गांवों के लोगों से 160 रुपये स्थायी सेवा शुल्क के लिये जा रहे हैं मगर उनको स्थायी सेवा, किसान खुद ट्रांसफार्मर ले जायेगा, खुद लगायेगा, खुद ही बदलेगा। सरकार 300 रुपये ट्रांसफार्मर ले जाने के लोडिंग-अनलोडिंग के देती है, मगर वे किसी एक किसान को नहीं देते। ये किसान के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात करते हैं।

इसलिए किसान जो अन्नदाता है, किसान की आज भी यह हालत है, जिस तरह से पहले सेठ-साहूकार खेत-खलिहान में धान पैदा होता था और पूरा का पूरा धान वह अपने घर ले जाता था और दूसरे दिन कहता था कि आज आना, कल आ जाना, घर से उधार वापस दे दूंगा; इसी तरह से ये बिजली का बिल तो पूरा लेते हैं और कहते हैं कि दो महीने उधार बिजली तेरे को दे दूंगा, तू कल आ जाना, आज तो बिल भरना ही है।

किसान पूरा बिल भरता है मगर उसके साथ जिस तरह से अन्याय होता है उसकी बात बताना चाहता हूं। किसानों को जो चोर बताते हैं, सब लोगों ने इस बात को कहा है कि विजिलेंस द्वारा 5 एच पी की मोटर को 7 एच पी में बता देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसान किसी सूरत में चोर नहीं है। यह जो अधिकारी लोग हैं इनकी सोची-समझी साजिश है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: इनसे मत पूछो, अध्यक्ष जी से।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि यह बिजली मीटर के माध्यम से किसान की मोटर को मिल रही है और पावर बराबर होता है अंडररूट X वी X आई X कास्टथीटा, अगर इनका कास्टथीटा बराबर नहीं है तो आई बढ़ जायेगी और कहेंगे कि यह मोटर

(श्री केसाराम चौधरी)

5 हार्स पावर की नहीं, साढ़े सात की है। अगर आई और वोल्टेज में ड्राप है, वाल्टेज डाउन है, अगर वाल्टेज बराबर नहीं है, बट नेचुरल है, करंट बढेगा; करंट बढेगा तो मोटर अपने आप ज्यादा हार्सपावर की हो जाएगी। उसके बावजूद भी, मोटर उतने हार्सपावर की होते हुए भी, जो भी बिजली खींची जा रही है, वह मीटर के माध्यम से उस मोटर तक पहुंचती है। तो फिर चोर कैसा? उसके कंजम्प्शन अधिक हो रहा है, यूनिट बनेंगे वे ज्यादा बनेंगे। किसान को चोर बताना कतई ठीक नहीं है। आज इसकी परिभाषा बदलनी चाहिए। हमेशा ये किसान को चोर बताते हैं। किसान कतई चोर नहीं हो सकता। किसान ईमानदारी से बिजली लेता है। कोई चोरी करता है तो इनके कर्मचारियों की मिलीभगत से। किसान कभी भी खम्भे पर चढ़कर तार नहीं जोड़ सकता। अगर कोई करता है तो उनके कर्मचारी करते हैं। उसकी जांच करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हैं, वह कतई नहीं लगाया जाए।

ये हमेशा टी एंड डी लासेस की बात करते हैं कि टी एंड डी लास बहुत होता है। टी एंड डी लास है क्या? जी एस एस से बिजली चलती है, मान लीजिए, 100 यूनिट बिजली उपभोक्ता तक पहुंची और 100 यूनिट बिजली रास्ते में, कंडक्टर की गुणवत्ता ठीक नहीं है, करंट कैरिइंग कैपेसिटी उसकी बराबर नहीं है, तो बिजली रास्ते में लास होती है। लॉसेज आज की तारीख में भी 26 परसेंट हैं। पर-यूनिट 1 रुपया 61 पैसे आती है। ऋण और उसकी मिलाकर करें, तो 3 रुपये 42 पैसे ऐसे ही बिजली पर बढ़ जाते हैं। उस लास को छुपाने के लिए ये रेट्स बढ़ाते हैं और रेट्स बढ़ाकर उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से किसान को, टी एंड डी लासेज, अगर 100 यूनिट बिजली भेजी और रास्ते में चिमक आ गयी, उपभोक्ता तक 74 यूनिट ही पहुंची, तो यह 26 परसेंट बिजली जो छीजत हुई रास्ते में, उसको टी एंड डी लासेज कहते हैं। उसमें कारण होता है, या तो बीच में कोई दरखत, टचिंग हो रही है, या बिजली कोई न कोई चोरी कर रहा है। उसको रोकने के लिए ये पुख्ता इंतजाम नहीं कर सकते। उनकी जगह किसान को चोर बताकर उसको तंग किया जाता है।

मैं किसान के लिए दो-चार बातें कहना चाह रहा हूं। किसानों से ट्रांसफार्मर की कीमत वसूल नहीं करनी चाहिए। बूंद-बूंद सिंचाई आवश्यकता समाप्त की जाए। माननीया मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार स्पेशल श्रेणी,

(श्री केसाराम चौधरी)

दो वर्ष बाद सामान्य विद्युत दरों में बदलने के आदेश जारी किये जायें। दो विद्युत पम्प सेट की योजना थी, किसान अपना लोड बढ़ाकर साढ़े सात के दो पम्प सेट लगा सकता था, उसको बंद कर दिया। उसको वापस चालू करना चाहिए।

कृषि कुओं पर घरेलू कनेक्शन। किसान फसलों की रखवाली करता है, घर पर रहता है। थ्री फेज की बिजली ली हुई है। वह मजबूर होकर वहां से एक लट्टू ले लेता है। फिर उसको चोर बता दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी बिजली उस मीटर से आ रही है, उसके बावजूद उसको चोर बताया जा रहा है। आप क्यों नहीं डोमेस्टिक कनेक्शन उसको दे रहो हो? जबकि उसकी बेरे की जो जमीन है, गैर-मुमकिन आबादी है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसको आबादी नहीं मानते। उसको कनेक्शन नहीं देते हैं।

घरेलू उपभोक्ताओं के घटिया मीटर होने के कारण बार-बार बंद या खराब रहते हैं। तो सरकार उससे फ्लैट रेट से पैसा चार्ज करती है। फ्लैट रेट इतनी है...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दो-चार बातें केवल।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। बोल दिया आपने सूत्रों में।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य श्रेणी के कनेक्शन....

श्री अध्यक्ष: सिर्फ एक और।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 2000 में दिये जाने वाले बकाया चल रहे हैं। 2009 से 2015 तक के कनेक्शन....

श्री अध्यक्ष: ये सब बातें आ चुकीं। यह रिपीट हो रहा है सारा। सब आ चुकी हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दो बात ही तो कह रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: दो बात कह दीजिए ।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): विद्युत निगम के घाटे के कारण, यह तो बता दूं?

श्री अध्यक्ष: हां, बता दो। सब बता चुके पहले।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): निगम में सी सी ए द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन सीधे जोड़ दिये जाते हैं। उसका विद्युत खर्च लाइनमैन द्वारा वसूला जाता है। सामान्य श्रेणी, कृषि कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची लम्बी होने के कारण किसान को लाइन व पोल कम होने के कारण उनको भी सी सी ए द्वारा सीधे कनेक्शन दे दिये जाते हैं।

कर्मचारियों की मिलीभगत से विद्युत चोरी होती है।

विद्युत लाइन में नीचे वृक्ष होने के कारण विद्युत लाइन का जमीन से अर्थ होकर इतना पावर लासेज होता है...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री हमीरसिंह भायल।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उसको रोकना अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: ये सब बातें आ चुकी हैं। रिपीट हो रहा है। मैं भी सुन रहा हूं सवेरे से।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री अध्यक्ष: माननीय भायल साहब, एक मिनट। मैं क्षमा चाहता हूं। सहकारिता मंत्रीजी एक घोषणा करेंगे। आप कर दीजिए।

शासकीय वक्तव्य

ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के मद्देनजर लघु अवधि फसली ऋण की पुनर्भुगतान अवधि में वृद्धि

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो मैं सदन को एक महत्वपूर्ण घोषणा की सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल है। अनुमति दे रहा हूं ना।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अनेक भागों में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के किसानों को ऋण चुकाने में आ रही कठिनाई को मध्यनजर रखते हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों ने वर्ष 2014 में

(श्री अजय सिंह)

01 अप्रैल से 30 अगस्त के मध्य शून्य प्रतिशत ब्याज पर लघु अवधि फसली ऋण लिया था तथा जिसके चुकारे की अन्तिम तिथि आज 31 मार्च है, वह आगे बढ़ाकर 30 जून, 2015 कर दी गई है। इस निर्णय से लाखों किसानों को लाभ होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भायल साहब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माफ करो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माफ करो, माफ...(व्यवधान) माफ करो इसको। यह क्या घोषणा है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): छूट दे दी। माफ करो ना। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए शून्य प्रतिशत पर है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति के बोलें, वह अंकित नहीं हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष जी, यह जो घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है, यह पहले कभी नहीं की गयी है। किसी भी सरकार ने नहीं की है। पहली बार यह घोषणा की गई है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऊर्जा पर चर्चा हो रही है, अच्छे-अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं।

(श्री हमीरसिंह भायल)

मेरा निवेदन है, बाड़मेर जिला भू-भाग में बहुत बड़ा है और छितराई ढ़ाणियों और कृषि कुओं पर किसान निवास कर रहे हैं। 2003-2008 तक जो स्कीम बनी हुई थी, उसके आधार पर छितराई हुई, ढ़ाणियों में और कृषि कुओं पर किसानों को घरेलू कनेक्शन मिले। छितराई ढ़ाणियों में लंबी लाइन भी लगे तो भी सरकार व्यय करें; किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए, वहां लाइट की व्यवस्था हेतु फाइलें लेना शुरू करे। पुरानी फाइलें जमा पड़ी हैं, कई लोगों के डिमांड भरे हुए हैं, जल्दी लाइट देने के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। इसमें 500 मीटर का दायरा, जैसे एक किसान के 500 मीटर तक कनेक्शन हुआ है और दूसरा किसान 500 मीटर तक आ रहा है तो उनको भी कनेक्शन उसी डी पी से या नई डी पी लगाकर सिंगल फेज दिया जाए।

किसानों के लिए 10 का पम्प लगा हुआ है, विजिलेंस में 12-15 किया जाता है। इसमें गहराई में पानी जाना, बिजली कम आना, उसमें किसान की कोई गलती नहीं होती है। कम्पनी का पम्प 10 का लगा हुआ है और उसकी विजिलेंस होती है तो 14-15 हो जाता है। तो किसान के लिए बड़ी मुसीबत पैदा होती है।

सरकार द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने में देरी हो रही थी, आपके समय में। अभी तो समय पर मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप आसन को संबोधित कीजिए। इधर देखिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): इसमें भी मेरा निवेदन रहेगा कि किसान अपने खेत से जला हुआ ट्रांसफार्मर वापस लेकर आता है, उसके बाद जब ट्रांसफार्मर आता है तब मिलता है। इसके लिए भी ठेकेदार या जिसके माध्यम से दो पैसे मिल रहे हैं, वे किसान तक पहुंचने चाहिए। जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, चोरियां भी खूब होती हैं, उसके लिए भी प्रबंध होना चाहिए, या कोई नई विंग तैयार होनी चाहिए ताकि ये चोरियां भी रुकें। (व्यवधान) छोरियां नहीं, चोरियां।

बे-मौसम जो बरसात हुई है, इसमें जनरल बिजली का, हर किसान, चाहे बड़ा है, या छोटा है, यह बड़ा किसान हो, या चाहे छोटा किसान हो, सबके होना चाहिए।

डिस्काम घाटे के कारण कई हैं। अब जैसे हमारे जोधपुर डिविजन में जोधपुर से जो सामान जाता है बाड़मेर और बाड़मेर से वापस बालोतरा और

(श्री हमीरसिंह भायल)

सिवाना। स्टोरेज अगर बालोतरा में कर दिया जाए तो 200 किलोमीटर का परिवहन, हर सामान जो बाड़मेर जाएगा और बाड़मेर जाकर वापस सिवाना और बालोतरा आयेगा; इसके लिए भी, मतलब, ट्रांसपोर्टेशन आपका बच सकता है और किसानों के लिए भी आराम हो जाएगा और सरकार के लिए भी। जैसे बालोतरा में एक गोदाम हो जाए तो सिवाना, समधड़ी, ये बालोतरा से लेंगे; नहीं तो जोधपुर से सारा सामान जाता है।

बिजली से जो जन हानि होती है, करंट लगने से किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए नियमों में व्यवस्था बनी हुई है कि दूसरा एक्स.ईएन. आयेगा और वह जांच करेगा। तो उसमें समय व्यतीत हो जाता है। इसके लिए भी कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। तो इसका भी नियम सरल करके किसानों को राहत दी जाए। बिजली करंट से कई पशु भी आहत हो जाते हैं। उसमें भी दो-दो साल तक मुआवजा नहीं मिल पाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि सिवाना में समधड़ी तहसील है, पंचायत समिति है, बहुत लम्बा एरिया है, वहां पर ए.ईएन. आफिस नहीं है। कम से कम 70 किलोमीटर सामुजा डिडस से बिल भी अगर खराब होता है, मतलब, बिल में अगर मिस्टेक होती है, तो भी ठीक करवाने के लिए उनको सिवाना आना पड़ता है। तो तहसील और पंचायत समिति है तो ए.ईएन. आफिस समधड़ी में एक खुल जाए तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

पादरू में ए.ईएन. आफिस है, समधड़ी में हो जाए, तो सिवाना में एक्स.ईएन. आफिस की भी आवश्यकता रहेगी। पूरा लम्बा-चौड़ा एरिया है। इसमें एक्स.ईएन. आफिस सिवाना में हो। समधड़ी में ए.ईएन. आफिस हो।

यही मेरा निवेदन और प्रार्थना है। बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज हमसे नाराज हो क्या?

श्री अध्यक्षः नियमों का पालन करो।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): बिजली के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। जो आडिट की बात हुई, मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की बिजली कम्पनियों के आडिट की, कई सालों बाद ही सही लेकिन यह घोषणा जो है, वाकई बहुत ही शानदार घोषणा है। इसमें थोड़ा-सा संशोधन अगर और हो जाए कि यह आडिट जब से कम्पनियां बनीं, तब से हो जाए, तो बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा।

यह जो 80-82 हजार करोड़ तक नुकसान को जिन लोगों ने पहुंचाया है, उनके चेहरे, उनके नाम भी हमारे सामने आने चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने यहां तक इसको पहुंचाया है।

सोलर फार्म डवलप करने का काम जो सदन की नेता कर रही हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए, कम है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैडम की।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): बिलकुल मैडम की। जिस हिसाब से उन्होंने सोलर के एग्रीमेंट किये हैं और जिस हिसाब से राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने का काम कर रही हैं, निश्चित रूप से तारीफ के काबिल हैं। लेकिन, दूसरी तरफ, जो सोलर के हमारे पम्प्स किसानों के लग रहे थे, जो ड्रिप के कनेक्शन हो रहे थे, उस क्षेत्र में सरकार को सोचना चाहिए कि जो बिजली बचाने वाली स्कीम्स हैं, उनको जितना प्रोत्साहित किया जाए, कम है। सोलर पर सब्सिडी, सोलर पम्प्स पर, पिछले दिनों कम कर दी गयी, वह वापस अगर बढ़ा दी जाए और ड्रिप ईरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए, तो निश्चित रूप से कम्पनियों का घाटा भी कम होगा और किसान को भी फायदा होगा।

इसके अलावा, जो बात कई दिनों से चल रही है, अपने राजस्थान में जो सोलर की बहुतायत है, उसके हिसाब से अपना हर घर, हर खेत एक उत्पादन की यूनिट बन सकता है। जरूरत है सिर्फ एक टैरिफ निर्धारित करने की और दोनों तरफ का मीटर लगाने की। जो सोलर एनर्जी वहां से डवलप होगी, जो वहां से उत्पादन होगा, वह बिजली कम्पनी को बिकेगा और बिजली कम्पनी से जो लेगा, वह घर वाला या खेत वाला लेगा। उसका हिसाब-किताब एक ही मीटर कर देगा। वह जिस दिन शुरू हो जाएगा, अपने स्टेट में कम से कम बिजली की कोई कमी नहीं रहने वाली है।

आज जो हालात हैं, आजादी के 67 साल बाद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बैठा किसान, एक आम आदमी, बिजली कनेक्शन से महरूम है। बहुत-सी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

योजनाएं चलीं लेकिन आज भी गांवों में अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी बिजली कनेक्शन के लिए लाइन में खड़ा हुआ है।

अभी 'मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना' पिछले दिनों चली। जून-जुलाई तक, जब तक चुनाव का मौसम बनने वाला था, खूब कनेक्शन दिये गये और जिसने भी आवेदन किया उसको सफल मान लिया गया, लेकिन ज्यों ही चुनावों की घोषणा हुई, निगम के लोगों ने जो भी आवेदन थे, उनमें 95 प्रतिशत से ऊपर आवेदनों को असफल कर दिया, उनकी फाइलों को निरस्त कर दिया और वापस भेज दिया और जिन लोगों के सफल माने गये, उनमें भी आज डेढ़ साल से ऊपर हो गया, डिमांड नोट जमा होने के बाद भी हजारों आवेदकों के कनेक्शन नहीं हुए हैं।

कभी कहते हैं कि ट्रांसफार्मर नहीं हैं, कभी कहते हैं कि तार नहीं हैं, कभी कहते हैं कि पोल नहीं हैं। बिजली निगम में तो पोल ही पोल है, पोल की तो कहां कमी है? 80 हजार करोड़ पर पहुंचा दिया, इससे ज्यादा पोल और क्या होगी? यह कोई छोटा अमाउंट नहीं है, महोदय, यह इतना बड़ा अमाउंट है। अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि इस साल 7 हजार करोड़ का नुकसान होने वाला है और अगले सालों में 11 हजार करोड़ का आकलन है। यह इतना भारी नुकसान है कि अगर 200 सदस्यों का एम.एल.ए. कोटा, जो विकास के काम आता है, पूरे प्रदेश का, वह जोड़ा जाए तो पांच साल में मात्र दो हजार करोड़ रुपये मिलते हैं। अगर यह घाटा कवर हो जाए तो हर एम.एल.ए. को एक महीने में तीन करोड़ रुपये खर्च करने के लिए मिल सकते हैं। इतना बड़ा घाटा यह चल रहा है। इस पर अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है।

'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना' नाम से एक योजना चली है, बड़ी अच्छी योजना है, सारे बी.पी.एल. को कनेक्शन देने की योजना है और सेंटर से पैसा आना है, अधिकारी भी लग गये, लेकिन अब तक साल-डेढ़ साल हो गया, उसके टेंडर भी नहीं हो पाये हैं। जितना जल्दी हो सके, इस तरह की योजना के टेंडर करवाए जाएं जिससे हमारे बी.पी.एल., हमारे किसान, हमारे गांव में रहने वाले व्यक्तियों को कनेक्शन मिल सकें।

विद्युत की जो कीमतें अभी बढ़ी हैं, उसमें बड़े दु:ख की बात है कि जो कीमतें बढ़ी हैं उनका एवरेज 16-17 परसेंट है लेकिन जो गरीब के लिए कीमत बढ़ी है वह ज्यादा है। 85 पैसे वाले को 1 रुपया 35 पैसे देना पड़ेगा, तो यह

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

55-60 परसेंट के करीब बढ़ गयी है। तो यह जो बढ़ोतरी है, यह अमीरों के लिए इतनी ज्यादा नहीं है जितनी गरीब के लिए हुई है। यह जो घाटा हुआ है कम्पनियों में, इसके लिए सबसे अधिक अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कर्मचारी और अधिकारी बिजली कम्पनियों को चलाने वाले हैं। इनमें से कई अधिकारी तो वर्षों से बैठे हैं। सरकार चाहे कोई-सी भी आई हो, वे ही लोग रहते हैं। नई सरकार आती है तो एक नई योजना पेश कर देते हैं। कभी फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम, दूसरी सरकार आयेगी तो ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना, फिर सब-स्टेशन इम्प्रूवमेंट योजना, फिर फीडर इम्प्रूवमेंट योजना। बिजली चोरी का सीधा खामियाजा साहूकार को भुगतना पड़ रहा है। चोरी जो चोर कर रहा है, उसके पैसे जो साहूकार है उसको चुकाने पड़ रहे हैं। चोरी रोकना इनका काम है, लेकिन पिछले दो साल की हालत देखें तो वर्ष 2012-13 में जो छीजत थी 18.39 वह वर्ष 2013-14 में 21.03 हो गयी। अकेले जयपुर शहर को अगर छोड़ दिया जाए तो जयपुर डिस्काम में 50 प्रतिशत का लास है। लासेज जो हैं वे 50 परसेंट के हैं, अगर जयपुर शहर को छोड़ दिया जाए तो।

सुधार हो भी कहां से? जो मैटेरियल मैनेजमेंट की स्थिति है, कम्पनियों की जो स्थिति है, अजमेर विद्युत वितरण निगम में तो हमारे ऐसे चीफ इंजीनियर और एस.ई. लगे हुए हैं जिनके खिलाफ ए.सी.बी. में केस दर्ज हैं। फिर भी वे लगातार बड़े आराम से काम कर रहे हैं।

मीटर्स की जो बात आ रही है, अभी प्रतिवेदन पढ़ रहे थे अजमेर विद्युत वितरण निगम का, उसमें लिखा था कि एक ऐसा टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-131, जिस पर अगर आपके मीटर में कोई गड़बड़ हो, तो उपभोक्ता के घर पर ही जाकर उसको चैक किया जाएगा। उस नम्बर को मिलाया, पिछले तीन दिन से ट्राई कर रहे हैं, उस पर गाने ही सुनने को मिल रहे हैं; और कुछ नहीं मिल रहा। जहां तक मीटरों की हालत है, मीटर के लिए तो कितनी

(19.00 बजे)

लम्बी-लम्बी लाइनें अपने ए.ईएन. आफिस में लगी हुई हैं बदलवाने को। हजारों मीटर खराब पड़े हैं। उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है।

बिजली चोरी का खामियाजा जो आम निर्दोष उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है, इससे जितना जल्द हो, छुटकारा दिलाया जाये।

जो लासेज हैं, उसमें मुख्य रूप से यह जो ट्रांसफर हो रही है बिजली,

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

उसमें ट्रांसफार्मरों के रख-रखाव की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यह सारी गड़बड़ हो रही है। इससे न केवल उपभोक्ता, किसान परेशान हैं, बल्कि कम्पनियां भी करोड़ों रुपये में नुकसान में जा रही हैं। ट्रांसफार्मर जलने का सबसे बड़ा कारण जो है, वह बाई मेटेलिक कंडक्टर नहीं लगाना है। ये कंडक्टर ट्रांसफार्मर को विद्युत लाइन से जोड़ने के काम आते हैं। ये हर ट्रांसफार्मर के साथ खरीदे जाते हैं, पर स्टोर में ही खुर्द-बुर्द हो जाते हैं तथा ट्रांसफार्मर को इनके बिना ही विद्युत लाइन से जोड़ दिया जाता है। इससे स्पार्किंग होकर उसका नुकसान होता है। न वहां उचित फ्यूज मिलेंगे, न वहां अर्थिंग मिलेगी। उस वजह से ये ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। जो ट्रांसफार्मरों के जलने की स्थिति है, वह निगम को अच्छी तरह पता है और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अगर निगम एक भी ट्रांसफार्मर पूरे नियम-कानून के अनुसार लगा हुआ बता दे, तो वे जो कहेंगे, वह करेंगे। एक ट्रांसफार्मर भी पूरे राजस्थान में निगम के जो नियम बनाये हुए हैं, उनके अनुसार कहीं नहीं लगाये, और पैसे पूरे लिये जाते हैं। आखिर यह सब हो क्या रहा है? इस पूरे काम में जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहराई जाये।

हमारे जो विद्युत ट्रांसफार्मर हैं, उनकी स्थिति यह है कि जो गारंटी पीरियड के ट्रांसफार्मर हैं, उनको भी ठीक नहीं करवाया जा रहा है। जो दो-तीन हजार रुपये, पांच हजार रुपये में ठीक हो सकते हैं, उनकी जगह भी नये ट्रांसफार्मर लाये जा रहे हैं। उस समय इनके पास कहां से पैसा आ जाता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नये ट्रांसफार्मर खरीदने में करोड़ों रुपये लग रहे हैं।

हजारों सीमेंट के पोल फील्ड में पड़े हैं, तार फील्ड में पड़े हैं। ट्रांसफार्मरों के लिए अभी सारे सदस्य कह रहे थे कि गिनती ही नहीं हुई, कहां गायब हो गये? स्टोरों में सामान की आवक व डिलिवरी का आडिट हर हाल में होना चाहिये, जिससे फिजूल खरीद पर रोक लगे तथा किसी सामान की कमी नहीं रहे।

बिजली चोरी को अगर रोकना है, तो मेरा सुझाव है कि प्रत्येक 11 के वी ए फीडर की मीटरिंग की जाये। एक बार शुरू भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने अपनी लापरवाही व खुद की चोरी को छुपाने के लिये इस योजना को बंद कर दिया। अगर प्रत्येक 11 के वी ए के फीडर पर एल.टी.

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

मीटर लगा दिया जाये और उस अधिकारी की जो उस क्षेत्र में है, जिम्मेदारी तय कर दी जाए तो निश्चित रूप से चोरी भी रुकेगी और वहां घाटा भी कम होगा।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवरलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द पारख। (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल निवाई।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की महत्वपूर्ण बिजली की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारी सदन की नेता और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 40 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की है। साथ ही बिजली कम्पनियों का जो आडिट करने की घोषणा की है, यह भी सराहनीय है। मेरा इसमें एक सुझाव है कि आडिट ही नहीं, बल्कि स्पेशल आडिट होना चाहिये इन कम्पनियों का, जब से ये कम्पनियां बनी हैं और इसके साथ-साथ स्टोर वेरिफिकेशन भी होना चाहिये। जहां-जहां ए.ईएन., एक्स.ईएन. के आफिस हैं, एस.ई. के आफिस हैं, चीफ इंजीनियर के आफिस हैं, इनको यह भी पता नहीं क्या सामान खरीदना है और कितना स्टोर में है। जिस तरह सरकारी कार्यालयों का स्टोर वेरिफिकेशन होता है, उसी तरह इन कम्पनियों के कार्यालयों का भी स्टोर वेरिफिकेशन होना चाहिए। तब वस्तुस्थिति का मालूम पड़ेगा, क्या हमने खरीदा, क्या हमारे पास स्टोर में मौजूद है।

साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है, जब वह लोड करके अपने खुद के साधन से जाता है, तो उसका ट्रांसफार्मर रख लिया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि आज ट्रांसफार्मर नहीं है। इस तरह की इन अधिकारियों की निरकुंशता हो गयी है और उसको बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है। यहां तक कि हमें किसान कहता है कि मुझे ट्रांसफार्मर नहीं मिला। जब हम बात करते हैं उनसे, वे कहते हैं, साहब, ट्रांसफार्मर नहीं है, दे देंगे। जब वह ट्रांसफार्मर खुद लोड करके ले जाता है तो उसका पैसा ठेकेदार उठा लेता है। जबकि पिछली बार माननीय ऊर्जा मंत्री

(श्री हीरालाल)

खींवसर साहब थे, तो उन्होंने निर्देश दिये थे कि जो लोडिंग का पैसा है, वह किसान को मिलना चाहिये, लेकिन अभी भी उसकी पालना नहीं हो रही है। तो इसकी सख्ती से पालना की जाये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक बार फिर से ध्यान दिलाना।

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत वितरण कम्पनियों के निगम के जो अधिकारी ए.ईएन., जे.ईएन. हैं, आज किसानों के कुओं में पानी नहीं है और उनके कितना-सा खर्चा होता है, कितनी-सी बिजली वे खर्च करते हैं, बाई दी वे उनको आवश्यकता हो। तो प्रतिशोध की भावना से वे अधिकारी, कर्मचारी, या उनके नीचे के अधिकारी से मिलकर उस किसान की एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख की वी.सी.आर. भर लेते हैं। साथ ही, छीजत और किसानों से वी.सी.आर. भरने के बजाय, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो फैक्टरियां चलती हैं, उनकी तरफ भी नजर रखनी चाहिये कि उनके यहां कितनी छीजत हो रही है। एक किसान के ऊपर इतना वज़न डालना, तो किसान तो हर तरह से दु:खी हो गया है। मेरा निवेदन है कि जो फैक्टरियां चलती हैं, उनकी भी छीजत रोकी जाये।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 2003 में बिजली का कनेक्शन देने के लिए 2003 की जनसंख्या के अनुसार 100 की जनसंख्या मानी है, तो उस 100 की जनसंख्या को भी कम किया जाये। जो गांवों से किसान जाकर अपने कुओं पर बस गया है, क्योंकि उसको आज रखवाली करने के लिए, खेत को देखने के लिए, सुबह उठकर अपना काम करने के लिये अधिकतर वहां जाकर बस गये हैं, तो उनको बिजली का कनेक्शन, कम से कम उसको सिंगल फेज तो दिया जाये।

आज यह स्थिति है कि लोड शेडिंग के नाम पर असमय बिजली की कटौती होती है, कभी शट-डाउन के नाम पर कटौती होती है और यहां तक मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र में शाम के टाइम पर, जब किसान के रोटी-पानी बनाने का टाइम है, उस समय पर बिजली की कटौती होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और जब कटौती करते हैं तो ये जो विद्युत वितरण निगम के अधिकारी हैं, बिलकुल निरंकुश हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री हीरालाल)

आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जनता का राज है, ये जनता के नौकर हैं, इन पर पूरा कंट्रोल किया जाये, इन पर लगाम कसी जाये, जिससे जनता सरकार...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और इनके कौड़े लगाये जाएं।

श्री हीरालाल (निवाई): यह आप कहें, मैं नहीं कह सकता।

तो इन पर लगाम लगाई जाये ताकि जनता को राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आनन-फानन में गई बार सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जी.एस.एस. खोले, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे यहां डोड़वाड़ी, बगड़ी और रानोली में खोले गये, खोल दिये, जो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वे आज तक चालू नहीं हुए। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है जो जी.एस.एस. 2013 में स्वीकृत हुए हैं, उनको चालू किया जाए। मेरे पीपलू उपखण्ड में बगड़ी पंचायत है, वहां तो केवल पोल खड़े कर दिये, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। वहां आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन करूंगा कि जो तीन जी.एस.एस. चालू नहीं हैं, उनको तुरन्त चालू कराया जाये।

निवाई शहर में अण्डर-ग्राउण्ड केबल डाली जा रही थी लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं डाली गयी है। तो बिजली चोरी के लिए भी यह कंट्रोल होगा कि अण्डर-ग्राउण्ड केबल डाली जाए। जो तार जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं उनकी जगह केबल डाली जाए ताकि बिजली की चोरी भी रुकेगी और आम उपभोक्ता को भी इससे फायदा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निवाई कस्बे के बिजली कर्मचारी श्री अरविंद पारीक की असामयिक मृत्यु हो गयी थी, आशुतोष पारीक सन आफ स्वर्गीय अरविंद पारीक, निवासी लुहारों की मस्जिद, छीपों का मोहल्ला, निवाई, और समय रहते 90 दिन में उनकी पत्नी ने उस बच्चे की नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया और जिस समय यह प्रार्थना पत्र दिया वो लड़का पढ़ रहा था, अब उसकी 18 साल की ऐज हो गयी है, वह बी.टेक हो गया है लेकिन निगम के कर्मचारियों ने अभी तक उसको रोजगार नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आदमी नौकरी करते हुए मर गया तो उसके बच्चे को, उस आश्रित को नौकरी दी जाए। मेरा आपसे यह निवेदन है।

(श्री हीरालाल)

साथ ही, जयपुर विद्युत वितरण निगम में मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं दिये जाने से सम्बन्धित मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम में पद रिक्त नहीं होने के कारण राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा दिनांक 2 जून, 2014 को पांच मृतक आश्रित, संतोष कुमार, संदीप शर्मा, प्रदीप कुमार तनेजा, तरुण कुमार मित्रा व मनीष शर्मा को नियुक्ति देने हेतु प्रकरण भेजे गये थे। जयपुर विद्युत वितरण निगम में कनिष्ठ लिपिक के 488 पद रिक्त हैं। फिर भी जयपुर डिस्काम अधिकारियों की मनमर्जी है कि वे इन मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं और दस महीने से इनको इधर-उधर चक्कर कटवा रहे हैं। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर रखे हैं कि मृतक आश्रित को आवेदन के तीन माह में नियुक्ति दे दी जाए; यदि इसके बाद नियुक्ति में विलम्ब होगा तो इसके लिए नियुक्ति अधिकारी जिम्मेदार होगा, लेकिन जयपुर डिस्काम के अधिकारियों को कार्मिक विभाग के आदेशों की कोई परवाह नहीं है और उन परिवारों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है जिनकी रोजी-रोटी का भी संकट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इन मृतक आश्रितों के प्रकरण को दिखाएं और यह भी देखें कि कौन अधिकारी हैं जो जान-बूझकर इन मृतक आश्रितों को नौकरी देने में विलम्ब कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को दंडित करें और मृतक आश्रितों को नौकरी दें ताकि और विभागों के लिए भी एक उदाहरण बन सके।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री हीरालाल (निवाई): अंत में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्काम के कर्मचारियों को सभी को मोबाइल दिये हुए हैं लेकिन छह-सात बजे बाद मोबाइल बंद कर लेते हैं। जहां बिजली बंद होती है तो वे हमें फोन करते हैं और उस अधिकारी का मोबाइल बंद है। या तो इनके ये सरकारी मोबाइल वापस ले लिये जाएं, या इनको इस तरह के निर्देश दिये जाएं कि ये अपना मोबाइल खुला रखें। रात को एक बजे भी हमको फोन करते हैं, हम मोबाइल उठाते हैं और वे अधिकारी, कर्मचारी मोबाइल बंद कर देते हैं। बल्कि, इस तरह से जनता को नहीं सुन रहे हैं और एक तरह से जनता के प्रति बेपरवाह हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को मोबाइल खुला रखने के निर्देश दें।

(श्री हीरालाल)

साथ ही, ये अपने मुख्यावास पर नहीं रहते हैं। मैं मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड की बात करूंगा, शाम को पांच-छह बजे बाद जो अधिकारी एक्स.ईएन. है, ए.ईएन. है, जे.ईएन. है, पांच-छह बजे बाद चल देते हैं। लाइनमैन और जो बिजली के छोटे अधिकारी हैं, उनके भरोसे बिजली की सारी व्यवस्था छोड़कर चले जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों की पहचान करें या उनका हाउस रेंट बंद करें। जब हाउस रेंट लेते हैं तो मुख्यावास पर रहें। रोजाना अप-डाउन करते हैं। निवाई जयपुर के नजदीक है। इसलिए भी शायद वे यह देखते हैं, इसीलिए लगते हैं कि झट अपने शाम को पांच बजे बाद घर चले जाएं। सरकारी कर्मचारी 24 घंटे का नौकर होता है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों की पहचान की जाए और उनका हाउस रेंट काटा जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द। जय भारत। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

(अनुपस्थित)।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: इसके बाद, कीर्तिकुमारी के बाद। नहीं, नहीं, आयेगा आपका भी नम्बर। नहीं, अब तीन।

श्री कैलाश भंसाली।

(अनुपस्थित)

सुश्री कीर्तिकुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज बिजली की चर्चा में बोलने का मौका दिया, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

हमारे लिए एक कहावत प्रचलित थी, 'रोटी कपड़ा और मकान'; अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें आज बिजली भी जुड़

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

गया, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के मानव का सुबह उठना, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारा जो भी पूरा रुटीन है वह बिजली के ऊपर आधारित है।

बिजली कितनी खराब स्थिति में है, हमको आज सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में मैं पूरी प्रशंसा करना चाहूंगी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी सिंधिया की कि उन्होंने 75 हजार करोड़ से अधिक रुपये का बिजली का घाटा होते हुए संतुलित बजट पेश करके प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ज्योति के तहत सभी उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान किया। मेरा निवेदन है कि इसमें जो हमारे रेवेन्यू विलेजेज छूट गये हैं उनको भी साथ में जोड़ें ताकि कोई भी घरों में अब बिजली न पहुंची हो, ऐसी प्रदेश की दशा न रह जाए।

बिजली सुधार के लिए जो फीडर कार्यक्रम हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे बिजली मंत्रीजी ने रखे हैं, वह फीडर सुधार से ही छीजत कम होगी और हमारा घाटा कम होगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि फीडर सुधार का हमारी सरकार का जो भी प्रोग्राम है इसको हम बहुत जल्दी व्यवस्थित रूप से चालू करें। इससे दुर्घटनाएं भी बचेंगी और बिजली का घाटा भी कम होगा, ऐसा मेरा मानना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बिजली के मीटर अच्छी क्वालिटी के लगाये जाएं और कोई ऐसे योजनाबद्ध लगें कि सभी के पर्टिकुलर घरों के बाहर जैसे अभी मीटर लग रहे हैं, उससे भी अलग बिजली के पोल के ऊपर अगर मीटर लगने की व्यवस्था हो, तो अचानक होने वाली दुर्घटना से भी बचा जाएगा और बिजली की छीजत में सुधार भी होगा।

मेरा निवेदन है कि उपखण्ड कार्यालय पर जो ए.ईएन. आफिस होता है इसमें भी हम पद बढ़ाएं। एक ए.ईएन. पूरा काम नहीं कर पाता है। मेरा मानना है कि एक ए.ईएन. बिजली प्रसारण का काम देखे और एक ए.ईएन. दूसरा काम देखे। तो हमारी बिजली व्यवस्थित रूप से मिलती रहेगी।

हमारे प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है। बिजली विभाग में एक ए.ईएन. आफिस के ऊपर कम से कम आठ-दस लाइन मैन और टेक्निकल हेल्पर होने चाहिए। इनको एक वाहन भी उपलब्ध हो तो ये मौके पर पहुंचकर के बिजली के कोई भी फाल्ट होंगे तो उनको बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में चर्चा है तो शायद हमको बहुत नुकसान होता है। ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल अर्थ मजबूत नहीं हो पाता और हमारा बिजली विभाग इसमें टाइम पर सुधार नहीं कर पाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वे जनवरी माह से लेकर के मार्च तक पेमेंट लेने में और बकाया बिल लेने में उसके पीछे भागते फिरते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि ई-मित्र का जो विकल्प अटल सेवा केन्द्र पर है उन्हीं के थ्रू बिजली के बिल पेमेंट्स हों ताकि बिजली के कर्मचारी लोगों को बिजली व्यवस्था सुधारने में पूरा समय मिल सके।

कृषि के कनेक्शन हमारी सरकार जल्दी से जल्दी दे। यह किसानों के हित में होगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि माण्डलगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बड़ल्यास पर 132 के.वी. का जी.एस.एस. और 33 के.वी. के जी.एस.एस. झंझोला में गेंदलिया और सुठेपा में स्वीकृत करें तो हमारे यहां के लोग आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पिलानियाजी, वे कैलाश भंसाली आ गये। इनके बाद आप। श्री कैलाश भंसाली, अपने स्थान पर जाएं। मैंने नाम पुकारा तब ये थे नहीं। अब आ गये। इनके बाद आप।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना की, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक कहावत चली जोधपुर में कुछ वर्ष पहले, 1965 में, जब बमबारी हो रही थी, 'बिजली करे अंधेरा'। उसके पीछे भाव यह था कि बिजली तो आ रही है, परन्तु सायरन हो जाता है तो बिजली बंद हो जाती है। आज राजस्थान में जो ऊर्जा की व्यवस्था है, वह इसी तरह की है। सभी किसानों के लिए कह रहे थे कि 6 घंटे उनको थ्री फेज की बिजली मिलती है, उसमें ही घरेलू बिजली काम आ सकती है। उसके अलावा हमेशा उनके यहां अंधेरा रहता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसके लिए सबको एक फेज का कनेक्शन अवश्य दिया जाये।

दूसरी बात, सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक ने और

(श्री कैलाश भंसाली)

लूणकरणसर से आने वाले विधायक ने कहा कि चिन्तन बहुत जरूरी है कि 77 हजार करोड़ का घाटा हो गया है, जो आने वाले इसी वर्ष में करीब 80 हजार करोड़ से ज्यादा हो जायेगा। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी का, उन्होंने कहा है कि इनका आडिट प्रारम्भ किया जाये। एक सदस्य ने अभी मांग की थी कि जब से यह नियामक बना है, तब से आडिट कराई जाये, ताकि मालूम पड़ जाये कि हर साल किस कारण से घाटा हुआ। सी ए जी की रिपोर्ट में आया है कि ये अनाप-शनाप खरीददारी कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजों की खरीददारी जिनकी उपलब्धता बहुत है, उसमें 2030 तक का स्टाक ले लिया गया है। स्टाक पर पड़ने वाला ब्याज जनता पर पड़ रहा है। आज 3 रुपये 41 पैसा यूनिट का केवल ब्याज और छीजत का है। उससे निजात पाना राजस्थान की जनता के लिए, विद्युत विभाग के लिए बहुत आवश्यक है। मुख्य मंत्रीजी ने जो आडिट का कहा है, उसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

जो कुछ प्रैक्टिकल प्रोब्लम्स रोज आ रही हैं कि लाइनमैन काम करते वक्त मर जाता है, उसके आश्रित को ठोकरें खानी पड़ती हैं, उसको नौकरी नहीं मिलती है। उसको नौकरी तुरन्त दी जाये। कम से कम आकस्मिक रूप से 20 हजार रुपये की सहायता तुरन्त उसकी मृत्यु के समय दी जाये, ताकि उसके अंतिम संस्कार का कार्य पूर्ण हो सके।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 20 हजार में क्या होगा?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): 20 हजार तुरन्त दे दिये जायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ज्यादा कहो, ज्यादा।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): अच्छा, ज्यादा। सदन की भावना के अनुरूप 2 लाख रुपये दे दिया जाये।

इसी तरह से हमारे यहां पावरलेस के बिल का काम चल रहा है। रोज एक्सिडेंट हो रहे हैं। कल रात को एक ऐसा एक्सिडेंट हुआ सेनापति भवन के पास में, पानी की लाइन पर उन्होंने हथौड़ा चला दिया। आज सुबह वहां पानी की सप्लाई बंद रही। वहां के लोगों के बहुत फोन आये। मैंने हमारी जलदाय विभाग की मंत्रीजी से बात की तो उन्होंने कहा कि कल तक ठीक हो जायेगा। मेरा यह कहना है कि एक काम को थोड़ा सावधानी से करवाया जाये। ठेकेदार को पाबंद किया जाये कि वह इस बात का ध्यान रखे कि कभी भी पानी की लाइन टूटे नहीं।

नये मीटर कोई नहीं लगाना चाहता। ये इतनी द्रुत गति से चलते हैं।

(श्री कैलाश भंसाली)

हमारा जो पहले से मीटर लगा हुआ था, उसमें खर्चा बिलकुल ठीक होता था। अभी तो डेढ़ा-दुगना खर्चा आता है। एक मेरे गरीब मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरा साढ़े 7 हजार का बिल आ गया। उसको ठीक कराने के लिए मैंने भेजा। चीफ इंजीनियर साहब ने उसको कहा कि आधा तो अभी दे दो और आधा 3 महीने बाद दे देना। इस तरह से गरीब आदमी बहुत तंग हो रहा है इनके इस मीटर से। नये मीटरों को कचरे में डाल रहे हैं क्योंकि उनका कुछ उपयोग होने वाला नहीं है। वे फेल हो चुके हैं।

शट डाउन की कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। रोज सुबह जोधपुर में 8 से लेकर के 10 बजे तक हमारे एरिये में बिजली बंद रहती है, परन्तु उसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है। कभी-कभी तो 2 घंटे की जगह 3 घंटे भी बंद रह जाती है। मेरा निवेदन है कि पहले से सूचना दे दें; अख़बार के जरिये बड़ा आसान रहेगा कि सब लोग सुबह अखबार पढ़ लेते हैं, कि इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहेगा। इससे गृहणियों को और विद्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी।

मीटर्स की कमी होने के कारण भी कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। विशेषकर एग्रीकल्चर क्षेत्र में और जोधपुर के आसपास के इलाके, जैसे मण्डोर है, कागा है, वहां कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहीं नहीं मिल रहे हैं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं विशेषकर के जोधपुर शहर की बात कह रहा हूं। ठीक है, आपकी बात आपने सदन में कह दी थी।

घरेलू कनेक्शन शीघ्र दिये जायें।

सबसे ज्यादा मैं उद्योगों से जुड़ा हुआ हूं, उनको बिजली तो मिल जाती है लेकिन इरेटिक वाटर सप्लाई मिलती है। कभी ज्यादा वोल्टेज हो जाते हैं तो उनकी मोटरें जल जाती हैं। उनको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। नया उद्योग जो नवयुवक लगाना चाहते हैं उनको कनेक्शन ही नहीं मिलता है। वे 3-5 महीने तक चक्कर काटते हैं, तब जाकर के हमारे फोन करने से मिलता है।

विजिलेंस की टीम अकारण ही आम जन को बहुत सताती है। मीटर लगे हुए हैं, फिर भी कहते हैं कि आपका थोड़ा-सा ज्यादा हो गया, इतने पैसे दो। इस तरह यह बेईमानी है, जो रोकी जानी चाहिए।

जोधपुर में कई स्थानों पर थ्री-फेज विद्युत लाइन नहीं हैं। अत: थ्री- फेज कनेक्शन लाइन दी जावें ताकि लोगों के आजकल जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे फ्रिज है, वाशिंग मशीन है, उनमें कम खर्चा आये।

(श्री कैलाश भंसाली)

विद्युत तार घरों के ऊपर से टच करते हुए जा रहे हैं और झूलते रहते हैं। कई बार तो तार बारिश में नीचे गिर जाते हैं, जिससे कई गायें मर गयी हैं। इसलिए इनको पहले से ही टाइट किया जाये। हम लिखते हैं तो 2-2, 3-3 महीनों तक उनको ठीक नहीं करते हैं। जब कोई एक्सिडेंट होता है तो उसके बाद में उनको ठीक करते हैं।

ट्रांसफार्मर समय पर नहीं देने के कारण से विद्युत उपभोक्ता को नुकसान होता है।

छीजत लास का सबसे बड़ा कारण है। जो अभी आंकड़े सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक ने बताये, यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। बिजली अंधेरा नहीं करके, उजाला करे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मैं निवेदन करता हूं।

हमारी मुख्य मंत्रीजी नियमों में कुछ शिथिलता लायें। विद्युत राज्य मंत्रीजी भी पूरे परिप्रेक्ष्य में इस समस्या को देखें और आम उपभोक्ताओं को सुविधाएं प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तकरीबन साढ़े 5 घंटे हो गये। सब्र का फल कुछ मीठा होना चाहिए। थोड़ा-सा आपसे निवेदन है। आज बड़ा गम्भीर विषय है। जिन विषयों पर चर्चा हो चुकी, मैं उनसे भिन्न चर्चा करना चाहूंगा। इससे रिपीटिशन भी नहीं होगा। कृपया मेहरबानी करें।

बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है कि आसानी से चीज समझ में नहीं आ सकती है। आम आदमी को नहीं आ सकती है। पढ़े-लिखे आदमी के लिए भी बड़ी मुश्किल स्थिति है। लेकिन इस वक्त तो यक्ष प्रश्न है वह यह है कि बिजली विभाग ने एक ऐसा झटका दिया है राजस्थान के किसानों को कि त्राहिमाम्-त्राहिमाम् मचा हुआ है। किसी पंचायत में चले जाइये, किसी गांव में चले जाइये। हर तरफ जो इस बिजली के दाम बढ़े हैं, एग्रीकल्चर के दाम की बात कर रहा हूं, और मैं केवल अपने आपको कृषि की जो दरें बढ़ी हैं, उस तक ही सीमित रखूंगा। मैं जानता हूं कि समय कम है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से जितनी दरें बढ़ी हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा-सा आपका ध्यान आस-पड़ोस के जो राज्य हैं, उनके कम्पेरिजन के लिए मैं चाहूंगा। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आयी 2011-12 की, थोड़ा-सा

(श्री नवीन पिलानिया)

गौर फरमायें, राजस्थान में जो नेट जनरेशन हुआ 2011-12 में, ये सभी आंकड़े मिलियन किलोवाट आर्वस में हैं, राजस्थान 28,162, पंजाब 25,719, हरियाणा 21,442; जो ग्रोस परचेज हुई राजस्थान 52,417, पंजाब 17,767, हरियाणा 38,266, ग्रोस परचेज।

अब उसके बाद में जो सैक्टरवाइज, जितनी बिजली इंडस्ट्री में जाती है, और चीज में आती है, एग्रीकल्चरवाइज जो सैक्टर में जाती है, उसमें राजस्थान में 39 परसेंट, विद्युत एग्रीकल्चर में जाती है जो 34,907, पंजाब में 32.6 प्रतिशत, हरियाणा में 30 प्रतिशत।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप जरा गौर फरमायें, जो शेयर आफ रेवेन्यू है, जो एग्रीकल्चर से मिलता है, मैं तीन राज्यों का ही कर रहा हूं, आंकड़े तो सबके हैं; राजस्थान में एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू मिलता है बिजली का, वह है 15.76 प्रतिशत; हरियाणा को एग्रीकल्चर से मिलता है 3.21 प्रतिशत। हमें फिर भी एग्रीकल्चर से बहुत बड़ा प्रतिशत मिलता है, इन राज्यों की तुलना में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एनर्जाइज्ड पम्प्स हैं इन तीन राज्यों के, वह बताता हूं मैं। यह 2009 का आंकड़ा है जो मेरे पास है, इसके बाद का आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। राजस्थान में 9,09,976 एनर्जाइज्ड पम्प्स थे, ट्यूबवेल कह सकते हैं उसको; पंजाब जो हमसे बहुत छोटा है, 10,25,616 और हरियाणा और भी छोटा है वहां 5,26,398 ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो स्थिति थी। हमारी परचेज ज्यादा इन दोनों स्टेट से, नेट जेनरेशन हमारा ज्यादा, जो एग्रीकल्चर से रेवेन्यू मिल रहा है हमारे को वह हमारा कहीं ज्यादा प्रतिशत है। जबकि जो नेशनल प्रतिशत था वह 9.5 ही है। एग्रीकल्चर से पूरे हिन्दुस्तान का जो एग्रीकल्चर से मिलता है रेवेन्यू, वह 9 प्रतिशत ही है। राजस्थान को तो 15.76 प्रतिशत मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर आते हैं, कास्ट आफ पावर सप्लाई। जितने रुपये पर-किलोवाट जो बिकती है, उसकी स्थिति देखिये। यह आंकड़ा, यह ग्राफ है मेरे पास। इस आंकड़े में राजस्थान सबसे ऊंचा है। यहां कास्ट आफ पावर सप्लाई पूरे राजस्थान में, बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार 7 रुपये 21 पैसे; यह आंकड़ा 2009-10 का आंकड़ा है जो अब बढ़ चुका होगा; 2009-10 के आंकड़े के हिसाब से बिहार में 7 रुपये 21 पैसे की लागत पड़ती

(श्री नवीन पिलानिया)

है, एक यूनिट को बेचने में, उसके बाद में राजस्थान विराजते हैं जो आते हैं 6 रुपये 80 पैसे। जो पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा है, जो कास्ट पड़ती है एक यूनिट के लिए, वह पड़ती है 4 रुपये 78 पैसे। हम कहां जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह बताना चाहता हूं, मेरे पास यह आर्डर है, यह टैरिफ आर्डर है हरियाणा का, Tariff order distribution and retail supply; tariff for the financial year 2014-15, categorywise. आप गौर फरमाइये, पंजाब में तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कमाल कर रखा है; 10 लाख ट्यूबवेल हैं उनके, हमसे ज्यादा हैं, वह क्षेत्र छोटा है, पूरी बिजली माफ। किसान को बिजली माफ है; किसान की बिजली फ्री है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हरियाणा की बात करता हूं, उनका टैरिफ आर्डर है, Agriculture tubewell supply, metered with motor up to 15 BHP, 10 पैसे प्रति किलोवाट। माननीय अध्यक्ष महोदय, दस पैसे। जो मोटर अबोव 15 बी एच पी 8 पैसे। 15 एच पी पर 8 पैसे पर-किलोवाट। राजस्थान के क्या हालात हैं? राजस्थान ने अभी जो जुल्म ढाया है किसान पर, यहां 1 रुपये 47 पैसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा आकलन तो करके देखिएगा, कहां 10 पैसे और 8 पैसे, और यहां 1 रुपये 47 पैसे। कैसे जस्टिफाइड है? बिजली हमारे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, परचेज हम ज्यादा कर रहे हैं।

मैं इसके बाद में आता हूं, अनमीटर्ड, जिसको फ्लैट रेट बोलते हैं। फ्लैट रेट हरियाणा की, पंजाब में तो सब माफ है, वे तो लेते ही नहीं किसान से कुछ; अनमीटर्ड मोटर अप टू 15 बी एच पी, 15 रुपये पर होर्स पावर। 15 रुपये केवल! और 15 बी एच पी से ऊपर 12 रुपये प्रति होर्स पावर। और राजस्थान में क्या है इस वक्त? राजस्थान में इस वक्त जो दर लागू की है, वह 185 रुपये प्रति होर्स पावर की दर लागू की है। कहां 15 रुपये और 12 रुपये है और कहां 185 रुपये है! और यह 185 भी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे लोग बाग़ पकड़ नहीं पा रहे हैं। 15 रुपये पर-एचपी हम फिक्स चार्ज ले रहे हैं, पर मंथ। वह 15 रुपये जोड़ते हुए 185 में 200 रुपये पर एच पी की दर आती है राजस्थान में। राजस्थान के किसान ने क्या पाप किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ ही नहीं पा रहा हूं। इन आंकड़ों की तुलना तो कीजिये हरियाणा और पंजाब से।

वहां पानी ज्यादा है, हमारे पास पानी ही नहीं है। मतलब, उनकी जो

(श्री नवीन पिलानिया)

रेट है, हरियाणा की जो रेट है, हमारी जो मीटर्ड सप्लाई है उसकी केवल 7 परसेंट है उनकी रेट। ओनली सेवन परसेंट। और फ्लैट रेट की जो रेट है, वह 7.5 परसेंट। मतलब, कमाल का। जुल्म नहीं है?

आज इतनी लम्बी-चौड़ी बहस हो रही है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि कितने हजार करोड़ रुपये का घाटा खा गये। वह तो इनके कर्मों से खाये हैं। किसान ने क्या गलती कर दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही।

मतलब, एक और चीज देखिएगा, इसी के साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, निवेदन करना चाह रहा हूं, Share of depreciation and interest pay-met in the cost of supply, 2009-10 का आंकड़ा है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, राजस्थान में वह आंकड़ा 11.2 परसेंट था 2009-10 में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का, और डेप्रिशिएशन हमारा 2 परसेंट। मतलब, हमारे असेट्स तो खतम केवल हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। यही पंजाब का जो डेप्रिशिएशन्स आ रहा था 5.9 और इंटरेस्ट कम्पोनेंट उनका भी 10.3 था। जो यह इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का गा रहे हैं, उनका भी मैं यह दिखाना चाह रहा हूं कि पंजाब के हालात..., यह सब टेबल कर देंगे। आप इजाजत दें, मेरे पास सारे कागज हैं, वे सारे टेबल करूंगा।

अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ने जो आर्डर निकाला, उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जो एग्रीगेट, ओवर-आल जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है, कास्ट आफ प्रोडक्शन है, वह 4 रुपये 19 पैसे, हमारी कास्ट आती है पर-यूनिट, जिसमें यह अभी बहुत शोर हुआ 1 रुपये 81 पैसे लोन का कम्पोनेंट आ जाता है, 1 रुपये 61 पैसे छीजत का आ जाता है। मेरे पास यह आंकड़े हैं जो इलैक्ट्रिसिटी एक्सचेंज आफ इण्डिया का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज आफ इण्डिया वह स्थान है जहां से बिजली खरीदी और बेची जाती है पूरे हिन्दुस्तान में। राजस्थान जिस नोर्दन रीजन में आता है, जैसे कई हैं, एन-वन, एन-टू; साउथ के एस-टू; वेस्ट के डब्ल्यू-वन, डब्ल्यू-टू; राजस्थान जिस रीजन में आता है, एन-वन का आंकड़ा बता रहा हूं, इस रबी सीजन का आंकड़ा। आप जरा अचम्भित हो जाएंगे। मैं निवेदन करता हूं आपको। इस 1 जनवरी, 2015 से लेकर अभी मार्च तक, 14 हफ्ते जो हुए हैं उनमें एवरेज आर टी सी, बिजली यूनिट की कीमत जो वहां बिक रही है, एक जनवरी से लेकर यहां तक, वह एवरेज है, पूरे दिन का एवरेज 2 रुपये 58 पैसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2

(श्री नवीन पिलानिया)

रुपये 58 पैसे। अब नाइट की रेट बताता हूं, यह 3 महीने की रेट बता रहा हूं, 3 महीने में नाइट की रेट थी 1 रुपये 87 पैसे। यह बिजली वहां मिल रही है, यह उसका डैटा है। 1 रुपये 87 पैसे रात को बिजली मिल रही है और हम 4 रुपये 19 पैसे में तो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी जो एक यूनिट प्रोड्यूस हो रही है वह 4 रुपये 19 पैसे में हो रही है। जरूरत क्या है?

किसान को बिजली देते हो साढ़े पांच घण्टे और बिजली देते हो उसको रात को। रात को जब 1 रुपये 87 पैसे में मिल रही थी और उसको ले जाकर 7 रुपये, 8 रुपये क्यों बढ़ा रहे हो?

मैं रबी का पूरा आंकड़ा दे रहा था, इस फसल का आंकड़ा दे रहा था, मिड-अक्टूबर, 14 से 31 दिसम्बर, 14 तक का आंकड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज आफ इण्डिया का आंकड़ा है। इसमें भी आप देखिएगा, जो एवरेज था, वह 2 रुपये 76 पैसे था, पूरा एवरेज। नाइट की इसमें एवरेज थी 2 रुपये। मुझे अचम्भा है, यह समझ में नहीं आता कि किसान पर इस कदर से यह रेट लगाना कहां तक वाजिब है? क्या हो गया पंजाब में? पंजाब कंगाल हो गया क्या? हरियाणा कंगाल हो गया क्या? उन दोनों स्टेट की कंडिशन हमारे स्टेट की कंडिशन से आज भी बेहतर है।

मैं पर-कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी की बात बताता हूं। आप जरा देखिये, पूरे नादर्न रिजन में per capita consumption of electricity in KW. नादर्न रीजन में 9 राज्य आते हैं। इनमें हरियाणा की पर-कैपिटा जितनी यूनिट है वह 1,222 है; हिमाचल में 1,369; पंजाब में 1,526; और राजस्थान में 736 है। क्या कारण है? यह क्या दुर्दशा है?

अध्यक्ष महोदय, अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गहराई से चीजें देखी थीं और वे बात कर रहे थे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की। मैं कहता हूं, डिस्काम वाले कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग तो कहां की बात है, मैं इनका एक आर्डर पढ़कर सुनाता हूं, अभी ताजा आर्डर है, इस फरवरी में जारी हुआ है टैरिफ चार्जेज को लेकर। आप दंग रह जाएंगे। दो पंक्तियां हैं। मजा देखिये आप। ये कहते हैं, फ्लैट रेट कंज्यूमर के लिए इन्होंने एप्लिकेबिलिटी निकाली है, अभी का आर्डर है, वह यह कहता है- "Consumer under flat rate supply are permitted-(a) upto 2 lamps points not exceeding 60 volts in aggregate at or near pump in the power circuit and its consumption charge at the above rate." मतलब कि जो फ्लैट रेट का कनेक्शन हुआ है उसके साथ में केवल दो लट्टू उन दोनों लट्टूओं का जोड़ 60 वाट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। यह आज का

(श्री नवीन पिलानिया)

आर्डर है। फिर आगे देखिए "the load of such lamp points will not be considered to determine the connected load, so far as aggregate voltage does not exceed 60 volts." 60 वाट से अगर बढ़ जाता है, "Any voltages exceeding such permitted 60 volts in aggregate per 2 lamp points shall be added to arrive at total load determined." हद नहीं हो गई? किस जमाने में जी रहे हैं? हम कहां जी रहे हैं? यह आर्डर यह लिखता है कि कुएं के पास केवल दो लट्टू लगे हुए हो सकते हैं, उन दोनों लट्टुओं का जोड़ 60 वाट होना चाहिए। हद नहीं हो गई? This is a redundant law. This is redundant. कहां की बात कर रहे हैं आप?

उसके आगे देखिएगा, "to use the thresher, cutting machines" उसमें कंडिशन डालते हैं कि यह जो थ्रेशर मशीन है, कुट्टी काटने की चीज है, यह 25 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें किसान को तंग करने की हैं जिससे अधिकारी जाएं और विजिलेंस जांच हो तथा प्रताड़ित किया जाय। मुझे जरा यह समझा दें कि अगर 25 मीटर से आगे अगर कुट्टी कट जाएगी, बोरिंग कहां होता है, मकान उसका वहां बना हुआ है, उसके जानवर वहां बंधे हुए होते हैं, कुट्टी वहां कटेगी, 25 मीटर से ज्यादा हो जाएगा तो क्या अनर्थ हो जाएगा? क्या गड़बड़ हो जाएगी? डिस्काम को क्या परेशानी आ जाएगी? लेकिन क्योंकि पुरानी नीयत चल रही है, इसलिए चल रही है।

आगे देखिएगा "Flat rate is available..." उसमें ये बोलते हैं, "sale of water even free supply of water to other for irrigation, or for any other purposes." आज जरा देखिए, अध्यक्ष महोदय, किस-किस तरीके की...

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा भाषण हो रहा है। सुनिए इसको ध्यान से। बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, सुनिए इसे ध्यान से।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेहरबानी, अध्यक्ष महोदय।

मेरा निवेदन यह है कि जब पंजाब में बिजली फ्री हो गई, कोई विजिलेंस नहीं होगी, कोई चैकिंग नहीं होगी और जब हरियाणा में 10 पैसे व 8 पैसे में बिजली मिल रही है, तो कौन चोरी करने जाएगा? वहां विजिलेंस होती ही नहीं है। वहां कोई जरूरत नहीं है। यहां क्योंकि आप लोग अन्याय करके इस तरह की चीजें कर रहे हो, जो फीजिबल ही नहीं हैं; इस कारण से परेशानी है।

हर चीज में घेरने की, हर टाइम लोड की बात आती है, लोड का वहां जिक्र ही नहीं है। वहां उनका जो आर्डर है, जो टैरिफ आर्डर हरियाणा का है वह बिलकुल साफ लिखता है, "motor upto 15 HP." मोटर लिखता है। यहां घुमा-फिराकर लिखेंगे सैंक्शंड लोड, फिर आएगा एक्चुअल कनेक्टेड लोड। यहां का

(श्री नवीन पिलानिया)

किसान ज्यादा पढ़ा-लिखा है क्या हरियाणा व पंजाब से? वे तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। इस कारण से लोड की हमेशा दिक्कत रहती है, जो कई मेम्बर बोल रहे थे। सीधा होना चाहिए, मोटर 10 एच पी की है, मोटर 15 एच पी की है, क्या सैंक्शंड लोड? क्या कनेक्टेड लोड? क्या मतलब है इसका? किसान के साथ में हर तरफ से...। फ्लैट रेट पर डिस्काम वाले क्या बोलते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या है, "Under the flat rate tariff, the assured hours of supply will be 1620 hours in an year." जिसका एवरेज आता है साढ़े चार घण्टे एक दिन के, ये देंगे और हम 200 रुपये पर-एच पी पर-मन्थ किसान से लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हर जगह इस वक्त बिजली के बिलों का वितरण हो रहा है। गांवों में हर गांव में हर जे ईएन व हर ए ईएन आफिस पर भयंकर विरोध, प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान इतनी बढ़ी हुई दर नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। कुछ भी करके सरकार को, अपनी तरफ से चाहे वह सब्सिडी दे, चाहे ये दरें घटाएं, कम से कम आस-पड़ोस से तर्कसंगत तो होना चाहिए। इतना बड़ा अन्याय राजस्थान के किसान के साथ नहीं होना चाहिए।

अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, सिर्फ एक सेकंड और दे दें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट दिया, अगर आप एक सेकंड मांगते हो तो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जो कृषि नीति है, उसे रिवाइज कीजिएगा। कृषि नीति में यह दिया हुआ है, शिफ्टिंग करानी है, कुआं सूख गया, बोरिंग में पानी सूख गया, तो किसान क्या करेगा? दूसरी जगह ही जाएगा, जहां पानी मिल सकता है। दो साल की अनिवार्यता है कि जिस दूसरी जगह बोरिंग कराएगा, वहां दो साल पहले का उसका स्वामित्व होना चाहिए। आज मुझे सपना आ जाएगा कि मेरा पानी फलाने दिन बीत जाएगा। क्या अर्थ है इस बात का?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो साल से उस जगह का स्वामित्व होना चाहिए।

लापरवाही की एक पराकाष्ठा बताकर बंद कर रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, ट्रांसफार्मर कितने टाइम में आएंगे, उन सब पर मैं लम्बी बहस कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब बहस नहीं, अब समाप्त कीजिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरे इलाके में अभी 10 दिन पहले की घटना है रघुनाथपुरा की। रघुनाथपुरा गांव में घरेलू कनेक्शन की डी पी चोरी हो गई। उससे गांव में बिजली जाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चार दिन तक

(श्री नवीन पिलानिया)

तो कोई एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। यह थाना बोलता रहा, उधर जाइये। चार दिन बाद में अख़बार में बड़ी खबर छपी। उसके बावजूद भी नहीं लगा पाये। आप जरा सोचिएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन परवाह ही नहीं है, डर नहीं है। छह दिन बाद जाकर उन जे ईएन, ए ईएन से यह तो पूछो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बड़ी मेहरबानी हुई आपकी। बहुत-बहुत मेरहबानी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री शैतान सिंह। अब तीन इधर से, फिर उधर आऊंगा।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बहस में मुझे बोलने का आपने मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं तो सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि जो विंड और सोलर हब बन रहे हैं, जिसकी चर्चा दिन भर हुई है, ये हमारे उस क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में हो रहे हैं जहां जमीन है। सरकार के पास जमीन पड़ी है। तो मेरा निवेदन है कि वह जमीन ऐसे ही नहीं रही है, उस जमीन को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सिर दिया है। इतिहास गवाह है कि सिर कटाकर जमीन बचाई है। मेरा निवेदन है कि सोलर हब बने पर वहां उस क्षेत्र के लोगों को कम्पनी वालों की तरफ से ज्यादा विद्युत दी जाए, उनको कम रेट पर विद्युत दी जाए, क्योंकि सोलर हब बनते हैं, जमीन उसके लिए काम आती है।

हमारे उस एरिया में आजीविका का माध्यम पशुधन है और उनके लिए चरागाह है जो पहले दर्ज नहीं हो पाये थे और जैसलमेर में विशेषकर त्रुटियां रही हैं। वहां न तो ओरण दर्ज हो पाई, न चरागाह दर्ज हो पाई, जिससे वह राज रकबा बन गया। कई जगह तो ओरण को जिसमें लाखों पेड़ कट गये और वहां सोलर हब के लिए काम हुआ और वह हब भी फेल हो गया, जबकि पेड़ कट गये। तो उस क्षेत्र में जहां ऐसे काम होते हैं, वहां कम से कम उन किसानों को विद्युत के लिए विशेष छूट दी जाए और विद्युत ज्यादा दी जाए।

इसके अलावा, डवलपमेंट में उस एरिया का डवलपमेंट किया जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

इस बात को कहने के लिए मैंने पर्ची दी थी। इतना ही निवेदन है। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बिजली के विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राजस्थान में बिजली की अव्यवस्थित व्यवस्था को सम्भालकर राजस्थान में हर गरीब को सिंगल फेज बिजली 24 घंटे देने और थ्री-फेज बिजली गांवों में तीन घंटे की जगह आठ घंटे की देने की व्यवस्था लागू की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को, आदरणीय विद्युत मंत्रीजी गजेन्द्रजी खींवसर साहब को और माननीय राठौड़ साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छी व्यवस्था लागू की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 में बिजली कम्पनी पर राजस्व घाटा 6,774 करोड़ था जिसको बढ़ाकर पूर्ववर्ती सरकार ने 15,645 करोड़ का कर दिया, जिससे राजस्थान का हर गरीब जो आज बिजली का बिल जमा कराता है तो सबसे पहले 1.83 से लेकर 2 रुपये प्रति यूनिट उस बिजली के घाटे का ब्याज जमा कराता है। यह सज़ा पूर्ववर्ती गांधीवादी सरकार की दी हुई सज़ा है जिसको हर काश्तकार भुगत रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. के काफी लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। तो ये कनेक्शन कब तक मिल जाएंगे, इसकी समय सीमा तय की जाए।

साथ ही, बिजली अधिकारियों को पाबन्द करावें क्योंकि गांवों में रोड की पटरी पर बिजली के ठेकेदार बिजली के पोल खड़े कर देते हैं जिससे आये दिन यातायात बाधित होता है, एक्सिडेंट होते हैं। इसके अलावा, भविष्य में रोड का चौड़ाइकरण किया जाएगा, उस समय बिजली ठेकेदार की सज़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि रोड की पटरी पर लगे पोल को हटाने के लिए ठेकेदार शिफ्ट करने का चार्जेज पी.डब्ल्यू.डी. से लेगा। इसलिए सुझाव है कि बिजली विभाग के ठेकेदारों को पाबन्द करावें।

बिजली लाइनों को लगाते समय पोल के लगने वाली ताण में इन्सूलेटर नहीं लगाने की वजह से आये दिन लाइट का करंट उस ताण से सीधा जमीन में आ जाता है। बरसात के मौसम में जमीन में करंट आ जाने से

(श्री शंकर सिंह)

कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने ही भेड़-बकरियों, गाय-भैंसों की मृत्यु हो जाती है और उनका मृत्यु क्लेम भी बिजली विभाग को भरना पड़ता है। यह उस बिजली विभाग के ठेकेदार की गलती की सज़ा सरकार को मृत्यु क्लेम देकर भुगतनी पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ओलावृष्टि में राजस्थान का किसान तबाह हो चुका है। उसकी आपको और सरकार को मदद करनी चाहिए।

कई गांवों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है एवं काश्तकारों के साथ जानवर, भेड़-बकरियां, गाय-भैंसों और ऊंट। इत्यादि जानवरों को पिलाने के लिए पानी कहां से लाएं....

श्री अध्यक्षः यह आ चुका है पाइंट। यह बिन्दु आ चुका है। बार-बार क्या रिपीट कर रहे हैं आप? बैठिये आप। आपने दो मिनट के लिए मांगा है, आपने दो मिनट के लिए कहा है मुझे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ओलावृष्टि पर नहीं, पीने के पानी पर बोल रहा हूं। बस दो मिनट के लिए।

आज काश्तकार उन जानवरों को पिलाने के लिए पानी कहां से लाए? आज बड़े-बड़े जानवरों को पीने के लिए प्रतिदिन एक परिवार को 4-5 टैंकर की आवश्यकता पड़ती है। तो इतना पानी काश्तकार कहां से लाए? इसलिए उन जानवरों को पानी पिलाने के लिए काश्तकारों को उनके खेत में ट्यूबवेल के सिंगल फेज कनेक्शन देने चाहिए। आपकी बिजली के खर्चे का बिल वह काश्तकार भरेगा, साथ ही उस लाइट से उसके घर में बच्चे भी पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं किया जा रहा है। काश्तकार को परिवार के साथ जानवरों को पानी पिलाना भी भारी पड़ रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्नदाता को बचाना है और बेमौसम बरसात में खेती पर ओलावृष्टि की मार झेल चुके किसान, गरीब को बचाना है, तो उनके ट्यूबवेल का सिंगल फेज कनेक्शन देना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है...

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्योंकि काश्तकार बचेगा तो पशुधन बचेगा और राजस्थान की संस्कृति बचेगी, राजस्थान बचेगा। इसलिए राजस्थान के काश्तकार को हर घर में ट्यूबवेल का सिंगल फेज देना चाहिए। इसको चोरी नहीं माननी चाहिए। राजस्थान में आज सिंगल फेज कनेक्शन देने की योजना को लागू करावें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): साथ ही, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा। दो-दो मिनट के लिए आ रहे हैं तो क्या करें? मुझे मिलने वाले धन्यवाद से आप क्यों वंचित करना चाह रहे हो?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। मैं मेरे इलाके में ओलावृष्टि के कारण से विलम्ब से आया हूं पर आपने मुझे अवसर दिया। दो-तीन बातें निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बस जल्दी से खतम कीजिए। दो मिनट बोलना है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक तो यह घाटे का जो मामला है और एक इसमें कर्जे का मामला है। मैं आपके माध्यम से विभाग को निवेदन करना चाहता हूं कि पर-यूनिट 1.81 रुपये ब्याज में है और अगर इसका मूल हम चुकाना चाहेंगे तो 18 रुपये प्रति यूनिट में बिजली बेचनी पड़ेगी। तो इसकी कल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति स्टेट की बनेगी। एक लाख 26 हजार करोड़ रुपये तो पूरे स्टेट का कर्जा है जिसमें शिक्षा भी आ गई, सड़कें भी आ गईं, सब आ गईं और केवल बिजली का कर्जा इतना है। इसके अलावा, बजट का 39 परसेंट दे रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में से 39 परसेंट बिजली को दे रहे हैं और फिर भी हमारी स्थिति इस प्रकार की है। 300 करोड़ रुपये का घाटा जब हुआ था तब इस सदन में यह कहा गया था कि हम 300 करोड़ रुपये का घाटा सहन नहीं कर सकते, पर अब 90 हजार करोड़ रुपये का है। 5 हजार करोड़ रुपये की जो सिक्योरिटी राशि है उसको भी बिजली कम्पनियां चाट गईं। इसलिए यह घाटा 84 हजार करोड़ का नहीं है, यह 90 हजार करोड़ का घाटा इस समय बिजली बोर्ड में है। यह कर्जा है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब हम कोई भी उधार लेते हैं तो उससे असैट्स बननी चाहिए, कैपिटल फार्मेशन होना चाहिए, हुआ है क्या राजस्थान में? तो फिर हम कैसे चुका पाएंगे?

इसी प्रकार से ठेके की पद्धति हम लाये, सिंगल फेज लाये। सिंगल फेज में ये जो 5 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर लाये, ये एक लाख से ज्यादा तो जल चुके। कौन जिम्मेदार है इसके लिए?

65-65 वर्ष से लोग यहां ठेके पर बैठे हैं, बिजली बोर्डों में बैठे हैं और ठेकेदार के बैठे हैं। तो इस ठेका पद्धति के लिए कौन जिम्मेदार है?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये फरमान कहां से जारी होने लग गये, सरकारी रिकार्ड में जो किसान की आबादी भूमि सेटलमेंट के टाइम पर कटी हुई है। वहां उस पर चिह्न डला हुआ है पर उसमें मनमाने तरीके से कर ली मूल आबादी। इतना ही नहीं, आपके टाइम में, जब पिछली सरकार थी वसुंधराजी की, तब सिटी लाइन डलवाई थी, सिटी लाइन में जनसंख्या का आधार था 5 हजार। उस 5 हजार में उस गांव की ढाणियां भी मौजूद थीं। अब कनेक्शन देते समय कहा कि ढाणियों की सैंक्शन नहीं है। ढाणियों में विद्युतीकरण है ही नहीं तो फिर 5 हजार की आबादी कैसे मान ली गई? यह मनमाने फरमान का आपको उदाहरण दे रहा हूं।

इसी प्रकार, 'एल' फार्म देने वाले व्यक्ति को सरकार मान्यता देती है, तब हमारी मोटर को जस्टिफाई करते हैं और फिर कनेक्शन होता है। वह कह रहा है कि मोटर 5 हार्स पावर की है, बिजली कम्पनियां कहती हैं कि 15 की है और फिर भी हम वह मानकर किसान से वसूली कर रहे हैं। यह कितना बरदाश्त करेगा राजस्थान का किसान और किस प्रकार से करेगा?

इतना ही नहीं, भतीजे के नाम से, बेटे के नाम से, ए.ईएन. के नाम से, मित्र के नाम से कम्पनियां खुल गईं और उनको ठेका दे दिया। जब बिजली ज्यादा महंगी खरीदी गई, रिकार्ड पर लीजिए इस बात को, जब ज्यादा बिजली महंगी खरीदी गई, उस दिन तो प्राइवेट कम्पनियों से खरीदी गई और जब सस्ती खरीदी गई उस दिन कारपोरेशन से खरीदी गई। तो यह क्या खेल चला है? खरीद में क्या खेल चला है, यह बताइये।

अध्यक्षजी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस देश के गरीब और किसान की यह स्थिति है, यह पैसा कहां गया? 61 हजार करोड़ रुपये का पिछले 5 साल का कर्जा कहां गया?

(20.00 बजे)

इतना ही नहीं, किसी सहायक अभियन्ता कार्यालय का आडिट हुआ क्या? चीफ इंजीनियर के यहां से माल चला और सहायक अभियन्ता के यहां गया, वह लगा कहां? मैं आन रिकार्ड बात कह रहा हूं, बिजली कम्पनी के 8,000 ट्रांसफार्मर शार्ट हैं। इस सदन के माध्यम से उनकी जांच करवाई जाये। 8,000 ट्रांसफार्मर रिकार्ड में नहीं हैं। खरीदे गये, पेमेंट किया गया, लेकिन सहायक अभियन्ता कार्यालयों का जब टोटल करते हैं तो 8,000 ट्रांसफार्मर का गैप है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इतना ही नहीं, उसमें यह था कि नये मीटर बदले गये, बड़े शान से मीटर बदले गये, इलेक्ट्रोनिक मीटर। उसमें मैं एक कम्पनी की बात कह रहा हूं अजमेर डिस्काम की। उसमें यह कहा गया कि ढाई महीने में खराब हो जायेगा तो कम्पनी वापस लेगी; पांच साल की गारंटी। 4,40,000 मीटर डिफेक्टिव हैं जो रिकार्ड पर चीज है। यह आडिट रिपोर्ट में है। 4,40,000 मीटर में से वापस उस ठेकेदार कम्पनी, मीटर वाले ने कितने लिये? केवल 39,000 मीटर। वे बाकी वहां पड़े हैं, चार लाख वहीं पड़े हैं। क्यों पड़े हैं वहां? वह पैसा वापस जमा क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि केवल अजमेर डिस्काम में चार लाख मीटर डिफेक्टिव पड़े हैं, उनकी राशि वसूल क्यों नहीं की गई? वापस क्यों नहीं ली? आज ही अख़बार में छपा है, नौ लाख का पेमेंट हो गया 95 प्रतिशत दिखाकर।

मैंने एक प्रश्न लगाया था, उसका उत्तर नहीं आया; आयेगा भी नहीं। मैंने पूछा कि क्या ठेकेदारों को पेमेंट भौतिक सत्यापन के बाद किया गया है? उत्तर नहीं आयेगा उसका। भौतिक सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ? आडिट रिपोर्ट आई है, इसमें पांच ऐसे कार्यालय हैं जिनका आडिट 14 साल से नहीं हुआ, कम्पनी बनने के बाद नहीं हुआ। पिछले तीन साल में चार का हुआ और 151 का नहीं हुआ। क्या स्थिति है यह। बिना आडिट के चलेगा! क्या यह पब्लिक का पैसा नहीं है? क्या कार्यपालिका इस सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है? यह व्यवस्था में कहा है कि कार्यपालिका इसके प्रति जिम्मेदार है। क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है? जानने का अधिकार है और वसूल करने का अधिकार भी है। मैं कह रहा हूं, टोटल जो टाप पेनल्टी है उसको हटाइये, उसके बाद जांच कराइये। क्या स्थिति आती है? 61,000 करोड़ रुपये कहां गये पांच साल में?

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण कीजिये। एक बात कह दीजिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक बात और कहूंगा। हां, एक बात और कहूंगा। यह स्थायी सेवा शुल्क क्या है? पांच साल पहले 20 रुपये था और अब 320 रुपये हो गया, फिर भी पेट नहीं भर रहा। किसान का ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं, ट्रांसफार्मर का भी जिसमें हमने सेवा गारंटी में लिखा कि तीन घंटे में ट्रांसफार्मर का फ्यूज बंधेगा, तीन दिन में भी बंधता है क्या? यह रुपये किस बात के लिये जा रहे है स्थायी सेवा शुल्क के नाम से? जब हमारे किसान को रात को तीन घंटे बिजली मिलती है, अवसर आता है उसका 22 दिन में और छह घंटे में से तीन घंटे उसके चले गये क्योंकि फ्यूज उड़ गया,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

तो वह तो रोता रहेगा। 42 दिन बाद उसके खेत का अवसर आता है। तब तक वह जल जाती है फसल। वह रोकर रह जाता है, हम सबको रोकर रह जाता है। मैं यह कड़वी बात कह रहा हूं। यह दर्द की बात कह रहा हूं।

आज मैं इलाके में गया था, वे मुझे बिल पकड़ा रहे थे। यह सिक्योरिटी राशि, उसकी वेल्यू क्या है? मैंने 20 साल पहले कनेक्शन लिया, 500 रुपये दिये सिक्योरिटी राशि के, उसकी वेल्यू आज कितनी है? उसका नहीं। नहीं, यह तो आपको देनी पड़ेगी; सिक्योरिटी राशि देनी पड़ेगी; मार्च में देनी पड़ेगी। कनेक्शन कटाना ही पड़ेगा। क्या तमाशा है यह? सिक्योरिटी राशि है क्या?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, फिक्स्ड डिपोजिट में कहीं है क्या सिक्योरिटी राशि का? फिक्स्ड डिपोजिट में नहीं है, तो यह अपराध किसका है? यह आर्थिक अपराध है। सिक्योरिटी राशि ली गई थी, वह कभी भी किसान वापस मांग सकता है। वह है कहां राशि?

श्री अध्यक्ष: बस हो गई आपकी एक मिनट। बस, बस, अब आप स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं, इस प्रकार की स्थिति है।

इसमें मेरे दो ही निवेदन हैं, एक तो प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय के सामान का आडिट किया जाये एवं एफ आर पी का सामान कहां गया? ये दो आडिट करवा लें। यह मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री मेवारामजी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत कम समय है आपके लिए। आप बोलिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): महत्वपूर्ण विषय बिजली पर चर्चा हो रही है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने अच्छे विचार रखे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत वादे हुए और सवा साल-डेढ़ साल बीत गया, खाली

(श्री मेवाराम जैन)

पिछली सरकार ने यह किया, वह किया; उसको कोसने के बजाय उसको कैसे ठीक करें, इस पर अगर जोर देंगे तो शायद राजस्थान का भला होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी बात कर रहे हैं, बिजली की दरें बढ़ाने की, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अप्रैल के अन्दर जो बिल आयेंगे किसानों और जनता के पास, तब हालत क्या होगी? तब इनको पता पड़ेगा कि राजस्थान के किसानों की और आम आदमी के क्या हालत है। इतनी दरें बढ़ाना, किसानों का गला घोंटने के सिवाय और कुछ नहीं है।

रही बात, आप कह रहे थे घर-घर कनेक्शन देंगे, बाड़मेर जिले में 40,000 फाइलें, 2012-13 में जिन्होंने आवेदन किये, अभी तक उनमें एक का भी डिमांड नहीं भरा गया। जी एस एस हमारे यहां बाड़मेर में, मेरी विधान सभा क्षेत्र में सैंक्शन थे नोनगुण्डों की ढाणी और बालेवा। वहां टेंडर हुए पड़े हैं, पोल डाले हैं, अभी तक उसका काम हो नहीं पाया। बाड़मेर शहर में अण्डरग्राउण्ड केबल का काम शुरू किया। दो साल हो गये, 23 करोड़ रुपये की सैंक्शन थी, जगह-जगह सड़कें खोद दीं और पता नहीं, उसकी क्या हालत है और कितने साल और लगेंगे, उसका पता नहीं। बिलकुल धीमी गति से इस ढंग से काम चल रहा है। दुर्घटनाएं बाड़मेर शहर में निरन्तर होती रहती हैं।

जनता जल योजना की हालत यह है कि जितनी भी योजनाएं थीं, आपके बिजली विभाग ने उनके सारे कनेक्शन काट दिये। पैसे, पता नहीं, यहां से पंचायती राज में गये नहीं, या कैसे नहीं हुए, उनके तो अच्छे दिन किसानों के आ गये कि पानी पीने के लिए जनता जल योजना थी, उनके कनेक्शन कट गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर के अन्दर दो पावर प्लांट हैं, एक भादरेस के अन्दर जिंदल का है और दूसरा गिरल के अन्दर अपना पावर प्लांट लगा हुआ है। 1,050 का जिंदल का भादरेस में लगा है, बिजली पैदा हो रही है और उसके पास में गिरल का है। यह सुनने में आ रहा है, हड़ताल है और प्रदर्शन चल रहे हैं, कि उस पावर प्लांट को बेचा जा रहा है, किसी प्राइवेट कम्पनी को दिया जा रहा है। वहां के जो भी अधिकारी हैं, वह वहां जो मजदूरी पर लगे हुए हैं, वे धरने-प्रदर्शन पर लगे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, वहां हमारे यहां अथाह कोयला है और पास में 15 किलोमीटर दूरी में प्राइवेट पावर प्लांट चल रहा है, वह तो अच्छी बिजली पैदा कर रहा है और वहां हमारा वाला हमेशा बंद रहता है। कारण है,

(श्री मेवाराम जैन)

जान-बूझकर अधिकारी वहां पर उस प्लांट को बंद करना चाह रहे हैं और वहां करीब-करीब उसको बंद रखते हैं। वह भी 15 किलोमीटर की दूरी में क्यों नहीं चल सकता? उसको बेचा नहीं जाये और अच्छी तरह से उसको चलाया जाये।

रही बी पी एल परिवार की बात, जिसके अन्दर घोषणा तो कर दी है, अभी तक टेण्डर ही नहीं लगे हैं। बाड़मेर में कम से कम 60,000 अभी तक कनेक्शन हैं, उन बी पी एल परिवारों को फ्री कनेक्शन दिये जायें।

ठेकों के अन्दर हालत यह है, अधिकारियों के बारे में, कई सालों से जमे हैं। 50-50 लाख रुपये के वर्कआर्डर अपने स्तर से जैसे मन चाहे उसको दे देते हैं। फिर उसमें फर्जीवाड़ा कितना होगा, यह उसकी जांच करने से पता पड़ेगा।

मैंने तो प्रश्न भी लगाया था, उसका जवाब नहीं आया। ठेकों में तो हाल है, किसानों के साथ क्या होता है, पोल या जितना भी सामान होता है, किसान को स्वयं को ही ट्रैक्टर से ले जाकर लगाना पड़ रहा है। ठेकेदार को उसमें पैसे मिलते हैं। अफसर और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह सारा काम हो रहा है।

अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंद-बूंद योजना की अभी घोषणा की है और उसकी तारीख 31 मार्च रखी है। कल तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी आन-लाइन किया है। किसानों को पता ही नहीं कि हम आवेदन करें, या नहीं करें। इसकी डेट आप बढ़ायें, तभी किसानों को फायदा होगा। खाली वाहवाही लूटने के लिए करने से कोई फायदा नहीं होगा।

जो कृषि कनेक्शन हैं, उनमें लोग बैठे हैं। उनको आप कनेक्शन दो, नहीं तो खेत के अन्दर सब ढाणियों में, पूरे जिले में हमारे यहां तो ढाणियों में बैठे हैं और वे कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं। तो उनको कनेक्शन दिये जायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे तो मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको कैसे ठीक करें, जनता को कैसे राहत मिले। बढ़ी हुई रेट को कम करो, नहीं तो आने वाले दिनों में, जैसे बढ़ी है, और आप बढ़ाते जाओगे। जनता पर भारी मार है, जनता सहन नहीं कर पायेगी। इसलिए इसको कम करें।

अध्यक्षजी, मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुजन समाज पार्टी के पूरणमल सैनी तो दिख नहीं रहे हैं। आप बोलेंगे क्या? पर समय का ध्यान रखिये। श्री न्यांगली।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस बिजली की चर्चा पर बोलने का समय दिया।

सबसे पहले तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि राजस्थान में वर्तमान में उपभोक्ताओं ने आवेदन किये, उन्होंने डिमांड नोटिस भरवा दिये, एक-एक साल का समय बीत गया लेकिन कहीं पर भी पूरे राजस्थान में मीटर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन उपभोक्ताओं के घर में मीटर नहीं लग पाते और मीटर नहीं लगने के कारण उपभोक्ता मजबूरन बिजली की चोरी करता है। उनके वी सी आर भरने से करोड़ों रुपयों की राजस्थान में उन लोगों की वी सी आर भरकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस मीटर की व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से की जाये।

ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, जो किसानों को लाने और ले जाने के वाहन के माध्यम से जो लाया जाता है, उस किसान का और गांव के चौक में जो सार्वजनिक ट्रांसफार्मर है, उनको पूर्णत: ले जाने और लाने का काम गांव का उपभोक्ता और किसान करता है। बिजली बोर्ड के द्वारा एक भी व्यक्ति को ट्रांसफार्मर ले जाकर नहीं दिया जाता है। एक इनकी अधिसूचना है कि 300 रुपये का भुगतान उनको किया जाता है लेकिन मैं मंत्री महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिनको आपने 300 रुपये का भुगतान उनके बिल में एडजस्टमेंट किया हो, या गांव के लाने वाले किसी व्यक्ति को अगर भुगतान किया हो? यह कितना बड़ा गबन है। यह बहुत गम्भीरता से जांच कराने का विषय है।

तीसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिजली कनेक्शन का सामान कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अकेले मीटर की बात नहीं है, सामान की पूर्णत: कमी है।

जिस माध्यम से वी.सी.आर. भरने के लिए जब जाते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी लोग, उस समय किसी के घर में जाकर के कुछ नहीं देखते। अपनी मर्जी से वी.सी.आर. भरते हैं। चाहे उसके घर में ए सी लगा हो या नहीं लगा हो, उसके घर में चक्की हो या नहीं हो, लेकिन वे वी.सी.आर. में लिख देते हैं। उसके बाद कोई आप्शन नहीं रहता है। इसलिए इसके लिए कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, इसकी आप एक अलग से टीम गठित करें। जिन उपभोक्ताओं की यह शिकायत हो कि हमारी वी.सी.आर. गलत भरी गई है, उस वी.सी.आर. की दुबारा जांच की जाए और जांच करने पर अगर यह

(श्री मनोज कुमार)

पाया जाता है कि कोई अधिकारी और कर्मचारी दोषी है, गलत वी.सी.आर. भरी है, तो उस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। हमारे गलत वी.सी.आर. भरने की जो इनकी परम्परा चल रही है, आपके मजबूरन भर रहे हैं दबाव में, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

बिजली बोर्ड के कर्मचारी सभी को यह निर्देश देते हैं कि गोचर भूमि में बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में इस राजस्थान के जितने कनेक्शन हुए हैं उन कनेक्शनों की आप जांच करवा लीजिए। इन्होंने गोचर में कनेक्शन दे रखे हैं और वे कनेक्शन ये दस-दस हजार रुपये लेकर के उसको गोचर भूमि में कनेक्शन दे रहे हैं। आप जांच करायें। अगर ऐसा निर्देश है, ऐसा आपकी तरफ से आदेश है कि गोचर भूमि में कनेक्शन नहीं हो रहे और पिछले एक साल में अगर गोचर भूमि में कनेक्शन हुए हैं, उनकी पुन: जांच कराई जाए और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, कनेक्शन करते समय जो कनेक्शनों के डिमाण्ड नोटिस भरे गये हैं, उसमें इनके क्रम और इनका सीरियल नहीं है। क्योंकि जिसको मर्जी होती है, जो पैसे दे देते हैं, उनको तो सामान उपलब्ध करा दिया जाता है और उनका कनेक्शन कर दिया जाता है लेकिन जो उपभोक्ता पहले डिमाण्ड नोटिस भर चुका है, उसका कहीं बाद में साल-साल भर तक, जो पैसे नहीं देते हैं, उनके कनेक्शन नहीं किये जाते हैं।

सर्दी के मौसम में, विशेषकर के निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चूरू जिले में जब सर्दी का मौसम होता है, बहुत गम्भीर सर्दी पड़ती है और वहां माइनस में तापमान होता है। उस समय रात को किसान को रात को दस से लेकर सुबह पांच बजे तक पानी के लिए बिजली का जो किसानों को समय दिया जाता है, उसको किसी भी सूरत में उनको दिन में किया जाए। रात में करने का सिर्फ एक ही कारण कि हमें बिजली एक रुपया रात को सस्ती मिलती है इसलिए हम किसान को वहां मरने के लिए, एक रुपये के लिए उस किसान को खेत में छोड़ दें। उस समय माइनस में तापमान रहता है और उस उपभोक्ता के लिए जरूर यह सरकार सोचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषकर के मैं कहना चाहता हूं कि चोरी बेलगाम है, बिजली के बढ़ाये दाम। पिछले दिनों जोधपुर जिले में कांकाणी क़स्बे में 1 हजार 62 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजस्थान राज्य

(श्री मनोज कुमार)

विद्युत प्रसारण निगम के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के दौरान मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार की खामियों को फिर दोहराया, कहा कि पिछली बार हमारी सरकार बिजली कम्पनियों का 15 हजार करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर गई थी, गहलोत सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 77 हजार करोड़ रुपया हो गया। लेकिन इस बात का खुलासा करने से कतरा गईं, अगर उनकी सरकार मुस्तैद होती तो पिछले 13 महीनों में यह घाटा घटने की बजाय 92 करोड़ रुपये कैसे हो गया? पिछले पांच साल के कार्यकाल में 12.4 करोड़ का जो वार्षिक घाटा हुआ, यह बढ़कर के इनका 15 हजार करोड़ रुपये वार्षिक आज की स्थिति में बन गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी कार्यशैली और विश्लेषण अगली-पिछली सरकारों की कार्यशैली कोसने की बजाय, लोगों को दुविधा से उबारने की होनी चाहिए लेकिन वसुंधरा सरकार सत्ता रोहण के पन्द्रह महीने पूर्ववर्ती सरकार को कोसने में गंवा चुकी है।

जोधपुर डिस्काम में 10 करोड़ 84 लाख रुपये की बिजली चोरी पकड़ी गयी और 3 करोड़ रुपये का जुर्माना भी किया गया। इसका मतलब है, एक दिन में 1 करोड़ रुपये की चोरी पकड़ी। इस तरीके से चोरी पर, छीजत पर लगाम लगाकर के आम उपभोक्ता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए; चोरी करने वालों को दंड दिया जाए और आम उपभोक्ता जो बिल भर रहे हैं, जो समय पर अपना भुगतान कर रहे हैं, उन लोगों को इस छीजत का नुकसान नहीं दिया जाए।

इसी के साथ, राजस्थान डिस्काम वर्ष में 2013-14 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 2,500 करोड़ रुपये की बिजली चोरी की रीडिंग आई। यह स्थिति तब है जब 14 फीसदी की तकनीकी छीजत को अलग रखा गया है। उल्लेखनीय है कि जयपुर डिस्काम के बढ़ते घाटे के कारण, जिन पर करोड़ों रुपये का बकाया, विभाग की स्थिति है, राजस्थान के सरकारी विभाग विभिन्न...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट और।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): निकायों पर 161 करोड़ रुपये बकाया हैं; पुलिस विभाग पर सबसे ज्यादा 446 करोड़ रुपये बकाया हैं; जनता जल

(श्री मनोज कुमार)

योजना पर 91 करोड़ रुपये बकाया हैं; जन स्वास्थ्य पर 209 करोड़ रुपये बकाया हैं। यह बकाया भी वसूल नहीं कर सकती सरकार, जो इनके स्वयं के डिपार्टमेंट हैं।

ऐसी हालत में छीजत के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़ों से समझें तो 24 फीसदी की बिजली छीजत में जाती है, लेकिन एनर्जी आडिट यह छीजत 28 से 30 प्रतिशत मानती है। इसका मतलब है, बिजली चोरी रोकने के लिए गठित सतर्कता दल जिंदा मक्खी निगलने के लिए मजबूर है। इस 30 फीसदी छीजत को सरकार 13 फीसदी तक भी ले आये तो साल में 4,250 करोड़ रुपये बचाये जा सकते हैं। यह तभी सम्भव है जब सरकार अपनी ताकत के साथ छीजत को रोके और आम उपभोक्ताओं का नुकसान बचाए। धन्यवाद।

(राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार पर सदन पटल पर रखे गये वक्तव्यों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

आधे घंटे की चर्चा

प्रदेश में विद्युत बचत हेतु सी.एफ.एल. का वितरण

(तारांकित प्रश्न सं. 311 दिनांक : 23 मार्च, 2015)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। अब एक स्थिति है कि माननीय मोहन लालजी गुप्ता का आधा घंटे की चर्चा का विषय है। मैं चाहता हूं कि आप आधा घंटे की चर्चा प्रारम्भ कर दें फिर उसके बाद आपका जवाब भी और सारी बहस का जवाब भी माननीय मंत्री महोदय देंगे, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। अगर आपको मंजूर है या फिर इसके बाद जैसी भी स्थिति है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश सर्वोपरि है और मान्य है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे क्वेश्चंशस हैं उनका जवाब दे दें पहले, तो आधा घंटे की चर्चा सार्थक हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, तो सार्थक हो जाएगी। आप तो कर लो क्वेश्चन।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, सारे दिन से हो रही है चर्चा, सबको मौका दिया है। किसी को रोका तो है नहीं मैंने। अब उनकी एक आधा घंटे की चर्चा है, वह तो लेनी पड़ेगी। विराजिए आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मोहन लालजी का चर्चा करने का विषय है, क्या है?

श्री अध्यक्ष: वह तो आप आज की कार्यसूची में देख लीजिए, उसमें आया हुआ है। आप बैठिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली पर चर्चा हुई और उस पूरी चर्चा के दौरान बिजली कम्पनियों के घाटे पर भी बात हुई, बिजली कम्पनियों की परचेजिंग पर भी बात हुई, मैटेरियल पर बात हुई और मेरा यह मानना है कि बिजली कम्पनियों में जिस प्रकार से मैनेजमेंट साउण्ड बिजनेस प्रिंसिपल्स पर नहीं चल रहा है, बिजनेस इथिक्स पर नहीं चल रहा है, उसके कारण से इन बिजली कंपनियों में घाटा हो रहा है। इन कम्पनियों को बनाने का मकसद भी यही था कि साउण्ड बिजनेस प्रिंसिपल्स के आधार पर चले, अच्छी बिजनेस प्रैक्टिसेज हों और परचेजिंग के समय ये इस बात का ध्यान रखें कि कम्पनियों को किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं हो। यही बात आज चर्चा के दौरान भी सामने आई है कि बिजली कम्पनियों में जो परचेजिंग होती है, उसमें टेण्डरिंग जो होती है, उसमें बहुत सारा घपला होता है।

मैं समझता हूं कि आज जो अख़बार में एक न्यूज आई है, आई टी के सम्बन्ध में काम हुआ, नहीं हुआ, आधा काम हुआ और 95 परसेंट पैसा दे दिया और हंड्रेड परसेंट पैसा देने की तैयारी है, आखिर क्या है यह? कंज्यूमिंग इंडेक्स, लोड सर्वे, डाटा अपडेशन, आधा काम ही हुआ और उसके बावजूद भी...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी,...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप विराजिए। नहीं, बिलकुल नहीं। आप विराजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप पिछली बार भी मेरी चर्चा के दौरान काफी डिस्टर्ब कर रहे थे मेरे को। यदि आप अभी चर्चा के दौरान डिस्टर्बेंस करेंगे तो फिर मैं भी करूंगा। क्या मतलब हुआ इस बात का?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सर, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) अध्यक्ष साहब बड़े खुश होंगे हम पर, श्रवण कुमार एक ही नाम था उसको बोलने नहीं दिया। मैं तो वह बात बताने जा रहा था जिससे कम्पनी को फायदा हो जाता।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, अगली बार बोलने देंगे ज्यादा। अब आप बैठिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): श्रवण जी, आपका आशीर्वाद चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 95 परसेंट पेमेंट, हंड्रेड परसेंट पेमेंट की तैयारी; काम हुआ नहीं; रेटें ज्यादा; फिर दूसरी कम्पनी को काम देने की तैयारी, ये इस प्रकार के जो काम हैं, ये बिजली कम्पनियों में हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और बताना चाहता हूं, बिजली कम्पनियों को चलाने के लिए या किसी भी सरकारी खरीद को अपने आपको सिद्ध करने के लिए राजस्थान ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2012 बना हुआ है। उस एक्ट के तहत प्रत्येक परचेजिंग में ट्रांसेपरेंसी होनी चाहिए, काम्पीटिशन को प्रमोट करना चाहिए, एफिशिएंसी और इकोनोमी का प्रमोशन होना चाहिए। उसका रूल 73 है- "Before award of contract procurement entity shall ensure that prices of successful bid are reasonable and consistent." जिस व्यक्ति को हम कांट्रेक्ट अवार्ड कर रहे हैं उसकी प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए; बाजार में चैक करवाना चाहिए; क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए; इकोनोमिक साउंड प्रिंसिपल्स के आधार पर उसको आर्डर देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सी एफ एल की परचेजिंग का मामला आया, इसके जो पूरे तथ्य हैं, आडिट में सी ए जी ने मीमो दिया है, सी ए जी ने मीमो दिया है और उसमें लिखा है कि डी जी एस एंड डी रेट के आधार पर इन्होंने टेंडर इन्वाइट किये। अब बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है कि डी जी एस एंड डी रेट, यानी फाइनल रेट; ऐसा नहीं होता है। डी जी एस एंड डी रेट पर कम्पनियां डिस्काउंट करती हैं और 25 से 30 परसेंट पर डिस्काउंट करती हैं। आपके अन्दर ताकत होनी चाहिए डिस्काउंट करवाने की। डी जी एस एंड डी रेट पर जो भी कम्पनियां आ रही हैं, उनकी क्वालिटी को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर दिया कि वह क्वालिटी सही है, लेकिन आपके अन्दर यह स्वाभिमान होना चाहिए, आपके अन्दर यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम इन कम्पनियों को कम रेट पर लाकर के छोड़ेंगे और अच्छी रेट की सप्लाई लेंगे। सी एफ एल के मामले में ऐसा नहीं हुआ। 15.4.2013 को इन्वाइट किये गये टेण्डर कि आप डी जी एस एंड डी रेट पर कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं? बीस फर्म्स को रिक्वेस्ट की गई, 16 का आफर आया। 20.4.2013 को खोला, 121 रुपये की जो डी जी एस एंड डी रेट थी, उसको 111 पर लोगों ने आफर किया। उसके बाद डिस्कशन हुआ 8.5.2013 को। 11 फर्में आईं और उनमें से पांच फर्मों ने 107 रुपये पर-यूनिट के हिसाब से आठ

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

तारीख को 8.5.2013 को 107 रुपये पर-यूनिट के हिसाब से देने के लिए कहा; वर्बल कहा; जो कम्पनियां आईं उनमें से दो कम्पनियों ने 9 तारीख को 102 रुपये का आफर किया।

हमारे धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं यहां पर, पिछली बार उन्होंने मुझे अंगूठा दिखाया था। मैंने हाथ जोड़ा था, हुकुम, आप सीनियर मोस्ट हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं क्या? 8 तारीख को 107 रुपये की रेट, 9 तारीख को 102 रुपये की रेट दो फर्मों ने दी और आर्डर दिया 13 तारीख को। आर्डर दिया 13 तारीख को 107 रुपये का। आखिर क्या बात है? एक दिन बाद में आपके पास रेट आ गई और आपने 13 तारीख को आर्डर दिया और 107 रुपये में दे दिया। तो क्या हम अपनी ताकत के आधार पर उन सभी कम्पनियों को यह नहीं कह सकते थे 13 तारीख का आर्डर देते समय कि नहीं, हमें 102 रुपये में आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार का निगोशिएशन नहीं किया गया, कांग्रेस राज में नहीं किया गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई। फाइल को दबा दिया गया। साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं रखा गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। शांत रहें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उसके बाद 13.5 के आर्डर के बाद में 27.8.13 को पच्चीस लाख सी एफ एल का आर्डर दिया; 27.8 को, तीन महीने बाद। तीन महीने बाद आर्डर दिया गया, उसको भी 107 रुपये में दिया गया। कमाल है। घोटाला, और वह भी खतरनाक घोटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) यह तो आ ही रही है न, ए सी डी में आ जाएगी। आडिट रिपोर्ट में आ गई, सी ए जी ने कह दिया। कहां तक बचायेंगे? नहीं बच पाओगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सी ए जी की रिपोर्ट, उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है- "Thus in order to ensure procurement at reasonable prices, the prices quoted in other DISCOM even after final tenders issued of, LOIPO were taken into account and orders were placed ultimately at such prices." ये जो अच्छे आफिसर थे, जो बिजली कम्पनियों को फायदा पहुंचाना चाहते थे, अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट में काम नहीं करते थे, उन्होंने जयपुर डिस्काम में जो एल ओ आई इश्यू किये थे, उसको भी कैंसिल कर दिया। जोधपुर डिस्काम में रेट कम आ गई तो एल ओ आई को भी कैंसिल कर दिया और कम्पनी के इंटरेस्ट में काम करते हुए उस अपनी रेट को कम करके और

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

उसके बाद आर्डर दिया है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सी ए जी ने पकड़े हैं, उन अधिकारियों को सम्मान करना चाहिए। ऐसे अधिकारी जिन्होंने इसको इग्नोर किया, उनके प्रति निश्चित रूप से हमें कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जिस प्रकार से कागज छुपाये गये, सदन को गुमराह किया गया, निश्चित रूप से इस पर मैं एक जांच बैठाने की मांग करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से सदन की एक कमेटी बैठायें कि वास्तव में इस सी एफ एल के घोटाले में, जो सी एफ एल बंटनी ही नहीं चाहिए थीं, उसकी जगह लैड एल ई डी बंटनी चाहिए थीं। आज एल ई डी का जो सेविंग परसेंटेज है वह 90 परसेंट है; 90 परसेंट एल ई डी से सेविंग होती है बिजली की, सी एफ एल से तो केवल पचास परसेंट होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लाइफ स्पान यदि एल ई डी, सी एफ एल और इन्केंडेसेंट बल्ब की की जाए तो उसकी इंन्केंडेसेंट बल्ब की 1500 आवर्स हैं, सी एफ एल की दस हजार आवर्स हैं और एल ई डी लाइट की पचास हजार आवर्स हैं। और बहुत सारे कम्पेरिजन इसमें हैं। यदि बिजली की सेविंग करनी थी तो एल ई डी लाइट के लिए करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): किसी भी प्रकार का यह जो बांटने का कार्यक्रम किया, चुनावी धंधे के लिए, वोटों के लालच के लिए, जल्दबाजी में कम्पनियों को चपत लगाई। कम्पनियों को चपत भी लगाई और वोट भी नहीं मिले।

इस घोटाले की मैं जांच की मांग करता हूं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पूरे घोटाले की जांच करें और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी, जो सी ए जी की रिपोर्ट में, उनके मीमो में आया है, उसकी जांच की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, इनका भी जवाब दीजिये और सारी बहस का भी जवाब दीजिये, इसके बाद में।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो बिजली की चर्चा हुई, आपने समय दिया, सबने सदन में चर्चा रखी, उस चर्चा का कोई सार नहीं निकला।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं। विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): विराजना हो तो विराज

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

जाऊंगा। उसमें कहां दिक्कत है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आज हमारे प्रति रुख थोड़ा नरम करो।

श्री अध्यक्ष: नरम ही है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान में, अध्यक्ष जी, किसान...

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप अपनी पार्टी से नाम कभी दिलवाते नहीं हों। जब बहस सारी खतम हो जाती है और उत्तर चालू होता है तब आप अपने आप में हमेशा खड़े हो जाते हों और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मैं आपको आदरपूर्वक बोलने के लिए देता हूं, पर यह व्यवस्था ठीक नहीं है। आप नाम देते और सबसे पहले बोलते और आपकी पार्टी का समय पूरा लेते। मुझे कहां एतराज है? लेकिन हमेशा आप, यह नहीं कि सारी बहस खतम होने के बाद एक मिनट। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुझे आदर करना पड़ता है आपका, लेकिन यह नहीं होगा अब। आप अपना जवाब जारी रखें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमें जब बोलने ही नहीं दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: सवाल बोलने का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। प्रतिपक्ष के नेता, सवाल व्यवस्था का है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है, हम हमारी बात नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको पूरा अवसर दिया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज राजस्थान का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको करना वह ही है जो आप सोच कर आये हों। कुछ तो इस पद की गरिमा रखो। इस पर भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे व्यक्तित्व बैठे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) बिजली की रेटें आपने बढा दीं और बिजली के बारे में जो चर्चा की थी कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनका भाषण करा दो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं प्रतिपक्ष के नेता को अलाउ नहीं कर रहा हूं। इनकी पार्टी के सभी सदस्यों को अलाउ किया। इनकी आदत-सी पड़ गई है कि हमेशा एक मिनट, फिर ये अपना भाषण देते हैं। यह आगे भी नहीं चलेगा और कह दिया, आपको बोलना था, आपके पार्टी के नेताओं के साथ अपना नाम भेजते। नाम भेजा क्या आपने? सचेतक के नाम आते हैं। यह पड़ा है मेरे पास। एक नाम श्रवण कुमारजी का भेजा था, वह वापस विथड्रा कर लिया। इसलिए मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आप जवाब दीजिए। (व्यवधान) आप जवाब दीजिए। प्रतिपक्ष के नेता का अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमेशा की आदत है...(व्यवधान) जब कभी मंत्रीजी जवाब देने खड़े होते हैं, जब कभी किसी भी मांग पर मंत्रीजी ने जवाब देना प्रारम्भ किया, प्रतिपक्ष के नेता की आदत पड़ गई है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इस पद की गरिमा तो रखें। इनकी हमेशा की आदत पड़ गई। (व्यवधान) जब कभी मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़े हों, एक मिनट कहकर ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) पूरा राजस्थान देख रहा है आपको। (व्यवधान) आपके साथी नहीं चाहते कि आप कामयाब हों। आपकी पार्टी की गुटबंदी के कारण...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। एक शब्द भी अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) कुछ तो शर्म करो आप। (व्यवधान) किस प्रकार का आचरण कर रहे हो आप। (व्यवधान) सदन नियमों से चलता है, आपका नहीं है सदन। (व्यवधान) सदन नियमों से चलता है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) नाम आना चाहिये, यह व्यवस्था है। I will not allow. नाम आना चाहिये यह व्यवस्था है, सचेतक की ओर से नाम आना चाहिये। उसी को अलाउ करुंगा। I will not allow. बैठ जाइए। बैठ जाइए। मैं अलाउ नहीं करूंगा, अंकित नहीं हो। जब देखो, जब...(व्यवधान) व्यवस्था तोड़ने की आदत-सी पड़ गई है। ...(व्यवधान)... जितनी इज्जत करते हैं, हाथ करके अपनी इज्जत खो रहे हो। I will not allow. (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किस बात की अनुमति मांग रहे हैं आप? (व्यवधान) आप नियमों में आओ ना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) नियमों से चलेगा सदन। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आसन की अवहेलना मत कीजिए, बैठ जाइए। मैंने कहा, नाम भेजते ना आप। नाम भेजा क्या आपने? जवाब दीजिए इस बात का। आपने अपने नेता का भेजा बोलने के लिए? यहां बोलने की एक व्यवस्था है। अंकित नहीं होगा। बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आगे भी कभी भी बोलना हो तो नाम भेजिए। मैं आपसे नाम मांगता हूं। आज भी आपने नाम दिया है क्या? बिना नाम दिये ही बोलने दूंगा? आपको नाम देने का अधिकार है। No, no, I will not allow. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी इस प्रकार की आदत पड़ गई है। नो, नो,...(व्यवधान) यह कोई बात है? यह सदन आपकी बपौती है? सदन नियमों से चलेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) प्रक्रियाओं से चलेगा। (व्यवधान) कम से कम उस पद का तो सम्मान करो आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री अध्यक्ष: I will not allow. (व्यवधान) बोलना है तो व्यवस्था से आइए। एक व्यवस्था है कि सचेतक नाम देते हैं और सचेतक जो नाम देते हैं, उनको मैं यहां से पुकारता हूं। आपका नाम आपके सचेतक ने नहीं दिया। मैं बोलने नहीं दूंगा, I will not allow. (व्यवधान) No, I will not allow., I will not allow.

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: I will not allow. मैं आपका सम्मान करता हूं, व्यवस्था का सम्मान करता हूं। (व्यवधान) आप इस बात को मना कर सकते हैं क्या कि यहां पर बोलने के लिए...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: आप इस बात को मना कर सकते हैं क्या? माननीय सदस्यगण, हमारे यहां एक व्यवस्था है, उसको देख लीजिए, जो व्यवस्था जाती है, कि सचेतक बोलने के लिए नाम देगा। हमारे इधर से भी जिन सदस्यों के नाम आते हैं, सचेतक के माध्यम से आते हैं। इधर से भी, ये सचेतकजी बैठे हैं, इनके माध्यम से आते हैं। अगर इनको बोलना था...। इनकी हमेशा ही यह आदत पड़ गई है, एक मिनट करके बोलना चालू करते हैं। मैं ऐसा अलाऊ नहीं करूंगा। जो व्यवस्था है, सचेतक के माध्यम से जो नाम आयेगा, आगे भी उन्हीं को बोलने दूंगा और आज आपको नहीं बोलने दूंगा, व्यवस्था के विपरीत। बैठिये आप, नहीं बोलने दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: No, I will not allow. I will not allow.

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये, उन सबको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। नहीं, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। मंत्रीजी, आप चालू रखिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ...(व्यवधान) किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति और ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) हम वाक-आउट करते हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ...(व्यवधान) इसीलिए प्रदेश में आर्थिक वृद्धि दर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) किसानों का बिजली का बिल माफ नहीं कर रहे हों, बिजली की बढ़ाई हुई दरें वापस नहीं ले रहे हों, इसलिए हम वाक-आउट करते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) यह पूरी बात ही नहीं कह पाते। नेता प्रतिपक्ष को बोलना था तो अपना नाम देते। (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष के पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वे वाक-आउट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वे वाक-आउट कर रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं, बैठ जाओ। जाना हो तो जाओ। सिट डाउन। बैठ जाओ। मिस्टर बेनीवाल, बैठ जाओ। (व्यवधान) एक भी शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) मैं भी बढ़ी हुई बिजली की दरों के विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: जाओ, बाहर जाओ। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: जाने दो इनको। निकाल दूंगा इनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों से चलता है, परम्पराओं से चलता है। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता पहली बार सदन में आये हैं। अगर 1952 के बाद का, अब तक का देखो, तो सबसे छोटा विधायक दल है, कांग्रेस के सबसे कम लोग चुनकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तीसरी बार है। जब कभी भी माननीय मंत्री अपनी बात कहना चाहते हैं, हम उन नीतियों की बात सदन के माध्यम से राजस्थान के अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमेशा इस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना-पूर्वक व्यवहार करना इनकी आदत में शुमार हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, असली बात दूसरी है। यह टुकड़ों में बंटा है; कांग्रेस के विधायक दल में टुकड़े-टुकड़े हुए हैं। इनकी आंतरिक लड़ाई और इनकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपस में नहीं बनने के कारण उसका परिलक्षण यहां होता है। आज तक प्रतिपक्ष के नेता ने प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका नहीं निभाई। हमने सकारात्मक सहयोग की उनसे अपील की।

मैं उनके इस बहिर्गमन की निंदा करता हूं और आसन से उम्मीद करता हूं कि आसन भी इसमें कठोर कार्यवाही करेगा, कठोर व्यवस्था देगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऊर्जा विभाग की काफी महत्वपूर्ण चर्चा थी, पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये। जिन्होंने भी अपने सुझाव दिये, मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं विभाग की, आपके सुझावों को अमल करते हुए विभाग की दशा जो पूर्ववर्ती सरकार ने सौंपी है, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इस दशा को सुधार सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार 77 हजार करोड़ का कर्ज हमारे ऊपर छोड़कर गये हैं, लगभग 8-10 हजार करोड़ रुपये ब्याज प्रत्येक वर्ष हमको, विद्युत कम्पनियों को भरना पड़ता है। 2013-14 का घाटा है वह पन्द्रह हजार, साढ़े पन्द्रह हजार करोड़ का है। लगातार, लगता है, बढ़ता हुआ जा रहा है। पूरा हाउस, हम मिलकर, राजनीति को साइड में रखकर अगर हमने काम नहीं किया तो आने वाले समय में, भले ही सरकार आएगी, या जाएगी, यह आने वाले समय में किसी भी सरकार के लिए लाइबिलिटी हो जायेगा अगर इसमें हमने ध्यान नहीं रखा तो।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास में विद्युत का उत्पादन, आपूर्ति और गुणवत्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर में विद्युत उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में कुल 11 परसेंट कृषक इसके उपभोक्ता हैं तथा इसका लगभग 42 परसेंट उपभोग कृषक करते हैं।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि पंजाब में बिजली फ्री दे रहे हैं, हरियाणा में भी सस्ती बिजली दे रहे हैं। कई और सम्माननीय सदस्यों ने भी कहा था, राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब और हरियाणा में सरफेस इर्रिगेशन बहुत ज्यादा है। लगभग पूरा प्रदेश,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हम देखें, तो उनका कैनाल से इर्रिगेटेड है। राजस्थान में मात्र 5 परसेंट, 7 परसेंट जो भूमि जोत है, वह 5 परसेंट से ज्यादा, मुझे लगता है, सरफेस इर्रिगेशन से नहीं होता है। पंजाब में, इन्होंने बताया, 10 लाख किसान के विद्युत के टयूबवेल हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनके जो कनेक्शन हैं वे 5 हार्स पावर के कनेक्शन हैं, यहां साढ़े सात हार्स पावर के कनेक्शन हैं। हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जयपुर सम्भाग का क्षेत्र है, यहां किसान मोटर लगाता है वह 35-40 हार्स पावर की मोटर लगाता है तब जाकर 600-700 फीट नीचे से पानी खींचकर वह सिंचित करता है। अगर उनकी हम तुलना करें तो उनके आज भी किसान डिपेंड है सरफेस इर्रिगेशन पर। उनको बहुत कम जरूरत होती है पानी की, टयूबवेल से इसको लगाया जाए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार, हमारी सरकार थी, यह डिपार्टमेंट हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के पास था। इस कार्यकाल में भी यह डिपार्टमेंट हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अपने हाथ में रखा। यह काफी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसमें चैलेंजेज काफी हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, जब हम 2008 में छोड़कर गये तो राजस्थान के ऊपर 15,643 करोड़ का घाटा था। इन्होंने अपने पांच साल पूरे किये और पांच साल पूरे करते-करते ये 77,453 करोड़ का घाटा विद्युत निगम पर छोड़कर चले गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रति वर्ष राजस्व घाटा है, हमारे कार्यकाल में 2008-09 में 6,774 करोड़ था और इनके कार्यकाल 2013-14 में यह घाटा बढ़ते हुए प्रत्येक वर्ष 15,645 करोड़ हो गया।

इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में 42 परसेंट कृषि उपभोग में बिजली दे रहे हैं और 22 परसेंट बी पी एल और छोटे लघु कनेक्शन हैं, 50 यूनिट से कम जलाते हैं, लगभग 64 परसेंट बिजली हम किसान और उनके देते हैं, जो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके कार्यकाल में लास्ट फिगर था, 5,200 करोड़ रुपये सरकार ने क्रोस-सब्सिडी दी और हमारे एक साल में, हमारी सरकार क्रोस-सब्सिडी में कोई कमी नहीं लाई है, 6,200 करोड़ रुपये इस सरकार ने अनुदान के रूप में हमको दिया है।

यह ऋण है, हमारे पूरे पाँच साल के कार्यकाल में जो हमने शार्ट टर्म लोन लिया, वह मात्र 9,541 करोड़ था। इनके पांच साल में इन्होंने जो शार्ट

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

टर्म लोन लिया, वह लगभग 45 हजार करोड़ का लिया। यही कारण रहा कि इन्होंने शार्ट टर्म लोन लेकर ब्याज की दर थी, वह 13 परसेंट से लेकर 18 परसेंट ब्याज दर पर इन्होंने ऋण लिया है।

इन्होंने अपने कार्यकाल में, जो बिजली खरीदनी चाहिए थी, वह बहुत महंगी दरों में खरीदी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली हमने भी खरीदी है, इस पूरे रबी सीजन में हमने बिजली खरीदी है; फरवरी से हमने बिजली खरीदना बंद कर दिया, उससे पहले हमने भी बिजली खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज में तीन रुपये में बिजली मिल रही थी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमने कंटिजेंसी परचेजिंग नहीं की है। हमको मालूम चला कि इस महीने में इसकी इतनी जरूरत होगी तो हमने एक महीने या डेढ़ महीने पहले उसके टेण्डर प्रोसेज को फ्लोट किया, और हमने सवा तीन रुपये में और साढ़े तीन रुपये में बिजली खरीदी है। इनके कार्यकाल में इन्होंने इस सीजन में बिजली खरीदी होगी 10-11 रुपये, 12 रुपये में। यही कारण रहा कि यह घाटा बढ़ते-बढ़ते आज 77 हजार करोड़ हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब इनके पास पैसे भरने के नहीं थे, तो इन्होंने और लोन लिया। ब्याज भरने के लिए, हमेशा इन्होंने लोन लेकर ब्याज को भरा है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, इन्होंने कहा कि आपने 2012, इन्होंने एक एम ओ यू साइन किया; केन्द्र सरकार ने फाइनेंशल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम लागू किया, उसके तहत उन्होंने एक एम ओ यू साइन किया, बैंकों के साथ। तब उन्होंने यह कहा कि हम हर साल राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग में जाकर याचिका दर्ज करेंगे, जिससे हर साल हम विद्युत की दरें बढ़ाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम 40 हजार से ज्यादा कृषि कनेक्शन नहीं देंगे। इन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दो-तीन साल में हम छीजत है उसको 15 परसेंट घटा देंगे। इन्होंने जो पेश किया, वह यह पेश किया कि घाटा करते-करते 2016-17 तक हम इस काम को प्रोफिट में लेकर आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, उस एम ओ यू के तहत इनकी सरकार ने 35 हजार करोड़ का दो साल में लोन लिया; पहले साल में 18 हजार करोड़ का लोन लिया और दूसरी साल में 17 हजार करोड़ का लोन

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

लिया। पूरा पैसा उन्होंने बिजली खरीदने में और लोन के रिपेमेंट में पूरा किया। यही कारण है कि राजस्थान की यह वितीय स्थिति आज हम देख रहे हैं।

हमारे कार्यकाल में राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, जब हम यहां आये, हमने भी लोन लिया है। जैसे इन्होंने बात की, फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। आज पूरे राजस्थान में सिंगल फेज लाइट और थ्री-फेज लाइट का जो काम हुआ है, यह हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हाथ में लिया है। अगर यह सिस्टम हम डवलप नहीं करते तो आज मैं आपको यह विश्वास से कह सकता हूं कि गांव में जो आज 20 से 22 घंटे लाइट मिल रही है, गांव में, वह गांव में 20-22 घंटा लाइट नहीं मिलती। 10 घंटे से ज्यादा लाइट आम आदमी को गांव में नहीं मिलती। यह हमारी पूर्ववर्ती सरकार के कारण और हमने जो एफ.आर.पी. का काम जहां पर छोड़ा, उसके बाद उन्होंने एफ.आर.पी. के काम को आगे कहीं बढ़ाया भी नहीं।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह देखें कि हमने जो लोन लिया हमारे पांच साल के कार्यकाल में, शार्ट टर्म लोन लिया वह 117 प्रतिशत था और इनके कार्यकाल में इन्होंने जो लोन लिया है वह 400 परसेंट से भी ज्यादा है।

हमारे टाइम में जो ब्याज लग रहा था प्रति यूनिट, वह मात्र 29 परसेंट था और इनके कार्यकाल में यही ब्याज, मतलब 230 परसेंट; जो ब्याज, आज जो हम 1 रुपये 81 पैसे की बात कर रहे हैं।

बिजली का, जो आज हम बिजली ले रहे हैं। बिजली जो हमको उत्पादन, जो हमारे राजस्थान उत्पादन विभाग द्वारा, निगम द्वारा हमको बिजली दी जा रही है, वह पूरी 4 रुपये 20 पैसे में हमको बिजली मिल रही है।

हमारे ऊपर जो ब्याज है, ब्याज दर है, या हमारे ऊपर जो छीजत, मतलब, लगातार जो छीजत बढ़ रही है, हमने हमारे कार्यकाल में एफ.आर.पी. के तहत राजस्थान में 42 परसेंट जो आपकी छीजत थी उसको घटाते हुए 2008 में उसको 26 परसेंट पर लाकर दिया। आपके पांच साल के कार्यकाल में आपने उस 26 को 26 ही रखा। आपने खाली कागजों में यह बताया है कि इस 26 को हम 24 कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो एम.ओ.यू. साइन किया, जो उन्होंने गारंटी की थी कि इस विद्युत विभाग को हम 15 परसेंट तक छीजत में ला देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हम 1 प्रतिशत भी अगर छीजत कम करते हैं तो राजस्थान के डिस्काम्स को 250 करोड़ रुपये का फायदा होता है और अगर हम कोशिश करें 10 परसेंट छीजत कम करने के लिए, तो 2,500 करोड़ रुपये का राजस्थान सरकार को, विद्युत कम्पनियों को डाइरेक्ट उसका फायदा होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर, मतलब यह जो आज इस विद्युत विभाग, वितरण कम्पनियों की जो हालत है, हम सबको मिलकर, मतलब, यह कोई पक्ष-विपक्ष या इसमें कोई राजनीति नहीं है; अगर हमने इसको टाइम से, अगर हम नहीं सम्भले, अगर टाइम से हमने इस काम को नहीं सम्भाला, तो आने वाले समय में, आने वाले जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनके साथ हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली के क्षेत्र में हम देखें तो राजस्थान में 15,786 मेगावाट बिजली आज हमारे पास इंस्टाल्ड कैपेसिटी में है। इसके तहत जो राजस्थान राज्य उत्पादन निगम है उनके द्वारा 5,397 मेगावाट यूनिट है; कुछ हमारी केन्द्रीय परियोजनाओं के तहत हमारी बिजली हमको मिलती है; कुछ निजी परियोजनाओं के तहत हमको बिजली मिलती है। विंड, सोलर और बायोमास के तहत हमको 3,790 मेगावाट बिजली मिलती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिसम्बर 2013 के बाद में, हमारे आने के बाद में हमने 2,724 मेगावाट बिजली उत्पादन की है जिसमें 1,150 मेगावाट तो हमने राजस्थान राज्य उत्पादन निगम द्वारा छबड़ा की थर्ड और फोर्थ यूनिट जो 500 मेगावाट की, कालीसिंध की 600 मेगावाट और रामगढ़ गैस 50 मेगावाट। इनके पूरे पांच साल के कार्यकाल में मात्र 1,180 मेगावाट राजस्थान राज्य उत्पादन निगम द्वारा बिजली उत्पादन शुरू किया गया।

दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कार्यकाल में हमने जो प्रोजेक्ट, छबड़ा एक ऐसी जगह थी जो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उसकी यह परियोजना लाईं। यह उनके कार्यकाल में लाया गया और काम उनके कार्यकाल में ही, वे लेकर आयीं। कालीसिंध की जो परियोजना है, वह भी हमारी मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल में, हम 2003 से 2008 में हम लेकर आये। आज जो धौलपुर गैस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो वह भी हमारे कार्यकाल में आया।

अगर हम प्राइवेट पार्टीज की बात करें तो राजवैस्ट में जो 135 X 8

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

की जो यूनिट्स, इकाइयां चल रही हैं, ये भी अगर किसी ने लायीं तो हमारी मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल में वे लेकर आयीं। अगर अडाणी जो कवाई में आया है, अब अडाणी कवाई में आया है, यह सब एम.ओ.यू. 2003 से 2008 के टेन्योर में, हमारे मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल में ये सब एम.ओ.यू., 1,200 मेगावाट जो अडाणी कवाई में, हमारे एम.ओ.यू. के तहत जो बिजली उससे खरीद रहे हैं, वह भी उनके कार्यकाल में आया।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आरोप कई लोगों ने लगाया है कि हमारे यंत्रों को हम बंद कर लेते हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजवैस्ट से हम बिजली मात्र 3 रुपये 20 पैसे में खरीदते हैं। अडाणी से हमारा जो एम.ओ.यू. उस टाइम हुआ था, वह 3 रुपये 25 पैसे में हम आज भी बिजली खरीद रहे हैं। आज हमारा जो उत्पादन, जो आज हम शुरू करने वाले हैं उसका कास्ट, मतलब, लगभग पौने चार रुपये कास्ट, प्रति यूनिट कास्ट है। तो आज भी, मतलब, ये जो फर्म्स हैं, कई बार रेग्यूलेटरी कमीशन में गये हैं ताकि उनकी रेट बढ़ जाए, पर हमने उनको दस साल तक, इतने सालों तक हमने इनको बांध कर रखा है जिससे फर्म उसी रेट पर हमको बिजली देंगी।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में लगभग 3,400 मेगावाट बिजली हम और उत्पादन करने जा रहे हैं। हमारे यह कालीसिंध जो दो है, यह 600 मेगावाट कुछ ही दिनों में, या कुछ ही महीनों में, मैं आपको कह सकता हूं, हम यह शुरू करने जा रहे हैं। रामगढ़ गैस स्टेज-4, यह 160 मेगावाट, यह भी आने वाले कुछ समय में ही आने वाला है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो 660X2, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी पहली जो आपकी थर्मल इकाई है, यह हम 2016-17 तक लेकर आएंगे और छबड़ा सुपर क्रिटिकल भी हम पहली जो इकाई है इसको 2016-17 तक हम लेकर आएंगे। बिलकुल हम टाइम पर इनका काम कर रहे हैं, टाइम पर ही, और उसके साथ सेकंड हमारी जो इकाई है, यह 2018 तक लाने की हमको पूरी उम्मीद है।

इसके अलावा, यहां पर आज, जब हमारी सरकार आई, जब हमारा जो कोल ब्लाक आबंटन था, आपको खुद को मालूम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा कोल ब्लाक आबंटन रद्द हो गया, जिसके तहत आज हमारे छबड़ा और सूरतगढ़ में जो हमारे सुपर क्रिटिकल प्लांट्स थे, वे उस कोल ब्लाक के तहत, मतलब, उनकी क्लीयरेंस उनको मिली थी। इसके तहत जो हमारी छबड़ा में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

तीसरी और चौथी यूनिट हमने शुरू की थी, वह भी इस कोल ब्लाक पर निर्भर था। यह आबंटन हमारा रद्द होने से हमको बड़ा सेंटबैक लगा, पर इस मौके पर मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी पूरी मेहनत और प्रयास से आज यह कोल ब्लाक आबंटन हमको वापस मिल गये। यह पारसा ईस्ट और जो कांता बेसिन, ये कोल ब्लाक आबंटन हमको वापस मिलें और इसके साथ-साथ इस राज्य को एक और खुशखबरी है कि पारसा में एक और कोल ब्लाक आबंटन हुआ है, जिससे आने वाले समय में हमको कोयले की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी; हमारे इस राजस्थान उत्पादन निगम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही और कई माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही कि राजस्थान आने वाले समय में एक सोलर हब बनने जा रहा है। यह बात बिलकुल सही है कि राजस्थान में जमीन की जो अवेलेबिलिटी है, यह दूसरे प्रदेशों में आपको इतनी जमीन, पश्चिमी राजस्थान में जो हमारे पास जमीन है, जो सरकारी जमीन है, ऐसी जमीन हमको दूसरी जगह, मतलब, दूसरे प्रदेशों में हमको जमीन मिलती नहीं है और राजस्थान में जो रेडिएशंस हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश में इससे अच्छे रेडिएशंस, जहां हम सोलर से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं, ऐसे रेडिएशंस और दूसरे प्रदेशों में नहीं हैं। इसके तहत हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 8 नवम्बर, 2014 को एक सोलर पालिसी डिक्लेयर की जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कोई सोलर प्लांट लगाना चाहता है तो उसको जमीन की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अगर उसको सोलर प्लांट लगाने में सरकारी जमीन की आवश्यकता है तो सरकार उसको डी.एल.सी. रेट पर जमीन उपलब्ध करवाएगी। 20 मेगावाट से ऊपर अगर कोई भी सोलर प्लांट का जो इंवेस्टर है, तो सरकार एक फैसिलिटेटर लगाएगी। फैसिलिटेटर का मेरा निवेदन यह है कि सरकार एक अधिकारी, एक्स.ईएन. रैंक का आदमी या एस.ई. रैंक का आदमी लगाएंगे, जिससे उसको कोई भी क्लीयरेंस की आवश्यकता है तो सरकार का वह आदमी दौड़ कर, उस क्लीयरेंस को करवाकर, उस सोलर प्लांट को जल्दी से जल्दी लगाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। सोलर प्लांट कोई चाहे निजी खातेदारी में लगाना चाहे तो भी, मतलब, अपने सोलर प्लांट, सरकार उसके लिए भी परमिशन देगी। यही कारण है कि

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

राजस्थान में आने वाले कुछ समय में, पिछले समय में, हम देख रहे हैं कि कई ऐसे बड़े इंवेस्टर आकर राजस्थान में एम.ओ.यू. साइन करके जा रहे हैं।

मैं यह बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हमारे प्रधान मंत्रीजी ने एक लाख मेगावाट सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी पैदा करने का जो प्रावधान रखा 2022 तक, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने 25 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करने का, उन्होंने, मतलब, इस हाउस में जो प्रावधान रखा है, उसके तहत मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में इतना इंवेस्टमेंट आयेगा राजस्थान में, जिससे आम लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इंवेस्टमेंट भी आयेगा।

बिजली का जो आज हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में, हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आने वाले समय में कोयला खतम होने जा रहा है, कोयला खतम होगा तो उसकी तैयारी अभी से हमने शुरू कर दी है। यह जो सोलर एनर्जी, जिस दिन कोयले का संकट आये, या

(21.00 बजे)

किसी प्रकार का कोई संकट आये, तो हमारे राजस्थान के पास सोलर एनर्जी है, जिसके तहत राजस्थान में आम व्यक्ति को बिजली हम उपलब्ध करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमने पिछले पांच-छह महीने में राजस्थान में लगभग 26 हजार मेगावाट के सोलर पार्क के एम.ओ.यू. साइन किये हैं। इन सोलर पार्क में जो भी जमीन सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, सरकार उसकी 50-50 परसेंट पार्टनर है। लैण्ड सरकार की इक्विटी रहेगी। इसके साथ 14 हजार मेगावाट, अडाणी तो 10 हजार मेगावाट का जो सोलर पार्क डवलप करेगा, उसमें वे खुद 5 हजार मेगावाट इंस्टाल करेंगे। रिलायंस पावर ने जो 6 हजार मेगावाट का एम ओ यू सोलर पार्क के लिये साइन किया है, उसमें रिलायंस खुद 3 हजार मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टाल करेगा। सन एडिसन ने 5 हजार मेगावाट का एम.ओ.यू. किया है, जिसमें वह खुद इंस्टाल करने वाला है और एज्यूल ने एक हजार मेगावाट का जो एम.ओ.यू. किया है, वह खुद अपने संसाधन लगाकर बिजली का उत्पादन करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गई बार बजट की जब रिप्लाई थी, तब हमारे लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चिन्ता व्यक्त की थी कि इतना सोलर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतने लोग सोलर में इन्वेस्टमेंट कर

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

रहे हैं, इस बिजली को आप कैसे लेकर जाओगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में हमने लगभग 6 हजार मेगावाट के ग्रीन एनर्जी कोरिडोर की स्थापना की है और राजस्थान प्रसारण निगम द्वारा 400 के.वी. जी.एस.एस. के चार सब-स्टेशन हमने सैंक्शन किये हैं, जो काम हमने शुरू किया है, रामगढ़, बधला, जैसलमेर और बांसवाड़ा। इसके तहत 220 के.वी. जी.एस.एस. लगभग 10 नये हमने स्वीकृत किये हैं-अन्डू, छतरेल, बज्जू, कोलायत, पोकरण, बाप, आहू, कानासर और बड़ी सीत, और 132 के, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 20 हमने सब-स्टेशन सैंक्शन किये हैं, जिससे आने वाले समय में जो भी सोलर लगेगा, उस सोलर को हम इवेक्यूएट कर सकते हैं। इस बिजली को हम प्रदेश के दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं और दूसरे प्रदेशों में भी हम इस बिजली को लेकर जा सकते हैं।

इसके अलावा, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया से बात करके 765 मेगावाट के 3 सब-स्टेशन और स्वीकृत कराये हैं, जो सूरतगढ़ में आने वाला है 765 मेगावाट का, अजमेर में 765 का सब-स्टेशन आने वाला है और चित्तौड़गढ़ में एक सब-स्टेशन और आने वाला है। पी जी सी एल ने इस सोलर इवेक्यूएशन को देखते हुए 400 के.वी. जी.एस.एस. आकल, भादला और तिवरी, इन तीनों जगह 400 के.वी. जी एस एस उन्होंने स्वीकृत किये हैं, जिनका बहुत जल्दी हम काम शुरू करने जा रहे हैं। पी जी सी एल कम्पनी, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की कम्पनी है, जो ट्रांसमिशन नेटवर्क को आगे बढ़ावा देती है, भविष्य में हमने इस 400 केवी जी.एस.एस. को 765 मेगावाट में क्रमोन्नत करने के लिए आगे प्रपोजल भेजे हैं, ताकि सोलर में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसको हम कैसे ट्रांसमिट कर सकें, कैसे इवेक्यूएशन कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमने सोलर पालिसी लागू की है, इसके तहत इतने इन्वेस्टमेंट आये हैं। पूर्ववर्ती सरकार में, पांच साल इनका कार्यकाल था, कोई भी इन्वेस्टर राजस्थान में नहीं आया। जो भी यहां इन्वेस्टर आया है, वह नेशनल सोलर मिशन के तहत आया है। जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी है, उनके द्वारा पिछले पांच साल में एक भी पी पी ओ साइन नहीं हुए हैं। मुझे आज भी याद है कि 75 मेगावाट के पी पी ओ साइन हुए, जो आज भी ग्राउंड पर मात्र 25 मेगावाट के पी पी ओ ही, मतलब, इंस्टाल हो पाये। आज दिन तक बाकी वह इंस्टाल नहीं हो पाया। इनके कार्यकाल में कोई इन्वेस्टर नहीं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आये, क्योंकि इनके पास में कोई सोलर पालिसी नहीं थी, जिससे आम इन्वेस्टर को वह अट्रेक्ट कर सके, या इन्वेस्टर-फ्रैण्डी नहीं थी।

इसलिए मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक विंड मिल पालिसी लागू की थी, हमारी सरकार ने जाते-जाते विंड मिल पालिसी लागू की थी। इन्होंने अपने पूरे पांच साल उस विंड मिल पालिसी, जो हमने बनाई थी, उसको इन्होंने लागू किया और राजस्थान में उस पालिसी के तहत कई इन्वेस्टर्स आयें और इन्वेस्टर्स ने आकर लगभग ढाई हजार से तीन हजार मेगावाट बिजली विंड पावर में इंस्टाल किया। जाते-जाते इन्होंने वापस उस अमेंडमेंट पालिसी को चेंज कर दिया ताकि आने वाले समय में राजस्थान में कोई विंड मिल में कोई इन्वेस्टर आ नहीं सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मौके पर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने 4 मार्च, 2014 को इस विंड मिल पालिसी में वापस एक अमेंडमेंट किया, जिसके तहत आने वाले चार साल में, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि 2,500 मेगावाट और बिजली इस विंड मिल के द्वारा हम लेकर आयेंगे। इस पालिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति खुद की खपत के लिए भी या अगर किसी तीसरे आदमी को भी बिजली देना चाहता है तो वह विंड मिल इंस्टाल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि राजस्थान में या राजस्थान से बाहर हो, खुद की खपत के लिए या कहीं दूसरे आदमी को देना चाहे, तो भी वह अपने राजस्थान में इंस्टाल कर सकता है।

इस सबके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सोलर पालिसी और विंड पालिसी में सबसे बड़ा काम है इसका ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन में हर प्रदेश ने अपने ट्रांसमिशन चार्जेज घटाये हैं। हमने भी, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 50 परसेंट बिलिंग चार्जेज जो थे, उनको घटा दिये, जिससे आज आम इन्वेस्टर के लिए काफी इन्वेस्ट करने के लिए और उस बिजली को बाहर ले जाना भी आसान हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के नवीनीकरणीय मंत्रालय द्वारा 17 फरवरी, 2015 को गैर-परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान को पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 13वें वित्त आयोग द्वारा पूरे देश में आबंटित 5 हजार करोड़ की प्रोत्साहन राशि में 815 करोड़ रुपये राजस्थान को सोलर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार ने हमको आबंटित किये हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इसके साथ-साथ मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि आज लम्बे समय से, इन्होंने तो अपने पूरे पांच साल निकाल दिये, ये कोई रेग्यूलेशन लाये नहीं; हमारी सरकार ने आने के बाद में 26.2.2015 को रूफ-टाप पावर जनरेशन योजना लागू की है। इसके तहत, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने सोलर पैनल्स लगाकर वह खुद की बिजली पैदा कर सकता है। उसका जो सैंक्शंड लोड है, उसके 80 प्रतिशत तक वह ऊपर अपना इंस्टाल कर सकता है। प्रत्येक किलोवाट का खर्चा लगभग 60 से 70 हजार रुपये का है और प्रत्येक किलोवाट में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन इससे पैदा होगी। मैं समझता हूं कि आज हमारे जो दूसरे प्रान्त हैं, जहां जमीन बहुत कम है, छोटे प्रदेश हैं, केरल की बात करें तो केरल में आज की तारीख में 13 प्रतिशत बिजली रूफ-टाप से जनरेट होती है, जो आम उपभोक्ता उसके खुद के पैनल्स लगाकर, अपने रूफ-टाप पर पैनल्स लगाकर खुद के उपभोग के लिए 13 प्रतिशत बिजली...। इसी की तर्ज पर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह नई पालिसी लागू की है, जिससे राजस्थान के आम आदमी खुद अपनी बिजली पैदा कर सकें, खुद के उपभोग में, काम में ले सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रसारण निगम, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में यह पहली बार है कि दिसम्बर, 2013 के बाद में, हमारी सरकार के आने के बाद में 765 किलोवाट के दो सब-स्टेशन हमने डवलप किये हैं, एक तो फागी और दूसरा अन्ता में है। यह अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि छबड़ा का, काली सिंध का और कोटा का पावर इवेक्यूएशन नहीं हो पा रहा है। यह 765 केवी सब-स्टेशन इसलिए लाये गये, अन्ता से फागी इसलिए लाये गये हैं ताकि छबड़ा की जो चार यूनिट हमने शुरू की हैं, कालीसिंध की हमारी एक यूनिट चालू हुई है, दूसरी यूनिट चालू होने वाली है और कोटा का जो हमारा थर्मल प्लांट है, उससे जो बिजली पैदा होनी है, उसके तहत हमने दिसम्बर, 2013 से लेकर अभी तक दो 765, और यह मैं समझता हूं कि बहुत ही कम राज्यों में इतने बड़े सब-स्टेशंस होंगे जो हमने, राजस्थान ने इनको डवलप किये हैं वह काम शुरू है।

इसके तहत राजस्थान में 400 के.वी. के 9 सब-स्टेशंस हैं और वित्तीय वर्ष 2015-16 में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दो और स्वीकृत किये हैं; 220 के.वी. के 95 हैं, 6 हमारे दिसम्बर से लेकर अभी तक हमने इनको इंस्टाल कर दिया

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

है और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट 2015-16 में 6 और हमको घोषणा की है; 132 हमारे पास 366 हैं, उसमें 11 को अभी हमने इंस्टाल किया है और 16 हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अभी हमको बजट की घोषणा में दिये हैं। इसके अलावा, हमारे इस कार्यकाल में दिसम्बर से लेकर अभी तक हमने 33 के.वी. जी.एस.एस. जो डिस्काम के द्वारा बनाये जाते हैं, 376 नये 33 के.वी. के हमारे कार्यकाल में हमने शुरू किये हैं। राजस्थान में कुल 4,820 ऐसे सब-स्टेशंस हैं और हमारे इस वित्तीय वर्ष में 200 और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हमको अलाट किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा चली विद्युत घाटे की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने, यह एक प्रश्न आया था कुछ दिन पहले कि ये गांव विद्युतीकृत नहीं हैं और विद्युतीकृत नहीं है, उस गांव को वहां पर 33 के.वी. सैंक्शन कर लिया, धौलपुर में। इस तरह से इन्होंने आनन-फानन में जैसे रेवड़ियां बांटी हैं, 33 के.वी. जी.एस.एस. की जैसे रेवड़ियां बांटीं। इसमें एक यह कंडिशन है कि जब तक आपके वी.आर. लासेज 12 परसेंट नहीं होते हैं तब तक वहां 33 के.वी. बनता नहीं है। वहां कोई गांव, अभी तक जो इलेक्ट्रिफाइड भी नहीं है, उससे पहले ही 33 के.वी. अलाट कर दिया। इस तरह से इन्होंने 33 के.वी. अलाट किये और पूरा जो भार है वह पूरा भार इन डिस्काम्स के ऊपर है; पूरी इनकी जो लागत है वह पूरी डिस्काम्स के ऊपर लागत है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, इन्होंने जिस तरह से 33 के.वी. बांटे हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन से इन्होंने ये जो बांटे हैं, इसके कारण भी यह बहुत बड़ा नुकसान हमको झेलना पड़ा। मैं आपको विश्वास देता हूं कि जो भी स्वीकृत हैं, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां 33 के.वी. की आवश्यकता है, मैं उनको विश्वास देना चाहूंगा कि जो भी हमारे बी जी रेशो में बैठ रहा है, या वी.आर. लासेज के अन्तर्गत बैठता है, निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता देते हुए हम उन जी.एस.एस. को स्वीकृत करेंगे। यह मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो ग्रामीण घरेलू कनेक्शंस हैं, राजस्थान में लगभग 93 लाख आवास हैं और आज तक लगभग 61 लाख आवास ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकृत हैं। शेष रहे 32 लाख। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पहले बजट भाषण में 25 लाख आवासों को विद्युतीकृत करने के लिए घोषणा की थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ग्राम ज्योति योजना के तहत अभी फिलहाल हमारी 28 योजनाएं स्वीकृत हैं जिनके तहत हमको 1,454 करोड़ रुपये मिले हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अभी तक टेण्डर नहीं हुए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जैसे जोधपुर डिस्काम है, जोधपुर डिस्काम के बाड़मेर को छोड़ कर और हनुमानगढ़ को छोड़ कर दूसरे जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग उन सब में हमारे टेण्डर्स हो गये हैं, वर्क आर्डर्स भी जारी हो गये हैं, खाली सर्वे चल रहा है, वह सर्वे खतम होते ही इस काम को हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे।

इसके तहत जयपुर डिस्काम की हम बात करें तो हमने लगभग छह-सात सैंक्शन कर दिये हैं।

कई लोगों ने, जो काट्रेक्टर्स थे, उन्होंने इतनी हाई बिडिंग की है कि उस बिडिंग को..., कई जगह हमने डिस्ट्रिक्ट में यह फैसला लिया है कि हम इसको सी.एल.आर.सी. की रेट पर कराएंगे, बी.एस.आर. रेट की तहत, मतलब, डिस्काम खुद करायेगा। वह भी काम हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं।

अजमेर डिस्काम के मात्र नागौर, अजमेर और राजसमंद, इन तीन जिलों के अभी तक, जो टी.डब्ल्यू. हम कहते हैं, जो कांट्रेक्ट, पूरे उसके इंस्टालेशन के लिए पूरी लाइन, सब वह ही खरीदता है, वह इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट्स पर हमने वर्क आर्डर्स जारी कर दिये हैं। यह तीन डिस्ट्रिक्ट में सी.एल.आर.सी. के तहत यह काम हम करेंगे और हम बिलकुल टाइम पर इस प्रोग्राम को खतम करेंगे। यह हम आपको विश्वास देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बी.पी.एल. और ए.पी.एल. मिलाकर, लगभग सात लाख से ज्यादा हम बी.पी.एल. के कनेक्शन करेंगे और लगभग 13 लाख से ज्यादा ए.पी.एल. के कनेक्शन करेंगे। तो हम यह लगभग 20 लाख के आसपास पहुंच गये हैं।

इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने इसमें बात की कि छह जिलों को तो आपने प्राथमिकता दे दी, हमको छोड़ दिया। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि आपके काम, वर्क आर्डर्स भी जारी हो गये हैं। यह तो II फेज का जो काम लेट शुरू हुआ, जो लेट खतम हुआ है, उनका हमने केन्द्र सरकार को भेजा है; अभी हमने भेजा है, 816 करोड़ की योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की भेजी है। हमें उम्मीद है कि यह स्वीकृति हमको बहुत जल्दी मिल जायेगी। इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

40 परसेंट इसकी राशि स्टेट को भरनी है और 60 परसेंट राशि केन्द्र सरकार देगी। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इसमें एग्री कर लिया है, 40 परसेंट पैसा हम स्टेट्स खुद लगाएंगे, ताकि ये जो छह जिले बाकी रह गये हैं उनको इस योजना के साथ हम पूरा कर सकते हैं।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना है, अगर यह योजना भी लागू हुई है तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री के पूर्ववर्ती कार्यकाल में लागू हुई है; 2008 में हमने लागू की और लगभग 12 हजार कनेक्शन उस कार्यकाल में हम दे पाये। आपकी सरकार आयी, यह योजना शुरू थी, आपने तीन-साढ़े तीन साल तक तो किसी को कनेक्शन दिये नहीं, इस योजना के तहत आपने कोई फंडिंग रखी नहीं और जैसे ही इलेक्शन पास में आया, आपको लोगों को अट्रेक्ट करना था, वोट में कन्वर्ट करना था, इसके तहत आपने मुख्य मंत्री विद्युत योजना में पैसे देकर और एप्लिकेशंस ले लीं; एप्लिकेशंस ले लीं, आपका जो डेढ़ महीने का कार्यकाल था उसमें आपने 1 लाख 57 हजार कनेक्शन किये हैं। हमने दिसम्बर, 2013 से लेकर 47 हजार कनेक्शन किये हैं, 2 लाख 11 हजार कनेक्शंस अभी भी पेंडिंग हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पेंडिंग कनेक्शंस हैं इनको हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सम्मिलित करेंगे।

राजस्थान में 100 से कम आबादी वाली जो ढाणियां हैं, राष्ट्रीय हैबिटेशन सर्वे में राजस्थान में लगभग 30 हजार ढाणियां हैं। अध्यक्ष महोदय, उनमें 20 हजार ढाणियां विद्युतीकृत हो गयी हैं। मात्र 10 हजार ऐसी ढाणियां जो बाकी हैं उनको हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सर्वे कराकर, केन्द्र सरकार को भिजवाकर, बहुत जल्दी हम इन गांवों को विद्युतीकृत करायेंगे।

काफी माननीय सदस्यों ने यहां जो बात रखी है कि हमारी छितराई हुई ढाणियां हैं, लोग कुओं पर रह रहे हैं; यह बात सही है कि आजकल काफी लोग अपने कुओं पर रह रहे हैं। इसके लिए भी हम निश्चित रूप से कोई न कोई योजना लाएंगे, क्योंकि हमारी बजट घोषणाओं में भी हमने यह बात कही है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, इसके लिए भी सरकार कोई न कोई योजना लाएगी, ताकि जो किसान अपने खेत पर रह रहा है उसको भी हम सिंगल फेज कनेक्शन दे सकते हैं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कि साढ़े 6 घंटे लाइट आती है, उसके अलावा पूरी-पूरी रात हम अंधेरे में रहते हैं। तो यह हमारा फर्ज है, हमने बजट की घोषणा में भी यह बात कही है, इसके लिए भी कोई न कोई रास्ता निकालकर इसकी योजना को हम लाएंगे जिससे आम कृषक जो अपने खेत पर बैठा है उसको भी हम कनेक्शन दे पाएं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि कनेक्शन की हम बात करें तो जब हम आये, 1988 के कनेक्शन पेंडिंग थे और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 1988 से लेकर 2003 तक, 15 साल की पेंडेंसी पांच साल में पूरी करके दी। ये आये 2008 में, तो इन्होंने 2003 से लेकर पांच साल की पेंडेंसी, जो हम छोड़कर गये थे, वह पांच साल की पेंडेंसी वापस छोड़कर, हमको देकर चले गये। इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे यह कह सकें कि हम जो पांच साल की पेंडेंसी छोड़कर गये, यह पांच साल की पेंडेंसी हमको छोड़कर चले गये। हमने 15 साल पुराने कनेक्शन, मुझे आज भी याद है, 15 साल पुराने कटे हुए कनेक्शंस जितने भी थे इस पूरे प्रदेश में, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 15 साल के रि-कनेक्शन का आर्डर दिया था और किसान भाइयों के जितने भी कनेक्शंस कटे हुए थे वे सब कनेक्शन उनके टाइम पर जुड़वाए गये।

इसके अलावा, इनको 2012 में जब बैंकों ने पैसा देना बंद कर दिया, केन्द्र सरकार, बैंक और विद्युत वितरण कम्पनियों ने मिलकर मंत्रिमंडल के फैसले के तहत यह तय किया कि हम बिजली कनेक्शन प्रत्येक वर्ष 40 हजार ही देंगे। इन्होंने यह डाक्यूमेंट साइन किया है। इसके तहत गत वर्ष भी हमने 40 हजार कनेक्शन दिये। इस साल भी लगभग 40 हजार कनेक्शन देने की हमारी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। 31 मार्च तक तो हमने मांग पत्र जारी कर दिये थे। मैं इस हाउस में घोषणा करना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर तक हम सभी डिमांड्स को निकाल देंगे। आने वाले 7 महीनों की जितनी भी हमारी डिमांड है, उनकी डिमांड हम जारी करके कृषि कनेक्शनों को जारी करेंगे। यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा आप सबसे निवेदन है कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने कृषि कनेक्शन और किसानों के लिए घोषणा की है कि 1 अप्रैल के बाद, जिस भी कृषक ने मांग पत्र जमा नहीं किया है, उन फाइलों को वह 500 रुपये जमा करके, 15 मई तक, अपनी फाइल को पुनर्जीवित करके वापस अपना कनेक्शन ले सकता है। मैं समझता हूं कि इससे भी काफी

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

किसानों को, जिन्होंने अपनी डिमांड को जमा नहीं किया है, उनको इसका लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंद-बूंद योजना के तहत 31 मई, 2015 तक जितनी भी हमारे पास फाइलें आयेंगी, यह बात जो कह रहे थे कि बूंद-बूंद योजना की आज लास्ट डेट है, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बूंद-बूंद योजना की फाइल में ऐसा नहीं है, आप किसी दिन भी इसको जमा कर सकते हैं। पहले जो हमारी डेट थी, वह 31 अक्टूबर थी, 31 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी फाइल को कभी भी सब्मिट कर सकता है। उसके बाद उसकी जो प्रायोरिटी है, उसके तहत उसका कनेक्शन होगा। अगर 31 मार्च भी खतम हो जाता है तो वह 1 अप्रैल को लगा देगा। जब 31 मार्च के कनेक्शन हम पूरे कर लेंगे, तो आने वाले समय में हम आगे के कनेक्शन देंगे। जो यह बात इन्होंने कही है कि 31 मार्च में तो 2-3 दिन ही रहे हैं, ड्रिप कनेक्शन की फाइलें बंद नहीं हैं; किसान कभी भी जमा कर सकता है। वह आज भी अपनी फाइल जमा कर सकता है, कल भी जमा कर सकता है। यह तो हमने डेट दी है कि इस डेट पर हम इतने मांग पत्र जारी करके उनको कनेक्शन दे देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, बिजली चोरी के बारे में भी काफी माननीय सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी घोषणा में यह बात कही कि 10 हार्स पावर की जो मोटर है, जो 2 हजार की कम्पाउंडिंग थी, उसको घटाकर हम 1 हजार रुपये कर रहे हैं। 10 हार्स पावर के ऊपर जो भी कनेक्शन लेगा, उसको 500 रुपये प्रति हार्स पावर पैसे जमा करके, जो सिविल लायबिलिटी 2 हजार रुपये प्रति हार्स पावर था, उसको हमने 1 हजार कर दिया है और 10 से ऊपर है तो हमने 500 रुपये कर दिया है। जो सिविल लायबिलिटी है, इसके लिए भी घोषणा की है कि विद्युत वितरण निगम नियामक आयोग में याचिका दर्ज करके, इसको भी हम आने वाले समय में कमी लायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की और खास तौर से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की च्वाइस 24x7 विद्युत आपूर्ति की है। हम कृषि कनेक्शनों के लिए लगभग साढ़े 6-7 घंटे बिजली दे रहे हैं। पूरे राजस्थान को हमने 4 ब्लाक में बांटा है इस रबी फसल के तहत, दो ब्लाक तो सुबह के थे और दो ब्लाक शाम के थे। हर ब्लाक हर 7 दिन में चेंज होता था। ऐसा नहीं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

था कि पूरे महीने के महीने वह ब्लाक रात को चलता था। हर ब्लाक हर हफ्ते चेंज होता है।

कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि इतनी ठंड में कैसे किसान खेती करेगा, मैं भी आपकी बात पर सहमति प्रकट करता हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास इतना बड़ा तंत्र नहीं है, हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली नहीं है कि हम पूरे राजस्थान को एक साथ बिजली दिन में दे सकें। रबी की फसल के तहत हम बिजली को खरीदते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम बिजली नहीं खरीदते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो हम पूरे राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करा सकें। गांवों में हम आज की तारीख में लगभग 20 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में 5 घंटे से ज्यादा थ्री फेज बिजली मिलती नहीं थी किसानों को। हमारे आने के बाद में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने साढ़े 6-7 घंटे बिजली के लिए कहा है। हम नियमित रूप से उनको बिजली दे रहे हैं। गांवों में इनके कार्यकाल में 13-14 घंटे से ज्यादा बिजली उपलब्ध नहीं रहती थी। गर्मियों में तो यह हालत थी कि पूरी-पूरी दोपहर में, 45 डिग्री टेम्परेचर में गांव वालों को लाइट नहीं मिलती थी। आज आप इस पूरे एक साल का देख लें, हमारी पूरी कोशिश रहती है और गांव में आम उपभोक्ता को हम 20 से 22 घंटे लाइट दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए बात कही। हमने एफ आई पी और एस आई पी में काम शुरू किया है। कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि यह एफ आई पी और एस आई पी क्या है? मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने भी जब पूरे विभाग की मीटिंग ली तो मुझे भी यह लगता था कि 10-10 साल हो गये, 15-15 साल हो गए, पंचायत समिति में कोई जन-प्रतिनिधि बैठकर एक ही बात को 10-15 साल से कह रहा है कि उस गांव में तार ढीले हैं, लेकिन व तार आज भी ढीले के ढीले ही हैं। 15 साल में आज दिन तक कुछ नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह फैसला लिया है कि एफ आई पी और एस आई पी के तहत जो काम होगा, वह जो भी आपका ए ईएन है, जो आपका सब-डिविजन है उसका एक्स ईएन प्रत्येक पंचायत समिति मीटिंग में जायेगा और जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, उनको अवगत करायेगा कि इस एफ

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आई पी और एस आई पी में अब तक हमने क्या काम किया है और आने वाले समय में हम क्या काम करने जा रहे हैं। हमारे कई चीजें सामने आई हैं। कई ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने एक लाइन को 3-3 बार बदल दिया और सरकार से पैसे 3-3 बार उठा लिये। हमने उसकी जांच की है और उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की हैं। हमारे जन-प्रतिनिधि को यह मालूम होना चाहिए कि इस योजना के तहत कितना पैसा आया है। तार गांवों में आज भी ढीले हैं। 20 साल से वहां जन-प्रतिनिधि चिल्ला रहा है कि तार ढीले हैं और वहां आज भी वही स्थिति है। योजना के तहत कितना पैसा आया और उस योजना में क्या काम करने जा रहे हैं। वह पंचायत समिति की मीटिंग में एक्स ईएन और ए ईएन खुद आकर के हमारे जन-प्रतिनिधियों को अवगत करायेंगे ताकि उस पैसे का मिस्यूज नहीं हो, वह पैसा जनता के हित में लगे और जिससे आने वाले समय में हमारे यहां किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, उन ढीले तारों के कारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एस आई पी के तहत हमारी सरकार के आने के बाद में रोस्टर स्विच लगाने का काम शुरू किया है; सर्किट ब्रेकर्स जी एस एस पर लगाने का काम हमने हाथ में लिया है; फीडर्स पर मीटर लगाने का काम हमने अपने हाथ में लिया है।

इस बिजली को हम कैसे 24 घंटे दे सकते हैं, इसके तहत प्रत्येक डिस्काम स्तर पर एक सेन्ट्रल कंट्रोल रूम हमने स्थापित करने का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि अजमेर और जयपुर में हम इसको अप्रैल के महीने में शुरू करने जा रहे हैं, जोधपुर में मई में शुरू हो जायेगा। उस कंट्रोल रूम से, जो हमें माननीय सदस्यों ने बात कही है कि 72 घंटों में हमारे ट्रांसफार्मर्स चेंज नहीं होते हैं, बिजली चली जाती है तो हमारे कोई फोन उठाता नहीं है, अगर कोई मीटर जल जाता है तो कोई बदलने वाला नहीं होता है; मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक डिस्काम पर सेन्ट्रल कंट्रोल रूम बनायेंगे, वह सेन्ट्रल कंट्रोल रुम 24 घंटे खुला रहेगा। इसके तहत आप विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी शिकायत कर सकते हैं, बिजली चोरी की आप शिकायत कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत कर सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में खामी की आप शिकायत कर सकते हैं। अधिकारी और कर्मचारी के व्यवहार के सम्बन्ध में आप शिकायत कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल रूम कंसर्न्ड ए ईएन और एक्स ईएन से बात करके और टाइमली आपका ट्रांसफार्मर चेंज कराने की हम कोशिश करेंगे। अगर तीन

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

दिन में नहीं हुआ तो हम उस उपभोक्ता से वापस पूछेंगे और अगर उन्होंने नहीं किया तो उच्च अधिकारी से हम बात करेंगे और उसको बताएंगे कि आपके उस अधिकारी को हमने बताया है कि आपको ट्रांसफार्मर बदलना है, उस अधिकारी ने आज दिन तक उस ट्रांसफार्मर को नहीं बदला है। तो उस उच्च अधिकारी के पास उसकी रिपोर्ट जाएगी। वह भी नहीं होगा तो, लास्ट, आपके एम डी तक फोन, प्रत्येक उपभोक्ता की सुनवाई एम डी स्तर तक होगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के स्वयं के स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम है। लगभग कई माननीय सदस्यों के बार-बार विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में फोन आते हैं, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच आदि से भी बात होती है विद्युत समस्याओं के बारे में, हम उनकी जानकारी लेते हैं। और कोई भी समस्या है। तो मेरे यहां भी एक खुला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलिंग में बड़ी विसंगतियां होती हैं। इसके लिए हमने फैसला किया है कि 2015-16 में एक हम सेंट्रल साफ्टवेयर डवलप करेंगे, उसके तहत एक डैटा बेस होगा जिसमें बिलिंग सिस्टम पूरे राजस्थान में एक हो। इससे जो विसंगतियां हो रही हैं वह विसंगतियां खतम हों क्योंकि हर गांव में आदमी, छोटा-सा घर है, उसका बिल आ रहा है 25,000 । ये विसंगतियां हैं तो इसकी शिकायतें कम हों, इसके लिए हम सेंट्रल साफ्टवेयर डवलप कर रहे हैं डैटा का जिससे इससे काफी आम उपभोक्ता परेशान हैं, उससे उनको काफी मदद मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम वित्तीय स्थिति और छीजत को हम घटाएंगे, 11 केवी और 33 केवी विद्युत तंत्र है उसका रखरखाव और निर्धारण समय पर करेंगे। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन विद्युत क्रय नीति की प्रक्रिया का पुनरावलोकन कर विद्युत खरीद राशि में कमी लाने के प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके जो 2013-14 में जो राजस्व घाटा था वह राजस्व घाटा 15,645 करोड़ रुपया था। हमारी जो परचेजिंग इस टाइम हुई है, हमने बाकायदा ई-टेंडरिंग करके परचेज की है और हमने इस रबी की फसल में बिजली पैदा की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल हमने लगभग 2,500 करोड़ रुपये, उनका साल का 15,650 करोड़ का जो घाटा था उसको हमने घटाने की कोशिश की है, करीब सवा तेरह हजार करोड़ का घाटा रहेगा इस वर्ष; ढाई हजार करोड़ रुपये का

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

घाटा घटाया है। इसका एक कारण है कि इनके कार्यकाल में बिजली इन्होंने कंटिंजेंसी परचेजिंग की है, हमने तो बाकायदा ई-टेंडरिंग करके बिजली परचेजिंग की है और आज औसतन बिजली चार रुपये में हमने खरीदी है, जिससे हमने घाटे को कम करने की कोशिश की है। इसके लिए आगे भी हम मेहनत करके कम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बन्द मीटर को बदलने का हम कर रहे हैं। राजस्थान में थ्री-फेज के मीटर देखें, या सिंगल फेज के बहुत बड़ी संख्या में ये मीटर खराब हैं, माननीय सदस्यों ने यह बात बताई है, उसको भी हम बदलने की कोशिश करेंगे।

छीजत को कम करने के लिए सतर्कता अभियान हमको जारी रखना पड़ेगा।

अधिक उपभोग वाले जो उपभोक्ता हैं, उनको आटोमेटिक मीटर की व्यवस्था हम मार्च 2016 तक शुरू करेंगे।

मैं इस मौके पर हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि छीजत की कमी और किस तरह से हम अच्छी गुणवत्ता की बिजली दे सकें, उसके लिए उन्होंने घोषणा की कि तीनों विद्युत वितरण निगमों के खर्च और राजस्व प्राप्ति की नियमित आडिट की जाएगी, जिससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को प्रोत्साहन योजना के तहत हम पुरस्कृत करेंगे। मैं समझता हूं कि हम ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे जो छीजत को कम करने में हमारी मदद करेंगे, जो अच्छी गुणवत्ता की बिजली जनता को देंगे, इसलिए हमने ऑडिट करने का भी प्रावधान, सरकार ने, हमारे सामने रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा, एक कम्पेरिजन में आपको बताना चाहूंगा कि यह नुकसान कैसे हुआ? हमने हमारे कार्यकाल 2004-2008 में 16,601 करोड़ यूनिट बिजली परचेज की जिस पर हमने कुल व्यय किया 40,814 करोड़ और हमारी एवरेज प्राइस थी, वह थी 2 रुपये 46 पैसे। इनके कार्यकाल में इन्होंने परचेज की है 25,124 करोड़ यूनिट, जिसका खर्चा आया है 91,638 करोड़ रुपये, इसकी कास्ट 3 रुपये 70 पैसे है। यह बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण विद्युत कम्पनियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा, माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं उनको मैं गौर करूंगा और उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा टू पम्प योजना के बारे में। लूणकरणसर और बीकानेर सम्भाग में जो कनेक्शन हैं, वे 40-40, 50-50 हार्स पावर के कनेक्शंस हैं और जो ट्रासफार्मर लगाते हैं वह 63 केवी का लगा हुआ है। जब तक हम वहां 100 केवी का ट्रांसफार्मर नहीं लगाएं, तब तक हम टू पम्प चला नहीं सकते। हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है ट्रांसफार्मर्स की। आपके जो टू पम्प्स तीन सौ, चार सौ किसान जो बाकी हैं, हमारे कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही है, उनको भी हम कनेक्शन दे देंगे। पूरे राजस्थान में इस योजना को हमारी आदरणीया माननीया मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी की पूर्ववर्ती सरकार ने लागू की थी।

शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने न्यूक्लीयर पावर लगाने की बात कही थी बांसवाड़ा में। इस प्रकार अभी तक कोई जमीन अलाट की नहीं है और न हम करने जा रहे हैं और ऐसे कोई फ्यूल भण्डारण के लिए ऐसी कोई जमीन की मंजूरी अभी तक नहीं हुई है। तो उन्होंने जो बात सामने लाई थी...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) स्टेट का कम्पेंडियम है जिसमें आलरैडी सैंक्शन हो गई, उन्होंने कर दिया; आप कितना लगाएंगे वह भी है और न्यूक्लीयर वेयरहाउस पर तो काम भी चालू है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो 132 केवी जी एस एस की मांग की थी। दादाबाड़ी एक जो आपका जी एस एस है वह स्वीकृति की प्रक्रिया में है और रामपुर में 220 केवी का एक जी एस एस कोटा में स्वीकृत करने की प्रक्रिया में हमने डाल रखा है। उन्होंने नया पुरा की जो बात की है, नया पुरा क्षेत्र पूरा आबादी के बीच में आया हुआ क्षेत्र है। वहां कोई जगह भी नहीं है कि हम 132 केवी की लाइन हम खड़ी कर सकते हैं। उसके लिए हम दूसरी जगह और सोचेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की कि अगर हम फ्लाई एश को भी बेचें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 80 परसेंट फ्लाई ऐश कोटा थर्मल प्लांट और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट से टेण्डर से इसका आक्शन करते हैं और 20 परसेंट

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

फ्लाई ऐश सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन लोगों को दी जाती है जो 100 किलोमीटर के रेडियस में या तो ईंट भट्ठे वाले हैं या कोई दूसरे लोग हैं, उन्हीं को हमको देनी पड़ती है। लेकिन 80 परसेंट फ्लाई ऐश तो टेंडर से सीमेंट फैक्टरी हमसे लेकर जाती हैं। इससे जितने भी थर्मल प्लांट के उत्पादन निगम हैं उनको फायदा होता है। आज से जरूर दो-चार साल पहले, दो साल पहले यह फ्लाई ऐश फ्री-आफ-कास्ट लेकर जा रहे थे लेकिन आज 80 परसेंट हम इसको टेण्डर से बेचते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विभाग के बारे में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार दिनांक 1 ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कहां आया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ गया, जवाब आ गया। (व्यवधान) मोहनजी गुप्ता, सब कह रहे हैं, जवाब आ गया, इसलिए जवाब आ गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये तो लाजवाब हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल 2015 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.40 बजे बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

माण्डल के सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

216. सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डल में सरकार को सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्ति हुई हैं? यदि हां, तो कब व प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरपंचों के विरुद्ध 44 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जालौर जिले में पौधारोपण कार्य पर व्यय राशि

219. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितने एवं किस किस्म के नये पौधे लगाये गये? लगाये गये पौधों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नये पौधे लगाने पर कितना-कितना व्यय किस-किस मद में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त लगाये गये पौधों को पानी पिलाने हेतु किसी संस्था/फर्म को कार्यादेश दिया गया था? यदि हां, तो किस फर्म को? दिये गये आदेश एवं निहित शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संस्था/फर्म को कितना भुगतान कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में गत पांच वर्ष में वन विभाग द्वारा 7,55,078 पौधे अकेशिया टोर्टलिस, नीम, बेर, खेजड़ी, शीशम, गुगल, गुन्दी, कूमठ, लसोडा, अरडू, देशी बबूल, रौंझ, आदि प्रजाति के लगाये गये। लगाये गये पौधों की जीवितता लगभग 41 से 96 प्रतिशत है।

(2) उक्त रोपित पौधों पर मदवार निम्नानुसार व्यय किया गया है:-

क्र. सं.	नाम योजना	राशि (लाखों में)
1	नर्मदा नहर वृक्षारोपण (मद)	871.70
2	आर.के.वी.वाई.	94.00
3	कैम्पा	67.97
4	आर.एफ.बी.पी. II फेज	44.20
5	गुगल	38.79
6	सी.डी.पी.	38.63
7	नरेगा	26.30

(वन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। जिन कार्य स्थलों पर पानी पिलाने हेतु किसी संस्था/फर्म को कार्य-आदेश दिये गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। निहित शर्तों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) संस्था/फर्म को पौधों को पानी पिलाने सम्बन्धी किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुण्डावर में संचालित पेयजल योजनाएं

220. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में जनवरी, 2015 तक कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं?

(2) इनमें कितनी योजनाओं में कार्य पूर्ण हो गया और कितनी अधूरी हैं?

(3) क्या जिन योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहां वर्तमान कार्य सुचारु रूप से संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु एवं सामान्य बनाये रखने हेतु माह जनवरी 2015 तक 39 संवर्धन/पुनर्गठित/परिवर्तित पेयजल योजनाएं तथा इनके अतिरिक्त 240 सिंगल फेज नलकूप तथा 32 हैण्डपम्पों के निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृति के विरुद्ध अब तक 22 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर 18 योजनाएं चालू कर दी गई हैं एवं 4 योजनाओं में निर्मित किये गये जल स्रोतों पर विद्युत सम्बन्ध लेने की कार्यवाही की जा रही है। शेष 17 योजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

199 सिंगल फेज नलकूपों का वेधन कार्य पूर्ण किया जाकर 193 नलकूप विभिन्न जल योजना अन्तर्गत चालू कर दिये गये हैं। 6 नलकूपों पर विद्युत सम्बन्ध लेने की कार्यवाही की जा रही है तथा लिये गये निर्णय अनुसार शेष रहे 41 सिंगल फेज नलकूपों की स्वीकृति निरस्त कर दी गई है।

माह दिसम्बर 2014 में उक्त क्षेत्र में स्वीकृत 32 नवीन हैण्डपम्पों के

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

निर्माण कार्य हेतु दिनांक 25.02.2015 को कार्यादेश जारी कर ग्राम राजवाड़ा में दो हैण्डपम्पों का वेधन कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) जी हां। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल की पात्रता के लिए आय सीमा में वृद्धि

221. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में मोटराइज्ड ट्राई-साइकिलें किस योजना के अन्तर्गत वितरित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त योजना से लाभान्वित कराने हेतु क्या-क्या पात्रताएं निश्चित की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना में वर्तमान में निर्धारित एक लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा संख्या 56 के तहत ऐसे विशेष योग्यजनों हेतु जो ट्राई-साइकिल चलाने में सक्षम हों और जिनकी पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये वार्षिक तक हो, मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए, इस हेतु राशि रुपये 5 करोड़ का प्रावधान रखते हुए, एक हजार विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की पालना में 1,000 पात्र विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं।

(2) वर्तमान में मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाये जाने सम्बन्धी कोई योजना संचालित नहीं है। उक्त घोषणा में लाभान्वित होने वाले विशेष योग्यजनों हेतु जारी की गई पात्रता का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में उल्लेखित है।

(3) बजट घोषणा के तहत केवल एक हजार विशेष योग्यजनों को ही उक्त मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)
गया था, जिसकी पालना में एक हजार मोटराइज्ड ट्राई-साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है। उक्त 1,000 मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाये जाने की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित आय सीमा 1.00 को बढ़ाकर 2.50 लाख किया गया था, जिस हेतु आदेश क्रमांक 17595 दिनांक 1.1.2013 के द्वारा जारी संशोधित गाइड लाइंस की प्रति संलग्नक परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

पाली शहर एवं रोहट में नये राशन कार्डों का वितरण

222. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के पाली शहर एवं पंचायत समिति रोहट में नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया कब शुरू की गई तथा उक्त कार्य कितनी अवधि में पूर्ण किया जाना था?

(2) उक्त दोनों स्थानों पर नये राशन कार्ड बनाने हेतु कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने पुराने राशन कार्डों के स्थान पर नये राशन कार्ड बनाये जाने थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों स्थानों पर अब तक कितने-कितने नये राशन कार्ड बना कर वितरित कर दिये गये हैं एवं कितने राशन कार्ड बनाये जाने शेष हैं?

(4) क्या यह सही है कि नये राशन कार्ड बनाने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं एवं सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

(5) क्या सरकार नये राशन कार्डों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में नये राशन कार्ड बनाकर वितरण कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) पाली जिले के पाली शहर एवं पंचायत समिति रोहट में नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया दिनांक 01.07.2012 से प्रारम्भ की गई थी। यह कार्य निविदादाता फर्म को राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 30.09.2014 तक किया जाना था।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) उक्त दोनों स्थानों में पुराने राशन कार्डों एवं नये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम स्थान	पुराने राशन कार्ड संख्या	नये कार्ड हेतु आवेदन संख्या
1	पाली शहर	72,407	69,982
2	पंचायत समिति रोहट	28,015	34,504

(3) उक्त दोनों स्थानों पर निम्नानुसार राशनकार्ड बनाकर वितरण किये गये है:-

क्र. सं.	नाम स्थान	मुद्रित राशन कार्ड	वितरित राशन कार्ड	राशनकार्ड बनाये जाने शेष हैं
1	पाली शहर	46,364	46,364	23,618
2	पंचायत समिति रोहट	34,504	34,504	0

(4) प्रदेश में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड जिले के लिए चयनित फर्म द्वारा फरवरी, 2013 तक राशन कार्ड कार्य पूर्ण कर उपलब्ध कराये जाने थे। राज्य भर में फर्मो द्वारा तय समयावधि में राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मंत्रीमण्डलीय समिति में दिनांक 03.03.2014 को लिये गये निर्णयानुसार राशन कार्ड कार्य की अवधि माह सितम्बर, 2014 तक बढ़ाई गई थी। विस्तारित समयावधि में भी संविदा फर्म द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया है। इस कारण राशन कार्ड उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ है।

राशन कार्ड कार्य में विलम्ब के लिए सम्बन्धित फर्मस् के विरुद्ध निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विधि सम्मात कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। प्रदेश में कुल 1,78,38,263 नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड जिलों के लिए चयनित फर्मो द्वारा बनाये जाकर उपलब्ध कराये जाने थे। फर्मो द्वारा निर्धारित समयावधि दिनांक 30.09.2014 तक कुल 1,66,78,157 राशन कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराये गये थे, जिनमें से 1,65,75,382 राशन कार्ड उपभोक्ताओं को वितरित किये जा चुके है तथा शेष 1,02,775 राशन कार्डो का वितरण किया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

नवीन राशन कार्डों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार नवीन राशन कार्ड बनाये जाने तथा तैयारशुदा राशन कार्ड में शुद्धिकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर संशोधन का कार्य दिनांक 31.03.2015 तक सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से नवीन/डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, घटाने, परिवर्तन तथा शुद्धिकरण का कार्य राजस्थान के ई-मित्र/सी एस सी कियोस्क के माध्यम से निर्धारित शुल्क पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 02.02.2015 को जारी किया जा चुका है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नादौती स्टेट हाइवे-25 के निर्माण की जांच

223. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तालचिड़ा से गंगापुर सिटी तक की सड़क वाया शहर नादौती स्टेट हाइवे-25 स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या उक्त हाइवे मौके पर नियमानुसार मौजुद है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर उक्त हाइवे की मौके पर जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हाइवे सीधे राजधानी को जोड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे महत्वपूर्ण हाइवे पर सड़क का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तालचिड़ा से गंगापुर सिटी तक की सड़क वाया शहर-नादौती स्टेट हाइवे-25 के रूप में स्वीकृत है।

गंगापुर-नादौती-सिकन्दरा सड़क (स्टेट हाइवे-25) में टोडाभीम की घाटी तालचिड़ा से गंगापुर तक की कुल लम्बाई 49.00 कि.मी. (कि.मी. 176/0 से 225/0) है। उक्त सड़क के 37.00 कि.मी. (कि.मी. 176/0 से 213/0) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (जिला करौली) में एवं 12.00 कि.मी. (कि.मी. 213/0 से 225/0) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर (सवाई मोधापुर) में आते हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इस सड़क के कि.मी. 176/0 से 197/0 व 209/0 से 211/600, (23.600 कि.मी.) में वर्ष 2012 में नवीनीकरण का कार्य करवाया गया था, जो संवेदक की गारण्टी अवधि में है। वर्षा के कारण बने पेच/पाटहोल्स की संवेदक द्वारा मरम्मत करके गारण्टी अवधि में सड़क का रख-रखाव किया जा रहा है एवं सड़क की स्थिति संतोषजनक है। कि.मी. 197/0 से 198/0 (नादौती कस्बा) एवं 208/500 से 209/0 (ग्राम शहर) में सी.सी. सड़क निर्मित है, जो संतोषजनक स्थिति में है।

उक्त सड़क के कि.मी. 213/0 से 225/0 का भाग विधान सभा क्षेत्र गंगापुर (जिला सवाई माधोपुर) में आता है, जो संतोषजनक स्थिति में है।

कि.मी. 211/600 से 213/0 (1.400 कि.मी.) में सड़क पर आवश्यकतानुसार पेच मरम्मत करवाकर रखरखाव किया जा रहा है। इसी सड़क के नादौती से ग्राम शहर तक के भाग (कि.मी. 198/0 से 208/500) कुल लम्बाई 10.500 कि.मी. में सड़क विगत दो वर्षों से क्षतिग्रस्त है। उक्त भाग पर वर्ष में दो बार डब्ल्यू.बी.एम. पेच मरम्मत करवाकर सड़क को मोटरेबल बनाया जाता है।

वर्तमान में कोई भी उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर उक्त/हाइवे की मौके पर जांच करवाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त हाइवे सीधे राजधानी को नहीं जोड़ता है। उक्त स्टेट हाइवे गंगापुरसिटी को आगरा-जयपुर सड़क (एन.एच.-11) से सिकन्दरा पर जोड़ती है, जहां से जयपुर की दूरी 80.00 कि.मी. है।

उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त भाग कि.मी. 198/0 से 208/500 (नादौती से ग्राम शहर सड़क) कुल 10.50 कि.मी. लम्बाई में सड़क के पुन: निर्माण हेतु राशि रुपये 1700.00 लाख की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

उक्त सड़क के पी.पी.पी. योजना में उन्नयन हेतु भी फीजिबिलिटी अध्ययन के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। अध्ययन रिपोर्ट में फीजिबिल पाये जाने पर ही पी.पी.पी. योजना में कार्य करवाया जा सकेगा।

बगरू के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना

224. श्री कैलाश वर्मा (बगरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश वर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू के ग्रामीण क्षेत्र में कहां-कहां, कितनी-कितनी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में और स्ट्रीट लाइट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कहां-कहां, व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू के ग्रामीण क्षेत्र में लगी हुई स्ट्रीट लाइटों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत गलियों एवं सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था एवं निर्बन्ध कोष के अन्तर्गत गांवों में राजकीय भवनों एवं मुख्य स्थानों (चौराहे/बस स्टैण्ड) पर सोलर स्ट्रीट लाइट के कार्य अनुमत हैं। उक्तानुसार पंचायती राज संस्थाएं अपने स्तर पर स्थान निर्धारित कर सोलर लाइटें स्थापित करने का कार्य करती हैं। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के पंजीकरण की कार्य योजना

225. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण हेतु वर्तमान में क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के पंजीयन हेतु कोई व्यवस्था की हुई है? यदि हां, तो कब से और अब तक कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को पंजीकृत कर उनके कल्याण हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा

(श्रम राज्य मंत्री)

कौशल शक्ति योजना, हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना, शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना, प्रसूति सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए गम्भीर बीमारियों पर हुए व्यय का पुनर्भरण योजना, हिताधिकारी द्वारा निजी आवास के निर्माण हेतु ऋण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना, मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना, निर्माण श्रमिकों की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, एन.पी.एस. स्वावलम्बन योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित हैं। इन योजनाओं की प्रतियां परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न हैं।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के पंजीयन करने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों तथा श्रम निरीक्षकों को अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 के द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विकास अधिकारियों, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग के विभागीय कार्यों के निर्माण श्रमिकों के लिए सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को अधिसूचना दिनांक 05.08.2013 के द्वारा पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। उक्त अधिसूचनाओं की प्रतियां परिशिष्ट-ब, स, द, य तथा र पर संलग्न हैं। अब तक पंजीयन कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 11.01.2010 से 31 जनवरी, 2015 तक 5,25,297 हिताधिकारियों का पंजीयन किया गया है।

(3) जी हां। योजनाएं बनाई हुई हैं। पंजीकृत हिताधिकारियों के कल्याण हेतु 11 योजनाएं संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या-226

(स्थगित)

प्रदेश में पालीथिन बैगों के निर्माण एवं उपयोग पर रोक

227. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पालीथीन बैग्स के निर्माण एवं उपयोग पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो कब से? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पब्बाराम)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रतिबंध के उपरांत भी प्रदेश में पालीथीन बैग्स का निर्माण एवं उपयोग जारी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त प्रतिबंध लगाये जाने के पश्चात् से जोधपुर जिले में दिसम्बर, 2014 तक पालीथीन बैग के निर्माण व बिक्री के कितने मुकदमे पुलिस एवं नगरीय निकाय द्वारा दर्ज किये गये? पुलिस थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में पालीथीन बैग पर लगाये गये प्रतिबंध को शक्ति से लागू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्चं न्यायालय द्वारा कुछ विशेष प्रकार के पैकिंग मैटेरियल के रूप में पाली-बैग के इस्तेमाल एवं निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त अनुमति की आड़ में कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा अवैध तरीके से पाली-बैग का निर्माण एवं व्यापार किया जा रहा है? यदि हां, तो जोधपुर जिले में पाली-बैग के निर्माण हेतु कितनी इकाइयां पंजीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि प्रदेश में विवाह समारोह, अन्य सार्वजनिक एवं सामाजिक समारोहों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल आइटम्स के उचित निस्तारण के अभाव में पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आइटमों पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 द्वारा राज्य में दिनांक 01.08.2010 से प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर रोक लगी हुई है। सम्बन्धित अधिसूचना तथा स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 13.09.2010 की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) यदा-कदा चोरी छिपे प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध के बावजूद इनके उपयोग होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जानकारी में आते ही तत्काल अधिसूचना में अंकित सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमानुसार

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

कार्रवाई की जाती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत किसी भी उद्योग को प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण हेतु स्थापना/संचालन हेतु सम्मति जारी नहीं की जा रही है।

(3) उक्त प्रतिबन्ध लगाये जाने के पश्चात् से जोधपुर जिले में दिसम्बर 2014 तक पालीथीन बैग के निर्माण व बिक्री के कोई भी मुकदमे पुलिस एवं नगरीय निकाय द्वारा दर्ज नहीं किये गये हैं।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत जोधपुर जिले में किसी भी उद्योग को स्थापना/संचालन हेतु कोई सम्मति जारी नहीं कर रहा है।

(7) जी हां। यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर ग्रामीण के लिए विचाराधीन पेयजल योजना

228. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के ग्राम धाऊजी की बावड़ी, धोलीमगरी, नाकोड़ा नगर, भैरवनगर एवं कानपुर में पेयजल योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या व उक्त योजना को कब तक शुरू कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की पंचायत समिति गिर्वा के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित मुख्य ग्राम कानपुर में क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण पेयजल वितरण पाइपलाइनों के स्थान पर नई पाइपलाइन डालने

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

हेतु दिनांक 07.07.2014 को राशि रुपये 21.95 लाख की स्वीकृति जारी हुई थी। योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा माह अप्रैल, 2015 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

शेष ग्राम धोलीमगरी एवं इसकी 3 अचिह्नित ढाणियों क्रमश: धाऊजी की बावड़ी, नाकोडा नगर एवं भैरवनगर में बिखरी आबादी है तथा इनमें पर्याप्त रूप से स्थापित एवं क्रियाशील 16 हैण्डपम्पों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त वर्णित ग्राम एवं इनकी ढाणियों में विद्यमान जल योजनाओं से पेयजल आपूर्ति सुचारू होने के कारण कोई अन्य योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। ग्राम/ढाणीवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की पंचायत समिति गिर्वा के वर्णित ग्रामों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायम	ग्राम	अन्य हैबीटेशन	जनसंख्या (वर्ष 2011)	वर्तमान अनुमानित जनसंख्या	योजना का प्रकार	जल वितरण अन्तराल (घण्टे में)	जल सेवा स्तर (लीटर/व्यक्ति प्रतिदिन)	कुल स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या	क्रियाशील हैण्डपम्पों की संख्या
1.	कानपुर	कानपुर	—	4108	4447	पाइप्ड	48 (दो दिवस)	34	14	14
2.	भोइयों की पंचोली	धोली मगरी	—	2316	2524	हैण्डपम्प			8	8
		धोली मगरी	धाउजी की बावड़ी (अचिन्हित ढाणी)			हैण्डपम्प			1	1
		धोली मगरी	नाकोड़ा नगर (अचिन्हित ढाणी)			हैण्डपम्प			5	5
		धोली मगरी	भैरव नगर (अचिन्हित ढाणी)			हैण्डपम्प			2	2

जमवारामगढ़ में संचालित योजनाएं

229. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभाग द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त योजनाओं में कितने व्यक्तियों को कहां-कहां लाभान्वित किया गया तथा उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्तमान उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से किस-किस व्यक्ति का आवेदन-पत्र कब से लम्बित है? लम्बित आवेदन-पत्र पर कब तक स्वीकृति जारी कर लाभान्वित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वित व्यक्तियों एवं प्रदान की गई सहायता का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभाग की योजनाओं में पात्र व्यक्तियों के कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में ए.पी.एल./बी.पी.एल. परिवारों को राशन के गेहूं/ केरोसीन का वितरण

230. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ए.पी.एल./बी.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड पर गेहूं व केरोसिन वितरित करती है? यदि हां, तो किस योजना के तहत? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त कार्य हेतु कितना-कितना गेहूं किस-किस फर्म को कब-कब उपलब्ध करवाया गया? सम्भागवार, जिलेवार, माहवार उपलब्ध करवाये गये गेहूं की मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(3) उक्त योजना के तहत अब तक कितना गेहूं व केरोसीन कितने परिवारों को वितरित किया गया? लाभार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत फर्मों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? फर्मवार किये गये भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों (बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अन्त्योदय एवं अन्य सहित) को प्रति माह खाद्यान्न (गेहूं) वितरण करती है। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सरकार बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर केरोसीन वितरित करती है। माह दिसम्बर, 2014 तक 03 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह तथा जनवरी, 2015 से 04 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह केरोसीन उपलब्ध कराया जा रहा है। पत्र दिनांक 28.01.2013 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं का आबंटन किसी फर्म विशेष को नहीं किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आबंटन का उप-आबंटन जिलों को किया जाता है। जिलों में नियुक्त थोक विक्रेता (के.वी.एस.एस.) द्वारा उक्त आबंटित खाद्यान्न (गेहूं) की मात्रा का उठाव भारतीय खाद्य निगम के डिपों से कर डोर-स्टेप डिलिवरी के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाया जाता है। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न (गेहूं) वितरित किया जाता है।

(3) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह अक्टूबर, 2013 से माह दिसम्बर, 2014 तक पात्र लाभार्थियों को वितरित किये गये गेहूं का जिलेवार/माहवार विवरण परिशिष्ट-3 पर एवं लाभार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को माह जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2014 तक कुल 25,30,119 कि.ली. केरोसीन वितरित किया गया। माहवार विवरण परिशिष्ट-5 पर एवं वर्तमान में केरोसीन लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत किसी भी फर्म को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा में चम्बल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण

231. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा में चम्बल नदी पर निर्माणाधीन हैंगिंग ब्रिज का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ तथा निर्माण शर्तों के अनुसार इसे कब तक पूर्ण किया जाना था? उक्त ब्रिज का निर्माण अब तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा में चम्बल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण कार्य भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) के द्वारा करवाया जा रहा है। तदनुसार माननीय विधायक द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर भा.रा.रा.प्रा. के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर से उनके पत्र क्रमांक भाराराप्रा/21011/2/2014-क्षे.का.ज./वि.स./03683 दिनांक 09.03.2015 द्वारा प्राप्त किया गया है। (परिशिष्ट-1 के अनुसार) भा.रा.रा.प्रा. द्वारा भिजवाये गये उत्तर के अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

'सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कोटा बाइपास पर चम्बल नदी पर बनाये जाने वाले हैंगिंग ब्रिज का निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि, अनुबन्ध के अनुसार, 07.11.2006 थी। परियोजना में काम आने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.12.2007 को जारी की गई थी। अतः संवेदक फर्म द्वारा कार्य शुरू करने हेतु भूमि भा.रा.रा.प्रा. द्वारा दिनांक 05.12.2007 को उपलब्ध करवाई गई थी। इस प्रकार हैंगिंग ब्रिज का निर्माण कार्य वास्तविक रूप से दिनांक 05.12.2007 को प्रारम्भ हुआ था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.03.2010 थी। इसके निर्माण में विलम्ब के निम्नांकित कारण रहे:-

(i) भारत सरकार के 'वन एवं पर्यावरण मंत्रालय' द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विलम्ब से जारी करना;

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(ii) दिनांक 24.12.2009 को कार्यस्थल पर निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना घटित होना जिसमें ब्रिज का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया था;

(iii) दुर्घटना के बाद स्वतंत्र डिजाइन रिव्यू में विलम्ब;

(iv) संवेदक द्वारा सही कार्ययोजना नहीं बनाया जाना;

(v) संवेदक द्वारा अपनी कार्ययोजना में लगने वाले धन, सामान की समयानुसार आपूर्ति नहीं करना;

(vi) संवेदक द्वारा कार्य हेतु विशेषज्ञ एजेन्सियों की समयानुसार नियुक्ति ना करना; एवं

(vii) संयुक्त उपक्रम के भागीदारों (JV) में आपसी तालमेल का अभाव। 'दुर्घटना के बाद संवेदक द्वारा मुख्य हैंगिंग ब्रिज का कार्य माह जून 2011 में पुनः शुरू किया गया तथा संवेदक द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना (रिविजन-12) के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 14.02.2017 है। वर्तमान में कार्य उक्त कार्ययोजना के अनुसार संतोषजनक रूप से प्रगति पर है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

हरिपुरा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति चाकसू (जयपुर) में निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच

232. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत हरिपुरा, पंचायत समिति चाकसू (जयपुर) में जनवरी, 2004 से जनवरी, 2009 तक ग्राम पंचायत द्वारा क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व किस अधिकारी द्वारा किस दिनांक को? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों की निर्माण सामग्री के बिल एवं एम. बी. रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में अधिकतर कार्य हुए ही नहीं, परन्तु फर्जी नाम से बिल वाउचर बनाकर तत्कालीन सचिव एवं सरपंच ने मिलीभगत कर भुगतान उठाया है? यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(5) क्या यह सही है कि तत्कालीन सरपंच पर किसी व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर की ग्राम पंचायत हरिपुरा, पंचायत समिति चाकसू में जनवरी 2004 से जनवरी 2009 तक के विकास कार्यो की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त निर्माण कार्यो के बिल व एम.बी. का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों को देय पेंशन में वृद्धि करने की योजना

233. श्री शंकरसिंह (ब्यावर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों को सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों को केवल 200 से 300 रुपये ही पेंशन दी जाती है, जबकि वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपये से ऊपर है?

(3) क्या सरकार बीड़ी श्रमिकों को दी जाने वाली पेंशन राशि को 500 से 1,000 रुपये तक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1. बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त, अजमेर के माध्यम से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

2. बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कल्यायणकारी योजना संचालित नहीं की जा रही है।

(श्रम राज्य मंत्री)

(2) बीड़ी श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत पेंशन नहीं दी जाती है।

(3) बीड़ी श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत पेंशन नहीं दिये जाने के कारण किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी का विचार नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बीडी श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित कल्याणकारी योजना के तहत निम्न सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना

1. बीड़ी श्रमिकों को एवं उनके आश्रितों को मुक्त चिकित्सा सुविधा दी जाती है।
2. बीड़ी श्रमिकों को परिवार नियोजन, आपरेशन कराने पर अन्य स्रोतों से मिलने वाले अनुदान के अलावा 200 रुपये की राशि अनुदान देने का प्रावधान है।
3. महिला बीड़ी श्रमिकों को प्रथम 2 प्रवस्त के लिए 1000 रुपये प्रत्येक बार एक मुश्त अनुदान देने का प्रावधान है।
4. बीड़ी श्रमिकों को जिनकी आंखों से कम दिखाई देता है उन्हें 150 रुपये तक चश्मे खरीदने की राशि के पुनर्भुगतान का प्रावधान है।
5. मान्यता प्राप्त अस्पताल के सामान्य वार्ड में हृदय रोग का ईलाज कराने पर वास्तवकि व्यय अथवा 1,30,000 जो भी कम हो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
6. मान्यता प्राप्त अस्पताल के सामान्य वार्ड में किडनी रोग से ग्रस्ति होने पर ईलाज लेने पर वास्तवकि व्यय अथवा दो लाख तक जो भी कम हो देने के प्रावधान है।
7. हरणिया/अपेन्डेक्स अल्सर की बीमारी के ईलाज कराने पर मान्यता प्राप्त अस्पताल के सामान्य वार्ड में इलाज कराने पर वास्तवकि व्यय अथवा 30,000 रुपये में जो भी कम हो देने का प्रावधान है।
8. प्रथम दो पुत्रियों के प्रत्येक पुत्री के विवाह हेतु 5000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

9. क्षय रोग से ग्रस्ति बीड़ी श्रमिक चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर अपना इलाज घर पर कराने पर 50 रुपये प्रतिमाह इसके अतिरक्ति 750 रुपये से 1000 रुपये तक निर्वाह भत्ता 9 माह तक दिया जाता है।

10. किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में बीडी श्रमिकों को कैंसर उपचार के लिए सम्पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

11. कुष्ठ रोग के उपचार के लिए प्रतिदिन 30 रुपये प्रति रोगी कुल व्यय जो भी कम हो भुगतान किया जाता है।

12. निर्वाह भत्ता के लिए 200 से 300 रुपये तक प्रतिमाह कुल 9 माह तक दिया जाता है।

13. मानसिक रोग के उपचार हेतु निर्वाह भत्ता 750 रुपये से 1000 रुपये तक देने का प्रावधान है। क्षय रोग या ग्रस्ति बीडी श्रमिक या उनके आश्रित के लिए टीबी सेन्टोरियम में शैय्याए कल्याण आयक्त द्वारा आरक्षित कराई गई है। रोगी को 750 रुपये से 1000 रुपये तक निर्वाह भत्ता दिया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा

1. बीड़ी श्रमिकों की स्वाभाविक मृत्यु होने पर 3000 रुपये तक दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25000 रुपये और दुर्घटना में अंग क्षतिग्रस्त होने पर 12500 रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा श्रमिक के नामित व्यक्ति/अंग क्षतिग्रस्त होने पर स्वयं श्रमिक को दावा प्रस्तुत करने पर विभाग की अनुशंषा पर दिये जाने का प्रावधान है।

आवास सम्बन्धी योजनाएं

1. श्रम कल्याण आयुक्त की अभिशंषा पर महानिदेशक श्रम कल्याण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रति भवन के 75,000 (60,000 केन्द्रीय सहायता राशि + 15,000 राजकीय अनुदान राशि) रुपये या मकान की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत इनमें जो भी कम हो अनुदान राशि के रूप में दिया जाता है।

2. बीड़ी श्रमिकों को मकान की मरम्मत के लिए 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

3. बीड़ी श्रमिकों कापरेटिव सोसायटी द्वारा कार्यशाला गोदाम बनाने के लिए 1.5 लाख या सही लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो देय है।

शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं

1. बीड़ी श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।

मनोरंजन सम्बन्धी योजनाएं

1. बीड़ी श्रमिकों के क्षेत्र में कल्याण संगठन द्वारा निःशुल्क चलचित्र का प्रदर्शन किया जाता है। बीड़ी श्रमिकों को टेलीविजन सेट प्रदान करने के लिए 10,000 रुपये रंगिन सेट तथा 4000 श्वेत श्याम टीवी के लिए 4000 रुपये तक की राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है।
2. बीड़ी श्रमिकों को खेलकूद, सामाजिक एवं सांस्कृति कार्यक्रम कल्याण संगठन द्वारा संचालित होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक योजना हेतु व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपये प्रतिवर्ष बी.डी. प्रतिष्ठान अथवा ऐच्छिक संगठन द्वारा पुनर्भुगतान किया जाता है।
3. बीड़ी श्रमिकों की आवासीय कालोनी में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु एक लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है।

को-आपरेटिव बैंकों व अन्य बैंकों के साफ्टवेयर निर्माण में अनियमितता की जांच

234. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कम्प्यूटराइजेशन करने हेतु नाबार्ड द्वारा साफ्टवेयर/हार्डवेयर निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव उक्त बैंकों द्वारा अस्वीकार किया गया है? यदि हां, तो कब? बैंकवार, कारण तथा उसके वित्तीय प्रभाव का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कम्प्यूटराइजेशन करने हेतु वर्तमान में चल रही प्रक्रिया के अन्तर्गत साफ्टवेयर कम्पनी, रील व हार्डवेयर फर्मों को अब तक किये गये भुगतान एवं इस पेटे भुगतान की जाने वाली राशि नाबार्ड से कम्प्यूटराइजेशन करवाने पर बैंकों को नहीं देनी पड़ती?

(3) क्या यह सही है कि सहकारी बैंकों हेतु साफ्टवेयर की यू ए टी

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(यूजर एक्सेप्टेंस टैस्ट) से पूर्व ही बैंकों की कई शाखाओं में साफ्टवेयर प्रारम्भ कर दिया गया? यदि हां, तो कुल कितनी शाखाओं में साफ्टवेयर चालू किया गया तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि साफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी द्वारा साफ्टवेयर पूर्ण नहीं बनाया गया है तथा अभी भी निर्माण कार्यवाही जारी है? यदि हां, तो क्या सरकार साफ्टवेयर निर्माण में देरी और इससे हो रही हानि के लिए जांच करवाने का विचार रखती है?

(5) क्या वर्तमान में कम्प्यूटराइजेशन से कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने में कोई सुविधा हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नाबार्ड से बैंकों को नि:शुल्क साफ्टवेयर/हार्डवेयर उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। इस सम्बन्ध में किए गए यू ए टी (यूजर एक्सेप्टेंस टैस्ट) का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। रील, जयपुर की साफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी टी सी एस द्वारा बैंकिंग साफ्टवेयर में परिचालित माड्यूल्स एवं शेष रहे माडयूल्स का विकास/कस्टमाइजेशन के कार्य की प्रगति विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। विभाग स्तर पर जांच करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी नहीं। वर्तमान कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत कोर बैंकिंग साल्यूशन की क्रियान्विति शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं में की गई है जिसका लाभ जमाधारकों को प्राप्त होना आरम्भ हो गया है। सी बी एस कम्प्यूटरीकरण प्रक्रियाधीन है। वर्तमान कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत कोर बैंकिंग साल्यूकशन की पूर्ण क्रियान्विति होने पर कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्राप्ति करने हेतु सम्बन्धित बैंक की किसी भी शाखा से ऋण प्राप्त करने तथा ऋण की किश्त जमा कराने, एस एम एस अलर्ट एवं स्टेटमेंट बाई ई-मेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर एवं सिरोही के डार्क जोन में अवैध बजरी खनन

235. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में अवैध खनन रोकने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जालौर एवं सिरोही में डार्क जोन क्षेत्र में बजरी का जे सी बी द्वारा अवैध खनन हो रहा है, जिससे पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गई है? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम हेतु क्या-क्या प्रयास किये व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अवैध खनन रोकने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण एनेक्चर-ए पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वरन् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में जिला जालौर की तहसील जालौर, आहौर, भीनमाल, बागोड़ा, सायला व जसवन्तपुरा में तथा जिला सिरोही की तहसील सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा व रेवदर में खनिज बजरी के मंशा पत्र (एल.ओ.आई.) धारकों को बजरी खनन कार्य की अस्थायी कार्यानुमति जारी की गई है, जिसके अनुरूप उनके द्वारा नियमानुसार तीन मीटर गहराई तक मशीनों/मेन्यूअली तरीके से खनन कार्य किया जा रहा है। खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन पर रोकथाम हेतु नियमित चैकिंग की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर-बयाना-हिण्डौन सड़क मार्ग पर मेगा हाइवे का निर्माण

304. श्री भजन लाल जाटव (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हाइवे या मेगा हाइवे बनाने के कोई नियम व मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भरतपुर-बयाना-हिण्डौन सड़क मार्ग को मेगा हाइवे/हाइवे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है तथा उसमें अनेक स्थानों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक दुरुस्त करवा दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में यातायात एवं व्यापारिक गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं लम्बी दूरी के यातायात को सुगम बनाने वाले विभिन्न सड़क मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर हाइवे/मेगा हाइवे के रूप में चिह्नित कर तकनीकी मापदण्डों अनुसार सड़क निर्माण किया जाता है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा मथुरा बोर्डर-भरतपुर-बयाना-हिण्डौन-गंगापुर-सवाई माधोपुर सड़क मार्ग को मेगा हाइवे के रूप में चिह्नित कर इसके विकास का कार्य रिडकोर कम्पनी को दिया गया था। रिडकोर द्वारा मथुरा बोर्डर से भरतपुर बाईपास तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर (भाड़ोती) से गंगापुर मार्ग (42 किमी.) एवं हिण्डौन से गंगापुर के मध्य मात्र 14.3 किमी. लम्बाई में निर्माण कार्य डी बी एम स्तर तक पूरा किया गया है। भरतपुर बयाना-हिण्डौन सड़क मार्ग के मध्य रिडकोर द्वारा कार्य नहीं किया गया है। उक्त निर्माण के कार्य के उपरान्त रिडकोर द्वारा परियोजना की वायेबिलिटी हेतु राज्य सरकार से अतिरिक्त ब्याज-रहित ऋण की आवश्यकता बताई है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया की घोषणानुसार शेष कार्य आर.एस.आर.डी.सी. को आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उक्त सड़क को राज्य सरकार की पी.पी.पी. योजना के तहत ईस्ट-वैस्ट कोरिडोर के अन्तर्गत विकसित करने हेतु भी फीजिबिलिटी अध्ययन प्रगति पर है। अध्ययन रिपोर्ट में फीजिबिल पाये जाने पर ही पी.पी.पी. योजना में कार्य करवाया जा सकेगा।

(3) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदया की घोषणानुसार शेष कार्य आर.एस.आर.डी.सी. को आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त सड़क को राज्य सरकार की पी.पी.पी. योजना के तहत ईस्ट-वैस्ट कोरिडोर के अन्तर्गत विकसित करने हेतु भी फीजिबिलिटी अध्ययन प्रगति पर है। अध्ययन रिपोर्ट में फीजिबिल पाये जाने पर ही पी.पी.पी. योजना में कार्य करवाया जा सकेगा।

मावली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

305. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली में गत पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व अन्य योजनाओं में सड़कें बनवाई गई हैं? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त क्षेत्र में कितना पैचवर्क का कार्य कहां-कहां व कब-कब करवाया गया तथा इस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने गांव व ढाणी हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ने के मानदण्ड पूरा करने के उपरान्त भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार उक्त गांव व ढाणियों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कितने गांव व ग्राम पंचायतें पक्की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं? क्या सरकार उन्हें पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार 250 तक की आबादी के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में 250 की

(श्री दलीचन्द डांगी)

आबादी वाले कितने गांव सड़क-विहीन हैं और अब उक्त गांवों को कब तक सड़क से जोड़ दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मावली जिला उदयपुर में विगत पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में विगत पांच वर्षों में पैच-मरम्मत की गई सड़कों का व्यय सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। ऐसे कोई गांव या ढाणी नहीं हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ने के मानदण्ड पूरा करने के उपरान्त भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। मावली विधान सभा क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होने से 500 एवं इससे अधिक आबादी (जनसंख्या आधार वर्ष 2001) के समस्त पात्रता रखने वाले गांव व ढाणियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

(4) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में सभी ग्राम पंचायतें पक्की सड़क से जुड़ी हुई हैं एवं जनसंख्या आधार वर्ष 2001 के अनुसार 10 गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। वर्तमान में 250 एवं इससे अधिक की आबादी (जनसंख्या आधार वर्ष 2001) के सभी गांव पक्की डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। शेष 10 गांव जनगणना 2001 के अनुसार 250 से कम जनसंख्या के होने के कारण किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। इनको पक्की सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(5) मावली विधान सभा क्षेत्र में जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर 250 व इससे अधिक आबादी के सभी गांव डामर सड़क से जुड़े हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आर.टी.ओ./डी.टी.ओ. कार्यालयों में रोस्टर प्रणाली की पालना

306. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आर.टी.ओ., डी.टी.ओ. कार्यालयों में रोस्टर प्रणाली लागू की गई है? यदि हां, तो क्या व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) क्या यह सही है कि उक्त रोस्टर प्रणाली की कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रोस्टर प्रणाली की कड़ाई से पालना कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में आर.टी.ओ., डी.टी.ओ. कार्यालयों में रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। विभागीय आदेशों की छायाप्रतियां परिशिष्ट-'क' पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। विभाग के अधिकांश कार्यालयों में रोस्टर प्रणाली की पालना की जा रही है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ कार्यालयों में कार्मिकों की अत्यधिक कमी अथवा कार्य विशेष की विशेषज्ञता की दृष्टि से रोस्टर प्रणाली की पूर्ण पालना का अभाव रहा है। इस क्रम में विभिन्न कार्यालयों के कार्मिकों को कार्य आबंटन के आदेशों की छायाप्रतियां परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न हैं।

(3) विभाग में सूचना सहायकों के पदस्थापन, विभागीय कार्य के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण एवं स्मार्ट कार्ड पर वाहन पंजीयन तथा लाइसेंस के कार्यों के दृष्टिगत, वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में शीघ्र ही नये सिरे से रोस्टर तैयार किया जाना तथा इसकी शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित किया जाना विचाराधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

फलौदी में विभिन्न योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

307. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2009 से दिसम्बर 2014 तक किन-किन योजनाओं में कितने सड़क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दी गई तथा उक्त मार्गों की लम्बाई व लागत क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण व कितने कार्य बकाया हैं तथा कार्यों के बकाया रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री पब्बाराम)

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2009 से दिसम्बर 2014 तक विभिन्न योजनाओं में कुल 97 सड़क कार्यों के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिनकी लम्बाई 544.50 कि.मी. एवं लागत राशि रु. 115.84 करोड़ है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 60 कार्य पूर्ण, 27 कार्य प्रगतिरत एवं 4 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। विशेष प्राथमिकता सड़क योजना के 4 कार्यों की स्वीकृति निरस्त की गई एवं 5,054 (ग्रामीण सड़कें) योजना के 2 कार्यों की स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रक्रियाधीन हैं। कार्यों के बकाया रहने के कारणों सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत कुल 70 कार्यों में से लम्बित 4 कार्य, चिह्नित मार्गों की भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हो पाये। विभाग द्वारा विवाद निस्तारण के प्रयास जारी हैं। विवाद निस्तारित होते ही कार्य शुरू करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरदारशहर की क्षतिग्रस्त सड़कें

308. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव खेजड़ा से ढाणी दूदगिरी एवं कानड़वास तक सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से एवं क्यों?

(2) उक्त सड़क के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सड़क की मरम्मत के लिए एवं रि-कारपेटिंग के लिए कब निविदा जारी की गई एवं अब कब तक मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव खेजड़ा से ढाणी दूदगिरी एवं कानड़वास सड़क निर्माण पश्चात् नवीनीकरण के अभाव में अधिकांशत: क्षतिग्रस्त है। उक्त सड़क का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। विभाग के मानदण्डों अनुसार ग्रामीण सड़क होने के कारण 10 वर्ष की अवधि में इसका नवीनीकरण करवाया जाना अपेक्षित था।

वर्ष 2010 में इस सड़क पर आर.आई.डी.एफ.-16 योजना के तहत राशि रुपये 86.60 लाख के लिए नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ था, लेकिन कार्यादेश पश्चात् संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर विभाग द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर अनुबन्ध की धारा 2 व 3 (सी) के तहत कार्य विथड्रा करने की कार्यवाही की गई। संवेदक द्वारा उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही पर एवं उक्त कार्य की पुन: निविदा पर सिविल न्यायालय (क.ख.) सरदारशहर से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण कार्य आज दिनांक तक नहीं करवाया जा सका है। स्थगनादेश वर्तमान में भी यथावत है।

(2) उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने बाबत कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। अत: किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। संवेदक द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश ले लेने के कारण उक्त सड़क पर नवीनीकरण का कार्य आज दिनांक तक नहीं करवाया जा सका है।

(3) वर्ष 2010 में आर.आई.डी.एफ.-16 योजना के तहत जारी स्वीकृति के क्रम में, उक्त सड़क के नवीनीकरण हेतु मुख्य अभियन्ता कार्यालय की निविदा संख्या 02/2010-11 के तहत निविदा जारी की गई। निविदा खोलने की दिनांक 13.10.2010 रखी गई थी। अधिशासी अभियन्ता, सरदारशहर के आदेश दिनांक 20.10.2010 द्वारा संवेदक मै. खोखर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, सरदारशहर को कार्यादेश जारी किया गया। संवेदक द्वारा उक्त कार्य के तहत अतिरिक्त आइटम की मांग करते हुए कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर ने दिनांक 09.02.2011 को मौका निरीक्षण कर कैम्बर करेक्शन के लिए सरफेस पेन्टिंग की एक्स्ट्रा आइटम, वित्तीय स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की। तत्पश्चात् भी संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। विभाग द्वारा नियमानुसार संवेदक को नोटिस जारी कर अनुबन्ध की धारा 2 व 3 (सी) के तहत दिनांक 18.07.2011 को कार्य विथड्रा करने की कार्यवाही की गई। विभाग की कार्यवाही के विरुद्ध संवेदक ने

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जो आज दिनांक तक यथावत है। स्थगन आदेश के कारण उक्त सड़क का नवीनीकरण कार्य नहीं करवाया जा सका है।

नवीनीकरण के अभाव में उक्त सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्थगन आदेश हटने के बाद सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिए संशोधित स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

प्रश्न संख्या-309

(स्थगित)

मालपुरा के गांवों को समग्र ग्राम विकास योजना में जोड़ने की योजना

310. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के नगर तोरडी, लाम्बा हरिसिंह लावा चांदसेन, पचेवरे गावों जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है को समग्र ग्राम विकास योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत इन गांवों में क्या-क्या विकास के कार्य किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के नगर, तोरडी, लाम्बा हरिसिंह, लावा, चांदसेन, पचेवरे गांवों को श्री योजना में सम्मिलित कर समग्र ग्राम विकास योजना तैयार करवायी जा रही हैं। समग्र ग्राम विकास कार्ययोजना तैयार कर आगामी तीन वर्षो में योजनान्तर्गत कार्य करवाये जायेंगे।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत इन गांवों में 5 मूल आधारभूत सुविधाएं- 1. ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण व तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन, 2. स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, 3. गांव की आन्तरिक सड़कें मय नाली निर्माण एवं अप्रोच रोड, 4. शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं 5. ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे।

सुजानगढ़ पंचायत समिति (चूरू) में सोलर उपकरणों की खरीद में अनियमितता

311. श्री खेमाराम (सुजानगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुजानगढ़ (जिला चूरू) में सोलर पाइप/सोलर प्लेट, बैट्री एवं सी एफ एल के क्रय करने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त उपकरण क्रय करने हेतु कोई कंपनियां निर्धारित की गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी हैं? क्या पंचायत समिति सुजानगढ़ में वर्ष 2009 से 2013 तक निर्धारित कम्पनियों के अलावा भी अन्य कम्पनियों से उक्त उपकरण क्रय किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस कंपनी से कौन-कौन से उपकरण कब-कब कितनी-कितनी राशि के क्रय किये गये? क्या ये उपकरण निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हैं? यदि हां, तो उनकी जांच किस अधिकारी/एजेन्सी ने की? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उपरोक्त उपकरणों को स्थापित करने के पश्चात् रख-रखाव के कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त उपकरणों की कोई गारंटी-वारंटी होती है? यदि हां, तो किस-किस उपकरण की कितनी-कितनी अवधि की?

(5) पंचायत समिति सुजानगढ़ में क्रय किये गये उपकरणों में से कौन-कौन से उपकरण कहां-कहां पर चालू हैं तथा कहां-कहां पर कब-कब से खराब/बन्द हैं? इनकी क्रय की जांच किस अधिकारी/एजेन्सी ने की है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि इन उपकरणों में से कुछ उपकरण चोरी हो गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से उपकरण कब-कब, कहां-कहां के चोरी हुए? क्या इनकी एफ.आई.आर. भी दर्ज करवायी गयी है? यदि हां, तो कब-कब तथा किस-किसने एफ.आई.आर. दर्ज करवायी? एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) उपरोक्त उपकरणों की D.G.S. & D. रेट कांट्रेक्ट क्या है? क्या उपरोक्त उपकरण इसी रेट के अनुसार खरीदे गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति सुजानगढ़ के लिए अलग से क्वालिटी के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं। डी.जी.एस. एण्ड डी. के अनुसार Solar light System description निम्नानसुार है

Item 9-LED SOLAR STREET LIGHT 3 DIA & 4.5 Mtr. Long GI pole. Cable up to pole height. (50 Wp solar Panel & 12V.40 Ah Battery) And 1*11 W CFL pv module 74 W, Battery capacity 12v, 75 Ah And pole (MN'RP) Specification.

(2) जी नहीं, विभाग द्वारा उक्त उपकरण क्रय करने हेतु कोई कम्पनियां निर्धारित नहीं की गई हैं। पंचायत समिति सुजानगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा Aksya Joyoti Energies PVT, Plaza Power & Infrastructure, Jain Irrigation systems Ltd. Habile Integrate Soft comm Pvt. Ltd, फर्मों/कम्पनियों से सोलर लाइटें क्रय की गई हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है। उक्त उपकरणों की जांच पंचायत समिति के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (EGS) द्वारा की गई है जिसमें कोई भी कार्मिक दोषी नहीं पाया गया।

(3) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ही रखरखाव सम्बन्धी शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

(4) विभिन्न आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा अलग-अलग अवधि की गारंटी/वारंटी होती है।

(5) पंचायत समिति सुजानगढ में सभी उपकरण चालू पाये गये हैं। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-क पर संलग्न है। उपकरणों की जांच पंचायत समिति के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के द्वारा की गई है।

(6) जी हां। चोरी हुए उपकरणों की सूची परिशिष्ट-ख पर एवं एफ आई आर की प्रति परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(7) उपरोक्त उपकरणों की डी.जी.एस.एंड डी. रेट रुपये 21,800/- है। ग्राम पंचायतों द्वारा रुपये 21,450/- प्रति नग से क्रय की गई हैं।

(सूचियां व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

करौली में सांसद/विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

312. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दर्शन सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में वर्ष 2009 से 2013 तक सांसद एवं विधायक कोष से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी राशि के पूर्ण कर दिये गये हैं? पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य लम्बे समय से अपूर्ण रहने के लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में वर्ष 2009 से 2013 तक सांसद कोष से 60 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से 52 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 1 कार्य निरस्त व 7 कार्य प्रगतिरत हैं, एवं विधायक कोष के तहत 283 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से 274 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 1 कार्य निरस्त, 7 कार्य प्रगतिरत/अपूर्ण एवं 1 कार्य प्रारम्भ नहीं है। पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का राशि सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कार्यों के लम्बे समय से अपूर्ण रहने के लिए सम्बन्धित सरपंच/सचिव जिम्मेदार हैं। सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध सी सी ए नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में ग्रामीण विकास के स्वीकृत कार्य

313. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्तमान में विकास की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् उक्त योजनाओं में कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या कार्य कराये गये और विभिन्न योजनाओं में किन-किन व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं:-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

1. तेरहवां वित्त आयोग,
2. राज्य वित्त आयोग चतुर्थ,
3. निर्बन्ध कोष,
4. क्षतिपूर्ति एवं समानुदेश,
5. मनरेगा योजना,
6. गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना,
7. एम.एल.ए. लैड. योजना,
8. एम.पी. लैड. योजना,
9. स्वच्छ भारत अभियान, व
   व्यक्तिगत लाभ योजना
10. इंदिरा आवास योजना

(2) जनवरी, 2014 के पश्चात उक्त योजनाओं में ग्राम पंचायतवार कराये गये कार्य मय व्यय एवं विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

गंगानगर में मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों को देय राशि

314. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो शेष किश्तें कब तक जारी कर दी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। स्वीकृत समस्त लाभार्थियों द्वारा लिंटल स्तर तक कार्य पूर्ण करने पर द्वितीय एवं छत डालने के उपरान्त तृतीय किश्त जारी की जाती है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

District-Ganganagar

CMBPL 2011-12 to 2013-14

S. No.	Block	Chief Minister BPL Awaas Yojana Number of Beneficiaries							
		Registered in Mis	Sanctioned	1st Installment released	Pending for 1st Installment	2nd Installment released	Pending for 2nd Installment	3rd Installment released	Pending for 3rd Installment
1	घड़साना	2826	2826	2826	0	2684	9	2376	25
2	अनूपगढ़	2377	2377	2377	0	2238	13	1999	30
3	करनपुर	1853	1853	1853	0	1787	2	1553	21
4	गंगानगर	1057	1057	1057	0	1044	2	919	5
5	पदमपुर	1193	1193	1193	0	1164	2	1085	10
6	रायसिंहनगर	1611	1611	1611	0	1556	2	1372	15
7	सूरतगढ़	2241	2241	2241	0	2100	1	1840	38
8	सादुलशहर	1899	1899	1899	0	1858	1	1673	13
Total		**15057**	**15057**	**15057**	**0**	**14431**	**32**	**12817**	157

प्रदेश में पेयजल समस्याओं के निस्तारण हेतु वार्ड समितियों का गठन

315. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पेयजल समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्डवार निगरानी समितियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो अब तक किस-किस जिले में किन-किन वार्डों में कब-कब समितियों का गठन किया जा चुका है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वार्ड समितियों के गठन के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड तय किये गये हैं? तत्सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के जयपुर शहर में पेयजल समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्डवार निगरानी समितियों के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर के समस्त माननीय विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये हैं तथा इनके प्राप्त होने के उपरांत अंतिम रूप से निर्णय लिया जायेगा। यह जयपुर शहर में ''पायलेट प्रोजेक्ट" के आधार पर आरम्भ की जायेगी ।

(2) वार्ड समितियों में निम्नानुसार सदस्य होंगे:-

(अ) क्षेत्र का सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग;

(ब) क्षेत्र का कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग; व

(स) क्षेत्र में रहने वाले 3 प्रबुद्ध नागरिक।

लूणी की विचाराधीन जलप्रदाय योजनाएं

316. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी में वर्ष 2009 से 2013 के मध्य कुल कितनी जलप्रदाय योजनाएं बनाकर स्वीकार की गईं तथा उक्त जलप्रदाय योजनाओं में से कितनी जलप्रदाय योजनाएं पूर्ण रूप से लागू हो गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितनी जलप्रदाय योजनाएं सरकार की स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं और इनके कब तक स्वीकार

(श्री जोगाराम पटेल)

होने की सम्भावना है? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भयंकर किल्लत को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन जलप्रदाय योजनाओं को स्वीकार कर इनका कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु एवं सामान्य बनाये रखने हेतु वर्ष 2009 से वर्ष 2013 की अवधि में 326 पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जाकर इनकी स्वीकृतियां जारी की गईं। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध अब तक 302 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष 24 योजनाओं में से 22 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

दिनांक 09.12.2014 को लिये गये निर्णय अनुसार दो योजनाएं क्रमश: पुनर्गठित नांदरी क्षेत्र शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर शहर (अनुमानित राशि रु. 4.98 करोड़) एवं पुनर्गठित क्षेत्रीय पेयजल योजना, चोखा-बड़ली-गोलासनी (अनुमानित राशि रुपये 19.65 करोड़) की स्वीकृति निरस्त कर दी गई है । योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी हेतु 8 योजनाओं के तैयार किये गये संवर्धन प्रस्तावों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने के कारण इनकी स्वीकृति जारी नहीं की गई है। भविष्य में आवश्यकता होने पर तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में तत्समय निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृष्णा नगर (मानसरोवर) जयपुर के सरकारी ट्यूबवैलों पर अतिक्रमण

317. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जयपुर शहर के कृष्णा नगर एवं कृष्णा नगर एक्सटेंशन, पृथ्वीराज नगर, मानसरोवर में खोदे गये सिंगल फेज ट्यूबवैल वर्तमान में कहां-कहां पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में खोदे गये ट्यूबवैलों पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है तथा उनके द्वारा पानी

(श्री हीरालाल)

सप्लाई कर पैसे वसूल किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन-19, पृथ्वीराज नगर, मानसरोवर, जयपुर के कृष्णा नगर में विभाग द्वारा वर्ष 2006 में एक हैण्डपम्प का निर्माण किया गया था।

(2) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन-19, पृथ्वीराज नगर, मानसरोवर के कृष्णा नगर में विभाग द्वारा वर्ष 2006 में उक्तानुसार स्थापित हैण्डपम्प (ग्राम कल्याणपुरा, सांगानेर के कृष्णा नगर के प्लाट संख्या 88 के सामने) पर विद्युत सम्बन्ध लेने तथा सबमर्सिबल मोटर संधारित करने हेतु दिनांक 24.08.2007 को सशर्त स्वीकृति जारी की गई थी। इस स्वीकृति के अनुसार "विद्युत सम्बन्ध लेने में आने वाले व्यय, विद्युत विभाग के नियमित बिल का भुगतान एवं हैण्डपम्प इत्यादि का रख-रखाव की जिम्मेदारी समिति की होगी तथा समिति द्वारा विद्युत सम्बन्ध लेने पर भी हैण्डपम्प/नलकूप पर विभाग का ही स्वामित्व होगा"। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

कृष्णा नगर के स्थानीय रहवासियों द्वारा उक्त हैण्डपम्प पर उनके स्वयं के खर्चे पर सिंगल फेज मोटर स्थापित कर, सचिव, कृष्णा नगर विकास समिति के नाम से विद्युत सम्बन्ध वर्ष 2007 में लिया गया। इस समिति द्वारा उक्त जल स्रोत से ही स्थानीय रहवासियों को पेयजल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है तथा इसके अतिरिक्त इस कालोनी में विभाग की कोई अन्य पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है । इस स्रोत के उपयोग के सम्बन्ध में पक्षपात, अवैध राशि वसूली, इत्यादि जैसी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है तथा विभागीय सम्पत्ति का दुरुपयोग अथवा नुकसान होना नहीं पाया गया है । साथ ही समिति के सचिव द्वारा भी अवैध वसूली एवं कब्जा आदि के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत होना नहीं बतलाया है । समिति के सचिव से प्राप्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर

क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :—अमुअ/जय/2006-07/ दिनांक :—

अधिशासी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग

जिला ग्रामीण खण्ड, प्रथम, जयपुर

विषय :—कृष्णा नगर शहरी जल योजना सांगानेर में वर्तमान में स्थित हैण्डपम्प में विद्युत सम्बन्ध लेने बाबत।

प्रसंग :—अधीक्षण अभियंता जिला वृत, जयपुर के पत्र क्रमांक 10206-207 दिनांक 18.8.07 के क्रम में।

प्रसांगिक पत्र के द्वारा वृत कार्यालय ने कृष्णा नगर शहरी जल योजना सांगानेर में वर्तमान में स्थित हैण्डपम्प में विद्युत सम्बन्ध तथा समबर्सिबल मोटर संधारित करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि उक्त हैण्डपम्प में कृष्णा नगर विकास समिति के नाम से विद्युत सम्बन्ध लेने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :—

1. विद्युत सम्बन्ध लेने में आने वाले व्यय को तथा भविष्य में विद्युत विभाग के नियमित बिल का भुगतान तथा हैण्डपम्प इत्यादि का रख-रखाव समिति द्वारा ही वहन किया जायेगा। विद्युत व्यय के भुगतान की समस्त जिम्मेदारी कृष्णा नगर विकास समिति की होगी एवं किसी प्रकार के बकाया राशि के भुगतान हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
2. समिति द्वारा विद्युत सम्बन्ध लेने पर भी हैण्डपम्प/नलकूप पर विभाग का ही स्वामित्व होगा।

ह./-

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जयपुर क्षेत्र, जयपुर

परिशिष्ट-ब

कृष्णा नगर विकास समिति

रीको के सामने, न्यू सांगानेर रोड (कल्याणपुरा) सांगानेर, जयपुर

क्रमांक :—अमुअ/जय/2006-07/ दिनांक :— 11-3-15

श्रीमान सहायक अभियन्ता
जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग,
सांगानेर

विषय :—सिंगल फेज ट्यूबवेल व्यवस्था व दुरुपयोग बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि हमारी समिति द्वारा वर्ष 2007 में विभाग से स्वीकृति उपरान्त कमेटी ने स्वयं के खर्चे पर हैण्डपम्प पर मोटर लगाकर व विद्युत सम्बन्ध समिति के नाम लेकर 2007 से कालोनी में सार्वजनिक रूप से पेयजल व्यवस्था बना रखी है। जिसका किसी प्रकार का दुरुपयोग व अवैध कब्जा नहीं है। विद्युत वैध व साधारण कार्य है कालोनीवासियों से बराबर राशि लेकर खर्चा उठाते हैं। किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जाती है। आज तक कालोनीवासियों को किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है।

मंत्री
सत्यनारायण

बहरोड़ में चम्बल से पानी लाने की योजना

318. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ डार्क जोन घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की समस्या के निदान हेतु उक्त क्षेत्र में चम्बल का पानी लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार की कोई एनिकट या बांध बनाने की योजना है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में चम्बल से पानी लाने की योजना के अतिरिक्त भी कोई अन्य योजना के तहत नहर का पानी लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। साथ ही बहरोड़ केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा नोटिफाइड क्षेत्र भी घोषित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

अलवर जिले की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक उपायों के अन्तर्गत सतही जल स्रोत चम्बल नदी से परियोजना निर्माण बाबत आवश्यक सर्वे, अनुसंधान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निविदा प्रपत्र, इत्यादि तैयार करने हेतु विभाग द्वारा राशि रुपये 121.65 लाख की संशोधित स्वीकृति दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को जारी की गई। उक्त कार्य हेतु मेसर्स पीडीकोर, जयपुर को राशि रुपये 121.65 लाख का कार्यादेश दिनांक 17.09.2014 को जारी किया जाकर कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य माह मार्च, 2015 तक पूर्ण करना निर्धारित है। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तकनीकी सम्भाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना के निर्माण की स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जायेगा ।

(2) जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम मंगलपुर, ग्राम पंचायत काठुवात, तहसील नीमराणा में स्थानीय नाले पर एक एनिकट का चिह्नीकरण किया गया है। तकनीकी रूप से उपादेय पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं। पेयजल समस्या के दीर्घकालिक उपायों के अन्तर्गत सतही जल स्रोत चम्बल नदी से परियोजना निर्माण बाबत आवश्यक सर्वे, अनुसंधान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निविदा प्रपत्र, इत्यादि तैयार करने हेतु उक्तानुसार कार्य प्रगति पर है। अत: चम्बल के अतिरिक्त किसी अन्य सतही स्रोत से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ हेतु अन्य योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

Office of the Additional Chief Engineer
Public Health Engineering Department
NCR Region Alwar

No.ACE/NCR/ALW/2014-15/ 2515 Date : 17.09.2014

Mr. Ribinder Singh
Chief Executive Officer
PDCOR Ltd.
Ist Floor, LIC Jeevan Nidhi Building
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road
Jaipur, Rajasthan

Sub. : Enhancement of work order for survey and feasibility study for providing water supply to Alwar district from Chambal river.

Ref : 1. Work Order no. ACE (Reg-Jpr)F-/PHED/2012-13/6577-87 dated 23.07.2012.

2. Letter of Ace (P), Bharatpur no. 1625-27 dated 05.08.2014

3. Your letter no. 298 dated 01.09.2014

4. This office letter no. spl.-01 dated 13.08.2014

5. CE (SP) letter no. 3815-18 dated 11.09.2014

In reference to above, the work order for work of "survey and feasibility study for providing water supply to Alwar district from Chambal River" was awarded to you by the above referred letter amounting to Rs. 101.90 lacs. As per decision taken by the Govt. of Rajasthan, in the existing assignment of survey and preparation of feasibility report/DPR for providing Chambal water to Alwar district, an additional scope of survey and preparation of feasibility report/DPR for left out areas of Bharatpur and Dholpur districts from Chambal River is also to be included. Therefore, above work order is hereby enhanced to amounting to Rs. 121.65 Lacs. The Completion Date for this consultancy assignment is stipulated as 31.12.2014. Details of additional scope of work are enclosed at Annex-1.

The Other terms and conditions of the contract/agreement and earlier work order will remain same.

Encl. : As above

Sd-
Addl. Chief Engineer
PHED Region NCR Alwar

प्रश्न संख्या-319

(स्थगित)

जयपुर जिले में वृद्धावस्था/विधवा पेंशन के लम्बित प्रकरण

320. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर में वर्तमान में वृद्धावस्था/विधवा पेंशन से लाभान्वित होने वाले पुरुषों/महिलाओं की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2013 तक जिला जयपुर में कितने आवेदन वृद्धावस्था/विधवा पेंशन के विचाराधीन हैं? ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा संचालित निराश्रित सम्बल योजना में जयपुर जिले में वर्ष 2010-15 में कितने वृद्ध लोगों को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर में वर्तमान में वृद्धावस्था/विधवा पेंशन से लाभांवित होने वाले पुरुषों/महिलाओं का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

तहसील	ग्राम पंचायत	वृद्धावस्था		विधवा
		पुरुष	महिला	
13	489	159586	182683	67586

उक्त श्रेणियों में लाभांवित किये गये पेंशनरों का ग्राम पंचायतवार तहसीलवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में जनवरी 2013 तक वृद्धावस्था/विधवा पेंशन का कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है।

(3) जयपुर जिले में निराश्रित सम्बल योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 से फरवरी 2015 तक 158 लोगों को सहायता देकर लाभांवित किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक डिग्रियों की मान्यता

321. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप कार्यक्रमों का केन्द्र के निर्देशानुसार क्रियान्वयन किये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो इस संदर्भ में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त अदीब (सेकण्डरी), अदीब माहीर (सीनियर सेकण्डरी), अदी कामील (स्नातक) व मोअम्मिल (बी.एड) डिग्रियों को अन्य राज्यों की भांति राज्य के सम्बन्धित बोर्डस, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले हेतु मान्यता देने की नीतिगत घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से जुलाई, 2014 तक प्रदेश में किन-किन संस्थानों व डिग्रियों को मान्यता प्रदान की गई?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र (वर्ष 2008) के बिन्दु संख्या 15.05 में यह घोषणा की थी। सच्चर कमेटी के सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों एवं व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(2) शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के अनुसार - जी हां। उक्त डिग्रियों को मान्यता दिये जाने की घोषणा गत सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में की गई थी, परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी डिग्री को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है अपितु विश्वविद्यालय एवं बोर्डो द्वारा अपने सम्बन्धित नियमों के तहत UGC एवं AICTC, NCTE, आदि की गाइडलाइन के अनुसार मान्यता दी जाती है। प्रश्नगत प्रकरणों में केवल राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ही मान्यता दी गई है।

शिक्षा (ग्रुप-6) के अनुसार - बोर्ड ने जामियां उर्दू अलीगढ़ द्वारा आयोजित अदीब (सेकण्डरी), अदीब माहिर (सीनियर सेकण्डरी) परीक्षाओं की सम्बद्धता आदेश क्रमांक मा.शि.बो./मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 से निरस्त कर दी है। प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवनारायण योजनान्तर्गत छात्रावासों का निर्माण

322. श्री रामनारायण (नसीराबाद) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार देवनारायण योजना के अन्तर्गत छात्र व छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पीसांगन (अजमेर) गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु घोषित 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज में अनुमोदित सभी 41 छात्रावास स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनमें से 34 छात्रावासों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जो संचालित भी हो चुके हैं; शेष 7 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2008-09 में 12 छात्रावास स्वीकृत किये गये थे, जिनमें सभी 12 छात्रावासों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनमें छात्रावासों का संचालन हो रहा है। इस प्रकार राज्य में देवनारायण योजनान्तर्गत कुल 53 छात्रावास स्वीकृत हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्ष 2011-12 में विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु घोषित 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज में अनुमोदित सभी 41 छात्रावास स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनमें से अजमेर जिले में तीन छात्रावास क्रमश: भिनाय (स्वीकृत छात्र क्षमता 50), अजमेर (स्वीकृत छात्रा क्षमता 50), मसूदा (स्वीकृत छात्र क्षमता 50) हैं। जिनके भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं संचालित हैं।

अजमेर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लम्बित प्रकरण

323. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में विधवा/विकलांग वृद्धावस्था के पेंशन के कितने प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं व कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया व कितने विचाराधीन हैं? उक्त योजना में कितनी पेंशन राशि दी जा रही है? इसके लिए नवीन मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में एस.सी. व एस.टी. के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्तमान में विधवा, विशेष योग्यजन एवं वृद्धावस्था पेंशन के कोई आवेदन पत्र लम्बित/विचाराधीन नहीं हैं। जिले में 2,19,424 पेंशनर्स को पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत निम्नांकित योजनाएं उनके समक्ष अंकित दिनांक से संचालित की जा रही हैं :

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (दिनांक 06.11.2007);
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (दिनांक 07.10.2009);
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (दिनांक 24.11.2009);
4. मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 01.04.2013);

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

5. मुख्य मंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 01.04.2013); एवं
6. मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 01.04.2013)।

भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी पी एल परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत; 40 वर्ष व अधिक आयु की बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिलाओं को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत; तथा बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति जो गुरुतर नि:शक्तता या बहुनि:शक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक तथा विकलांगता का स्तर 80 प्रतिशत हो, को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजनान्तर्गत नियमानुसार पेंशन देय है।

मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुषों को; मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को; एवं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत किसी भी आयु के विशेष योग्यजन व्यक्ति, जो अन्धता, अल्प दृष्टि चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता), प्राकृतिक रूप से बौनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामले में उसकी ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र धारक हो) एवं प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो, को नियमों में वर्णित पात्रतानुसार पेंशन देय है।

प्रदेश में वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशनरों को देय पेंशन की दर निम्नानुसार है :

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर-750 रुपये प्रति माह;
2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर 500 रुपये प्रति माह;
3. 08 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर-250 रुपये प्रति माह।

(2) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में की गई अनियमितता पर कार्यवाही

324. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1)क्या यह सही है कि प्रदेश में गत पांच वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आबादी से अधिक लोगों का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं एवं सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना में अपात्र लोगों का भी चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो अपात्र लोगों का नाम सूची से हटाकर योजना की खामियों को कब तक दूर कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना दिनांक 02.10.2013 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत आबादी से अधिक लोगों का चयन नहीं किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की आबादी 685.48 लाख व्यक्ति है, जबकि खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित यूनिट संख्या 531 लाख है।

(2) जी हां। उक्त योजना में अपात्र लोगों के चयन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पात्र का चयन एवं अपात्र का निष्कासन कर खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूचियों के शुद्धिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 02.02.2015 के अनुसार एवं राज्य में चल रहे भामाशाह शिविरों में एवं जिला कलक्टर द्वारा गठित समितियों के मार्फत सूचियों के सत्यापन एवं शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है।

अलवर जिले के राजकीय गोदामों से गेहूं फेंकने के प्रकरण की जांच

325. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में राजकीय गोदामों का गेहूं कुएं में फेंके जाने का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो कितना गेहूं कुएं में फेंका गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अमल में लाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई है? यदि हां, तो इसमें किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी माना गया है? रिपोर्ट की प्रति एवं दोषी अधिकारियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस आशय का समाचार 'राजस्थान पत्रिका' समाचार पत्र दिनांक 09 तथा 10 सितम्बर, 2014 के अंक में प्रकाशित हुआ था, परन्तु भारतीय खाद्य निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त फैंका गया गेहूं इन निगमों से सम्बन्धित नहीं था।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिला रसद अधिकारी, अलवर एवं महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। भारतीय खाद्य निगम की जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-1 तथा जिला रसद अधिकारी, अलवर की रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त प्रकरण में भारतीय खाद्य निगम एवं जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा जांच पश्चात् रिपोर्ट दी गई, जिसमें इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार/दोषी नहीं पाया गया। निरीक्षण रिपोर्टों की प्रति परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-326

(सूची से हटाया गया)

टोडाभीम में तिलम संघ के कार्यालय की स्थापना

327. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सरसों का उत्पादन भारी मात्रा में होता है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को सरसों की फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए सरसों के खरीद केन्द्र बढ़ाने एवं

(श्री घनश्याम)

तिलम संघ का कार्यालय टोडाभीम में खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सरसों का उत्पादन होता है।

राज्य सरकार द्वारा सरसों खरीद हेतु टोडाभीम खरीद केन्द्र स्वीकृत किया जाता है, तो तिलम संघ द्वारा टोडाभीम में खरीद केन्द्र खोला जावेगा। खरीद केन्द्र की स्वीकृति बाबत कार्यवाही नैफेड व कृषि विभाग की सहमति से की जाती है। वर्तमान में तिलम संघ का कार्यालय टोडाभीम के पास गंगापुरसिटी में है। तिलम संघ के पास संसाधनों की कमी की वजह से टोडाभीम में कार्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

जमवारामगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा खाद एवं बीज का वितरण

328. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से गत तीन वर्षों में कितना खाद/बीज का वितरण कहां-कहां किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समितियों में मांग के अनुरूप खाद की कमी रही है? यदि हां, तो क्या सरकार जन हित में पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से विगत तीन वर्षों में वितरित खाद/बीज का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कृषि विभाग द्वारा तैयार खाद आपूर्ति के कार्यक्रम के अनुसार राज्य की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को खाद उपलब्ध कराया जाता है। गत वर्ष में उठी मांग को देखते हुए इस वर्ष यूरिया खाद भण्डारण की अग्रिम व्यवस्था की जा रही है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

इसी प्रकार सहकारी समितियों से मांग प्राप्त होने पर राजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम व राजफैड द्वारा प्राथमिकता से उन्नत किस्मों के प्रमाणित एवं अनुदानित बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सहकारी बैंकों में सी.बी.एस. उपकरण के उपयोग की कार्ययोजना

329. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी बैंकों को सी.बी.एस. उपकरण (कोर बैंकिंग साफ्टवेयर) का उपयोग करना आवश्यक है? यदि हां, तो प्रदेश के सहकारी बैंकों में उक्त उपकरण कहां-कहां कब से उपयोग किये जा रहे हैं? इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से प्राप्त दिशा-निर्देशों की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक ने कोई साफ्टवेयर खरीदा है? यदि हां, तो कब व इसकी खरीद के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? निविदा में कौन-कौनसी कम्पनियों ने भाग लिया, किस-किसने क्या-क्या दरें दीं तथा बैंक ने साफ्टवेयर कितने में खरीदा?

(3) क्या बैंक में यह साफ्टवेयर आ गया है? यदि नहीं, तो आपूर्तिकर्ता फर्म के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या बैंक ने सी.बी.एस. के लिए कोई हार्डवेयर भी खरीदा है? यदि हां, तो कब तथा इसकी खरीद के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कितनी राशि में क्रय किया एवं इसका वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सी बी एस के उपयोग की शाखावार तिथिवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, जो नाबार्ड के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(2) जी हां। बैंक द्वारा सी बी एस साफ्टवेयर क्रय हेतु दिनांक 9.11.2011 को राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंट्स लि. (रील जयपुर) को क्रयादेश दिया गया। इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा अपनाई गई खरीद प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। बैंक द्वारा सी बी एस साफ्टवेयर खरीद हेतु कोई निविदा प्रक्रिया नहीं की गई। बैंक ने सी बी एस साफ्टवेयर कुल लागत रु. 18,55,12,609/- (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) में रील, जयपुर से खरीदा है।

(3) जी हां। रील, जयपुर की साफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी टी सी एस द्वारा परिचालित माड्यूल्स एवं शेष रहे माड्यूल्स का विकास/कस्टमाइजेशन के कार्य का प्रगति विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। वर्षवार क्रय किए गए हार्डवेयर एवं अपनाई गई प्रक्रिया, व्यय की गई राशि एवं वर्तमान उपयोग का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कालाडेरा इण्डस्ट्रीज एरिया (जयपुर) से निकलने वाला प्रदूषित जल

330. श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कालाडेरा इण्डस्ट्रीज एरिया से निकलने वाले प्रदूषित पानी से आमेर तहसील के ग्राम डीसा एवं साहिबरामपुरा का आन्तरिक जल भी प्रदूषित हो गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

उत्तर

कालाडेरा इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले पानी से आमेर तहसील के ग्राम डीसा एवं साहिबरामपुरा का आन्तरिक जल प्रदूषित होने का कोई प्रमाण राज्य मण्डल की जानकारी में नहीं है। तथापि, उक्त औद्योगिक क्षेत्र के भू-जल नमूनों की जांच कराई जायेगी।

कालाडेरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित पानी से आन्तरिक जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषक उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्याप्त जल

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के लिए बाध्य किया जाता है एवं जल प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर सम्बन्धित उद्योग के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

इसके अतिरिक्त, रीको औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 15 जल प्रदूषक उद्योगों को चिह्नित किया गया है। इन 15 जल प्रदूषक उद्योगों में से 11 उद्योगों ने जल प्रदूषण नियंत्रण एवं उपचारित उच्छिष्ट के पुनःचक्रण एवं/अथवा परिसर में ही वृक्षारोपण/बागवानी हेतु उपभोगित करने की व्यवस्था कर रखी है। 3 उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 (ए) के अन्तर्गत इन्हें बन्द करने एवं जल/विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त तीनों उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में समयबद्ध योजना के तहत सुधार करने तथा इस कार्य हेतु बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर राज्य मण्डल द्वारा जारी निर्देशों को निष्क्रिय (सीज) किया गया। वर्तमान में उक्त 3 उद्योगों में से 2 उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार कर लिये हैं तथा उपचारित जल को परिसर में ही पुनःचक्रण एवं वृक्षारोपण के कार्यों हेतु उपभोगित किया जा रहा है।

तीसरे उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के सुधार का कार्य प्रगति पर है जो इस माह (मार्च 2015) के अन्त तक पूरा होना अपेक्षित है।

शेष एक उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत प्रस्तुत सम्मति पत्र को निरस्त करने बाबत 'कारण बताओ' नोटिस दिनांक 27.01.2015 को जारी किया गया। उद्योग ने पत्र दिनांक 12.02.2015 द्वारा 'कारण बताओ' का जवाब प्रस्तुत किया है जिसका परीक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता की जांच की जा रही है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानानुसार पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने पर इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त सभी 15 उद्योगों की सूची एवं जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-अ पर है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा प्रदूषण की समस्या व जल व वायु अधिनियमों की पालना किये बगैर व पर्याप्त प्रदूषण निवारण व्यवस्था के बिना संचालित किये जाने वाले उद्योगों को लेकर

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एप्लिकेशन संख्या 134/2013 (लाखनसिंह बनाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व अन्य) लम्बित है। माननीय एन.जी.टी. ने दिनांक 30.04.2014 को निर्देश दिये हैं कि जो उद्योग जल अधिनियम अथवा वायु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालित हैं, उन उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इस क्रम में राज्य मंडल ने आदेश की पालनार्थ 66 दोषी उद्योगों को बन्द करवाने व जल/विद्युत सम्बन्ध विच्छेद के आदेश माह मई 2014 से माह अक्टूबर 2014 में जारी किये। इनमें से 52 दोषी उद्योगों ने राज्य मंडल में जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति आवेदन प्रस्तुत किये। उक्त 52 में से 40 उद्योगों द्वारा जल अधिनियम अथवा वायु अधिनियम के प्रावधानों की पालना किये जाने पर सम्मति जारी की गई। शेष दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर सुनवाई निरन्तर जारी है तथा माननीय एन.जी.टी. में अगली सुनवाई की तारीख 26.03.2015 है|

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में अवैध ब्लास्टिंग करने वाले कम्प्रेशर ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही

331. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में खानों में ब्लास्टिंग करने वाले लाइसेंसशुदा कम्प्रेशर ट्रैक्टर (वाहन) कितने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली व आमेर में ऐसे हजारों कम्प्रेशर ट्रैक्टर खानों में अवैध ब्लास्टिंग कर रहे हैं? क्या सरकार उक्त पर आपराधिक मामले दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम बिलौंची, तहसील आमेर, जयपुर में खानों में ब्लास्टिंग करने वाले कितने ट्रैक्टरों के पास लाइसेंस नहीं हैं? क्या इनके द्वारा ब्लास्टिंग कर आसपास फसल व आमजन को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इन पर कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलक्टर जयपुर कार्यालय अथवा उनके अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी कार्यालय/तहसीलदार कार्यालय द्वारा खानों में ब्लास्टिंग करने वाले कम्प्रेशन ट्रैक्टर (वाहन) को लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं।

(2) खानों में अवैध ब्लास्टिंग करने वाले कम्प्रेशन ट्रैक्टर संचालकों के विरुद्ध 9 प्रकरण दर्ज कर 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) ग्राम बिलौंची में खानों में अवैध ब्लास्टिंग से किसी प्रकार की फसल व आमजन को नुकसान होना जानकारी में नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नील गाय को अनुसूची से विलोपित करने की योजना

332. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के बारां जिले में बहुतायत में पाये जाने वाले एवं अति प्रजनन क्षमता वाले नील गाय/हिरण नामक पशु की अत्यधिक बहुलता को देखते हुए तथा किसानों व फसलों के लिए नुकसानदायी होने से उन्हें मारने के लिए परमिट जारी करने के आदेश जारी किये गये हैं?

(2) क्या उक्त पशु को अनुसूची से पूरी तरह विलोपित करवाने के लिए कार्यवाही कर वस्तुस्थिति से केन्द्र सरकार को अवगत कराने की कार्यवाही में शिथिलता बरती जा रही है? यदि नहीं, तो अब कब तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नील गायों से फसलों को क्षति होने पर ऐसी नील गायों को मारने की अनुमति हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (27)वन/91 दिनांक 31.03.1994 एवं क्रमांक प. 11 (27) वन/91 दिनांक 30.04.1994 से सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/प्रादेशिक रेन्जरों को प्राधिकृत किया गया है। इसी क्रम में अधिसूचना क्रमांक प. 11 (27) वन/91 दिनांक 31.08.2000 से राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उप खण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब

(वन राज्य मंत्री)

तहसीलदार एवं थाना अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। उक्त आदेश बारां में भी प्रचलित है। तथापि, बारां में कोई परमिट जारी नहीं हुआ है। बारां जिले में काले हिरण पाये जाते हैं जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची प्रथम का प्राणी है। अत: काले हिरणों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने पर मारने के लिए परमिट जारी कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) उक्त पशु (वन्य जीव) को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची से पूर्णत: विलोपित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में अवैध बजरी खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

333. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा नदी-नालों से बजरी खनन करने के लिए कितने पट्टे जारी किये गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) लीज क्षेत्र से बाहर बजरी खनन करने पर किस दर से रायल्टी एवं लीज शुल्क वसूल किया जाता है? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा अवैध खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या नीति बनायी गयी है तथा इसकी पालना सुनिश्चित कराने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सरकार आमजन को सस्ती बजरी समय पर उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा नदी-नालों से बजरी खनन करने के लिए दो खनन पट्टे जारी किये गये हैं। जारी खनन पट्टों की सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है। इसके अतिरिक्त 103 प्रकरणों में उच्चतम निविदादाताओं के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत करने का मंशा पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया गया है। मंशा पत्र की सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(2) लीज क्षेत्र के बाहर से बजरी खनन करने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 के प्रावधानों अनुसार अवैध खनिज पर 10 गुणा रायल्टी वसूल की जाती है।

(खान राज्य मंत्री)

पट्टाधारी द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध खनन/अवैध खनिज निर्गमित करने पर सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अध्याय VII (नियम 48 से 54) तथा नियम 68 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) 1. खनिज बजरी के अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा पुलिस, परिवहन विभाग एवं प्रशासन के साथ मिल कर कार्यवाही की जाती है । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.20(84)खान/ग्रुप-2/2014 दिनांक 9.12.2014 एवं दिनांक 24.2.2015 जारी किये गये हैं। परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-3 संलग्न हैं।

2. राज्य में दिनांक 1.4.2014 से अब तक बजरी के अवैध खनन के 94 मामले, अवैध निर्गमन के 1,272 मामले एवं अवैध भण्डारण के 32 मामले, कुल 1,398 मामले बनाये गये हैं। उक्त कार्यवाही में 45.85 लाख रूपये खनिज की कीमत एवं 411.40 लाख रुपये कम्पाउण्ड फीस की पेनल्टी आरोपित की गई, जिसके पेटे क्रमश: 38.41 लाख रूपये एवं 384.85 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है। शेष वसूली विचाराधीन है। उक्त अवधि में 230 एफ.आई.आर. एवं 3 इस्तगासे दायर किये गये, जिनमें 69 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई । कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है ।

3. अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-1986 के नियम-48 के तहत विभागीय अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें अवैध खननकर्ता के विरुद्ध पंचनामा बनाया जाता है, मौके पर उपयोग की जा रही मशीनरी, औजार जब्त किये जाते हैं एवं अवैध खनिज मात्रा पर देय रायल्टी की 10 गुणा राशि खनिज कीमत के रूप में वसूल की जाती है तथा अवैध खननकर्ता के विरुद्ध इस्तगासा या एफ.आई.आर. दर्ज कराकर न्यायालय से सजा दिलाई जाती है। यदि अवैध खननकर्ता द्वारा प्रकरण कम्पाउण्ड करने हेतु निर्धारित राशि जमा करायी जाती है तो न्यायालय कार्यवाही नहीं की जाती है । अवैध खनन से हुए पर्यावरण प्रदूषण की भरपाई हेतु विभागीय नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

4. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु अवैध खनन के विरुद्ध बिन्दु संख्या-3 में अंकितानुसार कार्यवाही की जाती है एवं शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागों के समन्वय से संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 में संलग्न है।

(खान राज्य मंत्री)

(4) जी हां । आमजन को सस्ती बजरी समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खनिज बजरी की विक्रय दरें निर्धारित करने हेतु जिला कलक्टरों को सरकार द्वारा राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण एवं व्यापार और वाणिज्य) अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 7.2.2014 से अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, जिसके क्रम में जिला कलक्टरों द्वारा खनिज बजरी की दरें निर्धारित की गई। पुन: माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2674/2014 में पारित आदेश दिनांक 11.8.2014 एवं 22.9.2014 के क्रम में सभी जिला कलक्टरों द्वारा खनिज बजरी की दरें निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में राज्य में निर्धारित दरों के अनुरूप ही खनिज बजरी का निर्गमन हो रहा है।

(सूचियां, प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रमिकों को विवाह सहायता योजना में आवेदन की अवधि में छूट

334. श्री रामनारायण (नसीराबाद) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्रमिकों के हितार्थ विवाह सहायता योजना में सहायता प्राप्त करने हेतु विवाह की तिथि से 3 माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण कई श्रमिकों को उक्त योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो वंचित हिताधिकारियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना में समय अवधि में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्माण श्रमिकों के हितार्थ विवाह सहायता योजना अधिसूचना दिनांक 1.8.2011 से लागू की गई है (परिशिष्ट-1)। योजना के बिन्दु संख्या-5.1 में प्रावधान किया गया है कि हिताधिकारी (पंजीकृत निर्माण श्रमिक) को विवाह की तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व निर्धारित आवेदन प्रपत्र-अ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। अकस्मात् विवाह तिथि निर्धारित होने पर विवरण सहित छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा। समय पर आवेदन प्रस्तुत न करने वाले हिताधिकारियों को राहत प्रदान करने हेतु परिपत्र दिनांक 19.7.2012 (परिशिष्ट-2) के बिन्दु संख्या-2 व 3 में स्पष्ट किया गया है कि पंजीकृत हिताधिकारी विवाह की तिथि से एक माह पश्चात् तक की

(श्रम राज्य मंत्री)

अवधि में भी विवाह प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु उस हिताधिकारी का विवाह की तिथि से 3 माह पूर्व का पंजीकरण होना आवश्यक है। उक्त उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आने वाले आवेदन अस्वीकृत किये गये, जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 अनुसार निर्धारित 3 माह पूर्व की अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में हिताधिकारियों को राहत प्रदान करने हेतु परिपत्र दिनांक 19.7.2012 जारी किया गया है। निर्धारित अवधि में छूट उसी हिताधिकारी को प्रदान की जायेगी जिसने विवाह की तिथि से 3 माह पूर्व भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीयन करा रखा है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-215 की सूचियां)

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	कार्य का नाम	जोब नम्बर	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कार्य का विवरण	संवेदक का नाम	कार्यादेश की राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	व्यय			भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	विशेष विवरण
									3/2014 तक	वर्ष 2014-15 का व्यय 2/2015 तक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	वाईडनिंग विद रेजिंग एण्ड स्ट्रेन्थनिंग टू 2-लेन विद इम्प्रूवमेंट आफ ज्योमेट्रिक एण्ड कन्स./रिकन्स. आफ सी.डी. वर्क इन किमी. 0/0 से 5/0, 11/0 से 31/0, 50/0 से 51/0, 57/0 से 59/100 एण्ड 64/250 से 88/500 इनक्लूडिंग एल.ए.	090/आर.जे/09-10/06 दिनांक 15.03.10	12208.41	वाईडनिंग स्ट्रेन्थनिंग व डामरीकरण-52.35 किमी. सी.डी.-108 नं. माईनर ब्रिज-17 नं. मेजर ब्रिज-1 नं.	मैसर्स गावर कन्स. लि. हिसार (हरियाणा)	8457.92	07.01.12	06.10.13	7466.42	169.59	7636.01	वाईडनिंग स्ट्रेन्थनिंग व डामरीकरण-48.15 किमी. सी.डी.-91 नं. माईनर ब्रिज-9 नं. पूर्ण	दिसम्बर, 2015	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	फिजिबिलिटी स्टडी एण्ड प्रिपरेशन आफ डीपीआर फोर द वर्क आफ कन्स. आफ 2-लेन बाईपासेज आफ एनएच-90 (बारां-कवाई-छीपाबड़ौद-अकलेरा बाईपास)	090/ आर.जे/2012-13/ 573 दिनांक 19.02.13	40.23	फिजि बिलिटी स्टडी एवं डीपीआर	मैसर्स कास्ता इंजिनियर्स प्रा.लि., नई दिल्ली	38.00	06.05.13	05.11.13	12.42	17.95	30.37	फाइनल डीपीआर अंतिम चरण में प्रगति पर	जून, 2015	—
3.	लैण्ड एक्यूजिशन फोर द कन्स. आफ हाई लेवल ब्रिज एण्ड इट्स एप्रोचेज फार्म किमी. 88/500 से 91/200 आन एनएच-90	आर.जे/ 2013-14/001 एस एण्ड आर (बी)दिनांक 07.01.14	296.99	भूमि अवाप्ति	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	3(ए) की कार्यवाही प्रगति पर	दिसम्बर, 2015	—
4.	स्ट्रेन्थनिंग आफ एक्जिस्टिंग पेवमेन्ट फार्म किमी. 5/0 से 11/0, 31/0 से 42/400 एण्ड 48/200 से 50/0 आन एनएच-90	090/आर.जे/ 2013/587 दिनांक 19.05.14	2389.55	स्ट्रेन्थनिंग व डामरीकरण-19.20 कि.मी.	मैसर्स पारेता एसोसिएट, कोटा	2080.35	25.01.15	24.04.16	0.00	0.00	0.00	प्रगति पर	अप्रैल, 2015	—
		योग	**14935.18**			**10576.27**			**7478.84**	**187.54**	**7666.38**			

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	एनएच नं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत (लाखों में)	खण्ड	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	90	बाईपास फार कवाई, छीपाबड़ौद एवं अकलेरा कस्बे में भूमि अवाप्ति का कार्य	23.00	5000.00	झालावाड़	3(ए) की कार्यवाही प्रगति पर।
2	90	स्ट्रेन्थनिंग इन किमी. 47/400 से 48/200, 51/0 से 57/0 आन बारां-अकलेरा सडक	6.10	1000.00	झालावाड़	तकमीना राशि रु. 999.43 लाख श्रीमान मुख्य अभियंता (एनएच) सा.नि.वि. राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 1110 दिनांक 30.10.2014 द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2014 द्वारा आक्षेप जारी किए गए। आक्षेपों का जवाब श्रीमान मुख्य अभियंता (एनएच) सा.नि.वि. राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 17.12.2014 द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।
3	90	कन्स. आफ सी.सी. पेवमेन्ट इन विलेज कवाई-छीपाबडौद एण्ड अकलेरा, एक्सिडेन्ट प्रोन लोकेशन इन कंजेस्टेड सिटी एरिया ड्रेनेज प्रोब्लम राशि रु. 700.00 लाख	2.50	700.00	झालावाड़	तकमीना राशि रु. 666.53 लाख श्रीमान मुख्य अभियंता (एनएच) सा.नि.वि. राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 355 दिनांक 09.06.2014 द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय ने पत्र दिनांक 04.08.2014 तकमीना आक्षेपों के साथ लौटा दिया। श्रीमान मुख्य अभियंता (एनएच) सा.नि.वि.

1	2	3	4	5	6	7
						राज. जयपुर ने पुन: पत्र क्रमांक 170 दिनांक 29.08.2014 द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने पत्र दिनांक 15.10.2014 द्वारा कुछ आक्षेप जारी किए। श्रीमान मुख्य अभियंता (एनएच) सा.नि.वि. राज. जयपुर ने आक्षेपों की पूर्ति कर पत्र क्रमांक 1368 दिनांक 17.12.2014 द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया।
4	90	इम्प्रूवमेन्ट आफ जंक्शन इन किमी 0/0 से 93/500 राशि रु. 300.00 लाख	0.00	300.00	झालावाड़	तकमीना राशि रु. 1567.55 लाख का श्रीमान मुख्य अभियंता (एनएच) सा.नि.वि. राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 1159 दिनांक 12.11.2014 द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय ने पत्र दिनांक 05.12.2014 द्वारा आक्षेप जारी किए गए। श्रीमान मुख्य अभियंता (एनएच) सा.नि.वि. राज. जयपुर ने पत्र क्रमांक 1371 दिनांक 17.12.2014 द्वारा आक्षेपों का जवाब मंत्रालय में प्रस्तुत किया।
योग			**31.60**	**7000.00**		

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-218 का विवरण)

क्र. सं.	चौमूं विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के नाम	ग्राम पंचायतें जहां समिति खुली हुई हैं	समिति का नाम जहां भवन व गोदाम उपलब्ध हैं।	समिति का नाम जहां भवन व गोदाम उपलब्ध नहीं है	गोदाम न होने के कारण
1	2	3	4	5	6
1	नांगल गोविन्द	नांगल गोविन्द	रणजीतपुरा		
2	भूतेडा	भूतेडा	माधो का बास		
3	धोबलाई	धोबलाई	धोबलाई		
4	नांगलकलां				
5	सान्दरसर	सान्दरसर	सान्दरसर		
6	विमलपुरा				
7	लोहरवाडा	लोहरवाडा	लोहरवाडा		
8	अणतपुरा				
9	हाडोता				
10	आलीसर	आलीसर	आलीसर		
11	हस्तेडा	हस्तेडा	हस्तेडा		
12	आष्टीकलां	आष्टीकलां	आष्टीकलां		
13	किशनपुरा				
14	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़		
15	सिंगोदखुर्द	सिंगोदखुर्द	सिंगोदखुर्द		
16	सिंगोदकलां				

1	2	3	4	5	6
17	ढोढसर	ढोढसर	ढोढसर		
18	गुढलिया	गुढलिया		गुढलिया	गोदाम हेतु भूखण्ड का अभाव
19	मलिकपुर	मलिकपुर	मलिकपुर		
20	उदयपुरिया	उदयपुरिया	उदयपुरिया		
21	ईटावाभोपजी				
22	मोरीजा	मोरीजा	मोरीजा		
23	खुशालपुरा				
24	विजयसिंहपुरा				
25	जयसिंहपुरा	जयसिंहपुरा	जयसिंहपुरा		
26	टांकरडा				
27	चीथवाड़ी	चीथवाड़ी	चीथवाड़ी		
28	फतेहपुरा				
29	कालाडेरा	कालाडेरा	कालाडेरा		
30	घिनौई	घिनौई		घिनौई	गोदाम हेतु भूखण्ड का अभाव
31	मण्डा भिण्डा	मण्डा भिण्डा	मण्डा भिण्डा		
32	डोला का बांस				
33	जैतपुरा	जैतपुरा	जैतपुरा		
34	अणतपुरा				
35	सामोद	सामोद	सामोद		
36	चौमूं नगरपालिका क्षेत्र	बागडो का बास	बागडो का बास		
37	जाटावाली				
कुल		23	21	2	

परिशिष्ट-3

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

कुशलगढ़ में विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का समाधान

विधान सभा कुशलगढ़ क्षेत्र में लम्बे अर्से से बिजली की समस्या हो रही है। घरेलू एवं कृषि कनेक्शन के लोगों को हमेशा जो लोड मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है तथा अलग-अलग फीडरों को कई दिनों तक लाइट का इन्तजार करना पड़ता है। एक साथ सभी लाइनें लोड नहीं लेने से स्थानीय काश्तकारों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यह समस्या लम्बे दिनों से चलती आ रही है। जबकि हमारी सरकार ने घरेलू कनेक्शनों पर 24 घण्टे लाइट देने का तथा कृषि कनेक्शनों को 7 घण्टे लाइट देने का आदेश कर रखा है। कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बहुत पुरानी लाइनें खिंची हुई हैं जिसके कारण आये दिन तार टूट जाना, बार-बार ट्रिप करना, ऐसी समस्याएं हमेशा बनी हुई रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिखरी बस्तियां हैं तथा क्षेत्र लम्बा चौड़ा है। विधान सभा क्षेत्र में दो उपखण्ड क्षेत्र हैं। कुशलगढ़ में बिजली का कार्यालय कार्यरत है तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र के सज्जनगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में बिजली विभाग का कार्यालय नहीं होने से सज्जनगढ़ क्षेत्र के काश्तकारों को काफी समस्याएं पैदा होती हैं। अत: सज्जनगढ़ क्षेत्र में सहायक अभियंता का कार्यालय स्वीकृत किया जाये ताकि उस क्षेत्र के आमजन की बिजली की समस्या का समाधान हो सके।

अत: मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कुशलगढ़ क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुरानी लाइनों को बदलवाकर नई लाइनें बिछाई जावें तथा कई क्षेत्रों में 33 केवी जी एस एस बनाने हेतु प्रस्ताव मंगवाकर जी एस एस की भी स्वीकृति जारी करावें एवं कुशलगढ़ में सहायक अभियंता का पद रिक्त है, तुरन्त पद भरवाने का कष्ट करें। धन्यवाद

भीमा भाई

(कुशलगढ़)

कोलायत में चिकित्सा संसाधनों का अभाव व स्टाफ के रिक्त पद

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री कोलायत के राजकीय चिकित्सालयों व औषधालयों में संसाधनों की कमी तथा नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ

सहित चिकित्सकों के पद रिक्त होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निम्न समस्याओं के समाधान करवाने की मांग करता हूं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलायत :— यह उपखण्ड मुख्यालय का अस्पताल है। यहां रोजाना 500 से अधिक मरीज का आउटडोर है व सैकड़ों डिलीवरी हर माह होती हैं। यह अस्पताल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के नजदीक है। रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं। कोलायत से बीकानेर 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अस्पताल में फर्स्ट रेफरल यूनिट (FRU) स्वीकृत है लेकिन यहां ब्लड स्टोरेज का कोई साधन नहीं है, जिससे प्रसूता महिलाओं को आपरेशन हेतु तथा गम्भीर दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को बीकानेर रेफर करना पड़ता है। इस अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन नहीं है, जिससे मरीजों को मजबूरन बीकानेर जाना पड़ता है, जो आम ग्रामीण के लिए काफी महंगा व असुविधाजनक है। अत: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्री कोलायत में फर्स्ट रेफरल यूनिट चालू कर ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, सोनोग्राफी मशीन मय डाक्टर लगाई जाए तथा चिकित्सकों व नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाए व ट्रोमा सेन्टर खोला जाए।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बज्जू :—यह अस्पताल जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर है तथा 100 किलोमीटर आगे अन्तरराष्ट्रीय सीमा तक दूसरा बड़ा अस्पताल नहीं है। रोजाना 500 मरीजों का आउटडोर है तथा लगभग 100 डिलीवरी हर माह होती हैं। वर्तमान में सिर्फ एक चिकित्सक के भरोसे यह अस्पताल चल रहा है। इस अस्पताल में चिकित्सकों के पांच पद स्वीकृत हैं। यहां कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन के पद पर पदस्थापित चिकित्सक मेडिकल कालेज बीकानेर में प्रतिनियुक्ति पर है। चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित चिकित्सक जिरीयाट्रीक विभाग बीकानेर में प्रतिनियुक्ति पर हैं। चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत अन्य चिकित्सक 1 वर्ष की ट्रेनिंग पर गये हैं। अर्थात् 05 स्वीकृत पदों में से 02 चिकित्सक बीकानेर प्रतिनियुक्त पर हैं, 01 ट्रेनिंग में है, एक पद रिक्त है। प्रतिनियुक्त चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त की जायें तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद सृजित किया जाए। इस अस्पताल में लम्बे समय से रिक्त LSV के पद को भरा जाये। मेल नर्स ग्रेड प्रथम का पद भी रिक्त है। मेल नर्स ग्रेड द्वितीय के 6 में से 5 पद रिक्त हैं। सहायक रेडियोग्राफर का एक मात्र स्वीकृत पद खाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बज्जू के रिक्त पदों को भरा जाए तथा प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर जनता को अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करवाएं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गजनेर :— इस अस्पताल में भी चिकित्सकों,

नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बीकानेर जाना पड़ता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देशनोक :— देशनोक में विश्व विख्यात करणी माता का मंदिर है, यहां रोजाना हजारों श्रदालु व पर्यटक आते हैं। यह नगरपालिका भी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देशनोक में भामाशाह द्वारा अच्छा भवन मय उपकरण बनाया गया है, लेकिन इस अस्पताल में चिकित्सकों के 3 पद रिक्त हैं। एक्सरे व सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध हैं लेकिन रेडियोलाजिस्ट व स्टाफ नहीं होने से बंद पड़े हैं। 108 एम्बूलेंस सेवा यहां चालू करने की आवश्यकता है। यह अस्पताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं। अत: तत्काल चिकित्सा हेतु यहां ट्रोमा सेन्टर बनाया जाए।

विधान सभा क्षेत्र कोलायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौडू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीकमपुर व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसलपुर में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के सभी पद रिक्त होने की वजह से पिछले लम्बे समय से बन्द पड़े हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हदां, दासूड़ी, केशरदेसर जाटान में भवन निर्माण नहीं हुआ है। कोलायत क्षेत्र के 80 उप केन्द्रों में से 32 नर्सिंग स्टाफ के अभाव में बंद पड़े हैं तथा 15 उप केन्द्र के भवन नहीं हैं। कोलायत क्षेत्र के अधिकांश आयुर्वेद औषधालय चिकित्सकों व स्टाफ के अभाव में बन्द पड़े हैं।

बीकानेर मरुस्थलीय जिला है। यहां दूर-दूर तक गांव हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक जाना नहीं चाहते हैं। चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए बीकानेर जिले को दुर्गम जिलों की श्रेणी में शामिल किया जाए, जिससे चिकित्सकों को अतिरिक्त मानदेय मिलेगा व अन्य जिलों की तरह चिकित्सक व अन्य कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने को तैयार होंगे।

भंवर सिंह भाटी

(कोलायत)

बायतू में रेलवे फाटक व अण्डरपासों की स्वीकृति

मेरा विधान सभा क्षेत्र बायतू विषम भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। यहां के निवासी पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क मार्ग, आदि की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके साथ कवास से बायतू रेलवे स्टेशन के बीच 27 कि.मी. के बीच रेलवे का कोई समपार या रेलवे का फाटक नहीं है। इस कारण रेलवे लाइन के दोनों ओर बसे हुए किसानों को और बाहर से आने वाले लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कवास और बायतू रेलवे स्टेशनों के बीच बनिया सांडा धोरा रेलवे

स्टेशन आता है, वहां की स्थिति और भी विकट है। यहां पर कैयर्स का बड़ा लोडिंग-अनलोडिंग का स्थान भी है।

भारत का शायद यह एक मात्र रेलवे स्टेशन है, जहां पर यात्रियों व वाहनों के लिए समपार की कोई सुविधा नहीं है। किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए भी 25 से 30 किमी का चक्कर लगाना पड़ता है तथा अंतिम समय में मोक्षधाम ले जाने के लिए भी इतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। नियमानुसार रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे लाइन को क्रास करना या पार करना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। जब सरकार नियम बना देती है तो उन नियमों को ध्यान में रखकर जनता को सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए।

इसके समाधान हेतु बनिया सांडा धोरा रेलवे स्टेशन के पास-किमी. 800 से 4.0 से 4.5 के बीच रेलवे फाटक और चार अन्य निम्न स्थानों पर अण्डरपास की स्वीकृति दिलवाने की महती आवश्यकता है:—

1. निम्बाणियों की ढाणी के पास-किमी. 806 के 4.0 से 4.5 के बीच।
2. गोदारों व बलियारों की ढाणी के पास-किमी. 796 के 8 व 9 के बीच।
3. लाधोणियों की ढाणी के पास-किमी. 792 के 7 व 9 के बीच।
4. बायतू रेलवे स्टेशन के पास-किमी. 786 के 8 से 9 के बीच।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बजट में रेलवे अण्डरपासों की स्वीकृति जारी की गयी है। चूरू जिले में सिर्फ 05 किमी की दूरी पर ही 03 रेलवे अण्डरपासों की स्वीकृति दी जा सकती है, तो पश्चिमी राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कवास से बायतू रेलवे स्टेशन के बीच 27 किलोमीटर के बीच बनिया सांडा धोरा रेलवे स्टेशन के पास-किमी 800 के 4.0 से 4.5 के बीच रेलवे फाटक और अन्य तीन स्थानों पर रेलवे अण्डरपासों का तोहफा जनता को दिया जाना चाहिए।

अत: बनिया सांडा धोरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक और चार अन्य स्थानों पर अण्डरपास की स्वीकृति दिलवाकर आम जनता को राहत प्रदान करावें।

कैलाश चौधरी

(बायतू)

सागवाड़ा व आसपुर को फ्लोराइडमुक्त पेयजल की उपलब्धता

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि डूंगरपुर जिले के फ्लोराइडयुक्त जल से क्षेत्रों में आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के सागवाड़ा व आसपुर क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त जल होने से यहां की जनता कई बीमारियों से ग्रसित है। कई बार इस

मामले को लेकर उच्च अधिकारियों और मंत्री महोदय को अवगत कराया गया लेकिन कोई राहत जैसा कार्य नहीं हुआ है।

वहीं सागवाड़ा व आसपुर क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हैण्डपम्पों पर डिफ्लोराइडेशन किट लगाने का भी कार्य किया गया था लेकिन उसमें भी अब तक कोई खास प्रगति नहीं है। आसपुर व सागवाड़ा परिक्षेत्र में हैण्डपम्पों पर घटिया क्वालिटी के डिफ्लोराइडेशन किट लगाये गये थे जिससे उस किट का लगाना या नहीं लगाना एक ही बात हो गई है। किट लगाने वाली इस सम्बन्धित कम्पनी के विरुद्ध विभाग स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? वहीं डिफ्लोराइडेशन किट स्थापित करने की योजना में विभाग द्वारा सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाले किट लगाने का भी प्रावधान था, उस पर क्या प्रगति है?

सागवाड़ा व आसपुर के फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र के लिए डिफ्लोराइडेशन किट स्थापित करते हुए राहत देने के लिए विभाग आगामी दिनों में क्या योजना बनाने जा रहा है जिससे इस क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचे? जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों के लिए कोई कदम उठाये जायें ताकि इस क्षेत्र के लोगों को फ्लोराइडमुक्त पेयजल मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से मुझे सागवाड़ा विधान सभा की बात सदन में रखने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद।

अनिता कटारा

(सागवाड़ा)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के ओ पी डी में चिकित्सकों की अनुपस्थिति

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेख किया जाना है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह हास्पिटल की ओ पी डी में अव्यवस्थाओं से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओ पी डी में वरिष्ठ चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी दिन एवं वार के अनुसार निधारित होती है। अपने निर्धारित ड्यूटी समय पर चिकित्सकों की गैरहाजिरी से दूर-दराज से इलाज के लिए आने वाले ग्रामीण मरीजों को एवं अन्य मरीजों को असुविधा के साथ भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी में आया है कि पूर्व में सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में जूनियर मेडिकल स्टूडेंट की क्लास एवं लेक्चर का समय मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे का निर्धारित था किन्तु विगत लम्बे समय से यह समय प्रात: काल 9.00 बजे का होने के कारण वरिष्ठ चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक ओ पी डी में निर्धारित ड्यूटी समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं। हास्पिटल के कार्डियक, न्यूरो एवं गम्भीर यूनिट की ओ

पी डी में आपात स्थिति में भी ओ पी डी में चिकित्सकों की अनुपस्थिति रहती है। मालूम करने पर बताया जाता है कि "डाक्टर साहब क्लास ले रहे हैं अथवा अभी उनका लेक्चर चल रहा है।" चिकित्सक भी अब हर बार इसका बहाना बनाकर ओ पी डी में उपस्थित नहीं रहते हैं और इस कारण मरीजों को घंटों तक इन्तजार करना पड़ता है और आपात स्थिति में कई बार मरीजों को मौत का मुंह देखना पड़ रहा है।

अत: उल्लेख किया जाना है कि उपरोक्त अव्यवस्थाओं के समाधान हेतु मेडिकल कालेज में क्लास एवं लेक्चर का समय पूर्व की भांति मध्याह्न पश्चात् निर्धारित किया जाए एवं हास्पिटल के ओ पी डी में चिकित्सकों को अपने निर्धारित ड्यूटी समय पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाए। साथ ही, चिकित्सकों के बार-बार गैरहाजिर रहने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएं।

श्रीराम भींचर

(मकराना)

किशनगढ़ को राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (R.U.S.D.I.P.) के तृतीय चरण में सम्मिलित किया जाना

मैं सदन का राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि गत 14-15 वर्षों में किशनगढ़ का तीव्र ओद्योगिक विकास होने के कारण यहां पर जनसंख्या का तीव्र एवं अप्रत्याशित विस्तार हुआ है। इसी कारण वर्तमान में किशनगढ़ शहरी क्षेत्र की आबादी लगभग 02 लाख है। साथ ही गत वर्षों में 50-60 नयी आवासीय कालोनियों के साथ-साथ 100 से भी अधिक स्थानों पर आवासीय फ्लैटों का निर्माण हुआ है एवं शहरी क्षेत्र का फैलाव चारों तरफ हुआ है।

जनसंख्या की दृष्टि से किशनगढ़ उपखण्ड का सम्पूर्ण राज्य में 14वां स्थान है तथा राज्य के 20 जिला मुख्यालयों की आबादी किशनगढ़ की जनसंख्या से कम है लेकिन आज भी किशनगढ़ शहरी क्षेत्र का नगरीय विकास काफी पिछड़ा हुआ है। शहरी क्षेत्र में सुलभ एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ अन्य आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, पानी की पाइपलाइन, सीवरेज लाइन, उच्च जलाशय का पूर्ण अभाव है। अत: राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (R.U.S.D.I.P.) के तृतीय चरण में उपखण्ड किशनगढ़ (अजमेर) को शामिल कराने की अतिरिक्त सक्षम विभागीय स्वीकृति जारी करावें।

मान्यवर, किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास

लम्बे समय से अपूर्ण है। साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार लाने एवं मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वांछित शहरी आधारभूत सुविधाओं एवं सेवाओं का सुदृढ़ प्रबंधन गत 20 वर्षों से प्रतीक्षारत है। इस हेतु आप राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (R.U.S.D.I.P.) के तृतीय चरण में उपखण्ड किशनगढ़ (अजमेर) को शामिल कराकर नगर परिषद् क्षेत्र में सी.सी. एवं डामर सड़क, सौन्दर्यीकरण, पुलिया निर्माण एवं नाला निर्माण हेतु लगभग 20 करोड़ रु. की सक्षम विभागीय स्वीकृति जारी करावें ताकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों एवं स्थानों पर सी.सी. एवं डामर सड़क निर्माण हेतु 11 करोड़ रु. गुन्दोलाव झील एवं हमीर सागर के घाट पर सौन्दर्यीकरण हेतु 1 करोड़ 50 लाख रु., मोखम विलास के सौन्दर्यीकरण हेतु 50 लाख रु., तीन पुलियाओं के निर्माण हेतु 60 लाख रु. एवं शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में नाला एवं नाली निर्माण कार्य हेतु लगभग 5 करोड़ रु. के प्रस्तावित कार्य के साथ-साथ नगर में कचरा निस्तारण स्थल का नव-निर्माण भी कराया जा सके।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में आपसे पुन: निवेदन है कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (R.U.S.D.I.P.) के स्वीकृत हुए तृतीय चरण में गत वर्ष 2014 में सात शहरों यथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझनूं, टोंक, भीलवाड़ा, पाली एवं टोंक सहित अन्य शहरों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सात शेष रहे अन्य शहर माउण्ट आबू, दौसा, जालौर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं सिरोही की आवश्यकतानुसार विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अत: आप इस योजना के तृतीय चरण के शेष रहे उक्त सात अतिरिक्त शहरों के साथ-साथ उपखण्ड किशनगढ़ (अजमेर) को भी शामिल कराकर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनवाने का कार्य कराकर, लगभग 20 करोड़ की सक्षम वित्तीय स्वीकृति आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजना के माध्यम से कराने की विभागीय कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को निर्देशित करावें। इस सम्बन्ध में आप से गत वर्ष भी निवेदन किया गया था।

भागीरथ चौधरी

(किशनगढ़)

हिण्डौन सरस डेयरी प्लांट की दौसा से सम्बद्धता अथवा करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का नवीन गठन

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिण्डौन सरस डेयरी प्लांट के अधीन लगभग 70 समितियां संचालित हैं। इन समितियों का संघ पर 21 जनवरी, 2015 को अब तक लगभग 1 करोड़ का दुग्ध एवं दुग्ध परिवहन भुगतान बकाया है। इस

भुगतान बाबत एम.डी., सवाई माधोपुर द्वारा कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता है। एम.डी. साहब से इस भुगतान बाबत पूछने पर घाटे का हवाला देकर असमर्थता जाहिर की जाती है। इससे क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक किसानों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्लांट को सुचारु रूप से चलाने में एम.डी. साहब द्वारा असमर्थता जाहिर की गई है जिसके परिणामस्वरूप एक-दो दुग्ध मार्ग अभी बंद कर दिये गये हैं तथा धीरे-धीरे प्लांट पर ताला लगने का अंदेशा है। गंगापुर प्लांट को अभी हाल ही में इसी तरह बंद कर दिया गया है, उसी तरह हिण्डौन प्लांट को भी बंद करने का अंदेशा है।

अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि 16 करोड़ की लागत से निर्मित राष्ट्रीय सम्पति को अनुपयोगी होने से बचाने के लिए एवं पशुधन पर आश्रित करौली जिले के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय रहते हिण्डौन प्लांट को दौसा संघ में जुड़वाने या करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अलग से गठन कराने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

राजकुमारी
(हिण्डौन)

झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय की आवश्यकता

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि झुंझुनूं जिले में पिछली कांग्रेस सरकार के समय जिले में खेल विश्वविद्यालय खोलने का असत्य आश्वासन दिया गया था, जो अभी तक जमीनी स्तर पर साकार रूप नहीं ले पाया है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर कहना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिला वीर सैनिकों तथा खेल प्रतिभाओं का जिला है। हर वर्ष जिले में हजारों की संख्या में युवक सेना में भर्ती होते हैं जिनको खेल कोटे में लाभ दिलवाने के लिए तथा खेलों से सम्पूर्ण शारीरिक विकास के लिए खेल विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। जिले के सभी विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें विद्यार्थी काफी संख्या में भाग लेते हैं और अपने कौशल का अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इन विद्यार्थियों में से कई विद्यार्थी जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित खेलों में भाग लेते हैं और खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल रहते हैं। इसलिए इन विद्यार्थियों के भविष्य के लिए तथा युवाओं में खेल के प्रति रूचि बनाये रखने के लिए खेल विश्वविद्यालय की सख्त आवश्यकता है।

अत: मैं हमारी सरकार से आग्रह करता हूं कि खेल विश्वविद्यालय की घोषणा कर झुंझुनूं जिले के किसानों, जवानों व सम्पूर्ण शेखावाटी का गौरव बढ़ाये। अध्यक्ष

जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर कहना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिले में खेल विश्वविद्यालय का विकास कर उसको मूर्त रूप दिया जाये, जिससे विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके।

शुभकरण चौधरी

(उदयपुरवाटी)

सवाई भोज मंदिर (आसींद) में प्रकल्पित गौ अभयारण्य के लिए धनराशि की उपलब्धता

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सवाईभोज मंदिर आसीन्द के यहां पर गौ अभयारण्य की स्थापना की जा रही है। यहां पर गौ माता व नदी का विवाह दिनांक 28.3.2015 को होगा। पूर्व में देवनारायण भगवान द्वारा भी 9,80,000 गौ रखी गई एवं पूर्ण रूप से उनकी सेवा की जाती थी। घी-दूध का भण्डारा भरा रहता था। अब भी लगभग 200 गौ माता उपलब्ध हैं एवं घी-दूध-छाछ आने वाले धर्मार्थ यात्रीजन के काम आता रहता है। यहां पर लगभग 800 बीघा जमीन इस मंदिर के नाम से स्थापित है। गौ माता जो कि पूजनीय है, इसका घी, दूध, दही, गोबर व मूत्र पंचागव्य के रूप में काम आता है। गौ मूत्र दमा, कैंसर की ही जैसी कई गम्भीर बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। गोबर को लेपकर पूर्व में और आज भी देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है। गौ माता के दूध के मुकाबले स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई ताकतवर चीज नहीं है। दही भी पाचन शक्ति को तेज करता है व नस-नाड़ियों को मजबूत करता है। घी नासूर को ठीक करता है, बुद्धि में वृद्धि करता है एवं लम्बी आयु प्रदान करता है। गौ माता पूजनीय होकर भी सड़कों पर भटकती रहती है। इनके ऊपर हाथ से स्पर्श करने पर हार्ट जैसी बीमारियां ठीक होती हैं।

अत: मैं माननीय पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गौ अभयारण्य में पशुधन गौ माता का पालन-पोषण हो सके, इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि इस गौ अभयारण्य के लिए उपलब्ध कराने का कष्ट करावें, ताकि यह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ अभयारण्य बन सके।

रामलाल गुर्जर

(आसींद)

एम.बी.एस. चिकित्सालय (कोटा) के सीटी स्कैन केन्द्र द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन

अध्यक्ष महोदय, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा में विगत 8 वर्षों से पी पी पी योजनान्तर्गत सीटी स्कैन सेंटर संचालित है। संचालक तथा अस्पताल

प्रशासन की मिलीभगत से अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से रोगियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सीटी स्कैन सेंटर 24 घण्टे संचालित होता है परन्तु सेंटर पर 24 घंटे रेडियोलाजिस्ट उपलब्ध नहीं रहते तथा अप्रशिक्षित कम्प्यूटर आपरेटरों द्वारा ही सीटी स्कैन कर दी जाती है, जो गम्भीर विषय है। पर्याप्त संख्या में रेडियोग्राफर तथा पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होने पर भी अध्यक्ष, आर.एम.आर.एस. (सम्भागीय आयुक्त, कोटा) तथा सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस. (अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा) द्वारा अनदेखी की जा रही है।

विगत 08 वर्षों में किसी भी रोगी की सी.टी. स्कैन की एम एल सी रिपोर्ट जारी नहीं की गई और अलग से एम एल सी रजिस्टर भी संधारित नहीं किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार एम एल सी के केस की सीटी स्कैन रिपोर्ट संचालक संस्था के तथा अस्पताल के रेडियोलाजिस्ट के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जानी थी तथा अदालत में भी साक्ष्य हेतु उन्हें ही जाना होता, जिसकी निरन्तर उपेक्षा की गयी।

तिमाही विवेचना/समीक्षा जो आर एम आर एस अध्यक्ष के नाते सम्भागीय आयुक्त को तथा सदस्य सचिव, आर एम आर एस के नाते अधीक्षक, एम बी एस चिकित्सालय, कोटा को कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था जिसकी उपेक्षा से लगता है कि प्रशासन ने किसी प्रलोभन/दबाव में गड़बड़ियों के प्रति आंखें बंद रखी हैं। आज भी शाम को एवं रात्रिकाल को आपातकालीन स्थिति के दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की सीटी स्कैन रेडियोलाजिस्ट की अनुपस्थिति में कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा की जाती हैं तथा रिपोर्ट 12-14 घण्टे देरी से दी जाती है।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार नल-बिजली के सब-मीटर नहीं लगाकर संचालक को उपकृत किया जा रहा है।

उक्त संदर्भ में सम्भागीय आयुक्त को भी शिकायत की गई परन्तु नतीजा शून्य रहा है।

अतः दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जावें और साथ में रात्रिकाल में भी रोगियों की सीटी स्कैन हेतु रेडियोलाजिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

ए.पी.एल. परिवारों को फोर्टिफाइड आटे की आपूर्ति में कारित अनियमितताओं की जांच

उपरोक्त विषय में आपसे अनुरोध है कि अनुमोदित आटा मिलों द्वारा, रसद विभाग की मिलीभगत से, फोर्टिफाइड आटा राजस्थान के सभी जिलों में उचित मूल्य

की दुकानों पर आपूर्ति करनी थी, किन्तु उक्त कार्य में केवल खानापूर्ति की गई। उचित मूल्य के दुकानदार रसद विभाग के अधिकारियों के दबाव में बिना आटा लिये भरपायी कराते थे। उक्त कार्य 18 माह तक प्रदेश में चलता रहा, जिसकी जांच, विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13 (2) खा.वि./आबंटन/वि.स./2012-13 दिनांक 25.3.2015 अतिरिक्त खाद्य आयुक्त जस्साराम चौधरी एवं पत्र क्रमांक रसद/जांच/2015 दिनांक 23.3.2015 अति. सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के पत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया आटा वितरण में अनियमितताएं जाहिर होती हैं। दोनों अधिकारियों द्वारा अपने पत्रों में उल्लेख किया गया है कि विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की जांच की जा रही है। वह मात्र अनुमोदित आटा मिलों एवं विभाग द्वारा किये भ्रष्टाचार पर पर्दा डालकर, राशन डीलरों को दोषी ठहराकर इतिश्री कर दी जाये, जबकि प्रदेश में राशन डीलरों ने तो बिना आटा मिले, प्रलोभन एवं अधिकारियों के दबाव से वितरण रजिस्टरों में झूठे अंगूठे एवं हस्ताक्षर करके फर्जी संधारण किया गया है।

जांच उन डीलरों की नहीं करके, असली भ्रष्टाचार करने वाले, अनुमोदित आटा मिलों द्वारा प्रदेश के सभी उचित मूल्य की दुकानों पर किस-किस ट्रकों से, जिसके ट्रक नम्बर क्या थे, किस-किस तारीखों में कहां-कहां पर कितने-कितने आटे की आपूर्ति की गई, उसकी बिल्टी नं. व गेट पास एवं स्टाक रजिस्टरों में इन्द्राज उस तारीख में कितना था, राशन डीलरों द्वारा दी गई आटा भरपाई से मिलान किया जाये।

18 माह तक राजस्थान सरकार के प्रदेश के सभी रसद अधिकारियों पर दबाव होने की वजह से हो रहे गौरखधंधे में स्वयं को लिप्त करते हुए कभी भी डीलरों की दुकानों की जांच नहीं की गई। उल्टा उन पर दबाव डालकर हर माह आटे की भरपाई दिलाते रहे।

अत: मैं आपसे उक्त जांच भ्रष्टाचार विभाग से करवाने की मांग करता हूं। उसके द्वारा एफ.सी.आई. से आटा मिलों को गये गेहूं, आटा मिलों की पिसाई रजिस्टर एवं डीलरों को दिये गये आटे की भरपाई, क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड व राशन डीलरों के बीच हुए आदान-प्रदान की समस्त पत्रावली की क्रास टेली की जाये जिससे उक्त प्रकरण में हुए करोड़ों नहीं, अरबों रुपयों का राजफाश हो सके।

केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)

दौसा में पशुधन संवर्द्धन के क्षेत्र में कतिपय कदम

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत, मेरे विधान सभा क्षेत्र दौसा में अधिकांश गांवों में पानी की कमी होने एवं

फ्लोराइडयुक्त पानी होने के कारण किसान पशुपालन पर ही आश्रित है तथा पशुपालन ही आजीविका का मुख्य साधन है। जिला मुख्यालय पर संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, दौसा एवं बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का कार्यालय है जिसका कार्य पशुपालन विभाग के प्रशासनिक कार्य के अलावा मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना की औषधियों का भण्डारण एवं वितरण, कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु एल.एन.टू. सीमन भण्डारण एवं वितरण एवं पशुपालन विकास समस्त की योजनाओं का संचालन है।

उपरोक्त भवन 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है एवं जीर्ण-क्षीर्ण हालत में है। इसका अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा द्वारा भी उक्त भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है एवं इसकी मरम्मत भी सम्भव नहीं है।

पशुपालकों को बेहतर सुविधा देने के लिए पुरानी निजामत के भवन में चल रहे पशु चिकित्सालय के स्थान पर नवीन भवन निर्माण आवश्यक है जिसमें निचले तल पर बहु-उद्देशीय पशु चिकित्सालय तथा प्रथम तल पर संयुक्त निदेशक कार्यालय का संचालन किया जा सके। इसमें आउटडोर कक्ष, एक्स-रे कक्ष, सोनोग्राफी कक्ष, आपरेशन थियेटर, इण्डोर वार्डस छोटे एवं बड़े पशुओं के लिए प्रथमत: बनाने होंगे तथा पालतू एवं लावारिस जानवरों की भर्ती करने की पृथक-पृथक व्यवस्था की जानी होगी। साथ ही पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना की औषधियों हेतु भण्डार कक्षों का निर्माण भी आवश्यक होगा।

मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट में 600 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की है। ऐसे में विधान सभा क्षेत्र दौसा में कई गांवों को उम्मीद है कि वहां नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना हो सकेगी, यथा चावण्डेडा, बिहारीपुरा, भांकरी, धर्मपुरा, बडागांव, सैंथल मोड़ दौसा और जसोता मुख्य हैं। यदि यहां नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाते हैं तो किसान भाइयों के प्रमुख धन को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा।

अत: मैं माननीय पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पशु चिकित्सालय के नवीन भवन, पशु उप केन्द्रों की स्थापना एवं पशु नस्ल सुधारने की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

शंकर लाल शर्मा

(दौसा)

परिशिष्ट-4

लिखित वक्त्व्य

(राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार के समय सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य जो पढ़े हुए माने गये)

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के खातौली कस्बे में नया विद्युत उपखण्ड खोलने पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सबसे बड़े कस्बे इटावा में विद्युत विभाग का उपखण्ड कार्यालय बना हुआ है। पूर्व में इटावा ग्राम पंचायत मुख्यालय था एवं राज्य सरकार द्वारा इटावा को नगरपालिका की घोषणा की जाकर इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इटावा सब-डिविजन कार्यालय में वर्तमान में चालू उपभोक्ताओं की संख्या 19172 के लगभग है एवं पी डी सी उपभोक्ताओं की संख्या 10,682 है। इस प्रकार कुल उपभोक्ताओं की संख्या 29,854 होती है, जबकि राज्य सरकार द्वारा तय उपखण्ड मापदण्ड के अनुरूप एक ही उपखण्ड में 8,000 से अधिक उपभोक्ता होने पर नया उपखण्ड खोले जाने का प्रावधान किया हुआ है।

राजस्व की यदि बात करें तो इटावा उपखण्ड में उपभोक्ताओं की मासिक बिलिंग लगभग 1.25 करोड़ रुपये की होती है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। इस उपखण्ड में 167 गांव आते हैं जो इटाचा मुख्यालय से 40 से 50 कि.मी. तक की दूरी में बसे हुए हैं। उपखण्ड का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण उपभोक्ताओं को अपने कार्य हेतु दूर-दूर से आना पड़ता है तथा विभागीय कर्मचारियों को भी बड़े क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था की देखभाल करने में कठिनाइयां होती हैं।

वर्तमान में इस उपखण्ड में 33/11 केवी के दस जी एस एस इटावा, पीपल्दा, खातौली, छापोल, सनमानपुरा, चंबल ढीपरी, बिनायका, अयाना, लुहावद व डूंगरली हैं, जो चालू हैं। इटावा से लगभग 25 कि.मी. दूर ही खातौली कस्बा है एवं खातौली कस्बे के आसपास लगभग 79 गांव हैं, जो सीधे रूप से खातौली से जुड़े हुए हैं। बड़ा कस्बा होने के कारण खातौली में वन विभाग का रेंजर कार्यालय, उप तहसील, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, आयुर्वेदिक औषधालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

खातौली में पीपल्दा जो कि तहसील मुख्यालय भी है, के साथ-साथ तलाब, छापोल व डूंगरली को मिलाकर विद्युत विभाग का नया सब-डिविजन कार्यालय खोला जाता है तो इटावा उपखण्ड कार्यालय का 50 प्रतिशत कार्य कम हो जायेगा जिससे

इटावा सब-डिविजन पर पड़ रहा भार भी कम हो जायेगा तथा क्षेत्र की जनता को भी विभाग से सम्बन्धित कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा एवं विभाग द्वारा ग्रामीणों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराने में भी सुविधा रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के खातौली कस्बे में विद्युत विभाग का नया सब-डिविजन कार्यालय खोलने हेतु माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से मांग करता हूं।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में विभाग में रिक्त चल रहे पदों को भरने पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के सब-डिविजन कार्यालय इटावा के साथ-साथ पीपल्दा, खातौली, छापोल, सनमानपुरा, चम्बल ढीपरी, बिनायका, अयाना, लुहावद व डूंगरली में विभाग द्वारा स्वीकृत 133/11 केवी जी एस एस पर लेखाकार व मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों के पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण विभागीय कार्यों के समय पर निपटारे में परेशानी होती है एवं पद रिक्त रहने के कारण अन्य कार्मिकों पर अतिरिक्त कार्यभार भी पड़ता है। अत: इन पदों को शीघ्र ही भरा जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि क्षेत्र के ही अयाना कस्बे में यदि कनिष्ठ अभियन्ता का पद स्वीकृत किया जाता है तो अयाना के आसपास के गांवों के निवासियों को बिजली विभाग से सम्बन्धित दैनिक समस्या के समाधान हेतु इटावा नहीं जाना पड़ेगा एवं कनिष्ठ अभियन्ता के पदस्थापित रहने के कारण क्षेत्र में बिजली की छीजत, बिजली की चोरी, इत्यादि कार्यों की भी प्रभावी मानिटरिंग होगी। अत: मैं अयाना में कनिष्ठ अभियन्ता का पद स्वीकृत करने की भी मांग करता हूं।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत 33/11 केवी जी एस एस का कार्य प्रारम्भ कराने पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के ही सुल्तानपुर एरिये में विभाग द्वारा सुल्तानपुर मुख्यायल पर 132 केवी, कोटडादीपसिंह, मोरपा व मण्डावरा में 33/11 केवी के तीन जी एस एस सहित कुल चार पावर हाउस स्वीकृत किये हुए हैं किन्तु अभी तक सुल्तानपुर में स्वीकृत 132 केवी का पावर हाउस ही बनकर तैयार हुआ है एवं कोटडादीपसिंह, मोरपा व मण्डावरा में विभाग द्वारा स्वीकृत 33/11 केवी के तीनों जी एस एस का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इन जी एस एस का कार्य प्रारम्भ करने हेतु पूर्व में सम्बन्धित संवेदकों को कार्यादेश भी जारी किये जा चुके हैं किन्तु आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त तीनों जी एस एस का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करवाये जाने की भी मांग करता हूं।